59th वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

2024 - 25









मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड
मणलि, चेन्नै - 600 068
MADRAS FERTILIZERS LIMITED
MANALI, CHENNAI - 600 068

निदेशक मण्डल Board of Directors



श्री मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director



श्री अमर कुश्वाहा
भारत सरकार नामित निदेशक
Mr Amar Kushawha
GOI Nominee Director



डॉ.के जयचंद्रन
निदेशक - तकनीकी (अतिरिक्त प्रभार)
Dr K Jayachandran
Director - Technical (Additional Charge)



श्री मोहम्मद बघेर दखिली
एनआईसीओ नामांकित निदेशक
Shri Mohammad Bagher Dakhili
NICO Nominee Director



श्री. बाबाक बघेरपुर
एनआईसीओ नामांकित निदेशक
Shri. Babak Bagherpour
NICO Nominee Director



श्रीमती समीह कोकाबी
एनआईसीओ नामांकित निदेशक
Smt. Samieh Kokabi
NICO Nominee Director



श्री संजय विष्णु शेट्टी
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
Shri Sanjay Vishnu Shetye
Non-official Independent Director



डॉ. जतिन कुमार मोहंती
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
Dr Jatin Kumar Mohanty
Non-official Independent Director



सीए अलोक कुमार अग्रवाल
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक
CA Alok Kumar Agarwal
Non-official Independent Director

निदेशक मंडल और समिति का विवरण (30.08.2025 की स्थिति)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री मनोज कुमार जैन

निदेशक
1. श्री मनोज कुमार जैन
2. श्री अमर कुश्वाहा
3. डॉ.के.जयचंद्रन
4. श्री मोहम्मद बाघेर दखिली
5. श्री बाबाक बघेरपुर
6. श्रीमती समीह कोकाबी
7. श्री संजय विष्णु शेट्टी
8. डॉ जतिन कुमार मोहंती
9. सीए अलोक कुमार अग्रवाल

लेखापरीक्षा समिति
1. सीए अलोक कुमार अग्रवाल
2. श्री अमर कुश्वाहा
3. डॉ जतिन कुमार मोहंती
4. श्री संजय विष्णु शेट्टी

हितधारक संबंध समिति
1. श्री मोहम्मद बाघेर दखिली
2. श्री मनोज कुमार जैन
3. डॉ.के.जयचंद्रन
4. श्री अमर कुश्वाहा
5. श्री संजय विष्णु शेट्टी
6. सीए अलोक कुमार अग्रवाल

जोखिम प्रबंधन समिति
1. डॉ जतिन कुमार मोहंती
2. श्री मनोज कुमार जैन
3. डॉ.के.जयचंद्रन
4. श्री बाबाक बघेरपुर
5. श्री संजय विष्णु शेट्टी
6. सीए अलोक कुमार अग्रवाल

सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
1. डॉ जतिन कुमार मोहंती
2. श्री मनोज कुमार जैन
3. डॉ. के जयचंद्रन
4. श्री संजय विष्णु शेट्टी
5. सीए अलोक कुमार अग्रवाल

नामांकन और पारिश्रमिक समिति
1. श्री संजय विष्णु शेट्टी
2. श्री मनोज कुमार जैन
3. डॉ जतिन कुमार मोहंती
4. सीए अलोक कुमार अग्रवाल

कार्यकारी
श्री मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. के जयचंद्रन
निदेशक – तकनीकी (अतिरिक्त प्रभार)

श्री एन राम कुमार, आईआरएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री ए.मदन मोहन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री बी सोमू
महाप्रबंधक - एचआरडी व रा.भा.

श्री टी वण्णिय पेरुमाल
महाप्रबंधक - संयंत्र (अतिरिक्त प्रभार)

श्री बी अन्निल कुमार
महाप्रबंधक - एमएंडडी व पीएंडए (अतिरिक्त प्रभार)

श्री जे श्रीनिवास सरवणन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सूची

	पृष्ठ सं.
ए.जी.एम नोटिस	3
निदेशक की रिपोर्ट	19
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	31
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	38
भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	53
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सतत रिपोर्टिंग प्रारूप	54
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	101
तुलन पत्र	116
लाभ व हानि का विवरण	118
नकद प्रवाह विवरण	120
वित्तीय विवरणों पर टिप्पण	123

लेखा परीक्षक

मेसर्स चंद्रन & रामन

सनदी लेखाकार

“पैरागॉन”
नंबर 2, राधाकृष्णन रोड
2वां स्ट्रीट, मयिलापुर
चेन्नै-600 004.

लागत लेखा परीक्षक

श्रीमती अरुणा प्रसाद
लागत लेखाकार
प्लॉट संख्या 802/2, 64वीं स्ट्रीट, 10वां सेक्टर
के.के. नगर, चेन्नै – 600078

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स मोहन कुमार एंड एसोसिएट्स,
फ्लैट F1, सुदर्शन अपार्टमेंट्स,
72, द्वितीय मुख्य मार्ग,
बीजीपी सेल्वा नगर, वेलच्चेरी, चेन्नै – 600042

प्रधान बैंकर

स्टेट बक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय

मणलि, चेन्नै - 600 068.
तमिलनाडु, भारत

मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन - L32201TN1966GOI005469
रजि. कार्यालय: पोस्ट बैग नंबर 2,
मणलि, चेन्नै 600 068
दूरभाष.044-25942281/25945489

Website: www.madrasfert.co.in email:cs@madrasfert.co.in

सूचना

नीचे उल्लिखित व्यवसायों का संचालन करने हेतु, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड की 59वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) 24 सितम्बर 2025 पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की लेखा परीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर टिप्पणी और वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अन्य व्याक्यात्मक जानकारी को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने हेतु उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पढ़ी गई धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 202-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और विचार करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करें:

   "संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने हेतु अधिकृत किया गया है।"

विशेष व्यवसाय

3. श्री अमर कुश्वाहा (डी.आई.एन 11211580) को कंपनी के अध्यक्ष मंडस के निदेशक के रूप में चयनित करने हेतु:

भारत सरकार ने सरकारी आदेश अधिसूचना सं. 95/1/2019-एचआर-पीएसयू (भाग-2) (ई-31042) दिनांक 17 जुलाई, 2025 के अनुसार श्री अमर कुश्वाहा (डी. आई.एन 11211580) को 24.07.2025 से कंपनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित नामित निदेशक की श्रेणी के अंतर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152, 161 (1) और किसी भी अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुन: अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के साथ पठित, श्री अमर कुशावहा (डीआईएन: 11211580), जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक की श्रेणी के तहत अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 95/1/2019-एचआर-पीएसयू (भाग 2) (ई-31042) दिनांक 17 जुलाई 2025 के अनुसार 24.07.2025 को तीन वर्ष की अवधि के लिए, या उर्वरक विभाग में उनकी तैनाती के लिए सह-टर्मिनस आधार पर, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में चुना जाता है।"

4. संजय विष्णु शेट्टी(डीआईएन:01089380) की कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति। निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150, 152 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके वर्तमान में लागू पुन: अधिनियमन सहित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू विनियमों के अनुसार, श्री संजय विष्णु शेट्ये, (डीआईएन: 01089380), जिन्हें उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत

सरकार की अधिसूचना संख्या 95/01/2025-एचआर-पीएसयू (ई-38759) दिनांक 13/01/2025 के अनुसार मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदनामित किया जा रहा है। 17.04.2025 को अधिसूचना की तारीख अर्थात 17 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाएगी और इसके द्वारा 17 अप्रैल, 2025 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

5. सीए.अलोक कुमार अग्रवाल,(डीआईएन: 09395495) की कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक **विशेष प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150, 152 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके वर्तमान में लागू पुन: अधिनियमन सहित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू विनियमों के अनुसार, सीए आलोक कुमार अग्रवाल, (डीआईएन: 09395495), जिन्हें उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 95/01/2025-एचआर-पीएसयू (ई-38759) दिनांक 17.04.2025 के अनुसार मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया उनको अधिसूचना की तारीख अर्थात 17 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की जाती है और इसके द्वारा 17 अप्रैल, 2025 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है"

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या उसके बिना, एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, (जिनमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के साथ पठित, के अनुसार श्रीमती अरुणा प्रसाद एंड कंपनी, (फर्म संख्या: 100883), लागत लेखाकार, 28 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा पर विचार करने के लिए बोर्ड द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रु. 1,33,000/- के शुल्क और अतिरिक्त कर सहित वास्तविक यात्रा और जेब खर्च की मंजूरी दी जाती है।"

7. 2025-26 से 2029-30 तक लगातार पाँच वर्षों की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना"

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, और लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: P2008KV017902) को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे पारिश्रमिक और ऐसे नियमों और शर्तों पर नियुक्त करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जैसा कि निदेशक मंडल (इसकी समितियों सहित) द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और कोई अन्य सेवाएं, प्रमाणपत्र या रिपोर्ट जो लागू कानूनों के तहत स्वीकार्य हो सकती .

"इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल (इसकी समितियों सहित) और/या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने के लिए पृथक रूप से प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें उचित, आवश्यक या

समीचीन समझा जाए, जिसमें किसी प्राधिकारी के पास अपेक्षित प्रपत्र दाखिल करना या दस्तावेज प्रस्तुत करना या ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित धाराओं में कोई संशोधन स्वीकार करना शामिल है।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ताक्षरित /-
श्री मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डी.आई.एन 10690782)

स्थान:चेन्नै
दिनांक: 12 अगस्त,2025

टिप्पण:

1. सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2021 के अनुसार 19, 2024 (सामूहिक रूप से "सामान्य परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडीपीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडीपीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्तूबर, 2024 (सेबी परिपत्र) के माध्यम से कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से 30 सितंबर, 2025 तक आम बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है, इसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के अनुपालन के अधीन, कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से, सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जा रही है। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) और सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (संशोधित) के अनुसार। और एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विज़ुअल ('ओएवीएम') के माध्यम से, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित कर रही है। उक्त उद्देश्य के लिए कंपनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। इसके अलावा, एनएसडीएल को ई-वोटिंग की सुविधा देने के लिए भी लगाया गया है ताकि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

   वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया नीचे दिए गए नोट्स में बताई गई है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार एजीएम में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक -2 के अनुसार संक्षिप्त प्रोफ़ाइल और अन्य अतिरिक्त जानकारी, एजीएम में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में भी नोटिस के साथ संलग्न है।

5. अधिनियम की धारा 102 के अनुसार संलग्न नोटिस और विवरण में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज, संचलन की तारीख से सभी कार्य दिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे के बीच) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और यह सूचना एजीएम की तारीख तक है। उपर्युक्त अवधि के दौरान संबंधित दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cs@madrasfert.co.in पर एक ईमेल भी भेज सकते हैं।

   कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए रखा जाता है, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा।

   इसके अलावा, खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी अन्य मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे 17 सितंबर, 2025 तक कंपनी को cs@madrasfert.co.in पर ईमेल भेजें। ऐसे प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला कोई भी सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और यह प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालाँकि, निकाय कॉर्पोरेट, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं।

7. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट मद्रासफर्ट कंपनी की वेबसाइट www.madrasfert.co.in और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.nseindia.com) अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंधित अनुभागों पर भी रखी जाती है।

8. नोटिस केवल उन सभी सदस्यों/लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिनके नाम 22 अगस्त, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं और जिन्होंने कंपनी/आरटीए या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, उसके तहत बनाए गए नियमों और एमसीए और सेबी परिपत्रों को पढ़ें।

9. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 21वें दिन, सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) पर शुरू होती है और 23वें दिन, सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख यानी 17वें दिन, सितंबर, 2025 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उसके बाद एनएसडीएल द्वारा इसे वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।

   एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जो सदस्य पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

   एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयुक्त धारकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक फोलियो/क्लाइंट आईडी के लिए एक ई-वोट होगा। वोटिंग अधिकार की गणना कटऑफ तिथि के अनुसार सदस्य के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भुगतान किए गए मूल्य पर की जाएगी और कोई भी व्यक्ति जो उस तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

10. सदस्य नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए 11.00 बजे (आईएसटी) से खुला रखा जाएगा, जो एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले है और कंपनी इसके लिए विंडो बंद कर सकती है। एजीएम शुरू करने के लिए निर्धारित समय के 15 मिनट बाद वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होना। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हालाँकि, पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के कारण उक्त प्रतिबंध बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटरों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध, लेखा परीक्षक,आदि पर लागू नहीं होगा।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

12. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, शेयरों की संख्या, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल पते से अनुरोध cs@madrasfert.co.

in को 14 सितंबर 2025 को या उससे पहले भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने की अनुमति होगी जिन्होंने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या के साथ-साथ बोलने के समय को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

13. निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान की जांच करने के लिए मेसर्स चित्रा ललिता एंड एसोसिएट्स, चेन्नई, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या 4464) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। संवीक्षकों ने उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त होने की अपनी इच्छा बता दी है।

14. बैठक में ई-वोटिंग के समापन के बाद, संवीक्षक बैठक में डाले गए वोटों और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करेगा, एक समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट बनाएगा और उसे अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो बैठक के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और परिणाम (समेकित) घोषित करेगा और उसे समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, घोषणा के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट (www.Madrasfert.co.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर रखा जाएगा। परिणाम की सूचना अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कंपनी के किसी निदेशक/अधिकारी को दी जाएगी और इसकी सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी दी जाएगी। इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। .

15. प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की दृष्टि से, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे ई-मेल पता, अधिदेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी सहित अपने संपर्क विवरण अपडेट करें। कोड, वगैरह अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ और आरटीए के साथ यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं ताकि कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने में सक्षम बनाया जा सके।

16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को पैन विवरण जमा करें जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपना पैन विवरण कंपनी/आरटीए को जमा कर सकते हैं।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव हो तो पिन कोड नंबर के साथ तुरंत आरटीए यानी मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (आईआरएमएसपीएल) केंस टावर्स, दूसरी तल, नंबर 1, रामकृष्ण स्ट्रीट, टी.नगर, चेन्नै-600 017 को सूचित करें। फ़ोन:044-28140801 से 803 ईमेल:Einward@integratedindia.in.

18. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्थायी निपटान के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में किसी भी बदलाव, भारत में रखे गए अपने बैंक खाते का पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या और बैंक के पते के साथ कंपनी के आरटीए को सूचित करें। पिन कोड नंबर के साथ, यदि पहले नहीं दिया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं। .

19. सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से आदेश दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोज़िशन इत्यादि जैसे सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय प्रतिभूतियों को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में जारी करेंगी। तदनुसार, जिन सदस्यों के पास अभी भी भौतिक रूप में शेयर हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी हिस्सेदारी को डीमैटरियलाइज़ करा लें।

20. 1 अप्रैल, 2024 से, सेबी ने अनिवार्य किया है कि जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं और जिनके फोलियो में कोई भी केवाईसी विवरण [जैसे, (i) पैन (ii) नामांकन का विकल्प (iii) संपर्क विवरण (iv) मोबाइल नंबर (v) बैंक खाता विवरण और (vi) हस्ताक्षर] अपडेट नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए, मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईआरएमएसपीएल) को ईमेल के माध्यम से Einward@integratedindia.in पर लिखकर अपना केवाईसी पूरा करें। इसके अलावा, इसे अपडेट करने के लिए फॉर्म www.madrasfert.co.in पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, सदस्य कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं।

सेबी ने 17 नवंबर, 2023 के अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 के माध्यम से बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत फोलियो को फ्रीज करने और फ्रीज किए गए फोलियो को प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

21. सेबी ने 30 मई, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से एक सूचीबद्ध कंपनी और/या आरटीए और उसके शेयरधारकों/निवेशकों के बीच विवाद के लिए स्टॉक एक्सचेंज मध्यस्थता क्रियाविधि के तहत विवाद समाधान के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। उक्त परिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.madrasfert.co.in पर उपलब्ध है।

22..सेबी परिपत्र, सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जो विशेष रूप से उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए है, जिन्हें शेयरधारकों द्वारा 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किया गया था और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिया गया/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल की गई सभी प्रतिभूतियों (सूचीबद्ध कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास वर्तमान में लंबित अनुरोधों सहित) को केवल डीमैट (डीमैट) मोड में संसाधित किया जाएगा। ऐसे सभी हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए लागू विनियमों के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और किसी भी आवश्यक सहायता के लिए आरटीए/कंपनी से संपर्क करें। कृपया हमारी वेबसाइट देखें। या https://re-lodgement-of-transfer-request-of-physical-shares-02.06.2025-circular-1.pdf

23. कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के अवसर पर सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही 18.09.2025 से 24.09.2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 21वें दिन, सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और 23वें दिन, सितंबर 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 17 वें दिन, सितंबर, 2025 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, 17वें दिन, सितंबर, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं:

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे करूं?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

ए. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	एक नई स्क्रीन
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक.	ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आप पहले से ही एन.एस.डी.एल.आई.डी.ई.ए.एस. सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एन.एस. डी.एल. की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://eservices.nsdl.com। ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आई.डी.ए.एस. सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करना है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप है-वोटिंग सेवाओं को देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई वोटिंग पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएँगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता एन. एस. डी. एल. पर क्लिक करें और आपको रिमोट है-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए एन.एस. डी.एल. ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें शेयरधारक/सदस्य सहज मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लखिति क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"एनएसडीएल स्पीडी"** सुवधिा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play

एन. एस. डी. एल. के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1 मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आई.डी. और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीस्ट में लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. ईजी/ईजीएस्ट में सफल लॉगिन के बाद, उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहाँ कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। 3 यदि उपयोगकर्ता ईजी / ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और नई सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करके पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुँच भी पाएगा।.
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एन.एस.डी.एल./ सी.डी.एस.एल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, आपको ई-वोटिंग विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एन.एस.डी.एल./ सी.डी.एस.एल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, यानी एन.एस.डी.एल. पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉज़िटरी अर्थात एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एन.एस.डी.एल. के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक.	सदस्यों को लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या होने पर वे एन.एस.डी.एल हेल्पलाइन को evoting@nsdl.co.in के माध्यम से अनुरोध भेजकर संपर्क कर सकते है या टोल फ्री नंबर 022-48867000 और 022 - 24997000 पर संपर्क कर सकते हैं।
सी.डी.एस.एल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	सदस्यों को लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या होने पर वे सी.डी.एस.एल हेल्पलाइन को evoting@cdsl.co.in के माध्यम से अनुरोध भेजकर संपर्क कर सकते है या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

बी. डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा, भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले अन्य शेयरधारको के लिए लॉगिन विधि। एन.एस.डी.एल. ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग इन कैसे करे?

1. एन. एस. डी.एल. की ई वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर उल्लिखित यू.आर.एल.https://www.evoting.nsdl.com/टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने पर, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पर दर्शाए अनुसार, आपको अपना यूजर आई.डी. अपना पासवर्ड/ ओ. टीटपी. और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।.

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एन.एस.डी.एल. ई-सेवाओं यानी आए.डी.ई.ए.एस. (IDEAS) के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने आए. बी. ई. ए. एस. (IDEAS) लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। जब आप अपने इलैक्ट्रोनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
4. **आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:**

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एन.एस.डी.एल. या सी.डी.एस.एल.) या भौतकि रूप से शेयर रखने वाले	आपका यूजर आई.डी.
क. एन.एस.डी.एल. के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 करेक्टर डी.पी. आई.डी. के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आई. डी. उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है
ख. सी.डी.एस.एल. के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	116 अर्को की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी यूजर आईडी 12********** होगी।
सी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर आता है। उदाहरण के लिए, यदि EVEN 101456 है और फोलियो नंबर 001*** है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

   क. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं,तो आप लॉग इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   ख. यदि आप पहली बार एन. एस. डी. एस.वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो एन. एस. डी. एल. द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। जब आप अपना 'आरंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

   ग. आपका यूजर आई.डी.है: अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

      (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एन.एस.डी.एल. से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अनुलग्नक यानी एक .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड NSDL खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सी.डी.एस.एल. खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूज़र आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

      (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं

6. यदि आप 'आरंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क. "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" पर क्लिक करें। (यदि आप एन. एस. डी. एल. या सी. डी. एस. एल. के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ख. भौतिक "उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ग. यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ. सदस्य एन. एस. डी. एल. की ई-वॉटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड)आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों से सहमत" पर क्लिक करें।

8. अब आप "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने पर ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एन.एस.डी.एल. ई-वोटिंग प्रणाली पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें

एम.एस.डी. एल. ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें?

क. में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को ई. वी. ई. एन. 'EVEN' देख सकते हैं,जिनमें आपके शेयर है और जिनका मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।

ख. उस कंपनी का ई.वी. ई. एन. 'EVEN' चुने जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "ज्वाइन जनरल मीटिंग के तहत दिए गए "VC/O AVM' लिंक पर क्लिक करना होगा।

ग. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार है।

घ. . उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें. उन शेयरों की संख्या की सत्यापित/संशोधित करे जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते है और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि" करें पर भी क्लिक करें।

ड. पुष्टि होने पर "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश प्रदर्शित होगा।

च.. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

छ. जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

i. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति

(पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, स्क्रूटिनाइज़र को lalitha.companysecretary@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजनी होगी, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर भी भेजी जानी चाहिए। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र अपलोड करें" पर क्लिक करके भी अपना बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।

ii यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरते। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर है-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको उपयोगकर्ता विवरण पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकलो रीसेट पासवर्ड" पर जाना होगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए https://www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

iii. ई-वीटिंग से संबधित किसी भी प्रश्ना संदेह होने पर आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नी (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। नंबर 022 – 2499 7000 या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट, लोअर परेल, मुंबई से ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं हैं. यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन कार्ड (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आधार कार्ड (स्व-प्रमाणित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा corpserv@integratedindia.in पर भेजे।
2. यदि शेयर डीमेट मोड़ में हैं, तो कृपया डीपीआईडीसीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंको का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समकित खाता विवरण की प्रति पैन कार्ड (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार कार्ड (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी) corpserv@integratedindia.in
3. पर प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण 1 (ए) में बताई गई लोगिन विधि को देखें, अर्थात डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि का अनुपालन करें
4. वैकल्पिक शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
5. सूचीबदर कंपनियाँ दवारा प्रदान की गई ई- वोटिंग सुविधा पर सेवी के 9 दिसंबर 2020 के परिवार के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारको को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यमतियों वोट करने की अनुमति है, शेयरधारकों को अपने ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए उनके डीमैट खाते में सही ढंग से भगवान से नंबर और ईमेल आई डी अपडेट करें। .

वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार है:-

1. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया, रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही होगी।
2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक,जो वीसी/ओएटीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली में मतदान करने के पात्र होंगे।

3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। परंतु वे एजीएम में मतदान के पात्र नहीं होगे।

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क की जाएगी, वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित शिकायतातीं के लिए भी होगा।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार है:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन 'EVEN' प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन कर इसे पुनःप्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्यों के बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम बैठक में शामिल होने हेतु अनुरोध किया जाता है।

3. सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए कैमरे की अनुमति और अच्छी गति के साथ इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान है कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप द्वारा कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियो को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

   जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर (einward@integratedindia.in) बताते हुए पहले ही अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा उनका उचित उत्तर दिया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद सं.3 श्री अमर कुश्वाहा (डीआईएन 1121180) को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में की नियुक्ति

उर्वरक विभाग ने अधिसूचना संख्या 95/1/2019-एचआर-पीएसयू (भाग 2) (ई-31042) दिनांक 17 जुलाई 2025 के माध्यम से श्री अमर कुशावाहा (डीआईएन: 11211580) को मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से या उर्वरक विभाग में उनकी तैनाती के लिए सह-टर्मिनस आधार पर, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करने की सूचना दी।

श्री अमर कुश्वाहा (डीआईएन:11211580) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.07.2025 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे तदनुसार 24.07.2025 से प्रभावी रूप से अनुमोदित किया गया।

कंपनी को श्री अमर कुशावहा से सभी वैधानिक प्रकटीकरण/घोषणाएँ प्राप्त हो गई हैं, जिनमें (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 ("नियुक्ति नियम") के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति, (ii) नियुक्ति नियमों के अनुसार फॉर्म डीआईआर-8 में इस आशय की सूचना कि वे अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं, शामिल हैं।

यह प्रस्ताव 24 जुलाई, 2025 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री अमर कुशावहा की नियुक्ति के लिए सदस्यों का अनुमोदन चाहता है। अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, उनका पद चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।

श्री अमर कुशावाहा, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 3 में दिए गए प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

बोर्ड विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 3 में दिए गए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

श्री अमर कुश्वाहा जैन का प्रोफ़ाइल:

डी.आई.एन	11211580
जन्म तिथि	15.08.1985
नियुक्ति के तारीख/ नियुक्ति के शर्तों में परिवर्तन	24.07.2025
निदेशक/के.एम.पी. के साथ सम्बंध	नहीं
कंपनी में शेयरधारिता	नहीं
पारिश्रमिक भुगतान करने का प्रस्ताव	नहीं
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन, योजना एवं विकास, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी विकास, औद्योगिक नियोजन आदि।
31 मार्च, 2025 तक कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशता की सूची	नहीं
31 मार्च, 2025 को अन्य कंपनियों के निर्देशकों की समिति के अध्यक्ष/सदस्य जिसमें वह तक निदेशक रहे है	नहीं
वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड बैठक में भाग लेने की संख्या	नहीं

मद संख्या 4: कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय विष्णु शेट्ये (डीआईएन: 01089380) की नियुक्ति।

उर्वरक विभाग ने 17 अप्रैल, 2025 के पत्र संख्या 95/01/2025/HR-PSU (e-38759) के माध्यम से श्री संजय विष्णु शेट्ये को मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 17 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए, नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।

श्री संजय विष्णु शेट्ये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और एस.ओ.डी.आर. विनियमों के विनियम 16 के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

कंपनी को श्री संजय विष्णु शेट्ये से सभी वैधानिक प्रकटीकरण/घोषणाएँ प्राप्त हो गई हैं, जिनमें (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 ("नियुक्ति नियम") के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति, (ii) नियुक्ति नियमों के अनुसार फॉर्म डीआईआर-8 में इस आशय की सूचना कि वे अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं, और (iii) इस आशय की घोषणा कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने माना है कि श्री संजय विष्णु शेट्ये के पास विविध कौशल, नेतृत्व क्षमता, शासन और वित्त में विशेषज्ञता, जोखिम प्रबंधन और व्यापक व्यावसायिक अनुभव है, जो इस भूमिका के लिए प्रमुख आवश्यकताएं हैं।

उपरोक्त पर विचार करते हुए, बोर्ड ने राय दी कि श्री संजय विष्णु शेट्ये ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150, 152 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया है और निदेशक मंडल ने 24.04.2025 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, जो 17 अप्रैल, 2025 से या अगले आदेश तक प्रभावी होगी।

यह प्रस्ताव अधिनियम की धारा 149, 150, 152 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार श्री संजय विष्णु शेट्ये को 17.04.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन चाहता है और उनका पद चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

बोर्ड विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 4 में दिए गए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

श्री संजय विष्णु शेट्ये, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 4 में दिए गए प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

श्री संजय विष्णु शेट्टी का प्रोफ़ाइल:

डी.आई.एन	01089380
जन्म तिथि	16.01.1966
नियुक्ति के तारीख/ नियुक्ति के शर्तों में परिवर्तन	17.04.2025
निदेशक/के.एम.पी. के साथ सम्बंध	नहीं
कंपनी में शेयरधारिता	नहीं
पारिश्रमिक भुगतान करने का प्रस्ताव	शून्य
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	इवेंट मैनेजमेंट, क्रिएटिव, ग्राफिक्स, फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी
31 मार्च, 2025 तक कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशता की सूची	नहीं

31 मार्च, 2025 को अन्य कंपनियों के निर्देशकों की समिति के अध्यक्ष/सदस्य जिसमें वह तक निदेशक रहे है	-
वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड बैठक में भाग लेने की संख्या	लागू नहीं

मद संख्या 5: कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में सीए आलोक कुमार अग्रवाल (डीआईएन: 09395495) की नियुक्ति।

उर्वरक विभाग ने पत्र संख्या 95/01/2025/एचआर-पीएसयू (ई-38759) दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के माध्यम से मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बोर्ड में सीए आलोक कुमार अग्रवाल को गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की सूचना दी। यह नियुक्ति अधिसूचना की तिथि से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

सीए आलोक कुमार अग्रवाल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और एल.ओ.डी.आर. विनियमों के विनियम 16 के तहत निर्धारित एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

कंपनी को सीए आलोक कुमार अग्रवाल से सभी वैधानिक प्रकटीकरण/घोषणाएँ प्राप्त हो गई हैं, जिनमें (i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 ("नियुक्ति नियम") के नियम 8 के अनुसार फॉर्म डीआईआर-2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति, (ii) नियुक्ति नियमों के अनुसार फॉर्म डीआईआर-8 में इस आशय की सूचना कि वह अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं, और (iii) इस आशय की घोषणा कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने माना है कि सीए आलोक कुमार अग्रवाल के पास विविध कौशल, नेतृत्व क्षमता, शासन और वित्त में विशेषज्ञता, जोखिम प्रबंधन और व्यापक व्यावसायिक अनुभव है, जो इस भूमिका के लिए प्रमुख आवश्यकताएँ हैं।

उपरोक्त पर विचार करते हुए, बोर्ड ने राय दी कि श्री सीए आलोक कुमार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150, 152 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया है और निदेशक मंडल ने 24.04.2025 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, जो 17 अप्रैल, 2025 से या अगले आदेश तक प्रभावी होगी।

यह प्रस्ताव अधिनियम की धारा 149, 150, 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सीए आलोक कुमार अग्रवाल की नियुक्ति के लिए सदस्यों का अनुमोदन चाहता है और उनका पद चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

बोर्ड विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन हेतु मद संख्या 5 में दिए गए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

सीए अलोक कुमार अग्रवाल, जिनसे यह प्रस्ताव संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 5 में दिए गए प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

सीए अलोक कुमार अग्रवाल का प्रोफ़ाइल:

डी.आई.एन	09395495
जन्म तिथि	09.08.1974
नियुक्ति के तारीख/ नियुक्ति के शर्तों में परिवर्तन	17.04.2025
निदेशक/के.एम.पी. के साथ सम्बंध	नहीं
कंपनी में शेयरधारिता	नहीं
पारिश्रमिक भुगतान करने का प्रस्ताव	नहीं
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	कॉर्पोरेट प्रशासन और बोर्ड नेतृत्व, वित्तीय निरीक्षण और लेखा परीक्षा समितियां, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन, रणनीतिक योजना और व्यापार परिवर्तन, विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए), हितधारक जुड़ाव और रिपोर्टिंग, नियामक अनुपालन, (सेबी, आरबीआई, आदि) नैतिकता, पारदर्शिता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	नहीं
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशता की सूची	नहीं
31 मार्च, 2025 को अन्य कंपनियों के निर्देशकों की समिति के अध्यक्ष/सदस्य जिसमें वह तक निदेशक रहे है	-
वर्ष 2024-2025 के दौरान बोर्ड बैठक में भाग लेने की संख्या	नहीं

मद संख्या 6 वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखा परीक्षक को दिए गए पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी को अपने लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण किसी कार्यरत लागत लेखाकार से करवाना आवश्यक है। तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर 28.05.2025 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण करने के लिए श्रीमती अरुणा प्रसाद एंड कंपनी (फर्म संख्या 100883) को ₹ 1.33.000/- रुपए का पारिश्रमिक और लागू कर तथा जेब से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की नियुक्ति को मंजूरी दी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित, लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे लागत लेखा परीक्षक द्वारा दी गई/दी जाने वाली सेवाओं के लिए संकल्प में निर्धारित 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी के निदेशकों और/या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और/या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा,सामान्य संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

मद संख्या 7: 2025-26 से 2029-30 तक लगातार पाँच वर्षों की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24ए के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध संस्था को एक सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करानी होगी, जो एक सहकर्मी-समीक्षित कंपनी सचिव/कंपनी सचिव फर्म होगा।

सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, एक व्यक्तिगत सचिवीय लेखा परीक्षक को लगातार पाँच वर्षों की एक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जबकि कंपनी सचिवों की एक फर्म को दो ऐसे कार्यकालों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।

उपरोक्त के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में, मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (फर्म पंजीकरण संख्या: P2008KV017902) को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। यह नियुक्ति 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होकर लगातार पाँच वर्षों की अवधि के लिए होगी, जो कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगी।

मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का विवरण

मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (जिसे आगे एसवीजेएस कहा जाएगा) की एक अग्रणी फर्म है, जिसके पास कॉर्पोरेट कानूनों, सेबी विनियमों और फेमा विनियमों के अंतर्गत व्यापक व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने का 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता में सचिवीय लेखा परीक्षा, उचित परिश्रम लेखा परीक्षा और अनुपालन लेखा परीक्षा आदि शामिल हैं। एसवीजेएस को 2021 के दौरान आईसीएसआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ सीएस फर्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पुष्टि और प्रकटीकरण

मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स ने सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, पुष्टि की है कि उनके पास आईसीएसआई द्वारा जारी एक वैध सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र है और वे सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं।

प्रस्तावित पारिश्रमिक

मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए देय प्रस्तावित पारिश्रमिक नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

क्रम सं.	विवरण	वर्ष	पारिश्रमिक (रु. में)
1	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट	2025-26	65000
		2026-27	65000
		2027-28	68250
		2028-29	71663
		2029-30	75246
	कुल राशि		345159
	जीएसटी 18%		62129
	कुल योग		407288

इसके अलावा, कंपनी फर्म से ऐसी अन्य सेवाएँ भी प्राप्त कर सकती है जो लागू नियमों/विनियमों के तहत अनुमत हैं, ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए देय शुल्क सहित, ऐसी शर्तों और नियमों पर, जैसा कि कंपनी और सचिवीय लेखा परीक्षक के बीच सहमति हो।

सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक उद्योग में समान स्तर की फर्मों द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुरूप है और पूर्ववर्ती सचिवीय लेखा परीक्षक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर नहीं है।

बोर्ड की सिफारिश

बोर्ड ने फर्म की प्रोफ़ाइल की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि उसके पास सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए अनुभव और विशेषज्ञता के सही मिश्रण वाली एक सक्षम टीम है। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि फर्म को विविध उद्योगों का अनुभव है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उद्योग के अनुभव, लेखा परीक्षा टीम की योग्यता और प्रबंधन से स्वतंत्रता जैसे विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करने के बाद, बोर्ड शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु नोटिस के मद संख्या 7 में उल्लिखित प्रस्तावित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके संबंधित रिश्तेदार, वित्तीय या अन्यथा, प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को पारित करने में रुचि या रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन हेतु मद संख्या 7 में दिए गए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेश से
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
मनोज कुमार जैन
स्थान: चेन्नै
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(डीआईएन - 10690782)

-

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 12 अगस्त, 2025

निदेशकों का प्रतिवेदन

शेयरधारक

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और वर्ष 2024-25 हेतु लाभ और हानि विवरण के साथ 59वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

वित्तीय परिणामों का सारांश

₹ करोड़

विवरण	2024-25	2023-24
कुल बिक्री	2541.85	2228.42
ब्याज, मूल्यह्रास, असाधारण वस्तु और कर पूर्व लाभ	166.37	144.35
घटा: ब्याज	63.14	72.21
घटा: मूल्यह्रास	11.63	10.29
घटा: असाधारण वस्तुएँ	-	49.99
कर पूर्व लाभ/(हानि)	91.60	11.86
कर के लिए प्रावधान	27.35	6.30
कर पश्चात लाभ/(हानि)	64.25	5.56
अन्य व्यापक आय	93.17	91.79
नकद लाभ / (हानि)	103.23	22.16

कंपनी की कुल बिक्री में 14% की वृद्धि हुई है, जो ₹ 313.43 करोड़ है (वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 2541.85 करोड़ जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 2228.42 करोड़) ।

कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 5.56 करोड़ की तुलना में ₹ 64.25 करोड़ का कर-पश्चात लाभ कमाया है।

पुनः प्रवर्तन

अपने विचार के लिए उर्वरक विभाग, भारत सरकार को कंपनी ने एक पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

लाभांश

कंपनी 31.03.2025 तक संचित घाटे के कारण वित्त वर्ष 2024 के दौरान शेयरधारकों को कोई लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

लाभांश वितरण नीति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम 43ए के अनुसार (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") कंपनी की वेबसाइट h tps://ma-drasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/MFL-Div d el Pb icyp पर उपलब्ध है।

रिजर्व में स्थानांतरण

कंपनी वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

शेयर पूंजी

कंपनी की चुकताकृत शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं है। 31 मार्च, 2025 को कंपनी की चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी ₹ 162.14 करोड़ है।

संयंत्र निष्पादन

उत्पाद	अप्रैल 2024 - मार्च 2025		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति
	मीट्रिक टन	मीट्रिक टन	%
अमोनिया	292000	326260	111.7
यूरिया	486750	528400	108.6

आपकी कंपनी ने संयंत्रों की विश्वसनीयता, उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं, जिससे वर्ष के दौरान प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- शुरुआत के बाद से अब तक का सर्वाधिक नीम लेपित यूरिया उत्पादन: 528,400 मीट्रिक टन (पिछला सर्वश्रेष्ठ: 2022-2023 के दौरान 519,800 मीट्रिक टन)।
- शुरुआत के बाद से अब तक का न्यूनतम यूरिया विशिष्ट ऊर्जा खपत (एससीई): 6.875 जीसीएएल/एमटी (पिछला सर्वश्रेष्ठ: 2021-2022 के दौरान 7.370 जीसीएएल/एमटी)।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 100% क्षमता से अधिक 291 दिनों के संयंत्र संचालन के साथ, यूरिया संयंत्र की उच्चतम क्षमता उपयोग: 109% (पिछला सर्वश्रेष्ठ: 2022-2023 के दौरान 107%)।
- शुरुआत के बाद से अब तक का सर्वाधिक अमोनिया उत्पादन: 326,260 मीट्रिक टन (पिछला सर्वश्रेष्ठ: 1999-2000 के दौरान 301,182 मीट्रिक टन)।
- शुरुआत के बाद से सबसे कम अमोनिया विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी): 9.271 जीसीएएल/एमटी (पिछला सर्वश्रेष्ठ: 2021-2022 के दौरान 9.981 जीसीएएल/एमटी)।

- सड़क मार्ग से टैंकरों के माध्यम से विक्रेताओं को 21209.34 मीट्रिक टन निर्जल अमोनिया बेचा गया, जो शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे अधिक है।
- 31 मार्च, 2025 के अंत में, 0.54 मिलियन मानव-घंटे को कवर करते हुए बिना किसी समय दुर्घटना के 231 दिन पूरे हो गए।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जल संकट से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

भविष्य की संभावनाएँ

आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता की अत्यंत आवश्यकता है। कंपनी ने 1.30 मिलियन टन प्रति वर्ष यूरिया उत्पादन क्षमता वाले एक नए ग्रीनफील्ड अमोनिया/यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु एक रोडमैप तैयार किया है। पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) को आपके बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और कंपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर आगे बढ़ने और परियोजना के लिए वित्तीय मॉड्यूल के चयन हेतु नई निवेश नीति (एनआईपी) 2012 के अंतर्गत शामिल करने हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बेहतर लाभ के साथ नए निवेश के अवसर खुलेंगे।

इसके अलावा, अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी गिण्डि स्थित अपनी भूमि पर पर्यावरण के अनुकूल, प्रदूषण मुक्त आधुनिक व्यवसाय पार्क की स्थापना करके व्यवसाय के विविधीकरण की व्यवहार्यता की जाँच कर रही है। उर्वरक उत्पादों के व्यापार जैसे व्यवसाय विविधीकरण से कंपनी के लाभ में सुधार होगा।

विपणन प्रदर्शन

उर्वरक बिक्री

- 5,22,932 मीट्रिक टन एनसी यूरिया की बिक्री हुई, **जो यूरिया संयंत्र के पुनरुद्धार के बाद से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है,** जबकि 2022-23 के दौरान पिछला सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा 5,29,879 मीट्रिक टन था।
- हालांकि दक्षिणी राज्यों में एनसी यूरिया की खपत में 3.69% की कमी देखी गई है, फिर भी अपने विपणन क्षेत्र में एमएफएल की बाजार हिस्सेदारी पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.57% के मुकाबले मामूली रूप से बढ़कर 8.32% हो गई। (कुल खपत 2024-25 में 62,81,436 मीट्रिक टन और 2023-24 में 65,13,220 मीट्रिक टन)
- 96% उत्पाद गोदाम में ले जाए बिना सीधे रेलहेड से डीलरों तक पहुँचाए गए, जिससे **इन्वेंट्री ले जाने की लागत में काफी कमी आई।**
- वर्ष 2024-25 के लिए एनसी यूरिया का बिक्री केन्द्र (पीओएस) चालान मात्रा के बराबर है और 31.03.2025 तक समापन पीओएस इन्वेंट्री 32,312 मीट्रिक टन है, जो कि **आगे ले जाने वाली मात्रा का केवल 6.1%** है।

जैव कीटनाशक और जैविक खाद की बिक्री

- पर्यावरण अनुकूल नीम कीटनाशक की 1,43,730 लीटर बिक्री हुई, जो 2022-23 के दौरान 1,57,420 लीटर की पिछली सर्वोत्तम बिक्री के मुकाबले, इसकी **शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे अधिक बिक्री** है।
- बास्केट अप्रोच के तहत, 15,982 मीट्रिक टन जैविक खाद बेची गई, जो अ**ब तक का सर्वाधिक** है और 2023-24 के दौरान 10,740 मीट्रिक टन की पिछली सर्वोत्तम बिक्री से 49% अधिक है।
- जैविक खाद के अलावा, "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत, एमएफएल ने नगर पालिका/शहरी कचरे से बने शहरी खाद का विपणन जारी रखा है और 9,996 मीट्रिक टन खाद बेची है।
- एमएफएल ने भारत सरकार की दूरदर्शी पहल पीएम-प्रणाम (माँ धरती के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम) के साथ हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य 'रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में कमी लाना और संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना' है। 2024-25 के दौरान, एमएफएल ने एफओएम और प्रोम नामक **दो और** जैविक उत्पादों का विपणन शुरू किया और क्रमशः 1238 और 1755 मीट्रिक टन की बिक्री की।
- दो और जैविक उत्पादों को शामिल करने के साथ, एमएफएल ने **संयुक्त जैविक उत्पादों की 28,971 मीट्रिक टन की सर्वकालिक उच्च बिक्री हासिल की**, जो 2023-24 के दौरान दर्ज किए गए 22,047 मीट्रिक टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से 31.4% अधिक है।

अमोनिया बिक्री:

विपणन विभाग ने औद्योगिक विक्रेताओं की पहचान करके, कैप्टिव उपयोग के बाद उपलब्ध अतिरिक्त निर्जल अमोनिया के विपणन के नए रास्ते सफलतापूर्वक खोले हैं और 21,209 मीट्रिक टन की बिक्री की है।

बाजार विकास और कृषि सेवा कार्यक्रम:

एमएफएल विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करके भारत में कृषि उत्पादन में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में निरंतर योगदान दे रहा है:

- 2300 उर्वरक खुदरा विक्रेताओं की दुकानों को पीएमकेएसके (प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र) में परिवर्तित किया गया है - जो सभी कृषि संबंधी इनपुट और सेवाओं के लिए एक आदर्श उर्वरक **'वन स्टॉप शॉप'** है। उर्वरक विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और नई कृषि तकनीकों जैसे ड्रोन का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के विकल्प आदि का प्रसार किया जा सके।
- मल्टी-नोडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु **पीएम-गति शक्ति** योजना के तहत सभी एमएफएल डीलरों के भू-निर्देशांक का मानचित्रण किया गया।
- भारत सरकार के उर्वरक विभाग के निर्देशों के अनुसार, **"रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने"** के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, एमएफएल ने फरवरी 2025 से जनवरी 2026 के दौरान दक्षिणी राज्यों में **पीएम प्रणाम** (माँ धरती के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम) के अंतर्गत **120 किसान संगोष्ठी** आयोजित करने की योजना बनाई है। इस संगोष्ठी का आयोजन प्रति माह 10 कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा ताकि एफओएम और प्रोम उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और संतुलित उर्वरक प्रयोग तथा जैविक उत्पादों के अधिक उपयोग पर ज़ोर दिया जा सके।
- मृदा में "एकीकृत पोषण" की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक उर्वरकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले सभी जैविक उत्पादों जैसे एफओएम, प्रोम, ओएम और सिटी कम्पोस्ट के लिए निरंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, प्रदर्शनियाँ, सरकारी संपर्क कार्यक्रम और डीलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए सामुदायिक रेडियो (सीआर) बहुमूल्य **सूचना प्रसार, शिक्षा और संचार (आईईसी)** में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। एमएफएल ने वर्ष के दौरान **180 कार्यक्रमों** की संरचना और प्रसारण किया है। 2024-25 तक, देश में उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई के मीडिया विज्ञान विभाग, **अण्णा सामुदायिक रेडियो** के सहयोग से उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जैविक खेती और अन्य कृषि विषयों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि सतत कृषि विकास के लिए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री-प्रणाम, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
- एमएफएल प्रधानमंत्री-प्रणाम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कृषि सेवा कार्यक्रमों, जैसे विजय एफओएम, विजय प्रोम, विजय सिटी कम्पोस्ट और विजय जैविक उत्पादों का क्षेत्रीय प्रदर्शन, किसान संगोष्ठी, सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों को फेसबुक, यूट्यूब, एक्स-हैंडल, लिंक्ड-इन, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से अपडेट कर रहा है ताकि अधिक से अधिक किसानों तक जैविक उर्वरकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभों की जानकारी पहुँचाई जा सके।
- एमएफएल के विपणन कर्मियों ने वर्ष के दौरान 23167 किसानों से संपर्क किया है और मृदा स्वास्थ्य, मृदा उर्वरता, मृदा जीवन शक्ति और संतुलित उर्वरक के लिए पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग पर किसानों को निरंतर जानकारी प्रदान की है। (एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन)। राज्य/केंद्रीय कृषि विस्तार विभागों के समन्वय से सभी जैविक उत्पादों जैसे जैविक खाद, शहरी खाद, एफओएम और पीआरओएम के लिए विधि प्रदर्शन और किसान संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं।
- कृषक समुदाय के प्रति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 के दौरान, विपणन कर्मियों ने 4020 मृदा नमूने एकत्र किए, उनका विश्लेषण किया और किसानों को विभिन्न फसलों के सूक्ष्म एवं स्थूल पोषक तत्वों की सिफारिशों के बारे में बताया।

डी.बी.टी. कार्यान्वयन (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)

• पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से बिक्री को बनाए रखने के लिए, डी.बी.टी.उर्वरक के अखिल भारतीय कार्यान्वयन के अनुपालन में,एम.एफ.एल. ने पी.ओ.एस. बिक्री के महत्व पर थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं और किसानों को लगातार शिक्षित कर रहा है।

सतर्कता

सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है। सीवीओ को विभिन्न कार्यात्मक विभागों से चुने गए अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और चेन्नै में कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात किया जाता है।

नियमित निवारक सतर्कता गतिविधियाँ जैसे कि छानबीन, औचक निरीक्षण, प्रशासनिक निर्णयों के लिए सतर्कता मंजूरी, अधिकारियों की सहमत सूची तैयार करने जैसी आवधिक सतर्कता रिपोर्ट, संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची उर्वरक विभाग को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। एमएफएल की सतर्कता शाखा का काम एक सक्रिय, सहभागी और केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है।

निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, नियमित निरीक्षण और औचक निरीक्षण के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों पर नज़र रखने का प्रयास किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, प्रणालीगत सुधार और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। सतर्कता विभाग ने नियमों/विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया है। शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। निविदा दस्तावेजों को और अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया गया है। ई-खरीद और ई-भुगतान को अपनाकर डीलरों/विक्रेताओं से निपटने की मौजूदा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई गई है। सतर्कता विभाग ने सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले तथा विदेश यात्रा करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ई-मंजूरी के युग में भी संगठन का मार्गदर्शन किया है।

एमएफएल ने 28 अक्तूबर, 2024 से 03 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 (वीएडब्ल्यू-2024)**"राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति"** मनाया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम पर प्रकाश डालते हुए कंपनी परिसर तथा दक्षिण भारत में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न सुविधाजनक स्थानों पर सतर्कता जागरूकता से संबंधित बैनर तथा पोस्टर प्रदर्शित किए गए। एमएफएल की वेबसाइट पर वीएडब्ल्यू 2023 थीम का स्क्रॉलिंग संदेश प्रदर्शित किया गया। सभी हितधारकों के लिए एमएफएल वेबसाइट पर सीवीसी वेबसाइट पर ई-ईमानदारी प्रतिज्ञा लेने के लिए एक लिंक प्रदान किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम पर प्रकाश डालते हुए कंपनी परिसर तथा दक्षिण भारत में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न सुविधाजनक स्थानों पर सतर्कता जागरूकता से संबंधित बैनर तथा पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

28 अक्तूबर, 2024 को, कंपनी के प्रशासनिक भवन में मुख्य सतर्कता अधिकारी की उपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सुबह 11.00 बजे सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई और संयंत्र एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यस्थल पर शपथ ली। नागरिकों और कॉर्पोरेट्स को ई-शपथ लेने के लिए सीवीसी वेबसाइट तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करने हेतु कंपनी की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया गया था। एमएफएल की वेबसाइट पर, अभियान अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता थीम पॉप-अप संदेश प्रदर्शित किया गया और तीन महीने की अभियान अवधि के दौरान कर्मचारियों की मासिक और पूरक वेतन-पर्चियों में सतर्कता जागरूकता 2024 थीम मुद्रित की गई।

25/09/2024 को, वीएडब्ल्यू 2024 गतिविधियों के भाग के रूप में पूर्वाह्न सत्र में एमएफएल प्रशिक्षण केंद्र में श्री डॉ.के.डी.बालाजी, सहायक प्रोफेसर,एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा "नैतिकता और शासन" पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लगभग 25 कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया है।

28/10/2024 को, वीएडब्ल्यू 2024 गतिविधियों के भाग के रूप में पूर्वाह्न सत्र में एमएफएल प्रशिक्षण केंद्र में श्री सैतु मोहम्मद, सहायक प्रोफेसर, एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 'साइबर स्वच्छता और सुरक्षा' पर कार्यशाला आयोजित की गई है। लगभग 23 कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया है।

उप महाप्रबंधक-उत्पादन ने ठेकेदारों/विक्रेताओं के लिए 28/10/2024 को एमएफएल तकनीकी सेवा सम्मेलन कक्ष में "वीएडब्ल्यू 2024 विषय" पर विक्रेता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्हें नैतिक मूल्यों, आचार-विचार और शासन के महत्व के बारे में समझाया।

23/10/2024 और 25/10/2024 को एमएफएल में कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, संविदा कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में निबंध लेखन प्रतियोगिताएँ और चित्रकला/पोस्टर प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इसके अलावा, कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं को तमिल, हिंदी में नारे लिखने के लिए कहा गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 थीम पर अंग्रेजी और अंग्रेजी में प्रश्न पूछे गए।

पहली पहल के रूप में, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए एमएफएल वेबसाइट पर लिंक प्रदान करके 28/10/2024 - सुबह 11:00 बजे से 29/10/2024 - शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो दिनों की अवधि में लगभग 104 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया।

29/10/2024 को चेन्नै के ओल्ड नप्पलायम स्थित निकटवर्ती सरकारी उच्च विद्यालय में अंग्रेजी और तमिल दोनों में निबंध लेखन, वक्तृत्व प्रतियोगिता (तमिल) और चित्रकला/चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इसी प्रकार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर करते हुए, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, रंगोली आदि जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान के दौरान कुल मिलाकर लगभग 800 छात्रों ने भाग लिया।

वॉकथॉन: तिरुच्चि क्षेत्र में, 25/10/2024 को एम एंड डी अधिकारियों द्वारा जमाल मोहम्मद कॉलेज, तिरुच्चि में एक

वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 37 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर की गई और वॉकथॉन के दौरान, छात्र हाथों में तख्तियां, बैनर और एमएफएल स्टिकर लगी टोपियां लिए हुए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे और कहावतें भी गा रहे थे।

ग्राम सभा: बेंगलूर क्षेत्र में, 29/10/2024 को एम एंड डी अधिकारियों द्वारा एन आर कल्याण मंडप, बण्णूर, टी नरसीपुरा तालुक, मैसूर जिले में एक ग्राम सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय समाचार रिपोर्टर भी मौजूद थे, और कार्यक्रम की खबरें प्रिंट मीडिया और स्थानीय कन्नड़ समाचार चैनलों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित की गईं। कार्यक्रम में लगभग 80 किसानों ने भाग लिया।

डीलर मीट: 05/11/2024 को वेल्लूर क्षेत्र में, एम एंड डी अधिकारियों द्वारा आंडल सिंगारवेलु कल्याण मंडपम, तिरुवन्नामलै में डीलर मीट का आयोजन किया गया लगभग 90 डीलरों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

एम एंड डी ग्रुप द्वारा नवंबर 2024 माह के दौरान एक गृह-पत्रिका "हार्वेस्ट" प्रकाशित की गई है, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई सतर्कता जागरूकता 2024 गतिविधियों को शामिल किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन सत्र में, 28/11/2024 को मुख्यालय चेन्नै में सीएमडी और सीवीओ द्वारा प्रतियोगिता विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। सतर्कता जागरूकता 2024 की सभी गतिविधियों की तस्वीरें एमएफएल वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी अपलोड की गई हैं।

सत्यनिष्ठा समझौता: दो आईईएम, अर्थात् श्री आदित्य कुमार मित्तल, आईआरएसई (सेवानिवृत्त) और श्री अश्विनी कुमार मेहता, आईआरएस (सेवानिवृत्त) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस/ व्यक्तिगत रूप से तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। चूँकि, श्री आदित्य कुमार मित्तल का कार्यकाल 21 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गया था, और श्री अश्विनी कुमार मेहता, आईआरएस का कार्यकाल भी (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल 22 जुलाई, 2025 को समाप्त हो गया था। अनुरोध पर, सीवीसी ने श्री बी.रविचंद्रन, आईआरएस (सेवानिवृत्त) और श्री एम.जे. जोसेफ, आईसीएएस (सेवानिवृत्त) को 24 अप्रैल, 2025 से स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है।

मानव संबंध और औद्योगिक संबंध

मानव शक्ति

31.03.2025 तक एमएफ की कुल संख्या 402 है जो 31.03.2024 तक 435 था।

प्रशिक्षण

वर्ष 2024-25 के दौरान तकनीकी, सॉफ्ट और जीवन कौशल पर 285 कर्मचारी और 145 ठेके कर्मचारी को प्रशिक्षित किया गया।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कंपनी में समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति सामान्य और सौहार्दपूर्ण रही।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण गतिविधियां

•अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और विभिन्न दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है।

• वित्तिय वर्ष 2024-25 के दौरान डॉ.अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संघ और डॉ.अम्बेडकर कर्मचारी कल्याण संघ को ₹ 50,000/- प्रदान किए गए।

•अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गाए हैं।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल
- •अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक से आंतरिक शिकायत समिति (आ. शि.स.)।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक संपर्क अधिकारी

अन्य पिछडे वर्ग (ओ.बी.सी.) कल्याण गतिविधियां

- तंदै पेरियार ई.वी.रामसामी का जन्मदिन मनाने के लिए ₹ 50,000/- की राशि प्रदान की गई।
- अन्य पिछडे वर्ग (ओ.बी.सी.) कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गाए हैं।
- अन्य पिछडे वर्ग (ओ.बी.सी.) सेल
- अन्य पिछडे वर्ग (ओ.बी.सी.) कर्मचारियों के लिए प्रत्येक से आंतरिक शिकायत समिति (आ.शि.स.)
- अन्य पिछडे वर्ग (ओ.बी.सी.) कर्मचारियों के लिए एक संपर्क अधिकारी

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में पत्र पत्राचार एवं अन्य कार्यान्वयन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कार वितरित किए गए।

निवेशक संबंध प्रकोष्ठ (आई.आर.सी.)

कंपनी सचिव के अधीन कंपनी की शक्ति के बारे में जागरूकता पैदा करने और शेयरधारकों को समय पर संचार सुनिश्चित करने के लिए आई.आर.सी. कंपनी में कार्यरत है।

संवैधानिक जानकारी

बोर्ड का वार्षिक मूल्यांकन

एम.एफ.एल. एक सरकारी कंपनी है, बोर्ड में सभी नियुक्तियां भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा की जाती हैं। निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड के प्रदर्शन पर नियुक्ति, पारिश्रमिक और वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित कं पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (ई) और (पी) एमएफएल पर लागू नहीं है। तथापि, कंपनी सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रही है।

बोर्ड की बैठक

वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल की 4 बैठकें आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की बठकों का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर है।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित खुलासे

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) और 5 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधानों के अनुसार, यह सूचित है कि आपके कम्पनी का कोई भी कर्मचारी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) में उल्लिखित राशि से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक से अनुपात और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक में प्रतिशत वद्धि का विवरण जिसे खुलासा किया जाना आवश्यक है नियम 5(1) के लिए अनुबंध 'क' में प्रदान किया गया है।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

1. भारत सरकार ने 17 जुलाई, 2025 के सरकारी आदेश अधिसूचना सं.95/1/2019-एचआर-पीएसयू (भाग 2) (ई-31042) के अनुसार श्री अमर कुश्वाहा (डी.आई.एन.112111580) को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या उर्वरक विभाग में उनकी नियुक्ति तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त किया है। बोर्ड ने कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों से उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की है।
2. भारत सरकार ने 17 अप्रैल, 2025 के सरकारी आदेश अधिसूचना संख्या 95/01/2025- एच.आर.-पी.एस.यू. (ई-38759) के अनुसार श्री आलोक कुमार अग्रवाल (डी.आई.एन. 09395495) को नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। बोर्ड ने कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों से उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की है।
3. भारत सरकार ने 17 अप्रैल, 2025 के सरकारी आदेश अधिसूचना संख्या 95/01/2025- एच.आर.-पी.एस.यू. (ई-38759) के अनुसार श्री संजय विष्णु शेट्टी (डी.आई.एन. 01089380) को नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। बोर्ड ने कंपनी की 59 वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों से उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की है।

निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसार, आपके निदेशक एतद्वारा व्यक्त करते हैं कि

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (इंड-एएस) का पालन किया गया है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैंताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के उस वर्ष के लिए कंपनी का लाभ और हानि मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
3. निदेशकों ने कं पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सतर्कता व देखभाल की है;
4. निदेशकों ने वार्षिक लेखा को चालू संस्था के आधार गोइंग कंसर्न बेसिस पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं; तथा
6. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अधीन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे किए गए हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय (आउटगो)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय आउटगो का विवरण इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-I** में प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, जैसा कि लिस्टिंग समझौते के तहत आवश्यक है, इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **अनुबंध - II** में संलग्न है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानक को बनाए रखने और सेबी द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड कंपनी के सभी हितधारकों के लाभ के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देता है। सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट को रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **अनुबंध- III और IV** में संलग्न किया गया है।

आचार संहिता

विनियम 17(5) के प्रावधानों के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने वाली घोषणा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") को रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **अनुबंध- V** के रूप में संलग्न है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25 में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं अपनी घोषणा बोर्ड को प्रस्तुत की हैताकि वे कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकें।

वार्षिक रिटर्न

जैसा कि अधिनियम की धारा 92 (3) के तहत प्रदान किया गया है, फॉर्म एम.जी.टी.-7 वार्षिक रिटर्न हमारी वेब लिंक http://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2025/09/Form_MGT_7-_2025.pdf पर उपलब्ध है।

लेखा परीक्षक

क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए कं पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

ख) श्रीमती अरुणा प्रसाद, लागत लेखाकार, को वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में पुन:नियुक्त किया गया है। .

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी कार्यरत कंपनी सचिव से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त सचिवीय रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, आपके बोर्ड ने 11 फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी 337वीं बैठक में कार्यरत कंपनी सचिव मोहन कुमार एंड एसोसिएट्स (सीपी 19145) को आपकी

कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट **(प्रपत्र संख्या एमआर-3) अनुबंध- VI और VI-ए** के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए मोहन कुमार एंड एसोसिएट्स से सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली गई है।

समितियाँ

कम्पनी के (i) लेखापरीक्षा समिति, (ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति, (iii) हितधारक सम्बंध समिति, (iv) जोखिम प्रबंधन समिति से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में शामिल हैं, जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है। इस रिपोर्ट के साथ संलग्न सीएसआर रिपोर्ट में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का विवरण दिया गया है।

सार्वजनिक जमा

कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इस तरह, तुलन-पत्र की तारीख को मूलधन या जनता से जमा पर ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन को आर्मस्लेंथ के आधार पर प्रलिखित किया गया है और यह व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के लिए **प्रपत्र संख्या ए.ओ.सी.-2** में प्रकटीकरण रिपोर्ट के **अनुबंध-VII** में संलग्न है। चूंकि कोई भी लेन-देन भौतिक प्रकृति का नहीं है,अत: शेयरधारक के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

संबंधित पार्टी लेनदेन पर कंपनी की नीति उसकी वेब लिंक https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/Related-Party-Transaction-Policy.pdf पर उपलब्ध है।

लागत रिकॉर्ड और खातों का रखरखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखा और रिकॉर्ड बनाए रखा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, बोर्ड की सी.एस.आर. समिति में 3 या अधिक निदेशक होते हैं जिनमें से एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होता है। कंपनी के सी.एस.आर. समिति में 3 सदस्य हैं और समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर 2024-25 के दौरान निम्नलिखित सी.एस.आर. गतिविधियों को पूर्ण किया है। इस पर विवरण सी.एस.आर. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में निहित है जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-VIII** में संलग्न है।

भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2025 और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं है।

नियामकों या न्यायालयों या प्राधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण और मुख्य आदेश भविष्य में कंपनी की चिंतन स्थिति और संचालन को प्रभावित कर सकते हैं ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के खिलाफ किसी भी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कंपनी की चल रही स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन पर असर पड़े।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी पर्याप्तता के संबंध में विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल किया गया हैं, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

कंपनी द्वारा स्थापित और बनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और अनुपालन प्रणालियों के ढांचे के आधार पर, आंतरिक, वैधानिक और सचिवीय लेखा परीक्षकों और बाहरी सलाहकारों द्वारा किए गए कार्य, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा और समीक्षाएं शामिल हैं। लेखा परीक्षा समिति सहित प्रबंधन और संबंधित बोर्ड समितियों द्वारा निष्पादित, बोर्ड की राय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है। लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कुछ योग्यताएँ और आपत्तियाँ शामिल हैं। प्रबंधन ने इन योग्यताओं और आपत्तियों पर अपने उत्तर और स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं, जिन्हें अनुबंध **VI-ए** में संलग्न किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी की अपनी जोखिम नीति है और जोखिम तत्वों की पहचान सहित जोखिम प्रबंधन नीति को सही भावना से लागू किया गया है। बोर्ड की राय, यदि कोई हो कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। यह विवरण इस रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण भाग में प्रदान की गई है।

कंपनी ने जोखिम और खतरों को कम करने और कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और अभ्यासों को तैयार और कार्यान्वित किया है। कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ निम्न हैं:

1. जोखिम प्रबंधन समिति का तत्काल आयोजन
2. विभागाध्यक्षों द्वारा आवश्यकता के आधार पर व्यवसाय निरंतरता योजना का विश्लेषण
3. कॉरपोरेट गवर्नेंस अभ्यासों को कायम रखना

प्रमाणन

सेबी विनियमन के 17(8) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण पर एक प्रमाण पत्र, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और महाप्रबंधक - वित्त और लेखा (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कर दिनांक 28 मई, 2025 को आयोजित उनकी 338वीं बैठक में निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया, जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध- IX** में संलग्न है।

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग 'ग' के खंड 10 के अनुसार कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र:

प्रमाण पत्र दिनांक 07.08.2025 को सीएस.चंद्रशेखर,कंपनी सचिव से प्राप्त हुआ। इस बात की पुष्टि करते हुए कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इसे **अनुबंध - X** में संलग्न किया गया है।

सतर्कता तंत्र

एम.एफ.एल. के पास निदेशकों और कर्मचारियों के लिए उनकी चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र है। निदेशक और कर्मचारी सीधे बोर्ड की अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति से संपर्क कर सकते हैं और उचित मामले में अपनी चिंता की रिपोर्ट कर सकते हैं। सतर्कता तंत्र और व्हिसल ब्लोअर नीति कं पनी की वेबसाइट www.madrasfert.co.in पर प्रकाशित की गई है।

आंतरिक व्यापार का रोकथाम

आज तक एम.एफ.एल. शेयरों पर इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है। किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पास एम.एफ.एल.में कोई शेयर नहीं है। कंपनी की वेब लिंक https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Trading-Window-Policy.pdf पर इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम की आचार संहिता और कॉर्पोरेट प्रकटीकरण के लिए कोड प्रकाशित किया गया है।

सराहना

आपके निदेशक वर्ष के दौरान उर्वरक विभाग, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार,एन.आई.सी.ओ.,वित्तीय संस्थानों, बैंकों, जमाकर्ताओं और सभी हितधारकों के निरंतर समर्थन के लिए सहे दिल से सराहना करते हैं। यह उल्लेख करना सबसे उपयुक्त है कि निदेशक उर्वरक विभाग को प्राथमिकता के आधार पर सब्सिडी बिलों के निपटान के लिए और डीलरों और किसानों को विजय उत्पादों को उनके निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक भी निरंतर सुधार के लिए कर्मचारियों द्वारा दी गई समर्पण, प्रतिबद्धता और ईमानदारी से की गई सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

बोर्ड की आज्ञानुसार
कृते मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डी.आई.एन: 10690782)

चेन्नै
दिनांक: 12 अगस्त, 2025

अनुलग्नक ए

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित)

क) वित्तीय वर्ष- 2024-25 के लिए कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक से निदेशकों के पारिश्रमिक और के.एम.पी का अनुपात

(लाख में)

क्रम सं	विवरण	माध्य पारिश्रमिक (रु.)	पारिश्रमिक	माध्य पारिश्रकि % में
1	निदेशक	29.13	44.85	53.96
2	के एम पी	29.13	39.20	34.57

ख) वित्तीय वर्ष- 2024-25 में निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि

(लाख में)

क्रम सं	नाम	पदनाम	2023-24	2024-25	वेतन वृद्धि का %	पद ग्रहण की तिथि
1.	मनोज कुमार जैन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कोई नहीं	44.85	लागू नहीं	07-06-2024
2.	ए मदन मोहन	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कोई नहीं	62.27	लागू नहीं	14-08-2024
3.	जे श्रीनिवास सरवणन	कंपनी सचिव	कोई नहीं	16.12	लागू नहीं	07-08-2024

ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि/(कमी)

(लाख में)

विवरण	2023-24 (₹)	2024-25 (₹)	औसत वेतन में प्रतिशत वृद्धि
कुल वेतन	25.80	29.13	12.91

घ) कंपनी के रोल पर स्थायी कर्मचारियों की संख्या

	2023-24	2024-25
कर्मचारियों की संख्या	435	402

अनुलग्नक – I

कंपनियों के (निदेशकों की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) नियम 1988
फ़ॉर्म 'क'
ऊर्जा संरक्षण के संबंध में ब्यौरों का प्रकटीकरण

		वित्त वर्ष	पिछले वर्ष
		2024-25	2023-24
क. बिजली और ईंधन की खपत			
1.बिजली			
(क) खरीद			
इकाई (लाख) *		1097.326	954.164
कुल राशि (₹ लाख में)		10105.919	8643.823
दर / इकाई (₹)		9.21	9.06
* टी.टी.पी., कोडुंगैयूर में खपत की गई बिजली शामिल है			
(ख) स्व-उत्पत्ति			
(i) डीजल जनरेटर के द्वारा			
इकाइयां (लाख)		0.104	0.000
डीजल खपत (के .एल.)		3.120	0.000
प्रति लीटर डीजल तले का यूनिट		3.333	0.000
लागत/इकाई (₹)		28.42	0.00
2. कोयला		लागू नहीं	लागू नहीं
3.आर.एल.एन.जी., फर्नेस ऑयल और एल.एस.एच.एस.			
भट्ठी में तले मात्रा (टन)		798.000	12865
कुल लागत (₹ प्रति टन)		532.437	7485.000
औसत दर (₹ प्रति टन)		66754.020	58179.78
आर.एल.एन.जी. मात्रा (एम.एम.बी.टी.यू)		15480098.000	12836337
कुल लागत (₹ लाख में)		182859.946	152464.820
औसत दर (प्रति एम.एम.बी.टी.यू)		1181.260	1187.76
ख. उत्पादन की प्रति इकाई खपत			
	एफ.आई.सी.सी. के मानक	2024-25	2023-24
(क) उत्पाद: अमोनिया			
बिजली (किलोवाट)	115.000	104.493	112.899
ईंधन तले + एल.एस.एच.एस. (एम.टी.)	0.2341	0.00089	0.0266
आर.एल.एन.जी. (एम.एम.एस.सी.एम.)		0.00015	0.00017
* स्व-उत्पादन शामिल है			
(ख) उत्पाद: यूरिया			
बिजली (किलोवाट)	202.000	143.0810	151.442
ईंधन तले + एल.एस.एच.एस. (एम.टी.)	0.1309	0.00051	0.0164
आर.एल.एन.जी. (एम.एम.एस.सी.एम.)		0.00013	0.00011
(ग) उत्पाद: एन.पी.के .			
बिजली (किलोवाट)	43.410	0.000	0.000
ईंधन तले + एल.एस.एच.एस. (एम.टी.)	0.0069	0.0000	0.0000

फॉर्म - बी
अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण

अनुसंधान एवं विकास

1	कंपनी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास	शून्य
2	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ	
3	भविष्य की कार्ययोजना	
4	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय पूंजी आवर्ती (लाख में) कुल (लाख में) कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार:

1	संक्षेप में प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास।	शून्य
2	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, उदाहरण: उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि।	
3	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित)।	

अर्जित कुल विदेशी मुद्रा और व्यय

	2024-25
1. निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ	शून्य
2. उपयोग की गई कुल विदेशी मुद्रा क) कच्चा माल ख) अवयव और पुर्जे ग) पुस्तकें और पत्रिकाएँ / यात्रा - कुल	(₹ करोड़) शून्य 3.00 - ---------- 3.00 ----------
3. अर्जित कुल विदेशी मुद्रा	शून्य

अनुलग्नक – II

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

व्यापार

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.) वर्ष 1966 में निगमित उर्वरक विभाग (डी.ओ.एफ.), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है।

एम.एफ.एल., मणलि, चेन्नै-68 में अमोनिया, यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का उत्पाद होता है। एम.एफ.एल. जैव-उर्वरकों के उत्पाद और **"विजय"** ब्रांड नाम के तहत पर्यावरण के अनुकूल जैविक उर्वरकों और नीम कीटनाशकों के विपणन भी करती है।

अर्थव्यवस्था का अवलोकन

सरकार ने विभिन्न कदमों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। सिचांई सुविधाओं को बढ़ाने, कृषि बाजारों में सुधार, आय समर्थित क्षेत्रों में वृद्धि, एफ.पी.ओ. की स्थापना, फसल बीमा योजना और आय पूरक योजना हेतु स्कीमों के आवंटन में वृद्धि प्रमुख सकारात्मकताएँ हैं। इन कदमों से उर्वरक उपभोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

उद्योग संरचना और विकास

उर्वरक उद्योग सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है जो मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि विकास में योगदान प्रदान करता है।

भारतीय उर्वरक क्षेत्र खपत में निरंतर उच्च वृद्धि की ओर है। सरकार ने कृषि विकास में तेजी लाने के लिए संतुलित उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए कई पहल के हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रक्रियाओं में तकनीकी विकास पर प्रयास किए गए हैं जो नवीनतम वैश्विक उत्पादन विधियों और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ तालमेल का हैं।

अच्छे मानसून के कारण मांग में सुधार हुई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बुवाई हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर उर्वरकों के बिक्री में वृद्धि अच्छे मानसून और अच्छे फसल के कारण हुई। चूंकि आर.एल.एन.जी. का उपयोग करके उत्पादित यूरिया के उत्पादन की कुल लागत में उर्वरक निर्माताओं की कार्यशील पूंजी की तीव्रता में कमी देखी गई है और यह यूरिया सब्सिडी के वितरण के दौरान सरकार के वित्तीय खर्च के लिए राहत के रूप में भी काम आएगा।

दक्षिण राज्यों में प्रचलित कृषि स्थितियाँ:

तमिलनाडु

राज्य में सामान्य वर्षा 879.643 मिमी और पिछले वर्ष की इसी अवधि 1098.45 मिमी के मुकाबले 1134.22 मिमी वास्तविक वर्षा हुई, जो सामान्य और पिछले वर्ष की इसी अवधि से क्रमशः 28% और 3% अधिक है। राज्य में वर्ष के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी घाट से सटे जिलों और तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी जैसे दक्षिण जिलों में दिसंबर-मार्च 2025 की अवधि के दौरान भारी बारिश हुई। कुछ आंतरिक जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई। वर्ष के शुरुआती भाग में यानी जून 2024 के दौरान खराब भंडारण के कारण, मेट्टूर बांध कुरुवई की खेती के लिए नहीं खोला गया था। नवंबर 2024 के दौरान विशेष रूप से कडलूर, पेरंबलूर, मयिलाडुतुरै और तिरुवारुर जिलों में चक्रवाती वर्षा ने खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। लगभग 1,15,000 एकड़ धान खराब हो गया बारिश ने डेल्टा जिलों में 14000 एकड़ ग्रीष्मकालीन कपास को भी नुकसान पहुंचाया। अप्रैल-मई के महीनों के दौरान बहुत गर्मी के कारण रानीपेट और तिरुवल्लूर जिलों में ग्रीष्मकालीन धान के रकबे को कम कर दिया और बदले में उर्वरक के प्रयोग को कम कर दिया। धान का उत्पादन मूल्य 2500/क्विंटल, मक्का: 2400- 2700/क्विंटल, गन्ना-₹ 2950/मीट्रिक टन, नारियल: ₹ 60/किग्रा, कपास-₹ 6750/क्विंटल, रबड़-₹10000/क्विंटल, काली मिर्च-₹ 680/किग्रा, इलायची-रु. 287/किग्रा। यूरिया की आपूर्ति पूरे वर्ष अधिशेष थी। यूरिया की कोई मांग नहीं रही। वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान डीएपी और 20-20-0-13 की मांग रही लेकिन बाद में आपूर्ति अच्छी कर दी गई। सभी कंपनियों ने रेक के माध्यम से पर्याप्त मात्रा

में उर्वरक की आपूर्ति की। कुल मिलाकर वर्ष अच्छा रहा, सामान्य या अत्यधिक बारिश हुई, जलाशयों में भंडारण अच्छा रहा और फसल कवरेज भी सामान्य रहा, हालांकि कुछ जिलों में कुछ समस्याएं भी आईं।

पुडुचेरी:

1453.3 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले 1818.50 मिमी वास्तविक वर्षा हुई जो सामान्य से 23% अधिक है। फसल कवरेज के अंतर्गत क्षेत्र हैं धान - 51,500 एकड़, गन्ना - 3,500 एकड़, दलहन - 3,800 एकड़, जीरा - 1,300 एकड़, फल और सब्जियां - 5,800 एकड़, नारियल - 3,900 एकड़ और अन्य फसलें - 10,300 एकड़। धान की कीमत 77 किलोग्राम के प्रति बैग ₹1,300 से ₹1,650 के बीच रही। उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान, फेंगल चक्रवात ने धान की फसल के 70% क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, जिससे दिसंबर और जनवरी में उर्वरकों की बिक्री प्रभावित हुई। मजदूरों की कमी और उच्च इनपुट लागत के कारण प्रमुख गन्ना क्षेत्र कैसुरीना में परिवर्तित हो गया। इस वर्ष फेक्ट ने 20-20-0-13, एमओपी और अमोनियम सल्फेट की अच्छी आपूर्ति की। यूरिया आपूर्ति में एमएपएल की हिस्सेदारी 67.45% रही, जबकि स्पिक की हिस्सेदारी 28.5% रही। एनपी खंड में फेक्ट 20-20-0-13 पुडुचेरी में प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। पीओएस बिक्री में, 2024-25 में यूरिया आपूर्ति के मुकाबले 100.77% की उपलब्धि हासिल की।

तेलंगाना:

876.50 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले 1056.10 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 20% अधिक है, जिससे कृषि संबंधी मौसमी स्थितियाँ सामान्य बनी हुई हैं। तेलंगाना में अधिकांश कृषि दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर करती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। खरीफ के दौरान प्रमुख फसलें जैसे धान, मक्का, ज्वार, कपास, मिर्च, दलहन, तिलहन और सब्जियों सहित अन्य फसलें 129.32 लाख एकड़ के सामान्य क्षेत्र के मुकाबले 129.89 लाख एकड़ क्षेत्र में बोई गईं। रबी के दौरान धान, मक्का, मूंगफली, दलहन और अन्य फसलें 63.54 लाख एकड़ के सामान्य क्षेत्र के मुकाबले 76.07 लाख एकड़ क्षेत्र में बोई गईं। धान के लिए फसल कवरेज क्षेत्र 12244475 एकड़, मोटे अनाज 7511311 एकड़, कुल दलहन 890236 एकड़ और कुल तिलहन 738440 एकड़ है। धान के लिए एमएसपी ₹ 2300 प्रति क्विंटल, ज्वार ₹2500 प्रति क्विंटल, मक्का ₹ 2350 प्रति क्विंटल, काला चना ₹7400 प्रति क्विंटल, मूंगफली ₹6783 प्रति क्विंटल 5500/क्विंटल और कपास 7521/क्विंटल है। अगस्त/सितंबर 2024 और जनवरी/फरवरी 2025 में यूरिया की माँग देखी गई। लेकिन कुल आपूर्ति माँग से अधिक है।

आंध्र प्रदेश:

कुल मिलाकर, 01.06.2024 से 19.03.2025 तक आंध्र प्रदेश में हुई औसत वर्षा 963.80 मिमी दर्ज की गई, जबकि आज की सामान्य वर्षा 883.20 मिमी है, जो 9.1% अधिक है। 19-03-25 तक सभी प्रमुख जलाशयों में 371.06 टीएमसी पानी है। पिछले वर्ष इस समय तक यह स्तर 205.55 टीएमसी था। आंध्र प्रदेश की अधिकांश कृषि दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर करती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 01 जून, 2024 की सामान्य तिथि के मुकाबले 30 मई 2024 को केरल में प्रवेश कर गया। दक्षिण पश्चिम मानसून 02 जून 2024 को एपी में रायलसीमा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में और 04 जून, 2024 को तटीय एपी में प्रवेश कर चुका है। उत्तर पूर्वी मानसून आमतौर पर अक्टूबर के महीने में राज्य में प्रवेश करता है। यह राज्य की लगभग 28.9% वर्षा प्रदान करता है और ज्यादातर चित्तूर, तिरुपति, नेल्लोर, अन्नामय्या जिलों और प्रकाशम, कडप्पा और अनंतपुरम, श्री सत्य साई के कुछ हिस्सों को कवर करता है। राज्य में कुल बोया गया क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टेयर के सामान्य क्षेत्र के मुकाबले 18.56 लाख हेक्टेयर (86%) है और आज की सामान्य तिथि 21.52 लाख हेक्टेयर (86%) है। धान की फसल का क्षेत्रफल 20.25 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाज का क्षेत्रफल 4.84 लाख हेक्टेयर, कुल दलहन का क्षेत्रफल 11.36 लाख हेक्टेयर और कुल तिलहन का क्षेत्रफल 4.09 लाख हेक्टेयर है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 2300 प्रति क्विंटल, ज्वार का ₹3371 प्रति क्विंटल, मक्का का ₹2225 प्रति क्विंटल, उड़द का ₹7400 प्रति क्विंटल, मूंगफली का ₹ 6783 प्रति क्विंटल, सूरजमुखी का ₹7280 प्रति क्विंटल, मूंग का ₹ 8682 प्रति क्विंटल, अरहर का ₹7550 प्रति क्विंटल और कपास (लंबी रेशा) का ₹7521 प्रति क्विंटल है। भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में कुल मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में यथोचित वृद्धि की गई है। सभी उर्वरक ग्रेड कमोबेश मांग के अनुसार उपलब्ध हैं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीनों में डीएपी की मामूली मांग देखी गई, जबकि दिसंबर, 24 और जनवरी, 25 के महीनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में 20-20-0-13 की मांग देखी गई।

कर्नाटक:

वर्ष के दौरान, कर्नाटक में सामान्य 1185 मिमी और पिछले वर्ष की इसी अवधि के 881 मिमी के मुकाबले 1411 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य और पिछले वर्ष की इसी अवधि से क्रमशः 19% और 60% अधिक है। राज्य में लगभग 100 बरसात के दिन दर्ज किए गए। सामान्य से अधिक वर्षा के परिणामस्वरूप खरीफ सीजन के मध्य तक सभी जलाशय पूरी क्षमता तक पहुँच गए, जिससे राज्य भर में सामान्य फसल पैटर्न और क्षेत्रफल को समर्थन मिला। कर्नाटक में तीन फसल मौसम होते हैं - खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन

- जो कुल 275 लाख एकड़ फसल क्षेत्र को कवर करते हैं। खरीफ सीजन में कुल फसल कवरेज का लगभग 65% हिस्सा होता है, इसके बाद रबी में 25% और शेष में ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में धान (25 लाख एकड़), गन्ना (16 लाख एकड़), मक्का (30 लाख एकड़), रागी (15 लाख एकड़), लाल चना (18,000 एकड़), मूंगफली (8 लाख एकड़), कॉफी (5.75 लाख एकड़) के साथ-साथ विभिन्न बागवानी और सब्जी फसलें शामिल हैं। कुछ खरीफ फसलों को छोड़कर, अन्य फसलों की उत्पादकता सामान्य रही। हालाँकि, उपज के बाजार मूल्य अलग-अलग रहे। मिर्च की कीमतें ₹ 18,000 से ₹25,000 प्रति टन की सामान्य सीमा के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से गिरकर ₹ 8,000 प्रति टन पर आ गईं। इसके विपरीत, कॉफी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर रहीं, जो चर्मपत्र अरेबिका के 50 किलोग्राम के लिए ₹ 26,800 से ₹27,600 के बीच रहीं। हाल के वर्षों में लगातार अच्छी पैदावार के कारण, सुपारी की खेती, विशेष रूप से दावणगेरे और शिमोगा के मध्य जिलों में, लगातार बढ़ रही है। सभी ग्रेडों में उर्वरक की उपलब्धता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। बाजार मूल्य स्थिर रहे, हालांकि 20-20-0-13 अधिशेष में बना रहा। वर्ष के लिए कुल उर्वरक खपत 45.73 लाख टन रही, जिसमें यूरिया -17.3 लाख टन, डीएपी - 4.94 लाख टन, एमओपी - 2.45 लाख टन, एनपीके - 7.24 लाख टन और 20-20-0-13 - 9.89 लाख टन शामिल हैं। कुल मिलाकर, उर्वरक आपूर्ति राज्य में कृषि गतिविधियों के अनुरूप रही।

केरल:

राज्य में 3085.450 मिमी वर्षा हुई, जबकि सामान्य वर्षा 2948.600 मिमी होती है, जो 5% अधिक है। सामान्य वर्षा स्तर के साथ, मालमपुझा सहित सभी प्रमुख जलाशयों में पर्याप्त जल भंडारण था। 15 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक कृषि उद्देश्यों के लिए जल निकासी सुनिश्चित की गई। केरल में, प्रमुख सिंचित फसलों में धान, केला, सब्जियां और सुपारी शामिल हैं, जबकि वर्षा आधारित फसलों में केला, रबड़, नारियल, सुपारी और अनानास शामिल हैं। 2024 के खरीफ सीजन के दौरान, वास्तविक फसल क्षेत्र 25.68 लाख एकड़ था, जबकि सामान्य 26.57 लाख एकड़ होता है। उसमें से 16.00 लाख एकड़ धान और 43000 एकड़ केला, 1.80 लाख एकड़ रबर, 5.70 लाख एकड़ नारियल, 2.20 लाख एकड़ सुपारी की खेती की गई है। रबी सीजन में 74,900 एकड़ धान, 37300 एकड़ केला, 11000 एकड़ अनानास उगाया गया। रबी में फसली क्षेत्र 1.71 लाख एकड़ रहा, जो सामान्य क्षेत्र 1.57 लाख एकड़ से अधिक था, जो 2024-25 में अच्छी समग्र फसल कवरेज को दर्शाता है। किसानों को अनानास, अदरक, केला, कॉफी, चाय, इलायची, काली मिर्च और जायफल सहित अधिकांश फसलों के लिए अच्छे बाजार मूल्य का एहसास हुआ, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और उर्वरक के उपयोग में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। रबड़ की कीमतों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, औसतन ₹ 200 प्रति किलोग्राम पर पहुँचकर रबर उत्पादकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। पूरे फसल मौसम के दौरान किसी भी जिले में यूरिया या अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं देखी गई।

ताकत, कमजोरियाँ, अवसर और बाधाएँ

ताकत

एम.एफ.एल. की ताकत इसकी अत्यधिक कुशल जनशक्ति है, इसका प्रमुख उत्पाद ब्रांड विजय पूरे दक्षिण भारत में विपणन नेटवर्क एवं समर्पित दूर-दूर तक पहुंच इसकी ताकत है। 5 दशकों से अधिक समय से बाजार में इसकी उपस्थिति है और इसे भारत सरकार से निरंतर समर्थन प्राप्त है। इसने पहले ही अपने फीड स्टॉक को नेप्था से आर.एल.एन.जी. में परिवर्तित कर दिया जिसकी आपूर्ति एम.एफ. एल. के निकट स्थित मेसर्स आई.ओ.सी. द्वारा की जा रही है।

कमजोरियाँ

कंपनी के प्रदर्शन पर कृषि-जलवायु की स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एन.पी.के. कच्चा माल जो आयात किया जाता है, इसकी उपलब्धता और कीमत के मामले में गंभीर अस्थिरता रहती है। विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव भी कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित करता है।

अवसर

वैकल्पिक उर्वरकों की एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसमें समान या अधिक उपज रखते हुए कम अपव्यय और कम उर्वरक उपयोग शामिल है।यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बेहतर रिटर्न के साथ नए निवेश के लिए एक नया राह खोलता है। उर्वरक उत्पादों के व्यापार जैसे व्यावसाय विविधीकरण से कंपनी के निचले स्तर में सुधार होगा।

बाधाएँ

एन.पी.के. कच्चे माल की कीमतों में उच्च अस्थिरता के परिणामस्वरूप एन.पी.के. के उत्पादन और विपणन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो अंततः कंपनी के निचले स्तर को प्रभावित करता है।

परिदृश्य

अच्छे मानसून की उम्मीद से उर्वरक क्षेत्र का परिदृश्य सकारात्मक है। भारतीय उर्वरक उद्योग हेतु अंतर्निहित मैक्रो आशाजनक दिखते हैं। जलाशयों के अधिशेष स्तर के साथ, अच्छे मानसून, मौसम के पूर्वानुमान से उर्वरकों की खरीद की मांग भी आशाजनक प्रतीत होती है।

जोखिम और चिंतन क्षेत्र

एन.पी.के. उत्पादन हेतु कार्यशील पूंजी में सीमा के कारण कंपनी को कम परिचालन मार्जिन का सामना करना पड़ता है। लेकिन, कंपनी ने ठेका श्रमिकों सहित संयंत्रों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा महत्वपूर्ण पौधों के पोषक तत्वों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है।

उर्वरक क्षेत्र:

(लाख मेट्रिक टन)

उत्पाद	यूरिया		एन.पी.के.	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
एम.एफ.एल.विपणन क्षेत्र में बिक्री	65.13	62.81	54.75	54.05
एम.एफ.एल बिक्री	4.27	5.23	-	-

जटिल उर्वरकों के लिए, एनबीएस 1.4.2010 से लागू है, जहां सब्सिडी भारत सरकार द्वारा तय की जा रही है और एमआरपी को बाजार की गतिशीलता के आधार पर निर्माताओं द्वारा तय करने की अनुमति है। वर्ष 2024-25 के दौरान कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण, एनपीके 17-17-17 के लिए सब्सिडी ₹11937/एमटी से घटाकर खरीफ में ₹13281/एमटी और रबी में ₹12954/एमटी तय की गई। इसी तरह एनपीके 20-20-0 के लिए सब्सिडी ₹13568/एमटी से घटाकर खरीफ में ₹15148/एमटी और रबी 2024-25 में ₹14764/एमटी तय की गई। कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 के दौरान एनपीके कॉम्प्लेक्स 17-17-17 और 20-20-0 के लिए दी गई औसत सब्सिडी पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 24.22% और 19.30% कम हो गई।

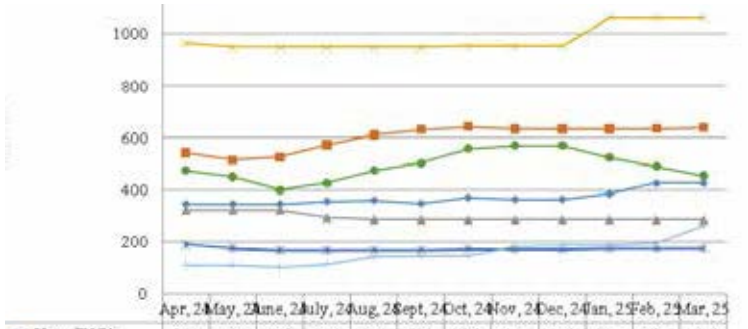
देश भर में अनुकूल कृषि स्थिति के कारण यूरिया की खपत पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.3% बढ़ी है और एनपी/एनपीके/एनपीकेएस (डीएपी के अलावा) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28.30% की भारी वृद्धि हुई है, एमएफएल के विपणन क्षेत्र में एनसी यूरिया और एन.पी.के उर्वरकों दोनों की खपत में मामूली कमी आई है।

- एमएफएल ने रेल रोड अनुपात को डीओएफ मानदंडों के 80:20 के मुकाबले 87:13 के उच्चतम स्तर पर पहुँचाया, जो 2022-23 और 2023-24 के दौरान दर्ज किए गए 86:14 के पिछले सर्वश्रेष्ठ स्तर से बेहतर है।
- 2019-20 से लगातार छठे वर्ष, एमएफएल उत्पादों का विपणन बिना किसी अतिरिक्त छूट और क्रेडिट अवधि के किया गया, जिससे विपणन लागत पर भारी वित्तीय व्यय की बचत हुई, जबकि प्रतिस्पर्धियों ने उदारतापूर्वक विभिन्न छूट और विस्तारित क्रेडिट अवधि की पेशकश की।
- लगातार सातवें वर्ष, सभी बिक्री लेनदेन के लिए आरटीजीएस/ऑनलाइन भुगतान पर 100% उपलब्धि हासिल की।

वैश्विक परिदृश्य

उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का रुझान

अप्रैल, 2024 से उर्वरकों की औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का रुझान नीचे दिया गया है:



	Apr, 24	May, 24	June, 24	July, 24	Aug, 24	Sept, 24	Oct, 24	Nov, 24	Dec, 24	Jan, 25	Feb, 25	Mar, 25
Urea (FOB)	343	343	343	354	358	345	369	362	362	383	425	425
DAP (CFR)	542	515	525	572	611	632	642	634	633	633	635	640
MOP (CFR)	319	319	319	290	283	283	283	283	283	283	283	283
Phos. Acid (CFR)	963	948	948	948	948	948	950	950	950	1060	1060	1060
Rock Phos. (CFR)	187	175	167	167	167	167	171	171	171	175	175	175
Ammonia (CFR)	475	450	400	426	475	503	560	570	570	524	490	454
Sulphur (CFR)	111	109	102	113	143	148	149	183	185	186	193	263

- यूरिया (एफओबी) की कीमत अप्रैल, 2024 के 343 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 23.91% बढ़कर मार्च, 2025 में 425 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है।
- डीएपी (सीएफआर) की कीमत अप्रैल, 2024 के 542 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 18.10% बढ़कर मार्च, 2025 में 640 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है।
- एमओपी (सीएफआर) की कीमत अप्रैल, 2024 के 319 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 11.29% घटकर मार्च, 2025 में 283 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है।
- फॉस्फोरिक एसिड (सीएफआर) की कीमत अप्रैल, 2024 के 963 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 10.10% बढ़कर 1060 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है। मार्च, 2025 में।
- रॉक फॉस्फेट (सीएफआर) की कीमत अप्रैल, 2024 के 187 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 6.42% घटकर मार्च, 2025 में 175 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है।
- अमोनिया (सीएफआर) की कीमत अप्रैल, 2024 के 475 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 4.42% घटकर मार्च, 2025 में 454 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है।
- सल्फर (सीएफआर) की कीमत अप्रैल, 2024 के 111 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से लगभग 136.9% बढ़कर मार्च, 2025 में 263 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई है।

प्रमुख उर्वरकों का उत्पादन, आयात और खपत (अखिल भारतीय आधार):

भारत के कृषि और उर्वरक क्षेत्रों के परिदृश्य में, वित्त वर्ष 2024-25 उर्वरक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित रणनीतियों की सफलता का प्रतीक है, जो उल्लेखनीय उपलब्धियों और महत्वपूर्ण मील के पत्थरों से सुशोभित है। देश में प्रमुख उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे कुल उत्पादन 45.74 मिलियन टन तक पहुंच गया है।

इस बढ़त में यूरिया सबसे आगे है, जो 30.64 मिलियन टन के विशाल उत्पादन के साथ उर्वरक उत्पादन में अग्रणी है। इस वृद्धि के ठीक पीछे आवश्यक एनपीके हैं, जिनका योगदान 11.33 मिलियन टन है, और डीएपी 3.77 मिलियन टन के योगदान के साथ। यह सामूहिक उपलब्धि भारत की कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और अपनी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए भारत में प्रमुख उर्वरकों जैसे यूरिया, कॉम्प्लेक्स के उत्पादन, आयात और खपत के आंकड़ों का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख मेट्रिक टन)

उत्पाद	यूरिया		डी.ए.पी.		एन.पी./एन.पी.के. (डी.ए.पी. के अलावा)		एमओपी*	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
उत्पादन	314.1	306.4	42.9	37.7	95.5	113.3	-	-
आयात	70.4	56.5	55.7	45.7	22.2	22.7	28.7	35.4
खपत	357.8	387.7	108.1	92.8	110.7	142.1	16.4*	22.0*

* केवल सीधे उपयोग के लिए, एन.पी.के./कॉम्प्लेक्स उर्वरक इकाइयों की आपूर्ति शामिल नहीं है।

बढ़ती आबादी और कृषि उत्पादकता पर बढ़ती मांगों के साथ, ये उपलब्धियाँ भारत के कृषि भविष्य के लिए एक आशाजनक प्रक्षेपवक्र का संकेत देती हैं। जैसा कि भारत अपने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और लचीलेपन के लिए प्रयास करना जारी रखता है, ये उपलब्धियाँ समृद्धि और खाद्य सुरक्षा की दिशा में राष्ट्र की यात्रा के लिए प्रेरणा का संकेत हैं।

2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए उर्वरक पोषक तत्वों के लिए अखिल भारतीय मांग का पूर्वानुमान

(लाख मेट्रिक टन)

अवधि	एन	पी	के	कुल	अनुपात (एन.पी.के.)
2023-24 (स्था)*	204.6	83.1	18.8	306.5	10.9:4.4:1
2024-25 (पूर्वानुमान)	221.5	84.0	23.8	329.3	9.3:3.5:1
2025-26 (पूर्वानुमान)	226.0	85.7	24.3	336.0	9.3:3.5:1

* = डी.बी.टी. द्वारा बिक्री

2023-24 से 2025-26 के लिए अखिल भारतीय उत्पाद-वार मांग पूर्वानुमान:

(लाख मेट्रिक टन)

अवधि	यूरिया	डी.ए.पी.	एस.एस.पी.	एम.ओ.पी.	कॉम्प्लेक्स उर्वरक
2023-24 (स्था)*	357.8	108.1	45.4	16.4	110.7
2024-25 (पूर्वानुमान)	387.7	92.8	49.3	22.0	142.1
2025-26 (पूर्वानुमान)	395.5	94.7	50.3	22.4	144.9

* डी.बी.टी. द्वारा बिक्री

उर्वरकों और संबंधित पोषक तत्वों की मांग का पूर्वानुमान मानसून की अनुकूल शुरुआत, सिचांई की उपलब्धता, उत्पादन, आयात, फसल पैटर्न आदि की आशंका पर निर्भर होती है तथा मौजूदा उत्पाद पोषक तत्व अनुपात पर भी आधारित है। तथापि, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संतुलित उर्वरक पोषक तत्वों के अनुप्रयोग जैसे कार्यक्रमों से, आने वाले वर्षों में जटिल उर्वरकों की मांग तर्कसंगत होगी।

फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एन.बी.एस.)

भारत सरकार ने 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी चरण-I की शुरुआत की। यह योजना डी.ए.पी.,एम.ओ.पी., एम.ए.पी., एस.एस. पी., टी.एस.पी. और अन्य बाईस ग्रेड के जटिल उर्वरकों के लिए लागू है।

एनबीएस योजना के अंतर्गत, अन्य पीएंडके उर्वरकों पर लागू कटौती के अनुरूप, 'मोलासेस से प्राप्त पोटाश' (पीडीएम-0:0:14.5:0) उत्पाद के लिए निर्माताओं को दी जाने वाली सब्सिडी अक्तूबर 2023 से 2304 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर ₹ 345 प्रति मीट्रिक टन कर दी गई है। बोरॉन और जिंक जैसे द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले किसी भी फोर्टिफाइड उर्वरक पर क्रमशः ₹ 300 और ₹ 500 प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती रहेगी।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान पोषक तत्वों 'एन' 'पी' 'के ' हेतु प्रति किलो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीचे दी गई है:

(₹/किग्रा पोषक तत्व)

क्र. सं..	पोषक तत्व / ऋतु	2022-23			2023-24		2024-25	
		ख़रीफ़	रबी		ख़रीफ़	रबी	ख़रीफ़	रबी
1	एन	91.96	98.02	99.27	76.49	47.02	47.02	43.02
2	पी	72.74	66.93	49.94	41.03	20.82	28.72	30.80
3	के	25.31	23.65	25.70	15.91	2.38	2.38	2.38
4	एस	6.94	6.12	2.84	2.80	1.89	1.89	1.76

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संचालन की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक डिज़ाइनकृत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। इस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्राधिकार, पर्यवेक्षण, एसएपी (एमएम/एफआई/एसडी) & ऑनलाइन एकीकरण प्रणाली (ओ.एल.आई.एस.) का उचित प्रत्यायोजन और प्रलेखित नीति दिशानिर्देशों और नियमावली के माध्यम से जांच और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

अनुपात विश्लेषण

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25
(i) देनदार से टर्नओवर	7.22
(ii) इन्वेंटरी टर्नओवर	1.85
(iii) ब्याज कवरेज अनुपात	2.45
(iv) वर्तमान अनुपात	0.68
(v) ऋण ईक्विटी अनुपात	(49.36)
(vi) संचालन लाभ मार्जिन (%)	5.98
(vii) निवल लाभ मार्जिन (%)	2.53
(viii) निवल कीमत पर वापसी	लागू नहीं

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जीरो टॉलरेंस की स्थिति है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों का पालन किया जाता हैताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण किया जा सके।

यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एम.एफ.एल. में आंतरिक अनुपालन समिति (आई.सी.सी.) मौजूद है। सभी महिला सहयोगी (स्थायी, अस्थायी, संविदात्मक और प्रशिक्षु) के साथ-साथ कंपनी के परिसर में आने वाली कोई भी महिला इस प्रावधान के अंतर्गत आती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उठाए गए और निपटाए गए यौन उत्पीड़न के मुद्दों का सारांश:

प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	शून्य
निस्तारित शिकायतों की संख्या	:	शून्य
90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	:	शून्य

अनुलग्नक-III

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन

कंपनी सुस्थापित कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाती है, जो बदलते परिदृश्य में लगातार समय के साथ विकसित अपडेट किए जाते हैं। कंपनी का नागरिक चार्टर कॉर्पोरेट कार्यों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही प्रदान करता है। कंपनी के कॉरपोरेट शासन सिद्धांत और व्यवहार में मध्यम स्तर के अधिकारियों का आंतरिक सशक्तिकरण शामिल है।

निदेशक मंडल

31 मार्च 2025 को, कंपनी के बोर्ड में 7 निदेशक थे। वर्तमान में, एम.एफ.एल के बोर्ड में 9 सदस्य हैं।अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) कार्यकारी निदेशक हैं तथा अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक और दो कार्यात्मक निदेशक जैसे निदेशक और सी.एम.डी.-तकनीकी,भारत सरकार द्वारा नियुक्त । हमारे सह-प्रवर्तक नैफ्टीरम इंटरग्रेटड कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त तीन निदेशक। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन स्वतंत्र गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं।

क. वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों द्वारा धारित संरचना, श्रेणी, कार्यकाल, अन्य निदेशक पदों की संख्या /समिति सदस्यता (अर्थात सेबी के कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति) का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	निदेशक	श्रेणी	कार्यकाल			अन्य बोर्ड/समितियों में		अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक
			से	तक	निदेशक	सदस्यता	अध्यक्षता	
1.	श्रीमती नीरजा आदिदम (डीआईएन 09351163)	सीएमडी	30.04.2024	06.06.2024	-	-	-	-
2	श्री मनोज कुमार जैन (डीआईएन 10690782)	सीएमडी	07.06.2024	बने हुए हैं	3	-	-	फॉर्च्यून बायोटेक लिमिटेड, द फर्टिलाइजर एसोसिएट इंडिया लिमिटेड, इंडियन पोटाश लिमिटेड
3	डॉ.टीना सोनी (डीआईएन 07720240)	एन.ई.डी. - भारत सरकार-नामित)	04.04.2024	बने हुए हैं	-	-	-	-
4	डॉ. के. जयचंद्रन (डीआईएन 10062573)	निदेशक (तकनीकी)	01.05.2023	बने हुए हैं	1	1	-	फेक्ट

5	श्री मोहम्मद बघेर दखिलि (डी.आई. एन.07704367)	एन.ई.डी.– एन.आई. सी.ओ. - नामित	18.02.2017	बने हुए हैं	1	1	-	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	श्री बाबक बघेरपुर (डी.आई.एन. 08341090)	एन.ई.डी.– एन.आई. सी.ओ. - नामित	23.10.2018	बने हुए हैं	1	1	-	चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	श्रीमती समीह कोकाबी (डी.आई.एन. 09066692)	एन.ई.डी.– एन.आई. सी.ओ. - नामित	10.02.2021	बने हुए हैं	-	-	-	-
8	श्री नलबोतु वेंकट रॉव (डी.आई.एन. 00310724)	स्वतंत्र	05.11.2021	04.11.2024	-	-	-	-
9	डॉ. सी. आर. जयंति (डी.आई.एन. 09450350)	स्वतंत्र	28.12.2021	27.12.2024	-	-	-	-
10	श्री संजय शेट्टी (डी.आई.एन. 01089380)	स्वतंत्र	31.12.2021	30.12.2024	-	-	-	-
11	डॉ जतनि कुमार मोहंती (डी.आई.एन. 02660442)	स्वतंत्र	20.06.2023	बने हुए हैं	2	-	-	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ट्रांसवर्ल्ड मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड
12	श्री संजय शेट्टी (डी.आई.एन. 01089380)	स्वतंत्र	17.04.2025	बने हुए हैं	3	1	-	ऑरेंज राउंड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, विजडम ट्री इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट फ्यूज स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, पैन टू प्लेट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
13	श्री अलोक कुमार अग्रवाल (डी.आई.एन 09395495)	स्वतंत्र	17.04.2025	बने हुए हैं	-	-	-	-

ख. बोर्ड बैठक

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	कार्यकाल		संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें		क्या 26.09.2024 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग
			से	तक	आयोजित	उपस्थित	
1	श्रीमती नीरजा आदिदम	सीएमडी	30.04.2024	06.06.2024	1	1	लागू नहीं
1	श्री मनोज कुमार जैन	सीएमडी	07.06.2024	बने हुए हैं	3	3	हाँ
2	डॉ.टीना सोनी	एन.ई.डी. - भारत सरकार-नामित)	04.04.2024	बने हुए हैं	4	4	हाँ
3	डॉ. के. जयचंद्रन	निदेशक (तकनीकी)	01.05.2023	बने हुए हैं	4	-4	हाँ
4	श्री मोहम्मद बघेर दखिलि	एन.ई.डी.–एन.आई.सी.ओ. - नामित	18.02.2017	बने हुए हैं	4	3	हाँ
5	श्री बाबक बघेरपुर	एन.ई.डी.–एन.आई.सी.ओ. - नामित	23.10.2018	बने हुए हैं	4	4	हाँ
6	श्रीमती समीह कोकाबी	एन.ई.डी.–एन.आई.सी.ओ. - नामित	10.02.2021	बने हुए हैं	4	4	हाँ
7	श्री नलबोतु वेंकट रॉव	स्वतंत्र	05.11.2021	04.11.2024	2	2	हाँ
8	डॉ. सी. आर. जयंति	स्वतंत्र	28.12.2021	27.12.2024	3	3	हाँ
9	श्री संजय शेट्टी	स्वतंत्र	31.12.2021	30.12.2024	3	3	हाँ

वर्ष के दौरान, बोर्ड की चार (4) बैठके क्रमश: 28.05.2024, 14.08.2024, 13.11.2024 और 11.02.2025 को आयोजित की गईं। वार्षिक आम बैठक 26 सितम्बर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम ("ओएवीएम") से आयोजित की गई। बोर्ड की बठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	कार्यकाल		संबंधित निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें		क्या 26.09.2024 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग
			से	तक	आयोजित	उपस्थित	
10	डॉ जतिन कुमार मोहंती	स्वतंत्र	20.06.2023	बने हुए हैं	4	4	हाँ
11	श्री संजय शेट्टी	स्वतंत्र	17.04.2025	बने हुए हैं	-	-	लागू नहीं
12	श्री अलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र	17.04.2025	बने हुए हैं	-	-	लागू नहीं

ग. निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण:

कंपनी के निदेशकों और केएमपी के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों और परिवर्तनीय लिखतों की संख्या: शून्य

घ. वेब लिंक जहाँ स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण प्रकट किया गया है:

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/ID- Familiarization.pdf पर अपलोड किया गया है।

च.बोर्ड में उपलब्ध कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएँ

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम की अनुसूची V के अनुसरण में, कंपनी के व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में इसके प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए मूल कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं को निर्धारित करते हुए चार्ट और उन निदेशक मंडल में वास्तव में उपलब्ध और ऐसे निदेशकों के नाम जिनके पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञताएं/योग्यताएँ हैं नीचे दिए गए हैं:

निदेशक का नाम	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता				
	कॉर्पोरेट प्रशासन और कानूनी अनुपालन	लेखांकन और वित्त	नेतृत्व और सामान्य प्रबंधन	उद्योग अनुभव	सामरिक योजना और कार्यान्वयन
श्री मनोज कुमार जैन	√	√	√	√	√
डॉ.टीना सोनी	√	√	√	√	√
डॉ. के. जयचंद्रन	√	√	√	√	√
श्री मोहम्मद बघेर दखिलि	√	√	√	√	√
श्री बाबक बघेरपुर	√	√	√	√	√
श्रीमती समीह कोकाबी	√	√	√	√	√
श्री नलबोतु वेंकट रॉव	√	√	√	√	√
डॉ. सी. आर. जयंति	√	√	√	√	√
श्री संजय शेट्टी	√	√	√	√	√
डॉ जतिन कुमार मोहंती	√	√	√	√	√

च. स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की पुष्टि:

बोर्ड का मानना है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

छ. कार्यकाल समाप्ति से पहले इस्तीफा देने वाले स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के विस्तृत कारण:

समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं

ज. निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के विनियम 17 के अनुसार अनुसूची II के भाग क के अंतर्गत कंपनी पर लागू सभी न्यूनतम जानकारी निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई।

लेखापरीक्षण समिति

वर्ष 2024-25 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार (4) बैठकें अर्थात 28.05.2024, 14.08.2024, 13.11.2024 और 28.05.2024, 14.08.2024, 13.11.2024 को आयोजित की गई। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का नाम	स्थिति	कार्यकाल		आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
			से	तक		
1	श्री नलबोतु वेंकट रॉव	अध्यक्ष (स्वतंत्र)	10.02.2022	04.11.2024	2	2
2	डॉ.टीना सोनी	सदस्य (भारत सरकार द्वारा नामित)	04.04.2024	बने हुए हैं	4	3
3	डॉ. सी. आर. जयंति	सदस्य (भारत सरकार द्वारा नामित)	10.02.2022	27.12.2024	3	3
4	श्री संजय शेट्टी	सदस्य (स्वतंत्र)	10.02.2022	30.12.2024	3	3
5	डॉ जतिन कुमार मोहंती	सदस्य (स्वतंत्र)	20.06.2023	बने हुए हैं	4	4

विचारार्थ विषय:

7. वित्तीय रिपोर्टिंग की निगरानी;
8. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
9. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति;
10. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, जिसमें शामिल हैं:
    - क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार निदेशक की जिम्मेदारी कथन में शामिल किए जाने वाले मामले;
    - ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
    - ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;.
    - घ. लेखा परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
    - ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
    - च. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा;
    - छ. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय(एँ);
11. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना.
12. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम,आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/ आवेदन के विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;
13. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
14. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन;
15. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;.
16. उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो; .
17. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

18. प्रबंधन के साथ वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
19. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टार्फिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
20. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
21. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जिसमें संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता की प्रकृति हो तथा मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना;
22. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा करना, साथ ही लेखा परीक्षा के बाद चर्चा करके चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाना;
23. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना;
24. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;
25. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देना;
26. लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को करना।
27. विलय, विभाजन, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं और उसके शेयरधारकों के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना।
28. समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करना।.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एन.आर.सी.) की बठक 14 अगस्त, 2024 को हुई। बैठक में उपस्थित एन.आर.सी. सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	एन आर सी सदस्य का नाम	स्थिति	कार्यकाल		आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
			से	तक		
1	श्री संजय शेट्टी	अध्यक्ष (स्वतंत्र)	10.02.2022	30.12.2024	1	1
2	श्री मनोज कुमार जैन	सदस्य - सीएमडी	07.06.2024	बने हुए हैं	1	1
3	श्री नलबोतु वेंकट रॉव	सदस्य - स्वतंत्र	10.02.2022	04.11.2024	1	1
4	डॉ. सी. आर. जयंति	सदस्य - स्वतंत्र	10.02.2022	28.12.2024	1	1
5	डॉ जतिन कुमार मोहंती	सदस्य - स्वतंत्र	20.06.2023	बने हुए हैं	1	1

विचारार्थ विषय:

1. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना तथा निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

2. स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति में ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्न कार्य कर सकती है:

   क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना;
   ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों से उम्मीदवारों पर विचार करना; और
   ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करना।

3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
4. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
5. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।
6. स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाए या जारी रखा जाए।
7. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो, के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड

स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड एक निदेशक द्वारा भागीदारी और योगदान, प्रतिबद्धता, ज्ञान और विशेषज्ञता, गोपनीयता का पाल, व्यवहार और निर्णय की स्वतंत्रता, अखंडता और ईमानदारी के नैतिक मानकों को बनाए रखना। कम्पनी के बारे में और बाहरी वातावरण जिसमें कंपनी संचालित होता है पर ज्ञान।

निदेशकों हेतु पारिश्रमिक

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, अधिकारियों के लिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार होता है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कंपनी द्वारा निदेशकों को भुगतान्कृत वेतन, प्रोत्साहन, अनुलाभ और अन्य लाभों का कुल मूल्य ₹ 44.85/-लाख है।

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बैठक शुल्क का भुगतान करती है और उन्हें कोई अन्य मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है। वर के दौरान बोर्ड/समिति की बठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के नामित निदेशक और नैफ्टिरन इंटरट्रेड कंपनी (एन.आए.सी.ओ.) लिमिटेड के नामांकित व्यक्तियों के लिए कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

हितधारक संबंध समिति

वर्ष 2024-25 के दौरान, 13 नवंबर,2024 को हितधारक संबंध समिति (एस.आर.सी.) की बैठक आयजित की गई। एस. आर.सी. बैठक की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	एस आर सी सदस्य का नाम	स्थिति	कार्यकाल		आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
			से	तक		
1	श्री मोहम्मद बघेर दखिलि	अध्यक्ष (एन.आई.सी.ओ. नामित)	18.02.2017	बने हुए हैं	1	1
2	श्री मनोज कुमार जैन	सदस्य सी एम डी)	07.06.2024	बने हुए हैं	1	1

3	डॉ.टीना सोनी	सदस्य(भारत सरकार द्वारा नामित)	04.04.2024	बने हुए हैं	1	1
4	श्री नलबोतु वेंकट रॉव	सदस्य (स्वतंत्र)	10.02.2022	04.11.2024	0	लागू नहीं
5	डॉ. के. जयचंद्रन	निदेशक (तकनीकी	01.05.2023	बने हुए हैं	1	1

समिति का कार्यक्षेत्र और कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के खंड 20 के अनुसार है।

वर्ष 2024-25 के लिए, शेयर हस्तांतरण और अन्य शेयर संबंधी मामलों पर विचार करने हेतु 25 शेयर हस्तांतरण समिति की बैठकें आयोजित की गई।

इस अवधि के दौरान कंपनी और शेयर ट्रांसफर एजेंटों द्वारा निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या 820 रही जिसमें शेयर प्रमाणपत्र का खो जाना, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों के हस्तांतरण के लिए नामांकन और प्रक्रिया आदि शामिल हैं और 31 मार्च, 2025 तक कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

जोखिम प्रबन्ध समिति

वर्ष 2024-25 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की बैठक 13 नवंबर,2024 को हुई। आरएमसी बैठक की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:-

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.	आरएमसी सदस्य का नाम	स्थिति	कार्यकाल		आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
			से	तक		
1	श्री नलबोतु वेंकट रॉव	अध्यक्ष (स्वतंत्र)	10.02.2022	04.11.2024	लागू नहीं	लागू नहीं
2	श्री मनोज कुमार जैन	सदस्य- सी.एम.डी	07.06.2024	बने हुए हैं	1	1
3	डॉ. के. जयचंद्रन	निदेशक (तकनीकी)	01.05.2023	बने हुए हैं	1	1
4	श्री मोहम्मद बघेर दखिलि	सदस्य (एन.आई.सी.ओ. – नामित)	10.02.2022	बने हुए हैं	1	1

विचारार्थ विषय:

(1) (क) कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (प्रत्येक रूप से, ई.एस.जी. से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या किसी भी अन्य जोखिम जो समिति द्वारा समझा जाए की पहचान हेतु एक ढांचा निर्धारित करना।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय की खोज।

(ग) व्यापार निरंतरता योजना।

(2) कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन हेतु उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियों की मौजूदगी को सुनिश्चित करना;

(3) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेक करना;

(4) दो साल में कम से कम एक बार, जोखिम प्रबंधन नीति पर समीक्षा करना, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है;

(5) अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में निदेशक मंडल को सूचित रखना;

(6) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

वरिष्ठ प्रबंधन:

श्री प्रिय रंजन पांडा, मुख्य वित्तीय अधिकारी 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हुए। श्री ए.मदन मोहन, महाप्रबंधक - वित्त एवं प्रशासन को 14.08.2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।

अनुपालन अधिकारी:

श्री जे श्रीनिवास सरवणन को 12 दिसंबर, 2023 को श्री आर राम गणेश के इस्तीफे के परिणामस्वरूप 14 अगस्त, 2024 से प्रभावी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

दिसंबर 2023 - जून 2024 की अवधि के दौरान, श्री प्रिय रंजन पांडा, सीएफओ को 30.06.2024 तक अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 10 जुलाई, 2024 से, श्रीमती पद्मावती, उप प्रबंधक - वित्त को अनुपालन अधिकारी के रूप में 13.08.2025 तक नियुक्त किया गया।

सामान्य निकाय की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का स्थान और आरंभिक समय इस प्रकार है:

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
2023-2024	वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल ("ओ.ए.वी.एम.") के माध्यम से आयोजित बैठक	26.09.2024 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 11.00 बजे
2022-2023	वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल ("ओ.ए.वी.एम.") के माध्यम से आयोजित बैठक	25.09.2023 (सोमवार)	पूर्वाह्न 11.00 बजे
2021-2022	वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल ("ओ.ए.वी.एम.") के माध्यम से आयोजित बैठक	21.09.2022 (बुधवार)	पूर्वाह्न 11.00 बजे

पिछले 3 वर्षों में वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है।

वार्षिक आम बैठक की तिथि	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था?	विवरण
26.09.2024	नहीं	लागू नहीं
25.09.2023	हाँ	1. डॉ. जतिन कुमार मोहंती की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति 2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)सी के अंतर्गत निदेशक मंडल को ₹ 747.80 करोड़े तक उधार लेने के लिए विचार करना और अधिकृत करना। 3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ए) के अंतर्गत लिए गए उधारों के संबंध में प्रतिभूति के सृजन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

21.09.2022		1. श्री नालाबोथु वेंकट राव की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति 2. डॉ. सी. आर. जयंती की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति 3. श्री संजय विष्णु शेट्टी की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

डाक मतपत्र:

वर्ष 2024-2025 में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो इसे कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमों या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में पारित किया जाएगा।

संबंधित पार्टी लेनदेन :

यदि लेनदेन व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया है या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया है, या कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक है तो संबंधित पार्टी के साथ एक लेनदेन को सामग्री माना जाएगा।

वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन, जिसमें चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.) के साथ मौजूदा लेनदेन शामिल हैं, कंपनी के सामान्य कारोबार के आधार पर और सामान्य आधार पर हैं। वर्ष के दौरान कंपनी की नीति के अनुसार महत्वपूर्ण माने जाने वाले नीतियों पर कम्पनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया है।

संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति हमारी वेबसाइट www.madrasfert.co.in पर प्रदर्शित की गई है।

व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र

कंपनी ने एक स्थापित कर एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है, जिसके अनुसरण में व्हिसल ब्लोअर अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं।

अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू सीमा तक लिस्टिंग विनियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन किया है।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग-ख के साथ पठित विनियम 17(8) के अनुसार वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा दिया गया वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।:

पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सूचीबद्ध इकाई द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंज(ओं) या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड, प्रतिबंधों का विवरण।

संचार के साधन

तिमाही और वार्षिक परिणाम

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन से निवेशकों को अवगत कराना कंपनी की अंतिम ज़िम्मेदारी है। कंपनी के तिमाही परिणाम तिमाही की समाप्ति के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अपनाए जाते हैं और वार्षिक परिणाम पिछली तिमाही की समाप्ति के 60 (साठ) दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अपनाए जाते हैं। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाते हैं।

त्रैमासिक वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय दैनिक, वित्तीय एक्सप्रेस और एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार मालैमलर में प्रकाशित होते हैं। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.madrasfert.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

क्या संस्थागत निवेशकों या विश्लेषक को कोई प्रस्तुति करण दिया गया है: नहीं

सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

वार्षिक आम बैठक, तारीख, समय और स्थान:		
ए.जी.एम. तिथि	:	24 सितंबर, 2025
समय	:	प्रात: 11.00 बजे
स्थान	:	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ए.वी. के माध्यम से
वित्तीय वर्ष	:	अप्रैल 2024 - मार्च 2025
पुस्तक बंद करने की तिथि	:	18.09.2025 से 24.09.2025 (दोनों दिन सम्मिलित) (वार्षिक आम बैठक की तिथि तय करने के बोर्ड के निर्णय के आधार पर)
लाभांश भुगतान	:	शून्य
क्या प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण इस रिपोर्ट का हिस्सा है	:	हाँ
स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग	:	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय पर किया है।

स्टॉक कोड / प्रतीक

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	:	मद्रासफर्ट /MADRASFERT

शेयर हतांतरण प्रणाली

मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत शेयर ट्रांसफर एजेंट को शेयर ट्रांसफर और डिपॉजिटरी रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों को सौंपा गया है। शेयर ट्रांसफर समिति हर पखवाड़े शेयर हतांतरण की औपचारिक्ता को पूरा करती है।

शेयर हतांतरण एजेंट और डिपॉजिटरी रजिस्ट्री:

मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मनेजमैंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
द्वितीय तल, केंसेस टावर्स
नंबर-1, रामकृष्ण स्ट्रीट
कार्यालय: नार्थ उस्मान रोड
टी.नगर, चेन्नै 600 017
दरभाष 091-044 - 2814 0801 से 803
ईमेल:einw ard@ integ ated id ai n

शेयरधारिता का वितरण:

क्रम सं.	शेयरों की श्रेणी	भौतिक			एन.एस.डी.एल.			सी.डी.एस.एल.			कुल योग		
		गणना	शेयर	%	गणना	शेयर	%	गणना	शेयर	%	गणना	शेयर	%
1	500 तक	5698	1569158	0.97	14879	2130634	1.32	35037	3341245	2.07	55614	7041037	4.37
2	501 - 1000	1435	1402100	0.87	1786	1555592	0.97	2018	1633198	1.01	5239	4590890	2.85
3	1001 - 2000	153	283700	0.18	667	1053692	0.65	759	1137370	0.71	1579	2474762	1.54
4	2001 - 3000	30	85300	0.05	216	573509	0.36	224	569578	0.35	470	1228387	0.76
5	3001 - 4000	3	10300	0.01	75	273006	0.17	99	355241	0.22	177	638547	0.40
6	4001 - 5000	12	59900	0.04	87	421135	0.26	82	390553	0.24	181	871588	0.54
7	5001 - 10000	2	12000	0.01	108	853061	0.53	94	694994	0.43	204	1560055	0.97
8	10001 से अधिक	0	0	0.00	74	141365297	87.75	60	1330737	0.83	134	142696034	88.58
	कुल योग	7333	3422458	2.12	17892	148225926	92.00	38373	9452916	5.88	63598	161101300	100.00

31 मार्च, 2025 तक शेयरहोल्डिंग का वितरण निम्न प्रकार है:

31 मार्च, 2025 तक शेयरहोल्डर्स का वर्ग निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	श्रेणी	भौतिक				इलेक्ट्रोनिक				कुल योग			
		धारकों की संख्या	धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर का %	धारकों की संख्या	धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर का %	धारकों की संख्या	धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर का %
1	बैंक	13	0.02	34,600	0.02	0	0.00	0	0.00%	13	0.02	34600	0.02
2	कॉर्पोरेट निकाय	77	0.12	119500	0.07	150	0.24	682006	0.42	227	0.36	801506	0.50
3	क्लियरिंग सदस्य	0	0.00	0	0.00	4	0.01	4617	0.00	4	0.01	4617	0.00
4	कर्मचारीगण	68	0.11	56400	0.04	0	0.00	0	0.00	68	0.11	56400	0.04
5	विदेशी प्रमोटर	0	0.00	0	0.00	1	0.00	41516500	25.77	1	0.00	41516500	25.77
6	सरकार/प्रकोटर	0	0.00	0	0.00	1	0.00	95851700	59.50	1	0.00	95851700	59.50
7	एल.एल.पी.	0	0.00	0	0.00	9	0.01	11105	0.01	9	0.01	11105	0.01
8	म्युचुअल फंड	1	0.00	2400	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	2400	0.00
9	एन.आर.आई	0	0.00%	0	0.00	422	0.66	575790	0.36	422	0.66	575790	0.36
10	एचयूएफ	0	0.00	0	0.00	580	0.91	512168	0.32	580	0.91	512168	0.32
11	ट्रस्ट	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1600	0.00	1	0.00	1600	0.00
12	विदेशी प्रोफो इनवी कार्पो 1 व 2	0	0.00	0	0.00	6	0.01	42862	0.03	6	0.01	42862	0.03
13	एन.एफ.बी.सी	0	0.00	0	0.00	2	0.00	40000	0.02	2	0.00	40000	0.02
14	अनिवासी भारतीय	7174	11.28	3209558	1.99	55088	86.62	18439994	11.45	62262	97.90	21649552	13.44
15	व्यक्ति का संघ	0	0.00	0	0.00	1	0.00	500	0.00	1	0.00	500	0.00
	कुल योग	7333	11.53	3422458	2.12	56265	88.47	157678842	97.88	63598	100	161101300	100

31 मार्च,2025 - मोड-वार शेयरधारक

मोड़	गणना	शेयर	%
भौतिक	7,333	34,22,458	2.12
एन.एस.डी.एल.	17,892	14,82,25,926	92.00
सी.डी.एस.एल.	38,373	94,52,916	5.88
कुल योग	63,598	16,11,01,300	100

श्रेणी	गणना	शेयरा	%
भारत सरकार	1	9,58,51,700	59.50
नफ़तिरन इंटर ट्रेड कंपनी लिमिटेड (एन.आई.सी.ओ.)	1	4,15,16,500	25.77
अन्य	62,071	2,37,33,100	14.73
महा योग	62,073	16,11,01,300	100

शेयरों का अभौतिकीकरण:

एम.एफ.एल.की एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. दोनों के साथ साझा सम्बंध है।

आई.एस.आई.एन. संख्या: आई.एन.ई.414A01015

15,76,78,842 इक्विटी शेयरों (कुल शेयरों का 97.88% का प्रतिनिधित्व) 31 मार्च, 2025 तक अभौतिकीकरण कर दिया गया है। शेयरधारकों की संख्या के संदर्भ में, 88.47% शेयरधारकों ने अपने शेयरों को डीमट कर दिया है।

बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई भी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

आज तक,कंपनी ने जीडीआर,एडीआर या कोई अन्य परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है और इसलिए, कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संयंत्र स्थान: मणलि, चेन्नै 600 068

पत्राचारा पता:

जे श्रीनिवास सरवणन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै 600 068

फ़ोन: 044 2594 2281 / 044 25945489

ईमेल: cs@madrasfert.co.in, cosec@mad asfertc ib n

अनुपालन::

एम.एफ.एल. के बोर्ड में दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, कंपनी ने उर्वरक विभाग से उन्हें जल्द से जल्द नियुक्त करने का अनुरोध किया।

वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गए शुल्क:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क ₹ 30 लाख था।

कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र, जो पुष्टि करता है कि निदेशकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:

कंपनी को किसी कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं किया गया है और ऐसा प्रमाण पत्र श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या - एफ.सी.एस. 6773) से प्राप्त किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी हमेशा से कंपनी में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने में विश्वास करती रही है। कंपनी ने उपरोक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों, जिनमें आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन भी शामिल है, का अनुपालन किया है।

क.वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - शून्य

ख.वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - शून्य

ग.वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य

विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधि:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा नगण्य है और इसलिए जोखिम उत्पन्न नहीं हुआ।

सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें निगमन की तिथि और स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तिथि शामिल है।

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, यह लागू नहीं होता।

बुक क्लोजर:

बुक क्लोजर की अवधि 18 सितंबर, 2025 से 24 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सहित) तक है। (वार्षिक आम बैठक की तिथि निर्धारित करने के बोर्ड के निर्णय पर आधारित)

ऐसे महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण जो समग्र रूप से सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित रूप से बादा पैदा कर सकते हैं।

सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन एओसी-2 के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए हैं, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, जिसका अनुलग्नक है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सूचीबद्ध इकाई द्वारा गैर-अनुपालन, दंड, स्टॉक एक्सचेंज(ओं) या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया है।

सतर्कता तंत्र की स्थापना, व्हिसल ब्लोअर नीति का विवरण।

बोर्ड द्वारा अपनाई गई नीति वेबसाइट https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/Whistle-Blower-Policy.pdf पर उपलब्ध है; इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

वेब लिंक जहाँ महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के लिए नीति का खुलासा किया गया है।

कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए यह नीति लागू नहीं होती है।

वेब लिंक जहाँ संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति दी गई है

यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/Related-Party-Transaction-Policy.pdf पर देखा जा सकता है।

अधिमान्य आवंटन के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू नहीं।

विवरण जहाँ समिति की सिफ़ारिश बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया।

सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी का विवरण

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनी द्वारा उन कंपनियों/फर्मों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रकटीकरण जिनमें निदेशकों की रुचि है।

जिन कंपनियों/फर्मों में निदेशकों की रुचि है, उन्हें ऐसा कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।

कार्यरत कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र जिसमें पुष्टि की गई हो कि निदेशकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है

कंपनी द्वारा कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से

वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और यह प्रमाण पत्र कार्यरत कंपनी सचिव श्री सुब्रमणियन चंद्रशेखर (सदस्यता संख्या - एफ.सी.एस. 6773) से प्राप्त किया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव श्री सुब्रमणियन चंद्रशेखर (सदस्यता संख्या - एफ.सी.एस. 6773) से एक अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

आचार संहिता पर सीईओ द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आचार संहिता का वार्षिक अनुपालन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से प्राप्त किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

अन्य प्रकटीकरण

क. आपकी कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कमोडिटी मूल्य के संपर्क में नहीं है, इसलिए कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों पर प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने तरजीही आवंटन या सार्वजनिक निर्गम या राइट्स इश्यू या योग्य संस्थानों के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 32(4) और 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

ग. बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश का विवरण बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी पर लागू नहीं।

घ. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उन फर्मों/कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण/अग्रिम प्रदान नहीं किया जिनमें निदेशकों की रुचि हो (अधिनियम की धारा 184(2) के अनुसार)।

ड. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46(2) के खंडों की आवश्यकताओं का, जहाँ तक कंपनी पर लागू है, इस रिपोर्ट में प्रकट रूप से अनुपालन किया गया है।

च. आपकी कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट समीक्षा के लिए तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

छ. लेखांकन पद्धति का प्रकटीकरण: आपकी कंपनी ने भारतीय लेखा मानक इंड एएस से भिन्न कोई वैकल्पिक लेखांकन पद्धति नहीं अपनाई है।

ज. आपकी कंपनी ने निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया है।

झ. कंपनी के वैधानिक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा राय वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपरिवर्तित है।

ट. कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक नियमित आधार पर अपनी रिपोर्टों पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुतियाँ देते हैं।

सूचीबद्ध संस्थाओं पर बाध्यकारी कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण:

कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करने वाला या कंपनी पर कोई प्रतिबंध लगाने वाला या कोई दायित्व उत्पन्न करने वाला कोई समझौता नहीं है।

बोर्ड की ओर से
हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन: 10690782

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 12 अगस्त, 2025,

कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र
[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड-ई और विनियम 34 (3) के अनुसरण में]

सदस्यगण,

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि,चेन्नै - 600 068

मैंने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड** द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी जाँच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि कंपनी ने उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना, समितियों की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी और कंपनी सचिव की नियुक्ति में देरी हुई थी। हालाँकि, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसने सेबी (एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन करने हेतु पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार के उर्वरक विभाग के समक्ष मामला उठाया है।

मैं आगे यह भी कहना चाहता/चाहती हूँ कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

हस्ताक्षरकर्ता/-
सुब्रमणियन चंद्रशेखर
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 6773/सीओपी संख्या 13761
यूडीआईएन: F006773G000952751.
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2902/2023

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 07-08-2025

अनुबंध - IV

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सतत रिपोर्टिंग प्रारूप

खंड क : सामान्य जानकारी

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.)	:	L32201TN1966GOI005469
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम	:	MADRAS FERTILIZERS LIMITED
3	निगमन का वर्ष	:	1966
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	:	पोस्ट बैग नंबर 2, मणलि, चेन्नै 600068
5	कॉर्पोरेट पता	:	पोस्ट बैग नंबर 2, मणलि, चेन्नै 600068
6	ईमेल	:	cs@madrasfert.co.in/cosec@madrasfert.co.in
7	दरभाष	:	25942489 / 25945203
8	वेबसाइट	:	www.madrasfert.co.in
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्ट की जा रही है	:	2024-25
10	स्टॉक एक्सचेंज (जों) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	:	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.)
11	प्रदत्त पूंजी	:	₹ 161.10 करोड़
12	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बी.आर.एस.आर. रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	:	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मणलि, चेन्नै 600068 दूरभाष: 044-25942281 / 25945489
13	रिपोर्ट करने की सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर (अर्थात के वल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया)।	:	एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर

II. उत्पाद और सेवाएँ

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% का लेखांकन):

क्रमांक	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण	इकाई के टर्नओवर का%
1.	उर्वरक उत्पादन और विपणन	नीम लेपित यूरिया और एनपीके 17-17-17 जटिल उर्वरकों / जैव / कृषि / जैविक और सिटी खाद का उत्पादन और विपणन	100%

15. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार का 90% का लेखांकन)

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एन.आई.सी. कोड	कुल कारोबार का योगदान%
2.	नीम लेपित यूरिया	20121	99%

III. संचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्थान के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	1	13*	14
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-

* केवल क्षेत्रीय/बिक्री कार्यालय एवं बायो प्लांट कार्यालय

17. द्वारा सेवित बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	7 (5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश)
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्ति :

एम.एफ.एल. विभिन्न श्रेणियों में लगभग 5418 डीलरों के नेटवर्क के साथ भारत के दक्षिणी राज्यों में अपने उत्पादों की बिक्री करता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	बेरोजगार	सरकारी	पूर्व सैनिक	शारीरिक रूप से विकलांग	सहकारी	थोक क्रेता	अन्य	कुल
3523	1406	220	33	5	0	8	214	2	1	5418

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगजन सहित):

क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	%(ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
कर्मचारीगण						
1.	स्थायी (घ)	261	237	90.80%	24	9.19%
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	शून्य				
3.	कुल कर्मचारीगण (घ+ङ)	261	237	90.80%	24	9.19%
श्रमिकगण						
4.	स्थायी (च)	141	135	95.74%	6	4.25%
5.	स्थायी के अलावा (छ)	0	0	0	0	0
6.	कुल श्रमिकगण (च + छ)	141	135	95.74%	6	4.25%

ख. दिव्यांग कर्मचारी और मजदूर:

क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	%(ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (च)	4	4	100%	0	0
2.	स्थायी के अलावा (छ)	शून्य				
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारीगण (घ+ङ)	4	4	100%	0	0
	दिव्यांग श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	0	0	100%	0	0
5.	स्थायी के अलावा (छ)	शून्य				
6.	कुल श्रमिकगण (च + छ)	0	0	100%	0	0

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	संख्या और महिलाओं का प्रतिशत	
		संख्या (ख)	%(ख/क)
निदेशक मंडल	9	2	20.22
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	4	-	शून्य

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों का टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों का रुझान प्रकट करें)

	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर			वित्त वर्ष 2023-24 (पिछले वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2022-23 (पिछले वित्त वर्ष में कारोबार दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	-0.06	0.08	-0.05	0.13	0.04	0.12	0.12	0.10	0.11
स्थायी श्रमिक	0.27	0.29	0.28	0.03	0.00	0.03	0.02	0.12	0.03

V. धारक, सहायक और सहयोगी कं पनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक / सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यमों का नाम

क्रमांक	धारक, सहायक और सहयोगी कंपनी का नाम (क)	सहायक/सहयोगी कं पनियाँ/संयुक्त उद्यम इंगित करें	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ ए में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
लागू नहीं				

VI. सी.एस.आर. विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. लागू है:(हां/नहीं)- हां

(ii) कारोबार (रुपये में) : 2,585.81 करोड़

(iii) निवल कीमत (रुपये में) : (32.30)

(iv) सी.एस.आर. के रूप में खर्च की गई राशि : शून्य

कंपनी ने पिछले वर्षों में सी.एस.आर के रूप में अतिरिक्त राशि खर्च की है और इसलिए इसका उपयोग सेट ऑफ के लिए किया जा रहा है।

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर फरिया / शिकायतें:

हितधारक समूह जिनसे फरियाद प्राप्त हुई	शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं)	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछले वित्तीय वर्ष		
	(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पण	वर्ष के दौरान दर्ज की गई फरियादों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित फरियादों की संख्या	टिप्पण
समुदाय	हाँ www.madrasfert.co.in	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरधारक	हाँ www.madrasfert.co.in	820	शून्य	शून्य	222	शून्य	शून्य
कर्मचारी और मजदरू	हाँ www.madrasfert.co.in	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग्राहक	हाँ www.madrasfert.co.in	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य
मूल्य शृंखलाभागीदार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य (कृपया उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रदान करते हैं, इसकी पहचान करने हेतुतर्क, जोखिम न्यूनीकरण करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभावों के अनुसार, निम्नलिखित के अनुसार प्रारूप:

क्र.सं.	पहचान की गई सामग्री	इंगित करें कि क्या जोखिम/अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए दृष्टिकोण	जोखिम के मामले में, जोखिम न्यूनीकरण करने या कम करने के दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर पर वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक इंगित करें)
1	उर्वरकों हेतु कच्चे माल की कीमत की अस्थिरता	जोखिम और अवसर	उर्वरकों की मांग में वृद्धि	नेप्था से आर.एल.एन.जी. में फीड स्टॉक के परिवर्तन से यूरिया के उत्पादन की लागत में काफी कमी आएगी और उत्पाद विविधीकरण रणनीतियाँ भी पाइपलाइन में हैं।	सकारात्मक भारी मांग और आयात निर्भरता व्यापार विस्तार के अवसर प्रदान करती है।

खंड ख. प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एन.जी.आर.बी.सी. सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की ओर स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

पी 1	व्यवसायों द्वारा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेही से ईमानदारी के साथ संचालन करना
पी 2	व्यवसायों द्वारा टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से सामान और सेवाएँ प्रदान करना
पी 3	व्यवसायों द्वारा उनकी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना
पी 4	व्यवसायों द्वारा अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना और उनके प्रति उत्तरदायी होना
पी 5	व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना
पी 6	व्यवसायों द्वारा पर्यावरण का सम्मान करने, बहाल करने, रक्षा और प्रयास करना
पी 7	व्यवसाय द्वारा जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो उन्हें जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना
पी 8	व्यवसायों द्वारा समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना
पी 9	व्यवसायों द्वारा अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार और मूल्यवान तरीके से जुड़ना

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नैतिकता और पारदर्शिता	उत्पादन का उत्तरदायित्व	मानव संसाधन	हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व	मानव अधिकारों का सम्मान	जिम्मेदार ऋण	सार्वजनिक नीति वकालत	समावेशी विका	ग्राहक से जुड़ाव
नीति और प्रबंधन प्रक्रिया								

1. क. क्या आपकी संस्थान की नीति/ नीतियों में एन.जी.आर.बी.सी. के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्व शामिल हैं। (हां/ नहीं)^	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
क्या नीति को बोर्ड द्वाराअनुमोदन प्राप्त है? (हां/नहीं) {नोट 1 का संदर्भ लें}	कंपनी की नीतियों को बोर्ड के प्रतिनिधिमंडलों के अनुसार अनुमोदित या सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है।								
यदि उपलब्ध है, तो नीतियों का वेब लिंक	www.madrasfert.co.in कुछ नीतियों में कंपनी की आंतरिक नीतियों का संयोजन भी शामिल कर सभी आंतरिक हितधारकों को सुलभ अवलोकन हेतु कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।								
क्या संस्थान ने नीति का प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया है। (हां नहीं)	हाँ, कंपनी ने लागू नीतियों का परिवर्तन किया है और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में उन्हें शामिल किया है।								
क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तृत हैं?	हाँ, कंपनी की आचार संहिता काफी हद तक उपर्युक्त सिद्धांतों को आत्मसात करती है और कंपनी अपने हितधारकों से इसका पालन करने की अपेक्षा बी करती है।								
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों के नाम बताएँ	लागू नहीं								

5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, गंतव्य, लक्ष्य

1. सभी प्रकार के तैयार उर्वरक उत्पादों का व्यापार
2. नया ब्राउनफील्ड अमोनिया / यूरिया संयंत्र

6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, गंतव्यों और लक्ष्यों के खिलाफ इकाई का प्रदर्शन

कंपनी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है

7. ई.एस.जी. से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट हेतु जिम्मेदार निदेशक का बयान

कंपनी का मुख्य उद्देश्य देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना है। साथ ही कंपनी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों पर अपने उचित परिश्रम को बढ़ा रही है और प्राकृकि संसाधनों केबेकार उपयोग को हतोत्साहित करती है। नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होने वाले मध्यम से दीर्घकालिक लाभों की मान्यता है और कंपनी अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने का प्रयासरत है।

8	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (ओं) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकरण का विवरण।	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
9	क्या संस्थान के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है?	हाँ। कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन, कंपनी के सामाजिक, पर्यावरण, शासन और आर्थिक जिम्मेदारियों के विभिन्न पहलुओं की निरंतर निगरानी करते हैं। कंपनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व निष्पादन की वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। कंपनी के बी.आर. प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड की निम्नलिखित समितियों द्वारा किया जाता है: (i) लेखा परीक्षा और शासन समिति; (ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति; (iii) हितधारक संबंध समिति; (iv) जोखिम प्रबंधन समिति; (v) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

10. जिम्मेदार व्यापार आचरण (एन.जी.आर.बी.सी.) पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की समीक्षा का विवरण

समीक्षा के लिए विषय	द्वारा किए गए सिद्धांतों और आवत्ति की समीक्षा
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	एक प्रथा के रूप में, कंपनी की बी.आर. नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर समीक्षा करने हेतु योजनबद्ध है।
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	कंपनी मौजूदा नियमों के अनुपालन में है।

11. क्या संस्थान ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्या निर्धारण किया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम प्रदान करें।

हां, प्रक्रियाएँ और अनुपालन, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच और नियामक अनुपालन, जैसा लागू हो, के अधीन हैं।

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताए: लागू नहीं

खंड ग: सिद्धांत के अनुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य इकाईयों के प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को दर्शाने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा करने की उम्मीद की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन इकाइयों द्वारा दिए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपने अनवेषण में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत - 1

व्यवसायों द्वारा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेही से ईमानदारी के साथ संचालन करना

1. वित्तीय वर के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए प्रतिशत:

आवश्यक संकेतक

खंड	प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	0	लागू नहीं	0
प्रमुख प्रबंधकीय	01	एफएआई वार्षिक संगोष्ठी 2024	100
निदेशक मंडल और के.एम.पी. के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी	25	राष्ट्र 2024 40वां एनआईपीएम सम्मेलन, सेवाओं में रोस्टर और आरक्षण पर कार्यशाला, राजभाषा सम्मेलन, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं के लिए कार्यशाला, एफएआई वार्षिक संगोष्ठी 2024, दुर्घटना कारण निवारण और जाँच, ऊर्जा संरक्षण और सी.ओ.2 उत्सर्जन में कमी पर जापान-भारत व्यापार मंच, रसायन और पेट्रोरसायन औद्योगिक सुरक्षा, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जीवनशैली संबंधी रोग और उनकी रोकथाम, नैतिकता और शासन एवं आचरण नियमों पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम, 5एस पर कार्यशाला, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, सेवानिवृत्ति योजना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, टीबी उन्मूलन अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रबंधकीय योग्यता निर्माण, कार्यस्थल में आत्म-विकास और अधीनस्थ संबंध	100

मजदूर	7	सुरक्षा प्रबंधक कार्यान्वयन और रखरखाव। सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ और उनकी रोकथाम, 5एस पर कार्यशाला, कार्यस्थल पर आत्म-विकास और अधीनस्थ संबंध टीबी उन्मूलन अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रेरणादायक जागरूकता सत्र	100

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने/ दंड/ पुरस्कार/ कंपाउंडिंग शुल्क/ निपटान राशि का विवरण (संस्थान या निदेशकों/ के.एम.पी.द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में (नोट: इकाई सेबी (सू- चीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के नियम 30 मेंनिर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण:

मौद्रिक				
	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियाँ/ न्यायिक संस्थानों का नाम	**राशि (आई. एन.आर. में)**	**विषय का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील की गई है? (हां नहीं)**
दंड/जुर्माना	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	1,82,900	एल.ओ.आर.डी के अनुसार बोर्ड का गठन	नहीं
भुगतान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंड शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर-मौद्रिक				
	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियाँ/ न्यायिक संस्थानों का नाम	**राशि (आई. एन.आर. में)**	**विषय का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील की गई है? (हां नहीं)**
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण, जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

केस विवरण	**नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियाँ /न्यायिक संस्थानों का नाम**
शून्य	शून्य

4. संस्थान के पास क्या भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो तो नीती का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, हमारे पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है और यह www.madrasfert.co.in पर उपलब्ध है।

5. निदेशकों/के.एम.पी./कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

	वित्त वर्ष 2024-25	**वित्त वर्ष** 2023-24
निदेशक	शून्य	शून्य
के .एम.पी.	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य

6. हितों के बादा के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के बीच हितों के बादा के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
के .एम.पी. के बीच हितों के बादा के मुद्दों के संबंध में प्राप्त की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

7. भ्रष्टाचार और हितों के बादा के मामलों पर दंड/जुर्माना/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। .

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)
अन्य	शून्य	शून्य

2. क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़ेहितों के टकराव से बचने/प्रबंधन हेतु संस्थान के पास प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत – 2

व्यवसायों द्वारा टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से सामान और सेवाएँ प्रदान करना

आवश्यक संकेतक

1. इकाई द्वारा अनुसंधान और विकास पर किए गए कुल पूंजी व्यय (कैपेक्स) निवेश। उत्पाद और प्रक्रिया के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान और विकास	शून्य	शून्य	-
कैपेक्स	शून्य	40.82%	-

2. क. क्या स्थायी स्त्रोत हेतु संस्थान के पास प्रक्रियाएँ हैं? (हां नहीं)

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निवेशों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया? लागू नहीं

3. अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए उसके जीवन काल के अंत में पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।

रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

   नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्थान ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग हेतु) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग हेतु) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एल.सी.ए.) आयोजन किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एन.आई.सी. कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर योगदान का %	जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/ मूल्यांकन की सीमा	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया (हां/नहीं)	क्या परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित किया गया (हां/नहीं) यदि हाँ, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
शून्य					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएँ और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एल.सी.ए.) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसका कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई%
शून्य		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री में से पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
शून्य	-	-

4. उत्पादों के जीवनकाल के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मैट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुन: उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान का विवरण:

	वित्त वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	पुन: उपयोगकृत	नर्चक्रण	सुरक्षित रूप से निपटारा	पुन: उपयोगकृत	नर्चक्रण	सुरक्षित रूप से निपटारा
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई-अपशिष्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
खतरनाक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य अपशिष्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी का पुनः दावाकृत उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी इंगित करें	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % पुनः दावाकृत उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
शून्य	शून्य

सिद्धांत – 3

व्यवसायों द्वारा उनकी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी कल्याण उपायों का विवरण :

कवर किए गए कर्मचारियों का %											
श्रेणी	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (बी	कवर की गई %	संख्या (बी)	कवर की गई %	संख्या (बी	कवर की गई %	संख्या (बी)	कवर की गई %	संख्या (बी)	कवर की गई %
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	372	372	100	372	100	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	शून्य	शून्य
महिला	30	30	100	30	100	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
कुल	402	402	100	402	100					शून्य	शून्य
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	1600	1600	100	1600	97.59	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महिला	70	70	100	70	5.41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1670	1670	100	1670	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवनिवत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों में से शामिल कर्मचारियों की संख्या का %	कुल श्रमिकों में से शामिल श्रमिकों की संख्या का %	काटौती कर प्राधिकरण के पास जमाकृत हाँ/नहीं/लागू नहीं	कुल कर्मचारियों में से शामिल कर्मचारियों की संख्या का %	कुल श्रमिकों में से शामिल श्रमिकों की संख्या का %	काटौती कर प्राधिकरण के पास जमाकृत हाँ/नहीं/लागू नहीं
पी.एफ	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ग्रेच्युटी	100	-	लागू नहीं	100	-	लागू नहीं
ई.एस.आई	-	100	हाँ	-	100	हाँ

अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	सेवानिवृत्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति, पीएफ और एलआईसी पेंशन और परोपकारी निधि	100	लागू नहीं	सेवानिवृत्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति, पीएफ और एलआईसी पेंशन और परोपकारी निधि	लागू नहीं	लागू नहीं

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या इकाई के परिसर/कार्यालयों की पहुंच विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्थान द्वारा कोई कदम उठाया गया है।

हाँ।

4. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्थान के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ।.

5. पैतृक अवकाश (पेरेंटल छुट्टी) लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर। स्थायी कर्मचारी

	स्थायी कर्मचारी	
लिंग	कार्य पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%
महिला	100%	100%
कुल	100%	100%

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हाँ आंतरिक शिकायत समिति (आईजीसी) यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला कर्मचारियों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (सीसी)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघ का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ श्रमिकों कीसंख्या, जो संघ का हिस्सा हैं (ख)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	261	242	92.72	256	233	91.02
पुरुष	237	218	91.98	230	209	90.87
महिला	24	24	100	26	24	92.31

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय		कौशल संवर्धन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय		कौशल संवर्धन पर	
		सं. (ख)	%(ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	156	31	19.87	125	80.13	55	32	58.18	23	41.81
महिला	65	20	30.77	45	69.23	2	1	50	1	50
कुल	221	51	23.08	170	76.92	57	33	57.83	24	42.10
श्रमिक										
पुरुष	55	23	41.82	32	58.18	33	33	100	-	-
महिला	9	04	44.44	5	55.56	-	-	-	-	-
कुल	64	27	42.19	37	57.81	33	33	100	-	-

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	सं. (ख)	%(ख/क)	सं. (ग)	सं. (ङ)	% (ग/घ)
कर्मचारी						
पुरुष	156	156	100	55	55	100
महिला	65	65	100	2	2	100
कुल	221	221	100	57	57	100

श्रमिक						
पुरुष	55	55	100	33	33	100
महिला	9	9	100	0	0	0
कुल	64	64	100	33	33	100

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्थान में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं।)। यदि हां, तो ऐसी प्रणालियों का कवरेज ?

हाँ। कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नीति है। कर्मचारियों को समय-समय पर आंतरिक संचार और अलर्ट भेजे जाते हैं और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों को बुनियादी और उन्नत अग्निशमन सुरक्षा पर समय-समय पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें निकासी अभ्यास भी शामिल है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्थान द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएँ क्या हैं?

कंपनी कार्यालय परिसर में होने वाले संक्रमण के जोखिमों को पहचानती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी ने कार्यालयों में आवश्यक सावधानियां बरतीं, जिसमें सभी कार्यालय परिसरों की स्वच्छता, बायोमेट्रिक स्कैनर को हटाना, थर्मल स्कैनर की स्थापना, दैनिक संचार अपडेट और सामान्य क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां, मनोरंजक सुविधाओं को बंद करना और इससे बचना शामिल था। बड़ी सभाएँ कंपनी ने सभी सरकारी निर्देशों का भी पालन किया और अपने कर्मचारियों को यात्रा और स्वास्थ्य सलाह जारी की।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को बचाने हेतु प्रक्रियाएँ हैं। (हाँ/नहीं)

कंपनी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल और सिस्टम हैं कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता है ।

घ. क्या संस्थान के कर्मचारियों/श्रमिकों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां नहीं)

हाँ

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण प्रदान करें:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजुरी फ़्रीक्वेंसी रेट (एल.टी.आई. एफ.आर.) (प्रति दस लाख-व्यक्ति कार्य घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	1.83	2.10
रिकॉर्ड योग्य कुल कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	1	1

कर्मचारी मृत्यु संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	1
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़ कर	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख करें।

कंपनी अपने परिसर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और तीसरे पक्ष के कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल बनाए रखने पर महत्व देती है। कंपनी अपने सभी कार्यालयों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के प्रदर्शन का आकलन करती है। कुछ कर्मचारियों को अग्निशमन सुरक्षा और निकासी अभ्यास पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय परिसर में अग्निशमन अभ्यास और लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			**वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)**		
	वर्ष के दौरान दायर	**वर्ष के अंत में लंबित उपाय**	**टिप्पण**	**वर्ष के दौरान दायर**	**वर्ष के अंत में लंबित उपाय**	**टिप्पण**
कार्यरत स्थितियाँ	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
स्वास्थ्य & सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

14. वर्ष का आकलन :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	100% संयुक्त निदेशक, औद्धोगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (डी.अई.एस.एच.) द्वारा अक्सर दौरा)
कार्यरत स्थितियाँ	100% (नियमित अंतराल पर ऑन-साइट मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है) हालहि में, 20.03.2025 ऑन-साइट मॉक ड्रिल आयोजित की गई

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए उठाई गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

जुलाई 2024 के दौरान सुरक्षा ऑडिट किया गया।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हाँ/नहीं) (ख) श्रमिकों (हाँ/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में किसी भी जीवन बीमा या किसी क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है।

   हाँ।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया काट कर जमा किए जाने हेतु इकाई द्वारा किए गए उपायों को प्रदान करें।

   कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के प्रेषण के भीतर लेनदेन पर लागू वधै ानिक देय राशि की कटौती और मौजूदा नियमों के अनुसार जमा की जाए। इस गतिविधि की समीक्षा आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा भाग में प्रदान की गई है

3. उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें, जिन्हें काम से संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है

श्रेणी	**कुल प्रभावित कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या**		**उन कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है**	
	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	**वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	1	1	शून्य

4. क्या संस्था सेवानिवत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरिय पश्चात्ग प्रबंधन की सुविधा के लिए परिवर्तनकाल सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां नहीं)

   नहीं

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य शृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ जिनके साथ मूल्य के अनुरूप कारोबार किया गया हो) मूल्यांकन किया गया है
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	कंपनी अपने सभी मूल्य श्रृंखला भागीदारों से स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों सहित मौजूदा नियमों का पालन करने की अपेक्षा करती है।
काम करने की स्थिति	

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दर करने के लिए की गई चलाई जा रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

सिद्धांत – 4

व्यावसायिक द्वारा अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना और उनके प्रति उत्तरदायी होना

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

   कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्था का समूह जो कंपनी की व्यापार श्रृंखला में मूल्य जोड़ता है उसे एक मुख्य हितधारक के रूप में पहचाना जाता है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी,शेयरधारक और निवेशक, ग्राहक आदि शामिल हैं।

2. अपनी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवत्ति की सूची प्रदान करें।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ / नहीं	संचार के चैनल (ईमेल, एस.एम. एस., समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कार्य की आवृत्ता (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक) /अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंतंओं सहित कार्य का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारक / निवेशक	नहीं	ईमेल,एस.एम.एस., समाचार पत्र विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक आम बैठकें, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक / त्रैमासिक वित्तीय और निवेशक बैठकें / सम्मेलन	वार्षिक	कंपनी में विकास के लिए उत्सुक
ग्राहक	नहीं	एकाधिक चैनल- भौतिक और डिजिटल	अक्सर और आवश्यकता आधारित	पहुंच बढ़ाने और व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है
कर्मचारी	नहीं	प्रत्यक्ष और अन्य संचार तंत्र	नियमित रूप से	कंपनी में विकास और दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए बने रहना

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक परिर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श की प्रक्रियाएँ प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्या- योजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबक कैसे प्रदान किया जाता है।

   कंपनी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि ऊसँके प्रमुख हितधारकों के साथ एक निरंतर और सक्रिय जुड़ाव, कंपनी को अपनी रणनीतियों और प्रदर्शन को बेहतर ढंग से संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। निरंतर जुड़ाव अपेक्षाओं को संरेखित करने में मदद करता है, जिससे कंपनी को अपने हितधारकों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलती है।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया हो।

   ई.एस.जी. के विभिन्न विकसित पहलुओं पर यह अभी भी 'सीखने के चरण' में है और इसलिए हितधारकों से बातचीत महत्वपूर्ण है।

3. कमजोर/हाशिए के हितधारक समूहों की चिंताओं को दर करने के लिए उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों और उनके लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

   शून्य

सिद्धांत – 5

व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिकों जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्थायी के अलावा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक						
स्थायी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्थायी के अलावा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदरूी का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष						वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष			
	कुल (क)	न्यूनतम मजदरूी के बराबर		न्यूनतम मजदरूी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदरूी के बराबर		न्यूनतम मजदरूी से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं (ग)	% (ग/क)		सं (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी के अलावा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रमिक										
स्थायी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी के अलावा	1670	1670	100	-	-	1870	1870	100	-	-
पुरुष	1600	1600	100	-	-	1800	1800	100	-	-
महिला	70	70	100	-	-	70	70	100	-	-

3. निम्न प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदरूी का विवरण प्रदान करें:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक / वेतन / संबंधित श्रेणी की मजदूरी (लाख रुपये में)	संख्या	औसत पारिश्रमिक / वेतन / संबंधित श्रेणी की मजदूरी (लाख रुपये में)
निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.)	1	30.23	0	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2	30.83	0	-
बी.ओ.डी. और के .एम.पी. के अलावा अन्य कर्मचारी	234	35.05	29	24.84
श्रमिक	135	22.79	6	17.45

4. क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदानकृत मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने हेतु जिम्मेदार (व्यक्ति / समिति) है (हां / नहीं)

   हाँ

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

   कंपनी मानवाधिकारों के सम्मान को अपने मौलिक और मूल मूल्यों में से एक मानती है और इसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्पक्ष और नैतिक व्यवसाय और रोजगार प्रथाओं का पालन किया जाए, मानवाधिकारों का समर्थन, सुरक्षा और बढ़ावा देने का प्रयास करती है। कंपनी जातीयता, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता, कार्य, पदनाम और ऐसे अन्य मापदंडों के बावजूद सभी के लिए एक सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण व्यावसायिक वातावरण और कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पण	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पण
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रमिक / अनैच्छिक श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मजदूरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य मानव अधिकार संबंधित मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने हेतुतंत्र।

   कंपनी सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है और नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, मूल, धर्म, आयु, विकलांगता, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति (ट्रांसजेंडर पहचान सहित) के आधार पर भेदभाव, राजनीतिक राय, चिकित्सा स्थिति, भाषा और / या उत्पीड़न के प्रति असहिष्णु है और लागू कानूनों द्वारा संरक्षित।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां नहीं)

हाँ, जहाँ भी, लागू हो

9. वर्ष के लिए आकलन

	संस्थान के संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
बाल श्रमिक	100% - वैधानिक अधिकारियों और तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन
जबरन / अनैच्छिक श्रमिक	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दर करने के लिए की गई चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार फरियादों/शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की गई व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

   व्यापार प्रक्रिया में कोई विचलन नहीं।

2. मानव अधिकार के बारे में उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज पर यथोचित परिश्रम का विवरण।

   100% - सभी कर्मचारियों को सही कर वैधानिक अधिकारियों और तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन।

3. क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्थान का परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ बनाया गया है?

   हाँ

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का% (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया हो
यौन उत्पीड़न	मूल्य श्रृंखला भागीदारों के संबंध में कुछ अनुबंधों के अलावा कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है, परंतु इनमें से कुछ मानकों पर बारीकी से निगरानी की रखी जा रही है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रमिक	
जबरन श्रमिक / अनैच्छिक श्रमिक	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

5. ऊपर प्रश्न 4 में आकलन के अनुसर महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दर करने के लिए की गई चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

सिद्धांत – 6

व्यवसायों द्वारा पर्यावरण का सम्मान करने, बहाल करने, रक्षा और प्रयास करना

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल बिजली खपत (क) जी कैल/एम.टी	0.5812	0.6197
कुल ईंधन खपत (ख) जी कैल/एम.टी.	1.8963	2.1144
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) जी कैल/एम.टी.	4.3971	4.8778
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) जी कैल/एम.टी.	6.8747	7.6118

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम प्रदान करें।

2. क्या संस्थान में भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पी.ए.टी.) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डी.सी.) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएँ हैं? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बताएँ कि क्या पी.ए.टी. योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

   लागू नहीं

3. पानी से संबंधित निम्नलिखित खुलासे का विवरण दिए गए प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकाले जाने का विवरण (किलोलीटर में)		
i. सतही जल	शून्य	शून्य
ii. भूजल	शून्य	शून्य
iii. तीसरे पार्टी से जल	शून्य	शून्य
iv. समुद्री जल / विलवणीकृत जल	306410.007	318358
v. अन्य (वाहित मल+टीटीआरओ)	4201298	3759389
पानी निकालने की कुल मात्रा (किलोलीटर में)(i + ii + iii+ iv + v)	4507708.007	4077747

4. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें।

   हमारी कंपनी में, संयंत्रों में उत्पन्न अपशिष्टों के उपचार के लिए निम्नलिखित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र हैं।

   1.कूलिंग वाटर ब्लोडाउन ट्रीटमेंट संयंत्र (कै प. 3840 के .एल.पी.डी.)

   संस्थान द्वारा लवण को हटाने और टी.डी.एस. को कम करने के लिए यू.एफ. झिल्ली प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। क्लोराइड और अन्य लवणों को और कम करने के लिए इस संयंत्र के आउटलेट को आरओ मेम्ब्रेनीट्री में डाला जाता है। इस संयंत्र से निकलने वाले पर्मेट को सीधे सी.डब्ल्यू. प्रणाली में डाला जाता है।

2. सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (कै प. 480 के एल.पी.डी.)

इस संयंत्र में स्टाफ और लेबर कैंटीन दोनों से सेनेटरी ओवरफ्लो और एफ्लुएंट्स का ट्रीत्मेंट किया जाता है। बी.ओ.डी. और सी.ओ.डी. को वातन विधि द्वारा कम किया जाता है और डी.एम.एफ. (ट्रीटेड वाटर) से गुजरने के बाद क्लेरिफायर ओवरफ्लो का उपयोग बागवानी के लिए किया जाता है।

3. अपशिष्ट उपचार संयंत्र (कै प. 360 के .एल.पी.डी.)

एन.पी.के. संयंत्रों से उत्पन्न अपशिष्टों को इस संयंत्र में उपचारित किया जाता है और उपचारित जल का उपयोग सेवा जल के स्थान पर स्क्रबर्स में किया जाता है, जिससे मेट्रो जल की बचत होती है।

4. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जी.एच.जी. उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

उपयोगिता बॉयलर

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एन.ओ.एक्स	एम.जी. / एन.एम^3	15.5	126
एस.ओ.एक्स.	एम.जी. / एन.एम^3	<1.0	बी.डी.एल
पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.)	एम.जी. / एन.एम^3	13	14

*** 110 ए.टी.ए बॉयलर**

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एन.ओ.एक्स	एम.जी. / एन.एम^3	36	81
एस.ओ.एक्स.	एम.जी. / एन.एम^3	<1.0	बी.डी.एल
पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.)	एम.जी. / एन.एम^3	8.8	13

*** पी.सी.-बॉयलर**

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एन.ओ.एक्स	एम.जी. / एन.एम^3	35	67
एस.ओ.एक्स.	एम.जी. / एन.एम^3	<1.0	बी.डी.एल
पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.)	एम.जी. / एन.एम^3	6.7	11

 # यूरिया प्रिल टॉवर डेमिस्टर

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एन.ओ.एक्स	एम.जी. / एन.एम^3	लागू नहीं	लागू नहीं
एस.ओ.एक्स.	एम.जी. / एन.एम^3	लागू नहीं	लागू नहीं
पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.)	एम.जी. / एन.एम^3	6	7
स्थायी जैविक प्रदूषक (पी.ओ. पी.)		लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वी- .ओ.सी.)		लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एच.ए. पी.)		लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य – एन.एच3		140	128

 # एन.पी.के.- सी ट्रैन

मानदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एन.ओ.एक्स	एम.जी. / एन.एम^3	संयंत्र चालू नहीं है	संयंत्र चालू नहीं है
एस.ओ.एक्स.	एम.जी. / एन.एम^3		
पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.)	एम.जी. / एन.एम^3		
स्थायी जैविक प्रदषूक (पी.ओ. पी.)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वी- .ओ.सी.)			
खतरनाक वायु प्रदषूक (एच.ए. पी.)			
अन्य – एन.एच3	एम.जी. / एन.एम^3		
अन्य – एफ	एम.जी. / एन.एम^3		

 # ये सभी विश्लेषण एमओईएफसीसी अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा किए गए थे

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मानदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जी.एच.जी का सी.ओ.2, सी.एच.4, एन2ओ, एच.एफ. सी.,पी.एफ.सी., एस. एफ.6, एन.एफ.3, यदि उपलब्ध हो, में विभाजित)	मैट्रिक टन सी.ओ.2 के समतुल्य	2.4 लाख मैट्रिक टन	1.96 लाख मैट्रिक टन
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जी.एच.जी का सी.ओ.2, सी.एच.4, एन2ओ, एच. एफ. सी.,पी.एफ.सी., एस.एफ.6, एन.एफ.3, यदि उपलब्ध हो, में विभाजित	मैट्रिक टन सी.ओ.2 के समतुल्य	-	-

7. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

हां, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित पट्टी क्षेत्र के विस्तार की परियोजना प्रगति पर है। हमने तमिलनाडु कुरुंगदुगल योजना विकास के तहत चरण-I के रूप में एम.एफ.एल के अंदर एक एकड़ भूमि पर 400 पौधे लगाए हैं और कुरुंगदुगल चरण-II में लगभग 500 पौधे लगाए जा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से अन्य 3 एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा।

यूटिलिटी बॉयलर में से एक में, ईंधन को ईंधन तेल से प्राकृतिक गैस फायरिंग में बदल दिया गया और अक्तूबर 2023 के दौरान चालू किया गया

8. संस्थान द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	शून्य	शून्य
ई-अपशिष्ट (बी)	पुनर्चक्रित	पुनर्चक्रित
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	शून्य	शून्य

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	लैंडफिलिंग के लिए पयोग किया गया	लैंडफिलिंग के लिए पयोग किया गया
बैटरी अपशिष्ट (ई)	शून्य	शून्य
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट (जी) i. खर्च किया हुआ उत्प्रेरक ii. इस्तेमाल किया हुआ तेल iii. तेल युक्त अवशेष iv. रासायनिक ड्रम	शून्य 9.05 मीट्रिक टन 12.9 मीट्रिक टन 500 नं.	3.42 मीट्रिक टन शून्य 17.88 मीट्रिक टन 1864 नं..
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)	शून्य	शून्य
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	21.95 मीट्रिक टन	21.3 मीट्रिक टन
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	शून्य	शून्य
(ii) पुनः उपयोग	शून्य	शून्य
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) जलाना	शून्य	शून्य
(ii) लैंडफिलिंग	शून्य	शून्य
(iii) अन्य डिस्पोज़ल ऑपरेशन	रीसाइक्लर को बेचा गया: उपयोग किया हुआ तेल -5.65 एम.टी. तेल - बचा हुआ हिस्सा -25.57 एम.टी. केमिकल ड्रम -1864 नं.	शून्य
कुल	31.22 एम.टी.	शून्य

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

निपटान की विधि	क	कतरनकृत और बिक्री - प्रयुक्त कागज और बेकार लकड़ी का स्क्रैप।
	ख	नीलामी द्वारा बिक्री: - धातुस्क्रैप, क्षतिग्रस्त उपकरण भागों, प्रयोग करने योग्य लकड़ी और खर्च किए गए उत्प्रेरक।
	ग	कम्पोस्टिंग:- कैंटीन से गीला कचरा
	घ	खर्च किए गए उत्प्रेरक वार्षिक टर्नअराउं ड के दौरान उत्पन्न होते हैं (उत्प्रेरक के प्रतिस्थापन की आवश्यकता के आधार पर 24 से 60 महीने में एक बार) और खर्च किए गए तले को सावधानीपूर्वक बंद ड्रमों में संग्रहीत किया जाता है और एस.पी.सी.बी. और एम.ओ.ई.एफ. दोनों से वैध प्राधिकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाता है। एच.डब्ल्यू रसायनों से दूषित तले और छोड़े गए कं टेनर/बैरल/लाइनर युक्त अपशिष्ट/ अवशेष भी उसी के माध्यम से बेचे जाते हैं।

10. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र, आदि) में संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें।

क्र.सं.	**संचालन/कार्यालयों का स्थान**	**संचालन का प्रकार**	**क्या पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण बताएँ और क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो।**
हाँ			

11. वर्तमान वर्ति वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्थान द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	**ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या**	**दिनांक**	**क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित (हाँ/नहीं)**	**सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संप्रेषित**	**प्रासंगिक वेब लिंक**
लागू नहीं					

12. क्या संस्थान भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियमों का अनुपालन करती है (हाँ/ नहीं) यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

क्र.सं.	**कानून/विनियम/दिशानिर्देशों को स्पष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया**	**गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें**	**प्रदूषन नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा की गई कोई जुर्माना/कार्रवाई**
-			

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
अक्षय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (क)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (ख)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	शून्य	शून्य
अक्षय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	शून्य	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ)	107386658 /वर्ष 0.58124 जीकाल/एमटी.	93712594 किलोवाट / वर्ष 0.6197 जीकाल/एमटी.
कुल ईंधन खपत (ङ) (एफओ+आरएलएनजी)	533.28 एमटी/ वर्ष + 114.92188 एम.एम. एस.सी.एम./वर्ष +2.36 एमटी (0.00964 जीकाल/एमटी.+ 1.88666 जीकाल/एमटी. +0.00005 जीकाल/एमटी. = 1.89635 जीकाल/एमटी.)	13718 मैट्रिक टन / वर्ष +91.540 एम.एम. एस.सी.एम./वर्ष (0.3031 जीकाल/एमटी. +1.8113 जीकाल/एमटी. = 2.1144 जीकाल/ एमटी.)
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (च) आरएलएनजी	267.843 एम.एम.एस.सी.एम./वर्ष 4.39714 जीकाल/एमटी.	246.517 एम.एम.एस.सी.एम./वर्ष 4.8778 जीकाल/एमटी.
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (घ+ङ+च)	6.8747 जीकाल/एमटी.	7.6118 जीकाल/एमटी.

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

2. पानी डिस्चार्ज से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य
(ii) भूजल के लिए	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य
(iii) समुद्री पानी के लिए	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य

- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया	162310 केएल	233970 केएल
- कोई उपचार नहीं	162310 केएल	233970 केएल
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल पानी डिस्चार्ज (किलोलीटर में)	162310 केएल	233970

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में)

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

i) क्षेत्र का नाम

(ii) संचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन का विवरण प्रदान करें:

मानदंड	**वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
सतही जल	शून्य	शून्य
भूजल	शून्य	शून्य
तीसरे पक्ष से प्राप्त वाटर	शून्य	शून्य
समुद्री जल / विलवकृत जल	306410.007	318358
अन्य (सीवेज+टीटीआरओ)	4201298	3759389
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	4507708.007	4077747
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	4281479	3921372
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मैट्रिक का चयन किया जाए	--	--
गंतव्य और उपचार स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
i. सतही जल	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
ii .भूजल के लिए	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
iii .समुद्री पानी के लिए	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य

- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
iv .तीसरे पक्ष को भेजा गया	162310 केएल	233970 केएल
- कोई उपचार नहीं	162310 केएल	233970 केएल
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
v. अन्य	शून्य	शून्य
- कोई उपचार नहीं	शून्य	शून्य
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल पानी डिस्चार्ज (किलोलीटर में)	162310 केएल	233970 केएल

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

4. कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण कृपया निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मानदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जी.एच.जी का सी.ओ.2, सी.एच.4, एन2ओ, एच.एफ. सी.,पी.एफ.सी.,एस.एफ.6, एन.एफ.3, यदि उपलब्ध हो, में विभाजित)	कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मैट्रिक टन	शून्य	शून्य
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन		शून्य	शून्य
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मैट्रिक का चयन किया जा सकता है		शून्य	शून्य

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए परिस्थिति के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

6. संस्थान द्वारा यदि कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहल से आये परिणाम का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्रमांक	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम
लागू नहीं			

7. क्या इकाई में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों में/वेब-लिंक प्रदान करें।
   खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात (एम.एस.आई.एच.सी.) नियम, 1989 और रासायनिक दुर्घटनाएँ (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) [सी.ए.(ई.पी.पी.आर.)] नियम, 1996 खतरनाक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रमुख खतरों को नियंत्रित करने के लिए एक वैधानिक संरचना प्रदान करते हैं। एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के विनियम 14(1) के लिए जिला प्राधिकारियों को एक ऑफ-साइट आपातकालीन योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली किसी भी प्रकार की आपात या आपदा से निपटने के लिए एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार प्रबंध और तैयारी सुनिश्चित करने हेतु ऑफ-साइट मॉक ड्रिल आयोजित करना उद्योगों की एक प्रथा है।

ऑफ-साइट मॉक ड्रिल से पूर्व संस्थान द्वारा दिनांक 16.06.2022 और 21.06.2022 को ऑन-साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त 22.06.2022 को जेड.डी-डी.आई.एस.एच., क्षेत्रीय उपायुक्त (उत्तर), एन.डी. आर.एफ. और ग्रेटर चेन्नै कॉरपोरेशन के आयुक्त द्वारा गठित जिला संकट समूह और मणलि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एम.आई.ए.) के सक्षम मार्गदर्शन में ऑफ-साइट मॉक ड्रिल आयोजित किए गए।

8. संस्था की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं का विवरण प्रदान करें।
   लागू नहीं

9. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया हो।
   लागू नहीं

सिद्धांत - 7

व्यवसाय द्वारा जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो उन्हें जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएँ, जिसके लिए इकाई सदस्य / से संबद्ध है

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच(राज्य/ राष्ट्रीय)
1	फेडरेशन ऑफ इंडियन चबैंर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राष्ट्रीय
2	भारतीय उर्वरक संघ	राष्ट्रीय
3	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स	अंतर्राष्ट्रीय
4	एम्प्लॉयर्स फे डरेशन ऑफ साउथर्न इंडिया	राष्ट्रीय
5	भारतीय उर्वरक और उर्वरक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद	राष्ट्रीय
6	आर.एन.जेड-भारतीय उर्वरक उद्योग निर्देशिका	राष्ट्रीय
7	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	राष्ट्रीय
8	आंतरिक उर्वरक संघ	अंतर्राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चलाई जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्थान द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति स्थिति का विवरण:

क्र.सं.	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की वकालत के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वज निक डोमेन में उपलब्ध है? (हां / नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षाकी आवत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य समय-समय पर विभिन्न निकायों से जुड़े रहते हैं, जिसमें पूंजी बाजार और कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित विनियमों पर कानून भी शामिल है।					

सिद्धांत - 8

व्यवसायों द्वारा समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना

आवश्यक संकेतक

1. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन (एस. आई.ए.) का विवरण

परियोजना का नाम और विवरण	एस.आई.ए. अधिसूचना नं.	अधिसूचना की तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी ने किया (हां/ नहीं)	पब्लिक डोमेन में परिणाम की सूचना (हां/ नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू नहीं					

2. निम्नलिखित प्रारूप में आपके संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें।

क्र.सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चलाए जा रहे हैं	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या (पी.ए.एफ.)	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पी.ए.एफ.का %	वित्त वर्ष में पी.ए.एफ. को भुगतान की गई राशि (आई.एन.आर. में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र पर उल्लेख करें
कंपनी के पास विभिन्न हितधारकों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए अनेक तंत्र हैं

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में सेइनपुट):

	वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष**
एम.एस.एम.ई/ छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	लागू नहीं	
जिले और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त		

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों से प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	**की गई सुधारात्मक कार्रवाई**
लागू नहीं	लागू नहीं

2. (क) क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)

नहीं।

(ख) आप किन हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीदते हैं? लागू नहीं।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

लागू नहीं।

3. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (वर्तमान वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हाँ / नहीं)	लाभ साझा (हां/नहीं)	लाभ शेयर की गणना का आधार
लागू नहीं				

4. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

प्राधिकारी का नाम	संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

सिद्धांत – 9

व्यवसायों द्वारा अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार और मूल्यवान तरीके से जुड़ना

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनके जवाब देने हेतु तंत्र का उल्लेख करें।

कंपनी को इस तरह के तंत्र के माध्यम से शिकायतें मिलेंगी और प्राप्त सभी शिकायतों का उचित तरीके से समाधान किया जाएगा।

टोल फ्री नंबर, ग्राहक सेवा ईमेल आईडी और शिकायत निवारण अधिकारी का पता उन उत्पाद थैलियों (बैग) पर मुद्रित किया जाता है,जिनका उत्पादन और विपणन एम.एफ.एल. पूरे दक्षिण क्षेत्र में कर रहा है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी हो:

	कुल कारोबार का प्रतिशत
उत्पाद की प्रासंगिकता में पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	100
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्न के अनुसार ग्राहक द्वारा पाप्त शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)		टिप्पण	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पण
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	
डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विज्ञापन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुचित व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:

	संख्या	**रिकॉल का कारण**
स्वैच्छिक रिकॉल	शून्य	
जबरन रिकॉल		

5. क्या संस्थान के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

   सी.ई.आर.टी.-इन पनैलबद्ध एजेंसी अर्थात:- जी.आर.एम.टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने सूचना प्रणाली और सुरक्षा लेखा परीक्षा की और पाया कि पर्यावरण की सुरक्षा स्थिति अच्छी है। आई.टी. कार्यान्वित समाधानों की समय-समय पर निगरानी की जा रही है और डेटा सेंटर टी.आई.ए. मानक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुन: घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई शास्ति/कार्रवाई।

   लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

   www.madrasfert.co.in

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

   हमारे उत्पादों के उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे:

   क) **क्षेत्र प्रदर्शन**: एम.एफ.एल.अपने उत्पादों जैसे बायो, सिटी कम्पोस्ट और जैविक खाद, एफ.ओ.एम.,व पी.आर.ओ.एम. को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन आयोजित करता है।

   लाइव प्रदर्शन करके किसी विशेष गांव में किसान के खेत का चयन कर क्षेत्र स्तर पर उत्पादों की गुणवत्ता, उपयोग और लाभों का प्रदर्शन करता है।

   ख) **मिट्टी के नमूने**: किसानों से तकनीकी दृष्टिकोण से नमूने एकत्र कर उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के आधार पर विभिन्न उर्वरक अनुप्रयोगों और प्रथाओं के पैकेज के बारे में शिक्षित करता है।

ग) **किसान संपर्क कार्यक्रम:** एम.एफ.एल.क्षेत्र अधिकारी नियमित आधार पर किसानों से संपर्क करते हैं और कृषि स्थिति और मौसमी परिस्थितियों के आधार पर हैंडआउट वितरित करके खेती के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

घ) **प्रदर्शनियाँ**: एम.एफ.एल.अपने उत्पादों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए स्टालों की व्यवस्था करके और सभी किसानों को पैंपलेट वितरित करके प्रदर्शनियों में भाग लेता है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने हेतुतंत्र।

कंपनी उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए भौतिक और डिजिटल दोनों मंचों का उपयोग करती है।

4. क्या संस्थान अनिवार्य उत्पाद के बारे में स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या आपकी इकाई ने अपने प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

हाँ। उत्पाद की जानकारी पै ट पर प्रदर्शित की जाती है।

5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क) प्रभाव के साथ-साथ डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या- लागू नहीं

ख)ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत- लागू नहीं

अनुबंध - V

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और आवश्यकताएं प्रकटीकरण) विनियम, 2015 की अनुसूची V के संदर्भ में आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की घोषणा

बोर्ड ने कं पनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु एक आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता कं पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर 2024-25 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डी.आई.एन: 10690782)

स्थान:चेन्नै
दिनांक: 28 मई, 2025

अनुबंध - VI

फॉर्म संख्या एम.आर-3

31 मार्च,2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में

सदस्यगण,

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

सी.आई.एन.: L32201TN1966GOI005469
पंजीकृत कार्यालय – मणलि, चेन्नै 600 068, तमिल नाडु

मैंने **31 मार्च, 2025** को समाप्त वित्तीय वर्ष **("लेखा परीक्षा अवधि")** के लिए मेसर्स **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड** (जिसे आगे **"कंपनी"** कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई जिससे मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला।

कंपनी मेसर्स के मेरे सत्यापन के आधार पर **मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड** की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता/करती हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने ऑडिट अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार ऑडिट अवधि के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जाँच की है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
   • कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

ii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; जहां भी लागू हो;

iii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एस.सी.आर.ए.') और उसके तहत बनाए गए नियम;

iv. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम")।

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का अधिग्रहण) विनियम, 2011।("सेबी एसएएसटी विनियम"); - अपेक्षित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

ग) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 ("सेबी पीआईटी विनियम");

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021- चूँकि कंपनी के पास लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई भी स्वीकृत योजना नहीं है, इसलिए ये विनियम लागू नहीं होते।

ड. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018;

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018- चूँकि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई भी प्रतिभूति जारी नहीं की थी, इसलिए ये विनियम लागू नहीं होते;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021- चूँकि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई भी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की थीं, इसलिए ये विनियम लागू नहीं होते;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993- चूँकि कंपनी शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है, इसलिए ये विनियम लागू नहीं होते;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट नहीं किया है;

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 - चूँकि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अपनी कोई भी प्रतिभूति वापस नहीं खरीदी है, इसलिए ये विनियम लागू नहीं होते; और

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं होते।

vi. कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून।

हमने निम्नलिखित लागू धारा के अनुपालन की भी जांच की:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए लिस्टिंग समझौता;

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता/करती हूँ कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र, जिसका नमूना जाँच के आधार पर सत्यापन किया गया है और कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत और रिकॉर्ड में ली गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी द्वारा लागू कराधान कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों, के अनुपालन की हमारी लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि ये वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता/करती हूँ कि:

क. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल और कई समितियों की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, एनएसई ने ऊपर उल्लिखित जुर्माना लगाया है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, यह सेबी (एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन करने हेतु पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस मामले पर संवाद कर रही थी।

ख. सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की समय-सारिणी की सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेज दिए जाते हैं, और बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

ग. निर्णय तब लिया जाता है जब सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों और गैर-अनुपालन के अधीन हैं:

1. श्री आर. राम गणेश ने 12 दिसंबर, 2023 को कंपनी सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया और श्री जे. श्रीनिवास सरवणन को 14 अगस्त, 2024 से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया। कंपनी सचिव 13.12.2023 से 13.08.2024 तक की अवधि के लिए अनुपालन अधिकारी नहीं थे।

2. शुल्क सूचकांक में कुछ शुल्क दिखाई दे रहे हैं, जिनके स्रोत का पता लगाने में कंपनी असमर्थ है और कंपनी इन शुल्क आईडी को हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क नहीं कर पा रही है।

3. इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए निम्नलिखित गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना भी लगाया गया था और इसे उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबोधित किया जाना आवश्यक है।

क्र. सं.	विनियम और गैर-अनुपालन विवरण	तिमाही समाप्त	जुर्माना राशि	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1	संबंधित पक्ष प्रकटीकरण प्रस्तुत करने में देरी (विनियम 23(9))	30.09.2024	₹ 45,000	9 दिनों की अनजाने में हुई देरी; बोर्ड द्वारा 11.02.2025 को नोट किया गया; जुर्माना 03.01.2025 को अदा किया गया
2	कंपनी सचिव / अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति में देरी (विनियम 6(1) एवं 6(1ए))	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024	₹ 20,000 ₹ 91,000 ₹ 44,000	सीएफओ और उप प्रबंधक - वित्त को अंतरिम अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया; जुर्माना 14.06.2024, 31.08.2024 और 17.12.2024 को भुगतान किया गया
3	बोर्ड में 50% से कम स्वतंत्र निदेशक (विनियम 17(1)(बी) एवं 17(1ई))	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024	₹ 4,55,000 ₹. 4,55,000 ₹4,60,000 ₹ 4,60,000	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला उर्वरक विभाग (भारत सरकार) के पास लंबित; मामला कंपनी के नियंत्रण से बाहर; जुर्माना अदा नहीं किया गया
4	लेखापरीक्षा समिति में अनुचित संरचना और कोरम (विनियम 18(1)(ए), 18(1)(बी), 18(2)(बी), 17(1ई))	31.12.2024	₹ 2,000	स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण लेखापरीक्षा समिति का अनुपालन नहीं हुआ; भारत सरकार के पास अनुरोध लंबित; जुर्माना अदा नहीं किया गया
5	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अनुचित संरचना (विनियम 19(1)(ए) एवं 19(1)(सी))	31.12.2024	₹2,000	समिति में केवल 2 सदस्य थे; स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त; भारत सरकार से नियुक्ति का इंतजार; जुर्माना अदा नहीं किया गया
6	हितधारक संबंध समिति (रेग. 20) में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है	31.12.2024	₹ 1,14,000	कंपनी ने एसआरसी समिति का पुनर्गठन किया है और स्वतंत्र निदेशक श्री जतिन कुमार मोहंती को 11.02.2025 से एसआरसी समिति का सदस्य नियुक्त किया है ; जुर्माना अदा नहीं किया गया है।
7	जोखिम प्रबंधन समिति की अनुचित संरचना और बैठकें (विनियम 21(3ए) और 21(3सी)	31.12.2024	₹. 16,000	05.11.2024 से 12.11.2024 तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं; समिति की आवश्यकतानुसार बैठक नहीं हुई; जुर्माना अदा नहीं किया गया
8	बोर्ड संरचना का गैर-अनुपालन (50% से कम स्वतंत्र निदेशक) (विनियम 17(1))	31.03.2024	कुल ₹21,59,400 का जुर्माना	कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध कर रही है; समस्या जारी है; जुर्माना अदा नहीं किया गया है। चूक जारी है।

4. सेबी (एलओडीआर) के नियम 30(5) के तहत स्वतंत्र निदेशकों, बोर्ड द्वारा अधिकृत कर्मियों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर वित्त वर्ष 2023-2024 और वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।

5. एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार, नामित निदेशकों - श्रीमती समीह कोकाबी, श्री मोहम्मद बाघेर, श्री दखिली, बाबाक बाघेरपुर - का डीआईएन निष्क्रिय कर दिया गया है।

6. अप्रैल 2024 के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन सत्यापित नहीं किया जा सका। केवल प्रबंध निदेशक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए मूल्यांकन प्रस्तुत किया।

7. निदेशकों में परिवर्तन (सुश्री टीना सोनी की नियुक्ति, श्री नालाबोथु वेंकट राव, डॉ. सी. आर. जयंती का कार्यकाल समाप्त) और सीएफओ श्री प्रिया पांडा की सेवानिवृत्ति के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत प्रकटीकरण की सूचना कार्यक्रम के 12 घंटे बाद दी गई।

8. यह ध्यान दिया गया कि यद्यपि एसडीडी सॉफ्टवेयर लागू है, समय पर और पूर्ण प्रविष्टियों के अनुपालन को सुदृढ़ और अद्यतन करने की आवश्यकता है।

9. यह ध्यान दिया गया कि श्री मनोज कुमार जैन को डीआईएन प्राप्त करने से पहले ही अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

10. कंपनी ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए केवल एक जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की है।

मैं आगे रिपोर्ट करता/करती हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान और उसके बाद, निम्नलिखित प्रमुख लेन-देन/घटनाएँ/विकास की पहचान की गई:

1. उर्वरक विभाग की विशेष सचिव, सुश्री नीरजा आदिदम को उनके स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 30/04/2024 से सौंपा गया है।

2. डॉ. टीना सोनी को श्री अरविंद कुमार के स्थान पर 30/04/2024 से कंपनी का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया और 26/09/2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में इसकी पुष्टि की गई।

3. श्री मनोज कुमार जैन को 07/06/2024 से कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त किया गया और 26/09/2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में इसकी पुष्टि की गई।

4. श्री अम्बूर माधवनमोहन को 14/08/2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया। वे सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी सुश्री प्रिया रंजन पांडा के स्थान पर नियुक्त किए गए, जो 30/06/2024 को सेवानिवृत्त हो गई थीं।

5. सुश्री पद्मावति को नए कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति तक सुश्री प्रिया रंजन पांडे के स्थान पर अंतरिम अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया।

6. श्री जे. श्रीनिवास सरवणन को 14/08/2024 से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

7. कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशक कंपनी के बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	समाप्ति तिथि
1.	श्री नालाबोथु वेंकट राव,	04-11-2024
2.	डॉ. सी. आर. जयंती	27-12-2024
3.	श्री संजय विष्णु शेट्टी	30-12-2024

8. कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) के पास फॉर्म डु.आई.आर.-12 दाखिल करने में असमर्थ है, जिससे निदेशक मंडल से श्री सिया शरण और श्री संजय शेट्टी के इस्तीफे की सूचना मिल सके, क्योंकि उक्त निदेशकों के लिए औपचारिक सरकारी आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

मोहन कुमार एंड एसोसिएट्स के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
ए. मोहन कुमार
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ.सी.एस. 4347
प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या: 19145
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 2205/2022
यु.डी.आई.एन.: F004347G000928710

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 04-08-2025

यह रिपोर्ट उसी तारीख की मेरी गवाही के साथ पढ़ी जाए, जो **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध-I

प्रति

सदस्य

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

सी.आई.एन.: L32201TN1966GOI005469

पंजीकृत कार्यालय: मणलि, चेन्नै 600 068, तमिलनाडु

मेरी उसी तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करूँ।
2. सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए मैंने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और पद्धतियाँ मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी जाँच केवल परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की प्रभावशीलता या प्रभावशीलता का।

मोहन कुमार= एंड एसोसिएट्स के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
ए. मोहन कुमार
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ.सी.एस. 4347
प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या: 19145
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 2205/2022

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 04-08-2025

अनुबंध-VI-क

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर:-

बिंदु सं. 1:

श्री राम गणेश ने 12 दिसंबर, 2023 को कंपनी सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया और श्री जे. श्रीनिवास सरवणन को 14.08.2024 से कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया। 13.12.2023 से 13.08.2024 तक की अवधि के दौरान कोई कंपनी सचिव नहीं था क्योंकि नए कंपनी सचिव की भर्ती प्रक्रिया में गहन चयन और साक्षात्कार प्रक्रिया की आवश्यकता के कारण समय लगा। इस बीच की अवधि के दौरान, कंपनी ने मुख्य वित्तीय अधिकारी को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया था और 30.06.2024 से मुख्य वित्तीय अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर, उप प्रबंधक - वित्त को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया था।

बिंदु सं. 2:

संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थान या तो बंद हैं या हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध पतों पर उनका पता नहीं चल पा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एमएफएल ने एस.बी.आई., चेन्नै के ऋण को छोड़कर सभी ऋणों का पूर्ण भुगतान कर दिया है। कंपनी प्रभार सूचकांक से प्रभार आईडी हटाने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है।

बिंदु सं.3.1:

अनजाने में हुई देरी के कारण स्टॉक एक्सचेंज के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) प्रकटीकरण प्रस्तुत करने में देरी हुई। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बिंदु सं. 3.2:

कंपनी सचिव की नियुक्ति में देरी, संपूर्ण चयन और साक्षात्कार प्रक्रिया में लगने वाले समय और सरकार से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के कारण हुई है।

बिंदु सं. 3.3 से 3.8: तक

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के उर्वरक विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है और कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग के साथ सक्रिय रूप से संपर्क बनाए हुए है कि आवश्यक नियुक्तियाँ जल्द से जल्द की जाएँ।

बिंदु सं.5:

कंपनी में विदेशी नामित निदेशक हैं और एम.सी.ए. पोर्टल के माध्यम से ओ.टी.पी. जनरेट करने में तकनीकी समस्या के कारण, निदेशक के.व्हाई.सी. फॉर्म दाखिल न करने के कारण विदेशी नामित निदेशकों का डी.आई.एन. निष्क्रिय कर दिया गया था। कंपनी एम.सी.ए. के साथ समन्वय में इस समस्या के समाधान के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

बिंदु सं. 7:

यह देरी अनजाने में हुई और संबंधित अवधि के दौरान कंपनी सचिव की अनुपलब्धता के कारण हुई।

बिंदु सं. 9:

एम.एफ.एल. एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) की नियुक्ति भारत सरकार के अधीन है। निदेशक पहचान संख्या (डी.आई.एन.) बाद में भारत सरकार द्वारा की गई नियुक्ति के आधार पर प्राप्त की गई।

अनुबंध - VII

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
मणलि, चेन्नै 600 068.
प्रपत्र सं. एओसी - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/ व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे नियम के तहत कुछ आर्मस लेंथ के लेनदेन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं है।

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
क)	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	शून्य
ग)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ)	मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो,	लागू नहीं
ङ)	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	लागू नहीं
ज)	तिथि जिस पर धारा 188 के पहले परंतुक के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया	लागू नहीं

2. आर्म्स लेंथ के आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
क)	संबंधित पार्टी का नाम	मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	संबंध की प्रकृति	आर्म्स लेंथ प्राइस पर
ख)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	एल.एन.जी. और एफ.ओ. के आपूर्तिकर्ता
ग)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि	सतत आधार
घ)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें	दीर्घकालिक अनुबंध
ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	गैस बिक्री समझौते के आधार पर दिनांक 06.02.2019
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	शून्य
छ)	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	₹ 1828.60 करोड़. - वित्तीय वर्ष(2024-25)

हस्ताक्षरित

मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डी.आई.एन: 00108028)

चेन्नै
दिनांक: 12 अगस्त, 2025

अनुबंध - VIII

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै 600 068

एम.एफ.एल. की सी.एस.आर. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 9 के अनुसार)

1. कंपनी सी.एस.आर. नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड समाज के कमजोर वर्ग के लाभ के लिए और कारखाना क्षेत्र के पास के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारी के उपायों पर प्राथमिकता देता है।

2. 31.03.2025 को सी.एस.आर. समिति की संरचना :

सी.एस.आर. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	डॉ जतिन कुमार मोहंती	अध्यक्ष
2.	श्री मनोज कुमार जैन	सदस्य
3.	डॉ टीना सोनी	सदस्य
4.	डॉ. के जयचंद्रन	सदस्य

3. सी.एस.आर. समिति की संरचना और सी.एस.आर. नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है।

4. कंपनी के नियम, 2014 के अनुसार (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सी.एस.आर. परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कम्पनी पर लागू नहीं है।

5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार कं पनी का औसत शुद्ध लाभ ऋणात्मक है, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और वित्तीय वर के लिए आवश्यक राशि का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं रही।

6. पिछले तीन वित्तीय वर के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : ₹ 141.33 करोड़

7. (क) अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹ 283 लाख

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: ₹ 381 लाख

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (क+ख-ग): लागू नहीं, क्योंकि अतिरिक्त सीएसआर योगदान दिया गया

8. (क) वित्तीय वर के लिए व्यय या अव्ययित सी.एस.आर. राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि ₹	अव्ययित राशि ₹				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सी.एस.आर. खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट खोज को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
0.10 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना की अवधि (वर्षों में)	वित्त वर्ष 2023 में परियोजना के लिए आवंटित की गई राशि	मौजूदा वित्तीय वर्ष राशि में खर्च की गई	परियोजना के लिए सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि धारा 135 (6) कार्यान्वयन के माध्यम के	कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वित एजंसी द्वारा	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना की अवधि (वर्षों में)	परियोजना के लिए आवंटित की गई राशि	कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वित एजंसी द्वारा	
				राज्य	जिला				नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि										
1.	जिला पर्यावरण इंजीनियर, टी.एन.पी.सी. बी. मणलि	1	हाँ	तमिलनाडु	चेन्नै	लागू नहीं	0.03 लाख	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, तिरुवत्तियूर	1	हाँ	तमिलनाडु	चेन्नै	लागू नहीं	0.07 लाख	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि: - लागू नही

(ई) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: - लागू नही

(च) वित्तीय वर्ष (8बी+8सी+8डी+8ई) के लिए व्यय की गई कुल राशि: - शून्य

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%	283 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	0.10 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	सेट ऑफ के लिए उपलब्ध पिछले वर्षों में खर्च की गई अतिरिक्त राशि	381
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं

3. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र.सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि,यदि कोई हो तो			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
लागू नहीं							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का ब्यौरा:

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति – पूरा किए गए/कार्य प्रगति
लागू नहीं								

4. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा वित्तीय वर्ष में व्यय (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा) प्रस्तुत करें

ए. पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि: लागू नहीं

बी. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि: लागू नहीं

सी. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

डी. सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) का ब्यौरा प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित): लागू नहीं

5.. यदि कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: लागू नहीं

वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा 2024-25 : नीचे दिए अनुसार

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि: ₹ 0.10 लाख

हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10690782

चेन्नै
दिनांक: 12 अगस्त,2025

अनुबंध - IX

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणन

निदेशक मंडल

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै:600 068

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

ए. हमने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार,

i. इन विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. ये विवरण एक साथ सूचीबद्ध इकाई के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू विधि और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।;

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है::

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोटों में उनका खुलासा किया गया है; और

iii. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 28 मई 2025

हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10690782

हस्ताक्षरित/-
ए मदन मोहन
महाप्रबंधक (एफ व ए)
(अतिरिक्त प्रभारी)

अनुबंध – X

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण-पत्र
(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सदस्यों को,
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
मणलि
चेन्नै – 600 068

हमने मेसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका सी.आई.एन. L32201TN1966GOI005469 है जिसका और पंजीकृत कार्यालय मणलि, चेन्नै-600 038 में है (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जो कि कंपनी द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापन (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। हालाँकि, एम.सी.ए. रिकॉर्ड के अनुसार श्रीमती समीह कोकाबी, श्री मोहम्मद बाघेर दखिली और श्री बाबाक बाघेरपुर का डी.आई.एन निष्क्रिय है।

क्रम सं.	निदेशक क् नाम	निदेशक पहचान सं.(डी.आई.एन)	नियुक्ति की तारीख
1.	मनोज कुमार जैन	10690782	01.07.2024
2.	कृषणनुन्नी जयचंद्रन	10062573	01.05.2023
3.	टीना सोनी	07720240	04.04.2024
4.	मोहम्मद बघेर दखिलि	07704367	18.02.2017
5.	समीह कोकाबी	09066692	10.02.2021
6.	बाबक बघेरपुर	08341090	23.10.2018
7.	जतिन कुमार मोहंती	02660442	20.06.2023

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 07.08.2025

हस्ताक्षरित/--
सुब्रमणियन चंद्रशेखर
प्रक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या 6773/सीओपी संख्या 13761
यूडीआईएन: F006773G000952696
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2902/20232902/2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। 28 मई 2025 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने का उल्लेख है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रस्तुत किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ताक्षरकर्ता/-
(कविता प्रसाद)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा केंद्रीय व्यय
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 03.09.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

स्टैंडअलोन इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ("कंपनी" के रूप में संदर्भित) के साथ संलग्न स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 ("आईएनडी एएस") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय का महत्व:

क. भारत सरकार के ऋणों पर दंडात्मक ब्याज:

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट "सं.30" की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कंपनी ने पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में भारत सरकार के ऋणों पर देय ब्याज और दंडात्मक ब्याज की छूट के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। पुनरुद्धार पैकेज के निपटान तक, कंपनी ने 31.03.2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक 2.75% प्रति वर्ष की दर से 394.68 करोड़ रुपये की राशि के दंडात्मक ब्याज को केवल आकस्मिक देयता के रूप में माना है।

ख. सब्सिडी लेखांकन

18.07.2024 से प्रारंभ होने वाली अवधि से लक्षित ऊर्जा मानदंडों को पूरा न करने के कारण लगाए जाने वाले 10% जुर्माने के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30.19 (क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। नोट में बताए अनुसार जुर्माने के प्रभाव से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सब्सिडी आय में 155.61 करोड़ रुपये की कमी आई।

इस संबंध में तैयार किए गए नीतिगत मानदंडों के अनुसार यूरिया की बिक्री पर सब्सिडी के लेखांकन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30.19 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जबकि प्राप्त सब्सिडी का दावा अनंतिम रूप से अनुमोदित दर पर आधारित है। जैसा कि उक्त नोट में बताया गया है, कंपनी को 160.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है और इसे सब्सिडी के अंतर्गत आय नहीं माना गया है। उक्त राशि को सब्सिडी के लिए प्राप्त होने वाली कुल राशि में घटा दिया गया है।

ग. अप्रयुक्त जीएसटी इनपुट के लिए प्रावधान

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30.6 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें पुस्तकों के अनुसार जीएसटी इनपुट और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के अनुसार जीएसटी इनपुट के अंतर के संबंध में खातों में किए गए 50.54 करोड़ रुपये के प्रावधान के संबंध में बताया गया है। उपरोक्त राशि में 37.57 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो 31.03.2024 तक का प्रावधान है और उपरोक्त अंतर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए 12.97 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल है।

घ. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर योग्य राय (हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक सी) के अंतर्गत निम्नलिखित पर अपर्याप्त नियंत्रणों के संबंध में हमारी टिप्पणियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है:

- नए ईआरपी सॉफ्टवेयर - एसएपी के कार्यान्वयन के बाद किसी भी सिस्टम ऑडिट का अभाव

- इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन का कवरेज, प्रक्रियाएँ और आवृत्ति

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले:

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
1	**सब्सिडी आय की मान्यता/अ-मान्यता और मापन तथा सब्सिडी प्राप्तियों की वसूली** *(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं. 1.जी और 18 देखें)* यूरिया से संबंधित सब्सिडी आय को कंपनी द्वारा बेचे गए उर्वरकों की मात्रा पर नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी ('एनबीएस') नीति के अनुसार समय-समय पर उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें इस संबंध में नीतिगत मानदंडों के अनुसार इनपुट कीमतों में वार्षिक वृद्धि/कमी के कारण होने वाली वृद्धि/कमी को समायोजित किया जाता है। लाभ-हानि विवरण के अनुसार सब्सिडी और बाद में अनुमोदित दर के बीच अंतर के लिए यदि कोई समायोजन किया जाता है, तो उसका लेखा उस वर्ष के दौरान किया जाता है जिसमें भारत सरकार से अंतिम अधिसूचना प्राप्त होती है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 2,157.61 करोड़ की सब्सिडी आय को मान्यता दी है, जो परिचालन से इसके राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब्सिडी आय की मान्यता और प्राप्ति भारत सरकार द्वारा जारी की गई दरों और अवधि पर निर्भर करती है। सब्सिडी से आय को मान्यता देते हुए, कंपनी लक्षित ऊर्जा मानदंडों को प्राप्त न करने पर जुर्माना लगाने को एक विवेकपूर्ण उपाय मानती है। सरकारी सब्सिडी प्राप्तियां कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो 31 मार्च, 2025 तक ₹ 382.21 करोड़ है।	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खातों में सब्सिडी आय की पहचान के संबंध में अपनाई गई हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ इस प्रकार थीं: • हमने भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं को पढ़ा है और प्रबंधन के साथ चर्चा की है, ताकि अंतर्निहित मामलों और प्रबंधन के निर्णय और अनुमानों के आधार को समझा जा सके, जिसमें अतीत में उल्लेखित भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए अनुमानों में किए गए आवश्यक परिवर्तन शामिल हैं। सब्सिडी आय की पहचान के लिए उर्वरक उद्योगों में प्रचलित व्यापार पद्धति का भी पता लगाया; • हमने सब्सिडी आय के लिए विचार की गई बिक्री मात्रा को दर्शाने वाले विवरण की जाँच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मात्रा कंपनी द्वारा की गई वास्तविक बिक्री से संबंधित है। हमने यह भी सत्यापित किया कि कंपनी के रिकॉर्ड में दर्शाई गई मात्राएँ ग्राहक पावती में दर्शाई गई मात्राओं के अनुरूप थीं, जैसा कि उर्वरक विभाग के आईएफएमएस पोर्टल में भौतिकता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक नमूनाकरण के आधार पर दिखाई दिया और कंपनी द्वारा किए गए डीबीटी दावों (सब्सिडी दावे) का परीक्षण किया; • हमने यूरिया रियायती मूल्य के प्रबंधन अनुमान की जाँच की, जो प्रासंगिक नई मूल्य निर्धारण योजना और इनपुट मूल्यों में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन के अनुरूप था; • हमारी सत्यापन प्रक्रियाओं में यह शामिल था कि अंतिम अनुमोदित दर के कारण अंतर के लिए समायोजन उस वर्ष के दौरान हिसाब में लिया जाता है जिसमें अंतिम अधिसूचना प्राप्त होती है।

		• हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सब्सिडी की प्राप्ति का विश्लेषण करना भी शामिल था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित शर्तों के अनुपालन न करने के कारण होने वाले संभावित दावे की राशि, जैसे कि ऊर्जा मानदंडों की प्राप्ति न होना, सब्सिडी की अंतिम अधिसूचना के निर्धारण तक आय के रूप में नहीं मानी जाएगी। • हमने इस संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया; • उर्वरक विभाग (अर्थात संप्रभु प्राधिकरण) से प्राप्त होने वाली सब्सिडी की समीक्षा आईएफएमएस (एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली) से उत्पन्न अनुमोदित दावों द्वारा समर्थित है; • महत्वपूर्ण अवधि में बकाया रहने वाली सब्सिडी आय पर प्रबंधन के साथ चर्चा/पूछताछ की जाती है, जो उर्वरक विभाग, भारत सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के आधार पर होती है, जिसमें प्रबंधन के निर्णय और प्राप्ति की निश्चितता का आधार शामिल होता है; उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने सुनिश्चित किया कि सब्सिडी आय की पहचान और प्राप्त होने वाली सब्सिडी की वसूली लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के अनुसार है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत की गई है।
2.	**प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का अनुमान** प्रावधानों की पहचान और माप में, देयता को निपटाने के लिए आवश्यक भविष्य के व्यय के समय या राशि के बारे में अनिश्चितता होती है। आकस्मिक देयताओं के संबंध में, प्रकट की जाने वाली राशि निर्धारित करने के लिए अनुमान और धारणाएँ बनाई जाती हैं। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के अनुसार, इसमें शामिल राशियाँ महत्वपूर्ण हैं। प्रावधानों की पहचान और माप तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। इसमें भौतकि गलत ववरिण का जोखमि है कि अनुमान गलत हैं और प्रावधान या आकस्मकि देयताएँ भौतकि रूप से गलत बताई गई हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: कर मुकदमों, अन्य मुकदमों और दावों और इसके उचित लेखांकन और/या प्रकटीकरण का निर्धारण और आकलन करने के लिए प्रबंधन के आंतरिक निर्देशों, प्रक्रिया और नियंत्रण का विश्लेषण करना। मुकदमों और दावों के मामलों की स्थिति के संबंध में कंपनी के कर्मियों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की। प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई विशेषज्ञ कानूनी राय पर भरोसा करके प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन किया। हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों की प्रस्तुति और प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता का आकलन किया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत बयान है, तो हमें मामले को शासन के प्रभारी लोगों को बताना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। ये विवरण एक सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए

गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

क. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है;

ख. परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता;

ग. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें;

घ. प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है;

ङ. खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है;

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक महत्त्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं जैसे (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों से संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

हम शासन के प्रभारी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जिन्हें उचित रूप से हमारी

स्वतंत्रता पर असर डालने वाला माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले:

1. कंपनी के भारत भर में ग्यारह (11) विपणन कार्यालय (यानी, क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) के रूप में नामित) हैं, जिसमें बिक्री से संबंधित सभी मामले किए जाते हैं। हमारे लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हमने तीन (3) आरओ के संचालन का दौरा किया और समीक्षा की और आरओ का संचालन प्रकृति में संतोषजनक है।

2. लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि पहले से संतुष्ट अधिकांश शुल्क अभी भी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) पोर्टल के तहत 'शुल्क सूचकांक' के रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी को उन शुल्कों को निपटाने के लिए उचित करने होंगे जो आज की तारीख तक चालू नहीं हैं।

3. कंपनी "एमएफएल कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट" नाम और शैली के तहत कंपनी द्वारा स्थापित ट्रस्ट में भविष्य निधि योगदान करती है।

   ट्रस्ट की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, लेखापरीक्षक ने यह कहते हुए अपनी राय दी है कि ट्रस्ट के निवेश पोर्टफोलियो में आईएल व एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹5.45 करोड़ का निवेश शामिल है उस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 1.72 करोड़ है, और उक्त संस्थाएं दिवालियेपन की प्रक्रिया के तहत हैं, और उक्त निवेश के मूल्य में कमी के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट के खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार, हम अपनी रिपोर्ट **"अनुबंध ए"** में संलग्न कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम अनुबंध में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहाँ तक लागू हो। उस पर हमारी रिपोर्ट **"अनुबंध बी"** के रूप में संलग्न है।

3. बोर्ड की संरचना का गैर-अनुपालन-सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015: 6 जून, 2019 से कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्तियों के कारण कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 30.31 देखें)

4. कंपनी ने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है। कंपनी में पूर्णकालिक कंपनी सचिव केवल 14.08.2024 तक था।

5. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से उचित पर्याप्त वापस प्राप्त हुए हैं;

ग. कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि इसमें संशोधित किया गया है।

ङ. निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस. आर.463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, जो एक सरकारी कंपनी है;

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **"अनुबंध सी"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक योग्य राय व्यक्त करती है;

छ. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार;

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 30.1 देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेकों सहित कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं था, जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा था;

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली राशि को हस्तांतरित करने में निम्नलिखित को छोड़कर कोई देरी नहीं हुई है:

कंपनी के पास ₹ 54,000/- की तीन जमाराशियाँ हैं, जिनकी परिपक्वता मूल्य ₹ 60,198/- है, जिन्हें आयकर विभाग ने जमाकर्ता के परिसर में की गई तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई के दौरान जब्त कर लिया था। उक्त जमाराशियाँ वर्ष 2001 में परिपक्व हो गई थीं, तथापि विभाग से प्राप्त सूचना के कारण, इन्हें न तो भुनाया गया है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निधि में हस्तांतरित किया गया है।

iv. क.प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में प्रकट किए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को या उनमें (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ,

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई भी चीज़ प्रदान करेगा;

ख. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में टिप्पणी में प्रकट किए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("निधिकरण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी,

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी या
- निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उसके द्वारा या उसके द्वारा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी; और

ग. इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे उन्हें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलत विवरण है।

v. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित और/या भुगतान नहीं किया है;

vi. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल थी, के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चंद्रन और रमन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000571S

हस्ताक्षरित/-

(एस पट्टाबीरमन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 014309
यूडीआईएन: 25014309BMMMWA2705

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 28/05/2025

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक-क

कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

भाग-I- दिशा-निर्देश

1. क्या आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने हेतू कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आई.टी. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, को बताया जा सकता है

जी हाँ, कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। हालाँकि, क्षेत्रीय कार्यालयों की आई.टी. प्रणाली में दर्ज विपणन गतिविधियों से संबंधित लेनदेन समय-समय पर प्रधान कार्यालय को सूचित किए जाते हैं। उक्त लेनदेन का मुख्यालय में मासिक आधार पर कॉर्पोरेट लेखांकन मॉड्यूल (अर्थात, एसएपी) के साथ मिलान किया जाता है। अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, वित्तीय निहितार्थों के साथ खातों की अखंडता की कमी का कोई मामला नहीं देखा गया है।

2.क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना की है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।

क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब में लाया गया है?

(यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। कंपनी ने सरकार से लिए गए अपने ऋणों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार को आवेदन किया है। पुनर्गठन से संबंधित मामला प्रगति पर है,

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

कंपनी के खातों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

उप-दिशाएं

चालू वित्त वर्ष के लिए शून्य

हेतु चंद्रन और रामन
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन 000571S
हस्ताक्षरित
(एस.पट्टाभिरामन)
पार्टनर
सदस्यता सं.014309
यू.डी.आई.एन: 25014309BMMMWA2705

स्थान: चेन्नै
दिनांक:28.05.2025.

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक-ख

कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट समतिथि के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के तहत पैरा 2 में संदर्भित है

निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में,

क. कंपनी ने निम्न के संबन्ध में पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

क संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिसमें मात्रात्मक विवरण और उस पर स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण शामिल हैं;

ख.अमूर्त परिसंपत्ति - एससपी साफ्टवेयर;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के भौतिक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। हमारी राय में, संगठन के आकार और परिमाण को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

ग. कंपनी के पास अपने नाम पर रखी गई भूमि के स्पष्ट स्वामित्व विलेख हैं।

घ. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार इस खंड के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. इन्वेंटरी के संबंध में:

क. फैक्ट्री परिसर के अंदर (स्टोर और स्पेयर को छोड़कर) और चेन्नई पोर्ट पर इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र सर्वेक्षक द्वारा किया गया है। गोदामों में पड़े तैयार माल के स्टॉक को प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रमाणीकरण के अनुसार माना जाता है और उर्वरक विभाग द्वारा बनाए गए आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से इसकी विधिवत पुष्टि की गई है।

जैसा कि हमें बताया गया है, स्टोर और स्पेयर का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में ही किया गया था और इन्वेंटरी के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई भौतिक विसंगतियां नहीं थीं।

हमारी राय में प्रबंधन द्वारा किए गए इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल और ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया के संबंध में इस खंड की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

ख. कंपनी को भारत सरकार की सब्सिडी प्राप्तियों सहित इन्वेंटरी और बुक डेट की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा (अर्थात निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं) मंजूर की गई है।

संबंधित अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा बैंक के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप नहीं हैं। अंतर का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30.29 (जी) में प्रस्तुत किया गया है।

iii. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों और सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर के तहत आने वाले अन्य पक्षों को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, सुरक्षित या असुरक्षित।

इसलिए, आदेश के खंड (iii) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के दायरे में आने वाले पक्षों को कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जमा की परिभाषा के दायरे में आने वाले किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और तदनुसार इस खंड के तहत आवश्यकताओं पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. कंपनी अपने उर्वरक उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं।

हालाँकि, हमने लागत अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:

क. कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर, उपकर और उस पर लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद लागू वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है;

31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित को छोड़कर, देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए उपरोक्त वैधानिक बकाया राशि बकाया नहीं थी:

बकाये की प्रकृति	राशि (करोड़ रु.)
कर्मचारी राज्य बीमा	0.27
जीएसटी (आरसीएम)	1.40
कुल	1.67

उपरोक्त में ₹ 2.81 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो कि कंपनी द्वारा ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए देय राशि के रूप में रोकी गई थी, उक्त राशि की मांग के लिए संबंधित अधिकारियों से संचार प्राप्त होने तक।

ख. जीएसटी, आयकर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर का कोई बकाया नहीं था, जिसे निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)		अवधि जिस तक राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
		विवादित	जमा		
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	7.22	-	निर्धारण वर्ष 2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)
		1.94	0.08	2017-18	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील
माल एवं सेवा कर	जीएसटी ब्याज और जुर्माना - तमिलनाडु	121.82	-	2018-19	रिट याचिका के माध्यम से माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष
		114.82	-	2019-20	रिट याचिका के माध्यम से माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष
विभागीय अपील					
केरल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	वैट	1.71	-	निर्धारण वर्ष 2009-10	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
		3.40	-	निर्धारण वर्ष 2010-11	
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	डिफरेंशियल कस्टम ड्यूटी, रिडेम्पशन फाइन यू/एस 125(1) और पेनल्टी यू/ एस 114(ए)	65.86	0.05	लागू नहीं	मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय

VIII. हमें ऐसा कोई लेन-देन नहीं मिला जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है। इसलिए, खातों की किताबों में अलिखित आय की रिकॉर्डिंग उत्पन्न नहीं होती।

ix. क. कंपनी ने सिवाय निम्नलिखित के पुन: भुगतान के डिफ़ॉल्ट के संबंध में भारत सरकार (जीओआई) ऋण के किसी वित्तीय संस्थान, बैक या डिबेंचर धारकों को देय ऋणों के पुन: भुगतान में चूक नहीं की है:*

ऋण की प्रकृति	चूक की राशि (करोड़ रुपये में)	मूलधन या ब्याज	डिफ़ॉल्ट की अवधि
योजना ऋण	411.17	मूलधन	वित्तीय वर्ष 2004-05 से अब तक
योजनेतर ऋण	20.77		
ऋण सुधार	122.30		
कुल (क)	554.24		
योजना ऋण	712.60	ब्याज	वित्तीय वर्ष 2004-05 से अब तक
योजनेतर ऋण	44.75		
ऋण सुधार	188.35		
कुल (ख)	945.70		
कुल योग (क)+(ख)	1,499.94		

ख.हमारी जानकारी के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ग.कंपनी ने बैंक से कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ङ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए धन उधार लेने के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

च. कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर धन उधार लेने के संबंध में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

छ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर धन उधार लेने से संबंधित रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

x. क. कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार,

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

ग. जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xii) (ए), (बी) और (सी) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii हमारी राय में, वित्तीय वर्ष के दौरान सभी संबंधित पक्ष लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और उक्त लेनदेन का विवरण लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है।

xiv क. हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, **कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है**।

ख. हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए कंपनी को सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही तक जारी की गई लेखापरीक्षा वर्ष की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है। **आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उल्लिखित टिप्पणियों को कंपनी द्वारा समय पर ठीक नहीं किया गया।**
कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक पेशेवर फर्म को सौंपा गया है। हमारी राय में,आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ कंपनी के व्यवसाय के आकार और संचालन के अनुरूप नहीं हैं। विशेष रूप से, हमने निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

(i) आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को पूरा करने और प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप नियमित स्तर पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी हैं।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों का परिमाणीकरण/प्रकटीकरण रिपोर्टों में नहीं किया गया है जिससे भौतिक निहितार्थों का पता लगाया जा सके।

xv.हमारी राय में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi.कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

(xvi) (बी) और (सी) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

इसके अलावा, हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii. वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

xix. कंपनी ने ₹ 194.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 351.86 करोड़) की हानि अर्जित की है, तथा इसका ऋणात्मक शुद्ध मूल्य ₹ 32.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 189.72 करोड़) है। वर्तमान देयताएं (जिसमें भारत सरकार से ₹ 554.24 करोड़ का ऋण तथा उक्त ऋण पर देय ₹ 945.70 करोड़ का ब्याज शामिल है) इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से ₹ 679.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 754.95 करोड़) अधिक हैं। कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हालांकि, जिस उद्योग में कंपनी काम करती है, तदनुसार,उसके रणनीतिक महत्व तथा इक्विटी शेयरधारकों और हितधारकों के गठन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

कंपनी के संचित घाटे और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी ऐसी अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है,

हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

xx. क. लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जो व्यय न हुई हो, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो।

ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई भी राशि व्यय न हुई हो। तदनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार चालू परियोजनाओं के संबंध में व्यय न हुई राशि को विशेष खाते में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य नहीं है।

xxi. किसी अन्य कंपनी के कोई भी वित्तीय परिणाम नहीं हैं जिन्हें कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ समेकित किया गया हो और तदनुसार, इस खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग के संबंध में आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होती हैं।

हेतु चंद्रन और रामन
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन 000571S
हस्ताक्षरित

(एस.पट्टाभिरामन)
पार्टनर
सदस्यता सं.014309

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 28/05/2025

यू.डी.ई.एन:25014309BMMMWA2705

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक-ग

कंपनी के सदस्यों को समतिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के तहत अनुच्छेद 5 (एफ) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31मार्च,2025 को समाप्त वर्ष में मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ("कंपनी" के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के स्टैंडअलोन इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मार्गदर्शन टिप्पण में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन संस्थान जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव,जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता,पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण से वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन टिप्पण"),आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण औरदोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथाआई. सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 कीधारा 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पण के लिए हमने नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करके और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाई और लेखा परीक्षा की और यह जानकारी प्राप्त की कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया हैऔर यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए जा रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताऔर उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है या नही, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास रखते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्ननीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

क.रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और मनोवृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

ख. यह आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया हो, और कं

पनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

ग. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव देने वालेकं पनी की उन सभी संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण कापता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव,अपर्याप्त के कारण हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर कं पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

क. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय लेखांकन के लिए नया इआरपी सॉफ़्टवेयर एससपी लागू किया है और कंपनी द्वारा लागू किए गए नए सॉफ़्टवेयर की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए कोई सिस्टम ऑडिट नहीं किया गया है। हमारा मानना है कि लेखांकन से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम और देयता को कम किया जा सके।

ख. इन्वेंट्री के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली: हमारी राय में प्रबंधन द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन कवरेज, प्रयुक्त प्रक्रियाओं और सत्यापन की आवृत्ति के संबंध में पर्याप्त नहीं है।;

एक 'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियां कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अयोग्य राय जारी की है।

हेतु चंद्रन और रामन
सनदी लेखाका
एफ.आर.एन 000571S
हस्ताक्षरित

(एस.पट्टाभिरामन)
पार्टनर
सदस्यता सं.014309

स्थान: चेन्नै
दिनांक 28/05/2025

यू.डी.आई.एन:
25014309BMMMWA2705

तुलन पत्र

मार्च 31,2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च,	
		2025	2024
परिसंपत्तियाँ			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
सम्पत्ति,प्लांट एवं उपकरण	2	199.24	198.41
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	2.1	0.00	0.00
अमूर्त परिसंपत्ति	2.1.2	6.37	0.00
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2.2	19.80	21.02
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	2.3	0.00	4.39
निवेश परिसम्पत्तियाँ	3	1.31	1.32
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
i) निवेश	4	524.87	454.77
ii) ऋण	4.1.ए	0.41	20.85
iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.2.ए	2.89	2.90
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	5.1.ए	-	-
अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	6	20.09	17.53
कुल गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		774.98	721.19
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			
वस्तुसूचियाँ	7	209.60	206.25
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
i) व्यापार प्राप्य	8	382.93	321.32
ii) नकद एवं नकद समतुल्य	9	652.14	561.96
iii) उपरोक्त से अन्य बैंक शेष	9.ए	13.93	13.11
iv) ऋण	4.1.बी	10.18	0.55
v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	4.2.बी	15.00	10.13
वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	5.1.बी	21.21	4.90
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	10	153.38	168.08
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		1458.37	1286.30
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां		0.00	0.00
कुल परिसंपत्तियाँ		**2233.35**	**2007.49**
ईक्विटी एवं देनदारियाँ			

तुलन पत्र

मार्च 31,2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ईक्विटि			
इक्विटी शेयर पूंजी	11	162.14	162.14
अन्य ईक्विटी	12	(194.44)	(351.86)
कुल ईक्विटी		(32.30)	(189.72)
देनदारियाँ			
गैर-वर्तमान देनदारियाँ			
वित्तीय देनदारियाँ			
i) उधार	13.1.ए	0.00	0.00
ii) लीज देनदारियाँ	13.2.ए	0.00	0.00
कर्मचारी लाभ दायित्व	14.1.ए	41.35	46.47
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	5.1.ए	86.57	109.09
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	15	0.00	0.40
कुल वर्तमान देनदारियाँ		127.92	155.96
वर्तमान देनदारियाँ			
वित्तीय देनदारियाँ			
i) ऋण	13.1.बी	1594.31	1583.24
ii)व्यापार प्राप्य	16	384.21	283.14
iii) लीज देनदारियाँ	13.2.बी	0.00	0.00
iv) अन्य वित्तीय व्यय	13.3	97.58	109.92
कर्मचारी हितलाभ व्यय	14.1.बी	15.12	12.16
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	17	46.51	52.79
कुल वर्तमान देनदारियाँ		2137.73	2041.25
कुल शेयर और देनदारियां		2233.35	2007.49

वित्तीय विवरण 1 से 33 के महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य टिप्पणियां

/निदेशक मंडल की ओर से/

हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10690782

हस्ताक्षरित/-
डॉ. के. जयचंद्रन
निदेशक - तकनीकी
डीआईएन:10062573

हस्ताक्षरित/-
ए.मदन मोहन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षरित/-
जे.श्रीनिवास सरवणन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

/हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार/

चंद्रन एवं रमन के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकरण संख्या:000571S

हस्ताक्षरित/-
एस.पट्टाबीरामन
पार्टनर
सदस्य सं. 014309
यूडीआईएन: 25014309BMMMWA2705

स्थान:चेन्नै
दिनांक: 28/05/2025

लाभ और हानि का विवरण
मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹करोड़ में)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष	
		2025	2024
राजस्व			
प्रचालनों से आय	18	2,541.85	2,228.42
अन्य आय	19	43.96	44.26
कुल आय		2,585.81	2,272.68
व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	20	1,387.64	1,236.21
व्यापारगत माल की खरीद	21	15.07	10.95
सूची में परिवर्तन	22	4.32	(34.56)
संचालन और रखरखाव व्यय	23	844.67	769.65
कर्मचारी हितलाभ व्यय	24	127.23	102.30
वित्त लागत	25	63.14	72.21
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	11.63	10.29
अन्य व्यय	27	40.52	43.77
कुल व्यय		2,494.22	2,210.82
असाधारण मदों और करों से पूर्व लाभ/(हानि)		91.60	61.85
असाधारण मद	27 ए	-	(49.99)
असाधारण मदों और करों से पश्चात लाभ/(हानि)		91.60	11.86
कर पूर्व लाभ/(हानि)		91.60	11.86
वर्तमान कर		23.20	5.00
पिछले वर्ष कर व्यय / (आय)		(1.11)	0.39
आस्थगित कर		5.26	0.92
कर व्यय / (आय)		27.35	6.30
वर्ष के लिए लाभ/हानि (क)		64.25	5.56

लाभ और हानि का विवरण
मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹करोड़ में)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष	
		2025	2024
अन्य व्यापक आय (कर के बाद) ('ओसीआई')			
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
गैर-वर्तमान निवेशों का उचित मूल्य परिवर्तन	28	70.09	117.59
परिभाषित लाभ दायित्व का पुन: माप	28	(4.70)	0.85
घटा: कर (व्यय) / उपरोक्त पर लाभ	28	27.78	(26.65)
- कुल अन्य व्यापक आय (ख)		93.17	91.79
कुल व्यापक आय(क+ख)		157.42	97.36
प्रति इक्विटी शेयर पर आय (ई.पी.एस.):			
प्रत्येक 10/- रुपये के इक्विटी शेयर के सममूल्य			
बुनियादी और डाइल्यूटिड प्रति ई पी एस शेयर		3.99	0.35
प्रति शेयर आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या		16,11,01,300	16,11,01,300

वित्तीय विवरण 1 से 33 के महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य टिप्पणियां

/निदेशक मंडल की ओर से/

हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10690782

हस्ताक्षरित/-
डॉ. के. जयचंद्रन
निदेशक - तकनीकी
डीआईएन:10062573

हस्ताक्षरित/-
ए.मदन मोहन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षरित/-
जे.श्रीनिवास सरवणन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

/हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार/

चंद्रन एवं रमन के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकरण संख्या:000571S

हस्ताक्षरित/-
एस.पट्टाबीरामन
पार्टनर
सदस्य सं. 014309
यूडीआईएन: 25014309BMMMWA2705

स्थान:चेन्नै
दिनांक: 28/05/2025

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह तालिका

(₹करोड़ में)

विवरण		31 मार्च को समाप्त वर्ष	
		2025	2024
(ए)	**नकद प्रवाह-परिचालन क्रियाकलापों से**		
	सतत परिचालन से कर-पूर्व लाभ	91.60	11.86
	जमा(घटा) समायोजन:		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	11.63	10.29
	वित्त लागत	63.14	71.23
	ब्याज आय	(36.23)	(25.62)
	लाभांश आय	(1.19)	(1.11)
	निवेश परिसम्पत्तियों से आय	(1.83)	(3.73)
	आनावश्यक/खत्मकृत खातों का प्रावधान	(2.81)	(11.01)
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	14.05	0.00
	संयंत्र और उपकरणों की मान्यता रद्द करने पर हानि	0.02	0.99
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और बिक्री के लिए धारित संपत्ति की बिक्री पर हानि /(लाभ)	0.00	0.00
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन नकद प्रवाह	138.37	52.90
	समायोजन		
	सूची में (वृद्धि)/कमी	(4.43)	25.71
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(61.63)	182.30
	ऋण और अग्रिम में(वृद्धि)/ कमी	10.82	(3.04)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(6.52)	(25.49)
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(6.86)	3.35
	व्यापार देय राशि में वृद्धि/(कमी)	101.07	(4.55)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(16.21)	(51.12)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकद	154.62	180.06
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (रिफंड के बाद शुद्ध)	(38.40)	(5.02)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	116.22	175.04
(बी)	**वित्तीय क्रियाकलापों के नकद प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(9.84)	(14.79)
	पूंजीगत कार्य में प्रगति से (वृद्धि)/ कमी	(3.37)	(16.79)
	ब्याज प्राप्त (सकल)	36.23	25.62
	निवेश परिसम्पत्तियों से आय	1.83	3.73
	लाभांश आय	1.19	1.11
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	(0.02)	0.02
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	26.02	(1.10)

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह तालिका

(₹करोड़ में)

(सी)	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	सावधि उधार से निवल आय	0.00	0.00
	वित्तीय आस्तियों से शुद्ध आय	0.00	0.00
	कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक उधार से कुल आय	(43.51)	34.58
	लीज देयता का पुनर्भुतान	0.00	(0.02)
	भुगतानकृत ब्याज	(8.56)	(15.67)
	वित्तीय गतिविधियों से कुल नकद	(52.07)	18.89
	सार		
	(क) परिचालन गतिविधियों से निवल नकद	116.22	175.04
	(ख) निवेश गतिविधियों से निवल नकद	26.02	(1.10)
	(ग) वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल निवल नकद	(52.07)	18.89
	नकद और समतुल्य नकद में निवल वद्धि/(कमी)	90.17	192.83
	वर्ष के आरंभ में नकद और समतुल्य नकद	561.96	369.13
	वर्ष की समाप्ति पर कुल नकद और नकद समतुल्य	652.1	561.96
	नकद और समतुल्य नकद की घटक		
	नकद	0.00	0.00
	बैंक में नकद		
	वर्तमान और नकद क्रेडिट खातों में	132.88	0.01
	12 महीने से कम की परिपक्वता वाली सावधि जमाओं से	519.26	561.95
	कुल नकद और समतुल्य नकद	652.14	561.96

वित्तीय विवरण 1 से 33 के महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य टिप्पणियां

टिप्पणीयाँ:

1. नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक -7 नकद प्रवाह के विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।
2. प्रस्तुति करण में एकरूपता के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहित किया गया है।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

/निदेशक मंडल की ओर से/

हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10690782

हस्ताक्षरित/-
डॉ. के. जयचंद्रन
निदेशक - तकनीकी
डीआईएन:10062573

हस्ताक्षरित/-
ए.मदन मोहन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षरित/-
जे.श्रीनिवास सरवणन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

/हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार/

चंद्रन **एवं रमन के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकरण संख्या:000571S

हस्ताक्षरित/-
एस.पट्टाबीरामन
पार्टनर
सदस्य सं. 014309
यूडीआईएन: 25014309BMMMWA2705

स्थान:चेन्नै
दिनांक: 28/05/2025

इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण

31 मार्च 2025 तक

ए) इक्विटी शेयर पूंजी

₹ करोड़ों में

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	161,101,300	161.10
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	161,101,300	161.10
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	161,101,300	161.10

बी) अन्य इक्विटी

विवरण	भंडार और अधिशेष		अन्य व्यापक आय की वस्तुएँ	कुल इक्विटी
	प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	
1 अप्रैल,2023 तक शेष राशि	12.39	(722.10)	260.52	(449.20)
वर्ष (2023-24) के लिए लाभ/(हानि)	-	5.55	-	5.55
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	-	-	91.79	91.79
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	5.55	91.79	97.34
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	12.39	(716.55)	352.31	(351.86)
1 अप्रैल,2024 तक शेष राशि	12.39	(716.55)	352.31	(351.86)
वर्ष (2024-25) के लिए लाभ/(हानि)	-	64.25	-	64.25
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	-	-	93.17	93.17
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	64.25	93.17	157.42
मार्च 31, 2025 को समाप्त शेष	12.39	(652.30)	445.48	(194.44)

वित्तीय विवरण 1 से 33 के महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य टिप्पणियां

/निदेशक मंडल की ओर से/

हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10690782

हस्ताक्षरित/-
डॉ. के. जयचंद्रन
निदेशक - तकनीकी
डीआईएन:10062573

हस्ताक्षरित/-
ए.मदन मोहन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षरित/-
जे.श्रीनिवास सरवणन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

/हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार/

चंद्रन एवं रमन के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकरण संख्या:000571S

हस्ताक्षरित/-
एस.पट्टाबीरामन
पार्टनर
सदस्य सं. 014309
यूडीआईएन: 25014309BMMMWA2705

स्थान:चेन्नै
दिनांक: 28/05/2025

नोट 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

कॉर्पोरेट जानकारी

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ("एम.एफ.एल." या "कंपनी"), उर्वरक विभाग ('डी.ओ.एफ.'), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ('पी. एस.यू'.) है, और पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय मनलि औद्योगिक क्षेत्र, चेन्नई - 600 068 में स्थित है।

कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एन. एस.ई.') में सूचीबद्ध हैं। एम.एफ.एल. यूरिया और कॉम्प्लेक्स उर्वरक के निर्माण का कार्य करता है। यह जैव-उर्वरकों के निर्माण और 'विजय' ब्रांड नाम से पर्यावरण के अनुकूलन कृषि रसायन, जैविक खाद और सिटी कम्पोस्ट का व्यापार भी करता है।

अनुपालन विवरण के तैयारी का आधार नक्शा

क. यह वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और समय-समय पर संशोधित अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधान के अनुसार लागू (भारतीय लेखा मानक) ('इंड ए.एस.') के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख. यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति का उपयोग करते हुए, उन मदों को छोड़कर, जिसे विशेष रूप से संबंधित लेखांकन नीतियों में इंगित किए गए हैं, एक चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ग. यह वित्तीय विवरण भारतीय मुद्रा (आई.एन.आर.) मेंतैयार किए गए हैं जो कं पनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। वित्तीय विवरण में प्रदर्शित सभी राशियों को जब तक अन्यथा न कहा गया हो निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

घ. उचति मूल्य माप:

उचित मूल्यों के मापन हेतु कंपनी में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। कंपनी नियमित रूप से महत्वपूर्ण गैर-अवलोकन योग्य इनपुट और मूल्यांकन समायोजन की समीक्षा करती है।

ऐसे मामलों में जहां तीसरे पक्ष द्वारा उचित मूल्यों की गणना की जानी है, कंपनी इस निष्कर्ष समर्थन करने हेतु ऐसे तीसरे पक्षों द्वारा प्राप्त साक्ष्य का आकलन करती है कि ये मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसमें उचित मूल्य पदानुक्रम में वह वर्गीकृत स्तर भी शामिल है जिसमें मूल्यांकन किया जाना है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम में उचित मूल्यों को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

क. **स्तर 1:** समान परिसम्पत्तियों या देनदारियों हेतु सक्रिय बाजारों से उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

ख. **स्तर 2**: स्तर1 में से उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्य में) या परोक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) का इस्मतेमाल किया जाता है।

ग. **स्तर3:**परिसम्पत्तियां या देनदारियां जो अवलोकनीय बाजार डेटा इनपुट (अनावलोकनीय योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने हेतु, कंपनी जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने हेतु उपयोग किए जाने वाले इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य माप को पूरी तरह से उचित मूल्य पदानुक्रम के समान स्तर में निम्नतम स्तर के इनपुट जिसे कुल माप के महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी उस रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जिसके दौरान उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है को मान्यता देती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: (पीपीई)

फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक कीमत पर दर्शाया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अन्य सभी आइटमों को घटा मूल्यह्रास ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। ऐतिहासिक लागत, वस्तुओं के अधिग्रहण हेतु सीधे जिम्मेदार होता है। पी.पी.ई. की परिभाषा को पूर्ण करने पर स्पेयर पार्ट्स को पूंजित विषय के तहत दर्शाया जाता है।

बाद की लागतों को आस्तियों की राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा उपयुक्त हो, के वल तभी जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित करते हैं और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सके। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब में रखे गए किसी भी घटक की अग्रणीत राशि को बदलते समय उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लाभ या हानि में लिए जाते हैं जिसमें वे व्यय किए गए हैं।

यदि आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो उस परिसंपत्ति की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि में तुरंत लिख दी जाती है। निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की वहन राशि के साथ तुलना से की जाती है। इसे अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ या हानि में शामिल किया गया है।

प्रगति पर पूंजीगत कार्य में व्यवहार्यता/कमीशन चरण के तहत परियोजनाओं और अन्य पूंजीगत कार्यों पर होने वाली लागत शामिल है। लागत में कार्य-प्रगति में होने वाले व्यया शामिल हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों' के तहत पूंजीगत अग्रिम केरूप में वर्गीकृत किया गया है। संयंत्र और मशीनरी जो नवीनीकरण के अभाव में उपयोग में नहीं हैं, उन्हें उपयोग में लाने तक उनकी वहन लागत पर पुनर्समूहित किया गया है।

मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप संपत्ति के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर दर्शाया गया है, जैसा कि स्ट्रैट्लाईन पद्धति का उपयोग करके तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की गर्र है।

संयंत्र और उपकरण की अवधि बढ़ाना:

नेफ्था से आरएलएनजी में फीडस्टॉक रूपांतरण के साथ, संयंत्र और मशीनरी के उपयोगी अवधि का तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। उक्त मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, सयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन-काल 01/04/2021से 15 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया (एनपीके संयत्र को छोड़कर, जिसका जीवन-काल 10 वर्ष है) और मूल्यह्रास प्रदान किया गया है संयंत्र और उपकरण का उपयोगी अवधि बढ़ाया।

मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन-काल के उनके अनुमान उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है।

आई.एन.आर. 5,000 से कम की लागत वाली संपत्तियों को पूंजीकृत किया गया है और आई.एन.आर. 1 के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखते हुए खरीद के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है

संयंत्र और मशीनरी, इमारतों, सड़कों, पुलों और रेलवे साइडिंग के संबंध में 5% का और अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में आई.एन.आर 1 अवशिष्ट मूल्य जिसमें सरकारी अनुदान/रीटेल मार्जिन और पूंजी स्पैर्स भी शामिल हैं।

परिसंपत्तियों के कमीशनिंग/निवृत्ति के दौरान, उस अवधि के लिए जब परिसंपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध होती है मूल्यह्रास की गणना आनुपातिक आधार पर की गई है।

अमान्यताकृत (डी-रेक्ग्रीशन)

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती तो उस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटाने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के निपटान या निवत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापते समय, कंपनी यथासंभव अवलोकनीय बाजार डेटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर पर पूरी तरह से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सबसे कम स्तर का इनपुट होता है जो पूरे माप के लिए महत्वपूर्ण होता है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरण को मान्यता देती है, जिसके दौरान परिवर्तन हुआ है।

अ. अमूर्त परिसंपत्ति:

मान्यता और माप: अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा जाता है, वसूली योग्य करों को घटा कर। अमूर्त संपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा जाता है और बाद में संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।

सीमित उपयोगी जीवन-काल वाली अमूर्त संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन-काल पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी जीवन-काल के प्रबंधन के अनुमान नीचे दिए गए हैं:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	जीवन-का का तकनीकी मूल्यांकन या 10 वर्ष, जो भी कम हो
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5-10 साल

अनुमानित उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा प्रबंधन द्वारा सालाना की जाती है। कंपनी के पास अनंत उपयोगी जीवन-काल वाली कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों पर व्यय को पूंजीकृत नहीं किया जाता है तथा वह उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है जिसमें ऐसा व्यय किया गया हो।

विकास से उत्पन्न (या किसी आंतरिक परियोजना के विकास चरण से) आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, यदि और केवल यदि, निम्नलिखित सभी को प्रदर्शित किया गया हो:

अ. अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि यह उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो सके

आ. अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने और इसका उपयोग या बिक्री करने का इरादा

इ. अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग या बिक्री करने की क्षमता;

ई. अमूर्त परिसंपत्ति किस प्रकार संभावित भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी;

उ. विकास को पूरा करने और अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग या बिक्री करने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता; और

ऊ. इसके विकास के दौरान अमूर्त परिसंपत्ति पर होने वाले व्यय को विश्वसनीय रूप से मापने की क्षमता।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि उस तिथि से किए गए व्यय का योग है, जब अमूर्त परिसंपत्ति पहली बार ऊपर सूचीबद्ध मान्यता मानदंडों को पूरा करती है। परियोजना के पूर्ण होने और उसके उपयोग का उद्देश्य के लिए उपलब्ध होने पर या यदि ये मानदंड अब लागू नहीं होते हैं, तो लागतों को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया जाता है। जहां विकास गतिविधियां परिसंपत्ति के रूप में मान्यता के लिए शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, वहां किसी भी संबद्ध व्यय को उस अवधि में व्यय माना जाता है, जिसमें वह व्यय किया गया है।

खरीदे/विकसित किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस पर होने वाली लागत जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में आर्थिक लाभ होता है, विशिष्ट सॉफ्टवेयर के अलावा जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं, उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। हालांकि, जहां ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस विकास के अधीन हैं या अभी उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी वस्तुओं पर होने वाली संचित लागत को "विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति" के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ख. गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी एक परिसंपत्ति या संपत्ति का एक ग्रुप (नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) के खराब होने के संकेत का मूल्यांकन करती है यदि ऐसे कोई संकेत मिलने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जो इसके उपयोग में मूल्य और इसकी निवल बिक्री मूल्य से अधिक है। यदि संपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकद उत्पादन इकाई की वसूली योग्य राशि जिसके लिए संपत्ति संबंधित है इसकी वहन राशि से कम है, तो इस कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और इसे लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है। यदि तुलन-पत्र की तिथि पर यह संकेत मिलता है कि यदि पहले से मूल्यांकन की गई हानि अब मौजूद नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूलमूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति को अधिकतम मूल्यह्रास ऐतिहासिक लागत के अधीन वसूली योग्य राशि पर प्रतिबिंबित किया जाता है।

ग. पट्टे (लीज):

कंपनी, अनुबंध की शुरुआत में, यह आकलन करती है कि अनुबंध एकतार है या नहीं। एक अनुबंध एक लीज माना जाता है, यदि वह अनुबंध एक प्रतिफल के बदले में एक निर्धारित समय के लिए किसी पहचानकृत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह नीति मौजूदा और 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद हस्तक्षरित अनुबंधों पर लागू की गई है।

परिवर्तनकाल:

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड ए.एस.116 "लीज" को अपनाया और 1 अप्रैल, 2019 को मौजूद सभी लागू पट्टा अनुबंधों के लिए प्रारंभिक लागू की गई तारीख पर मान्यता प्राप्त मानक को शुरू में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए मानक लागू किया। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी और नहीं दी है अउर लीज की देयता के समतुल्य राशि पर उपयोग के अधिकार को मान्यता प्रदान किया है।

एक पट्टेदार (लीजी) के रूप में कंपनी:

कंपनी, लीज शुरू होने की तारीख से संपत्ति के उपयोग का अधिकार और लीज देयता को मान्यता देती है। अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस साइट पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर, संपत्ति के उपयोग के अधिकार को आरम्भ मेंलागत के रूप में मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत का अनुमान शामिल किया जाता है

राइट-ऑफ़-यूज़ संपत्ति (एसेट) को बाद में सीधी-लाइन पद्धति (स्ट्रेट-लाइन मेथड) का उपयोग करके शुरू होने की तारीख से लीज़ अवधि के अंत होने तक परिशोधित (अमॉर्टाइज़) किया जाता है। लीज़ देयता (लायबिलिटी) को शुरू में उन लीज़ भुगतान की वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो शुरू होने की तारीख पर नहीं दिए गए हैं, लीज़ में शामिल ब्याज दर का इस्तेमाल करके कम (डिस्काउंट) या, अगर आसानी से पता न चल सके, तो कंपनी के वृद्धिशील उधार दर (इंक्रीमेंटल बॉरोइंग रेट) का इस्तेमाल करके किया जाता है।

इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में बदलाव से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे भुगतान में कोई बदलाव होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई बदलाव होता है, या यदि कंपनी अपने मूल्यांकन को बदलती है कि वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं। जब पट्टे की देनदारी को इस तरह से फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है, तो इसे लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

जब भी कोई घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव का संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली योग्य नहीं हैतब संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन वसूली के लिए किया जाता है । हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, वसूली योग्य राशि (अर्थात, बिक्री के लिए उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में मूल्य का अधिक्तम) एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो काफी हद तक स्वतंत्र हैं और अन्य संपत्तियों से है। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि का निर्धारण उस कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के लिए किया जाता है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम की लीज अवधि और कम मूल्य की संपत्ति के लीज और अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे की देनदारियों को मान्यता नहीं दी है । कंपनी इन लीजों से जुड़े भुगतान को लीज की अवधि के खर्च के रूप में मान्यता देती है।

घ. एक पट्टादाता के रूप में कंपनी:

कंपनी अपने प्रत्येक लीज को उसकी शुरुआत में एक परिचालन लीज या एक वित्त लीज के रूप में वर्गीकृत करती है। कंपनी परिचालन पट्टों के तहत प्राप्त लीज भुगतानों को स्ट्रैट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय के रूप में मान्यता देती है।

च. निवेश सम्पत्तियां :

रेंटल या पूंजी वद्धि अर्जित करने के लिए रखी गई संपत्तियों को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, लेन-देन की लागत और योग्य परिसंपत्तियों के लिए पूंजीकृत उधार लागत के साथ लागत शीर पर मापा और रिपोर्ट किया जाता है।

कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्टानुसार मूल्यह्रास को स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है ताकि निवेश संपत्ति की लागत को उनके उपयोगी

जीवन से और उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम किया जा सके । प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा की जाती है ताकि निवेश संपत्ति में सन्निहित भविष्य के लाभों की खपत का अपेक्षित पटैर्न को प्रतिबिंबित किया जा सके । प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्यों की भी समीक्षा की जाती है और उपयोगी जीवन-काल/अवशिष्ट मूल्य के अनुमानों में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संभावित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। फ्रीहोल्ड जमीन मुल्यह्रास के अधीन नहीं है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग निकल दिया जाता है और इस निपटान से भविष्य में आर्क थि लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य करार दिया जाता है। संपत्ति के अमान्य करारने पर किसी भी लाभ या हानि को उसी अवधि में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

ड. इन्वेंटरी:

इन्वेंटरी को कम लागत और नेट वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है। इन्वेंट्री की लागत में इन्वेंट्री प्राप्त करने में व्यय, उत्पादन या परिवर्तन लागत, और अन्य लगत जो उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए है, शामिल किया जाता है। विनिर्मित वस्तुओं (तैयार माल) और प्रगति पर काम के मामले में, लागत में सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर निश्चित उत्पादन ओवरहेड के उचित हिस्से से लेखांकित किया जाता है।

विभिन्न श्रेणियों के माल की लागत के निर्धारण की विधि इस प्रकार है:

1. कच्चा माल और पैकिंग सामग्री भारित औसत लागत:
2. भंडार और पुर्जे और उत्प्रेरक (अभी जारी नहीं किए गए हैं) - मासिक चल भारित औसत लागत;
3. तैयार माल - लागत पर या एनआरवी, जो भी कम हो
4. कार्य-प्रक्रिया (अमोनिया और निर्मित थोक यूरिया सहित) - उत्पादन लागत। जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष मजदूरी और लागू उपरिव्यय शामिल हैं।;
5. व्यापारिक माल भारित औसत लागत:
6. पारगमन/निरीक्षणाधीन माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है;
7. ऑफ-स्पेक निर्मित उत्पादों का अनुमान शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों पर लगाया जाता है।

तकनीकी विभाग द्वारा मूल्यांकन के अनुसार उत्प्रेरक को इसके उपयोगी अवधि के आधार पर तय किया जाता है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य को दर्शाता है, जिसमें जहां भी लागू हो, सब्सिडी आय भी शामिल है, जिसमें से माल की पूर्ति की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत को घटाया जाता है।

गैर-चलित/अप्रचलित स्टोर और पुर्जे:

तकनीकी समिति वर्ष में एक बार पुर्जों की समीक्षा करेगी और ऐसे पुर्जों को शॉर्टलिस्ट करेगी जिन्हें अप्रचलित/ नॉन-मूविंग माना जाता है, जिन्हें बोर्ड की उचित मंजूरी के साथ बहीखातों से हटा दिया गया है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य में अप्रचलन, क्षति या अन्य कमी के प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए, वर्ष में एक बार तकनीकी समिति द्वारा समीक्षा के बाद अप्रचलित/गैर-चलती दुकानों और पुर्जों के लिए प्रावधान किया जाता है।

च.राजस्व मान्यता:

राजस्व माल की बिक्री से हुई लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो कि ग्राहकों के साथ अनुबंधों में निर्दिष्ट मात्रा में छूट, मूल्य रियायतों, प्रोत्साहनों और वापसी, यदि कोई हो, के लिए समायोजित प्रतिफल है।

माल की बिक्री

निवल वापसी और व्यापार छूट के आधार पर और ग्राहकों को हस्तांतरित किए जाने पर माल की बिक्री की मान्यता की जाती है। माल की बिक्री के मामले में निष्पादन दायित्व जब लागू शर्तों के अनुसार सामान ग्राहकों को भेज दिए जाने पर या ग्राहकों को सुपुर्दगी देने पर संतुष्ट होता है।

सब्सिडी का लेखा-जोखा

कंपनी अधिसूचित नीतियों के अनुसार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के आधार पर सब्सिडी आय को इंड एएस 20 'सरकारी अनुदान और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के लिए लेखांकन' के अनुसार मान्यता देती है। कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त सब्सिडी को 'परिचालन से राजस्व' के अंतर्गत माना जाता है।

प्रदान की गई सेवाओं से आय की पहचान संबंधित पक्षों के साथ समझौतों/व्यवस्थाओं के आधार पर की जाती है और जब ऐसी सेवाओं के लिए प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

छ. सरकारी अनुदान (जीओआई से सब्सिडी):

जब तक कंपनी सरकारी अनुदानों से जुड़ी शर्तों का पालन करने और अनुदान प्राप्त किए जाने हेतु उचित आश्वासन मिलने तक उन अनुदानों को मान्यता नहीं दी जाती है।

सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में पहचान की गई है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का उद्देश्य रहा हो। विशेष रूप से, सरकारी अनुदान जिसकी प्राथमिक शर्त कं पनी को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना या संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि में कटौती करना हो।

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कं पनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हैं, उस अवधि में जिसमें वे इसके अनुसार प्राप्य हों लाभ और हानि के विवरण में दर्शाए जाते हैं। अधिसूचित नीतियां निम्नानुसार हैं:

i. यूरिया सब्सिडी आय को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार कंपनी द्वारा बेचे गए उर्वरकों की मात्रा के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। वार्षिक वद्धि/इनपुट कीमतों में कमी के कारण वृद्धि/कमी पर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक वास्तविक अनुमानों के आधार पर मान्यता दी जाती है। भारत सरकार से अंतिम अधिसूचना की प्राप्ति के वर्ष में, यदि कोई अंतर होने पर समायोजन किया जाता है;

ii स्फेटिक और पोटासिक (पी & के) उर्वरकों पर सब्सिडी को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत कंपनी द्वारा बेचे गए उर्वरकों की मात्रा पर अधिसूचित रियायत दरों के अनुसार मान्यता दी गई जाती है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है;

iii. यूरिया, पी & के उर्वरकों और आयातित यूरिया पर एक समान फ्राइट सब्सिडी का हिसाब मानकों और अधिसूचित दरों के अनुसार किया गया है;

iv. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर शहरी खाद पर सब्सिडी को मान्यता दी गई है;

v. फीडस्टॉक को एलएनजी में बदलने पर प्राप्त विशेष मुआवजे भारत सरकार द्वारा नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त है;

अन्य आय:

क. तीसरे पक्ष को पट्टे (लीज) पर दी गई संपत्तियों के किराये से होने वाली आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी गई है।

ख.वसूली की उचित निश्चितता की अधार पर अन्य सभी दावों को मान्यता दी गई है।

ज.उधार लेने की लागत:

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट उधार लागत, जो ऐसी संपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती हैं, जब तक कि ऐसी समय के रूप में संपत्ति उनके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है।

विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक आस्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दी गई है।

जब अर्हक संपत्ति पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा अन्य बाधित होती है और ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता हैतब उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि मेंलाभ या हानि में मान्यता दी गई है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

झ.विदेशी मुद्रा विनिमय:

कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा:

कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) का उपयोग करके मापा जाता है, जिसमें कि इकाई संचालित है ।

भारत कंपनी का प्राथमिक आर्थिक वातावरण होने के कारण, वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों (आईएनआर) में प्रस्तुत किये जाते हैं जो कि कम्पनी की कार्यात्मक तथा प्रस्तुत मुद्रा है ।

लेन-देन और शेष राशि:

लेनदेन की तारीखों में विनिमय दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किया जाता है। इस तरह के लेन-देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में

मूल्यवर्गित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों के विनिमय दरों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

ञ.वित्तीय साधन (इंस्ट्रुमेंट):

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को एक कंपनी द्वारा लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाने पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन की लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं (वित्तीय संपत्ति और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के अलावा) को जैसा उपयुक्त हो प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया गया है। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी गई है।

वित्तीय परिसम्पत्तियां:

प्रारंभिक मान्यता पर व्यापार खाते प्राप्य (इंड ए.एस.115 के अनुसार) उनके लेनदेन मूल्य पर मापा गया है।

बाद के माप के प्रयोजन के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफ.वी.ओ.सी.आई.)

एफ.वी.टी.पी.एल को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं।

इक्विटी इंस्ट्रुमेंट में निवेश को मान्यता दी गई है और उचित मूल्य पर मापा गया है। कं पनी के इक्विटी निवेश को ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा जाता है। सामान्य तौर पर, आय विवरण में इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता दी जाती है। हालांकि, प्रारंभिक मान्यता पर कंपनी ने अन्य व्यापक आय (हानि) ("ओसीआई") में व्यक्तिगत रणनीतिक इक्विटी निवेश के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, साधन-दर-साधन आधार पर चुना गया है।

नकद और नकदी के समतुल्य:

कंपनी उन सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों पर विचार करती है जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद के समकक्ष हैं। नकद और नकद समकक्ष में बकों के पास शेष राशि जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है को माना जाता है । प्रतिबंधित नकद और बैंक शेष को अन्य बैंक शेष के रूप में वर्गीकृत और प्रकट किया गया है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां :

प्रभावी ब्याज पद्धति एक ऋण साधन की परिशोधन लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज आय आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो ऋण साधन के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों (सभी शुल्क और भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए बिंदओं सुहित प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट के एक अभिन्न अंग सहित) को छूट या जहां उपयुक्त हो, प्रारंभिक मान्यता पर शुद्ध वहन राशि के लिए एक छोटी अवधि देती है।

एफ.वी.टी.पी.एल. में वर्गीकृत वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा अन्य ऋण लिखतों के लिए आय को प्रभावी ब्याज आधार पर मान्यता दी गई है। ब्याज आय को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना गया है और इसे "अन्य आय" लाइन आइटम में शामिल किया गया।

एफ.वी.ओ.सी.आई. में वित्तीय परिसम्पत्तियां:

प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी इक्विटी लिखतों में निवेश से संबंधित अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव (साधन-दर-साधन आधार पर) कर सकती है। यदि ट्रेडिंग के लिए इक्विटी निवेश आयोजित किया गया हैतो इस चुनाव की अनुमति नहीं दी गई है। इन चुने हुए निवेशों को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापा गया है। इसके बाद, उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है और 'अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरणों के लिए आरक्षित' में जमा किया गया है। संचयी लाभ या हानि को निवेश के निपटान पर लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए एक वित्तीय संपत्ति रखी जाती है यदि:

- इसे मुख्य रूप से निकट भविष्य में इसे बेचने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है; या
- प्रारंभिक मान्यता पर यह पहचान किए गए वित्तीय साधनों के एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिसे कं पनी एक साथ प्रबंधित करती है और अल्पकालिक लाभ लेने का एक हालिया वास्तविक पैटर्न है; या
- यह एक व्युत्पन्न है जो एक हेजिंग साधन या वित्तीय गारंटी के रूप में नामित और प्रभावी नहीं है।

इक्विटी लिखतों में इन निवेशों पर लाभांश को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है जब लाभांश प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाए, यह संभावना है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे, लाभांश एक वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता, निवेश की लागत का हिस्सा और लाभांश की राशि को मज़बूती से मापा जाता है। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभांश 'अन्य आय' लाइन मद में शामिल किए गए हैं।

एफ.वी.टी.पी.एल.में वित्तीय परिसंपत्तियां:

एफ.वी.टी.पी.एल. की वित्तीय परिसंपत्तियों में परिशोधन लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा न करने वाले या व्यापार के लिए रखे गए इक्विटी उपकरण या कुछ शर्तों को पूरा करने वाले वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर एफ.वी.टी.पी.एल. में नामित किया जाता है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी इसी श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इस श्रेणी के परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि:

कंपनी ने परिशोधन लागत, लीज प्राप्य, व्यापार प्राप्य और नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के अन्य संविदात्मक अधिकारों पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि को पहचानने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है। अपेक्षित क्रेडिट हानि दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि सभी प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के आधार पर हानि भत्ता दिया जाए। अपेक्षित क्रेडिट हानि वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक अवधि पर क्रेडिट हानियों का संभाव्यता-भारित अनुमान है।

व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के किसी भी संविदात्मक अधिकार के लिए, जो कि इंड एएस 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप आते हैं, कंपनी अवधि भर के अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर हानि भत्ता को मापती है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि प्रावधान ऐतिहासिक हानि दर, वर्तमान विकास जैसे चलनिधि के मुद्दों और भविष्य की आर्क थि स्थितियों के बारे में जानकारी सहित उचित और सहायक जानकारी पर आधारित हैं, ताकि ग्राहक-विशिष्ट या व्यापक आर्थिक वातावरण में संभावित परिवर्तनों को सुनिश्चित किया जा सके ।

वित्तीय संपत्तियों की मान्यता रद्द किया जाना:

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब समाप्त करती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करती है और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्डों को किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित करती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्डों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है और हस्तांतरित संपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी संपत्ति में अपने बनाए गए ब्याज और राशियों के लिए एक संबद्ध देयता को पहचानती है जो उसे चुकानी पड़ सकती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्डों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता जारी रखती है और प्राप्त आय के लिए संपार्श्विक उधार को भी मान्यता देती है।

वित्तीय देनदारियां:

वित्तीय देनदारियों की वहन मात्रा जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। ब्याज व्यय जिसे किसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया गया है, उसे 'वित्त लागत' लाइन मद में शामिल किया जाता है।

प्रभावी ब्याज पद्धति एक वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत की गणना करने और प्रासंगिक अवधि में ब्याज व्यय

आवंटित करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय देयता के अपेक्षित जीवन के दौरान अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान (सभी शुल्क और भुगतान किए गए या प्राप्त अंक सहित प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न अंग सहित) को छूट देती है , या (जहां उपयुक्त हो) प्रारंभिक मान्यता पर शुद्ध वहन राशि के लिए एक छोटी अवधि हो।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द किया जाना:

कंपनी वित्तीय देनदारियों को तब और केवल जब, कंपनी के दायित्वों का निर्वहन, रद्द या समाप्त होने पर अमान्य करारती है। ऋण लिखतों के ऋणदाता के साथ काफी भिन्न शर्तों के साथ एक एक्सचेंज को मूल वित्तीय देयता की समाप्ति और एक नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में मान्यता दी जाती है। इसी तरह, मौजूदा वित्तीय देयता की शर्तों में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मूल वित्तीय दायित्व की समाप्ति और एक नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में मान्यता दी जाती है। गैर-मान्यता प्राप्त वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और भुगतान और देय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

ऑफसेटिंग वित्तीय साधन (इंस्ट्रुमेंट):

तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति की वसूली और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा होता है तब वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होता और व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और प्रतिपक्ष के चूक, दिवाला या दिवालियापन की स्थिति में लागू होना आवश्यक है।

ट.उचित मूल्य मापन:

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाए या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है । उचित मूल्य मापन उचित मूल्य का उपयोग है (अर्थात, वह मूल्य है जो किसी इकाई की संपत्ति और देनदारियों को मापने में माप तिथि पर एक परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाए बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक दायित्व को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाए). कंपनी इंड एएस 113 के अनुसार उचित मूल्य माप का पालन करने का विकल्प चुनती है, जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के संबंध में जैसा कि नोट संख्या 1.2 में दर्शाया गया है।

ठ.प्रति शेयर आय:

प्रति शेयर मूल आय ("ईपीएस") की गणना इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों में बोनस तत्वों के लिए समायोजित किया जाता है और ट्रेजरी शेयरों को छोड़कर। प्रस्तुत वर्षों में कंपनी के पास कोई संभावित रूप से कम करने वाली प्रतिभूतियाँ नहीं थीं।

ड. कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों में मजदूरी, वेतन, प्रोत्साहन, अल्पकालिक अवकाश वेतन आदि शामिल हैं। रोजगार की शर्तों और नियमों के अनुसार देय परिलब्धियों के अतिरिक्त कर्मचारी लाभों के प्रति देयता को उस वर्ष में देयता के रूप में गिना जाता है जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त लाभों के लिए अनुमोदन किया जाता है।

रोजगार के बाद लाभ:

क.परिभाषित योगदान योजनाएं:

संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता और भविष्य निधि से युक्त परिभाषित अंशदान योजनाओं में भुगतान किए गए/देय अंशदान को प्रत्येक वर्ष लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब कर्मचारी योगदान के लिए पात्र होते हैं।

ख.परभिाषति लाभ योजनाएं:

उपदान और भविष्य निधि ट्रस्ट के योगदान को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में मान्यता दी गई है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है। कंपनी में परिभाषित लाभ योजनाओं में से केवल उपदान एक वित्त पोषित परिभाषित लाभ योजना है।

कंपनी कर्मचारियों के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर कंपनी द्वारा स्थापित ट्रस्ट में भविष्य निधि योगदान करती है। ट्रस्ट द्वारा हितग्राहियों को जिस दर पर वार्षिक ब्याज देय है, उसको सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। ट्रस्ट के निवेश से वापसी और अधिसूचित ब्याज दर के बीच कोई कमी हो, यदि कोई हो, तो वह कंपनी का दायित्व है।

कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग की जाती है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पिछली अवधि में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया जाता है, उस राशि को छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाया जाता है।

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा परिभाषित लाभ दायित्वों की राशि की गणना सालाना दर पर की जाती है

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन, जिसमें जीवनांकक लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) शामिल है, को तुरंत अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय/आय, सेवा लागत और अन्य व्यय लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

जब किसी योजना के लाभों को बदला जाता है या जब किसी योजना में कटौती की जाती है, तो लाभ में परिणामी परिवर्तन जो पिछली सेवा से संबंधित है या कटौती पर लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी किसी परिभाषित लाभ योजना के निपटान पर लाभ और हानि को तब पहचानती है जब निपटान होता है।

ग.अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

कंपनी की अर्जित छुट्टी के तहत लाभ, सेवानिवत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ और सेवा पुरस्कार आदि दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के अंतर्गत आते हैं और अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाने जाते हैं। इन बीमांकिक लाभ या हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

ण.आयकर:

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है और यह एक व्यापार संयोजन, या सीधे इक्विटी या ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है।

वर्तमान कर:

वर्तमान कर में कर के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य अपेक्षित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई समायोजन शामिल है। देय या प्राप्य वर्तमान कर की राशि भुगतान या प्राप्त होने की उम्मीद की गई कर राशि का एक अच्छा अनुमान है जो आयकर से संबंधित अनिश्चितता यदि कोई हो को दर्शाता है। इसे रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा गया है।

आस्थगित कर:

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी गई है। आस्थगित कर मान्यता प्राप्त नहीं है:

- लेन-देन में संपत्ति या देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर अस्थायी अंतर जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ और हानि को प्रभावित करता है;
- सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर इस हद तक कि कं पनी अस्थायी मतभेदों के उलटने के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि वे निकट भविष्य में उलट नहीं होंगे; तथा

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी गई है कि वे भविष्य में वह कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसे उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई है और तदनुसार समायोजित की गई है।

गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूलर्मूयांकन किया गया है और इस हद तक मान्यता दी गई है कि यह संभावित हो कि भविष्य में यह कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके खिलाफ उनका उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा गया है जिसे अस्थायी अंतरों पर लागू करने की उम्मीद हो और जब वे रिवर्स कर दरों का उपयोग करते हुए या रिपोर्टिंग तिथि पर वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं तब वर्तमान कर आस्तियों और कर देनदारियों को ऑफसेट किया गया है जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार दिया गया है और या शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा हो, या परिसंपत्ति का एहसास करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा हो।

ज. बिक्री के लिए धारित गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां:

गैर-वर्तमान संपत्ति और निपटान समूह को "बिक्री के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि उनकी अग्रणीत राशि को निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूली योग्य है। "बिक्री के लिए धारित" के वर्गीकरण की शर्त तब पूरी होती है जब गैर-वर्तमान संपत्ति या निपटान समूह तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और "बिक्री के लिए धारित" के रूप में वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा होने की अत्यधिक संभावना हो।

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियों और निपटान समूह को वहन राशि के निचले स्तर पर और बेचने की उचित मूल्य कम लागत पर मापा गया है। इनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है जबकि इन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

गैर-वर्तमान परिसंपत्ति और निपटान समूह जो "बिक्री के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत होना बंद हो जाता है, गैर-वर्तमान संपत्ति और निपटान समूह को किसी भी मूल्यह्रास / परिशोधन के लिए समायोजित "बिक्री के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले वहन राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि उस तिथि पर जब निपटान समूह अब "बिक्री के लिए धारित" मानदंड को पूरा नहीं करती है।

त. ऑपरेटिंग सेगमेंट:

इंड ए.एस.108 ऑपरेटिंग सेगमेंट के अनुसार, सेगमेंट की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान कं पनी के प्रबंधन द्वारा सेगमेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है।

इंड ए.एस.108 के अर्थ में सी.एम.डी. कंपनी का 'चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर' या 'सी.ओ.डी.एम.' है। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

खंड प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया गया है और वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा गया है।

थ. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां:

जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व के निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तो इसे प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान माना गया है। यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान भविष्य में अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं। छूट की समाप्ति को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी गई है। अपेक्षित भविष्य के परिचालन घाटे के लिए प्रदान नहीं किया गया है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक संभावित दायित्व होने, जिसके अस्तित्व की पुष्टि के वल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं या गैर-घटना से होती है जिसे पूरी तरह से कं पनी के नियंत्रण

में नहीं किया जा सक्ता है या वर्तमान दायित्व है कि पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां या तो यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तब किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक संपत्तियों की पहचान नहीं की जा सकती है। उनका खुलासा तभी किया जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों से आर्थिक लाभ की आमद संभव हो।

प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है।

असाधारण मद:

असाधारण मदों को वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया गया है जहां कं पनी के वित्तीय प्रदर्शन की और अधिक समझ प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। वे आय या व्यय की भौतिक वस्तुएं, जिन्हें उनकी प्रकृति या राशि के महत्व के कारण अलग से दिखाया गया है।

वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण:

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कं पनी के सामान्य परिचालन चक्र के अनुसार वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के रूप में इंड ए.एस.1 में निर्धारित अन्य मानदंड हैं।

परिचालन चक्र: कंपनी के उत्पादों / गतिविधियों की प्रकृति और संपत्ति के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय के आधार पर, कं पनी ने अपनी परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य से वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया

कैश फ्लो स्टेटमेंट

कैश फ्लो स्टेटमेंट इंड ए.एस.7 कैश फ्लो स्टेटमेंट के तहत निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी गई है, जिससे इस अवधि के लिए लाभ / (हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है, नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़े खर्च को पिछले या भविष्य के परिचालन नकद प्राप्तियों या भुगतानों और आय की वस्तु के किसी भी आस्थगित या प्रोद्भवन को समायोजित किया गया है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि के साथ-साथ आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों से संबंधित संपत्ति, देनदारियों और संबंधित प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित हैं, इन अनुमानों का बारे में अनिश्चितता के परिणाम, भविष्य की अवधि में परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन की आवश्यकता हागी। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना गया है जिसमें परिणाम ज्ञात या भौतिक होते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की गई है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया गया है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

2 : संपत्ति, प्लांट और उपकरण

₹ करोड़ों में

विवरण	भूमि	इमारत	सड़क पुल और अन्य सुविधाएं	रेलवे साइडिंग	प्लांट और मशिनरी	आटोमोटिव और सर्विस उपकरण	लैब उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्निचर और फिटिंग	एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	**कुल**
सकल ब्लॉक											
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	0.58	10.67	3.33	0.53	320.39	2.24	3.17	5.11	0.71	0.59	347.32
जमा	-	-	-	1.79	16.61	0.41	-	0.43	-	0.03	19.27
हटाए गए/समायोजन	-	2.83	-	-	0.26	0.04	-	0.02	0.04	0.02	3.21
बिक्री हेतु रखे हुए का पुनर्वर्गीकरण		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को शेष राशि	0.58	7.84	3.33	2.32	336.74	2.61	3.17	5.52	0.67	0.60	363.38
जमा	-	-	2.94	-	8.38	0.10	-	0.56	-	0.03	12.01
हटाए गए/समायोजन	-	-	0.01	-	-	-	-	0.33	-	-	0.34
बिक्री/निवेश हेतु रखे हुए सम्पत्ति का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को शेष राशि	0.58	7.84	6.26	2.32	345.12	2.71	3.17	5.75	0.67	0.63	375.05
मूल्यह्रास / परिशोधन											
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि	-	3.09	2.35	0.14	142.51	1.32	2.08	4.68	0.48	0.31	156.96
जमा	-	0.53	0.33	0.03	8.68	0.19	0.15	0.19	0.07	0.05	10.22
हटाए गए/समायोजन	-	1.86	-	-	0.25	0.04	-	0.02	0.03	0.01	2.21
31 मार्च 2024 को शेष राशि	-	1.76	2.68	0.17	150.94	1.47	2.23	4.85	0.52	0.35	164.97
जमा	-	0.41	0.14	0.14	9.72	0.19	0.13	0.37	0.03	0.05	11.18
हटाए गए/समायोजन	-	-	0.01	-	-	-	-	0.33	-	-	0.34
31 मार्च 2025 को शेष राशि	-	2.17	2.81	0.31	160.66	1.66	2.36	4.89	0.55	0.40	175.81
निवल ब्लॉक											
31 मार्च, 2024 तक	0.58	6.08	0.65	2.15	185.80	1.14	0.94	0.67	0.15	0.25	198.41
31 मार्च 2025 तक	0.58	5.67	3.45	2.01	184.46	1.05	0.81	0.86	0.12	0.23	199.24

टिप्पणियां:

क) कंपनी ने संपति, संयंत्र और उपकरण के लिए परिवर्तनकाल की तारीख पर पिछली जीएएपी वहन राशियों को मानित लागत के रूप में चुना है। अतः, 31 मार्च, 2016 को निवाल ब्लॉक और 1 अप्रैल, 2016 प्रारंभिक सकल ब्लॉक माना जाए।

ख) भूमि में: तमिलनाडु सरकार द्वारा कंपनी को सौंपे गए 329.40 एकड़ में से 297.75 एकड़ के लिए ₹ 12 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है और यह सरकार द्वारा अंतिम मूल्य के संचार के अधीन है। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार ने 31.65 एकड़ की शेष भूमि के लिए ₹ 0.43 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

ग) इसमें ₹ 08 करोड़ जो आमतौर पर चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास पेट्रोकेम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा उपयोग की जानेवाली रेलवे साइडिंग की कुल लागत के 5/24 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

डी) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में दर्शाया गया है, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी अवधि को 15 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था (एनपीके संयंत्र को छोड़कर जिसका विस्तारित अवधि 10 वर्ष है) जो कि नेप्था से आरएलएनजी में फीडस्टॉक के रूपांतरण पर संयंत्र और उपकरण के उपयोगी अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 01.04.2021 से प्रभावी है। संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास में ₹ 11.18 करोड़ रुपये शामिल हैं जो संशोधित अनुमानित अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

2.1: संपत्ति के उपयोग का अधिकार

विवरण	भूमि-
सकल ब्लॉक	
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	1.71
जमा	-
हटाए गए/समायोजन	-
बिक्री हेतु रखे हुए का पुनर्वर्गीकृत	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	1.71
जमा	-
हटाए गए/समायोजन	-
बिक्री हेतु रखे हुए का पुनर्वर्गीकृत	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	1.71
मूल्यहास / परिशोधन	
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	1.64
जमा	0.07
हटाए गए/समायोजन	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	1.71
जमा	-
हटाए गए/समायोजन	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	1.71
निवल ब्लॉक	
31 मार्च, 2024 तक	-
31 मार्च, 2025 तक	-

3: निवेश संपत्ति

विवरण	भूमि	इमारतें
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	1.27	0.33
जमा	-	-
हटाए गए/समायोजन	-	-
बिक्री हेतु रखे हुए का पुनर्वर्गीकृत	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	1.27	0.33
जमा	-	-
हटाए गए/समायोजन	-	-
बिक्री हेतु रखे हुए का पुनर्वर्गीकृत	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	1.27	0.33
मूल्यहास / परिशोधन		
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	-	0.27

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

निवल संपत्ति

विवरण	भूमि	इमारतें
जमा	-	0.01
मूल्यहास / परिशोधन	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	-	0.28
जमा	-	0.01
मूल्यहास / परिशोधन	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	-	0.29
निवल ब्लॉक		
31 मार्च, 2024 तक	1.27	0.05
31 मार्च, 2025 तक	1.27	0.04

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
2:	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**		
	सकल ब्लॉक	375.04	363.37
	घटा: मूल्यहास	(175.80)	(164.97)
	निवल ब्लॉक	199.24	198.41
2.1:	**संपत्ति के उपयोग का अधिकार**		
	भूमि	-	1.71
	घटा: मूल्यहास	-	(1.71)
	कुल	0.00	0.00
2.1.2:	**मूर्त परिसंपतियां**		
	निवल ब्लॉक	6.81	-
	घटा: मूल्यहास	(0.44)	-
		6.37	0.00
2.2:	**पूंजीगत कार्य-प्रगति**		
	(नोट संख्या 29 (क) (i) संदर्भ लें)		
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य मूर्त परिसंपतियां		
	वर्ष के आरंभ में शेष राशि	21.02	11.69
	जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन	3.38	16.79
	घटा: संपति, संयंत्र और उपकरण का स्थानांतरण (टिप्पण 2)	(4.60)	(7.17)
	घटा : वर्ष के दौरान अन्य आवंटन/समायोजन, यदि कोई हो	-	(0.29)
	घटा वर्ष के दौरान भट्टे खाते/मान्यता समाप्त किया गया, यदि कोई हो	-	-
		19.80	21.02
	पूंजी माल का पारगमन		
	वर्ष के आरम्भ में शेष राशि	-	-
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	घटा: संपति, संयंत्र और उपकरण का स्थानांतरण (टिप्पण 2)	-	-
		-	-
	कुल	19.80	21.02

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
2.3:	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति		
	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	4.39	1.70
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	2.42	2.69
	घटाएँ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरण (नोट 2)	(6.81)	-
		-	4.39
4:	**वित्तीय परिसंपत्तियां निवेश**		
	एफ.बी.टी.ओ.सी.आई में गैर-उद्धृत लिखत ईक्विटी		
	(क) इंडियन पोटाश लिमिटेड	523.33	453.45
	प्रत्येक ₹ 10 के 15,84,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 15.84,000)		
	(ख) फॉर्च्यून बायो-टेक लिमिटेड	1.54	1.32
	प्रत्येक ₹ 10 के 12,50,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 12.50.000) का पूर्ण भुगतान किया गया।		
	घटाः अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-
		1.54	1.32
	कुल	524.87	454.77
	गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि	524.87	454.77
	निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	-	-
4.1.क:	**ऋण (गैर- चालू)**		
	कर्मचारियों को अग्रिम		
	असंदिग्ध माने गये अप्रतिभूति	0.41	20.85
	कुल	0.41	20.85
4.1.ख:	**ऋण (चालू)**		
	कर्मचारियों को अग्रिम		
	असंदिग्ध माने गये अप्रतिभूति	10.18	0.55
	कुल	10.18	0.55
4.2.क:	**अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (चालू)**		
	किराए जमा	0.28	0.28
	आयकर वापसी	2.61	2.61
	कुल	2.89	2.89
4.2.ख:	**अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (चालू)**		
	किराए/ सेवाओं से प्राप्य राशि	2.33	0.87
	बिक्री के लिए धारित संपति से प्राप्य राशि	2.78	2.78
	वसूली योग्य दावा	5.12	7.87
	आयकर वापसी	6.16	-
	घटाः अपेक्षित ऋण हानि भत्ता	(1.39)	(1.39)
	कुल	15.00	10.13

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
5.1.क:	**आस्थगित कर आस्तियां/ (देयता) (निवल)**		
	क.आस्थगित कर संपति		
	i. भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय	14.21	16.00
	ii.अन्य समय अंतर	-	-
	iii. अशोषित कर हानियां	-	-
	कुल	14.21	16.00
	ख.आस्थगित कर देयता		
	i. मूल्यह्रास	26.25	23.96
	ii. निवेश का उचित मूल्य	74.53	101.13
	iii. अन्य समय अंतर	-	-
	कुल	100.78	125.09
	कुल	(86.57)	(109.09)
5.1.ख:	**आस्थगित कर आस्तियां/ (देयता) (निवल प्रावधान)**		
	अग्रिम आयकर	40.27	6.80
	स्रोत पर कर कटौती	4.14	3.10
	घटा:		
	कराधान के लिए प्रावधान	(23.20)	(5.00)
	कुल	21.21	4.90
6:	**अन्य गैर-चालू परिसंपतियां**		
	सरकारी विभागों और अन्य जमा राशि	19.65	17.53
	सीमा शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के पास शेष	0.44	-
	कुल	20.09	17.53
7 :	**इन्वेंटरी**		
	संचालन हेतु		
	(क) कच्चा माल	37.33	28.72
	जमा: पारगमन में कच्चा माल	-	-
		37.33	28.72
	(ख) कार्य प्रगति पर	53.75	76.21
	(ग) तैयार माल		
	- उर्वरक	27.10	8.96
	- कृषि रसायन		
	(घ) भंडार और स्पेयर	86.20	82.33
	जमा: पारगमन में भंडार	-	1.21
	घटाएँ: अप्रचलित स्टोर/स्पेयर के लिए प्रावधान	(1.08)	-
		85.12	83.54

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
	(च) उत्प्रेरक		
	- उपयोग में	0.19	0.54
	- उपयोग में नहीं (स्टोर में उपलब्ध)	2.78	2.26
	(छ) पैकिंग सामग्री	3.33	6.02
	कुल	209.60	206.25
8 :	**व्यापार प्राप्य (चालू)**		
	(नोट संख्या 29 (क) (ii) संदर्भ लें)		
	सब्सिडी हेतु		
	(क) असुरक्षित माना गया*	382.21	321.20
	माल की बिक्री हेतु		
	(क) अच्छा सुरक्षित माना जाता है	0.72	0.11
	(ख) अच्छा असुरक्षित माना जाता है		
	(ग) जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
	(घ) क्रेडिट बिगड़ा	3.73	3.73
		4.45	3.84
	घटा: अपेक्षित ऋण हानि भता	(3.73)	(3.73)
		0.72	0.11
	कुल	382.93	321.31

*उपरोक्त राशि में वर्ष के अंत तक डीलरों के पास बचे यूरिया, एनपीके और सिटी कम्पोस्ट के स्टॉक पर देय 169.39 करोड़ रुपये की पात्र सब्सिडी शामिल है।

*कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से न तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापारिक प्राप्य देय है, और न ही उन फर्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापारिक या अन्य प्राप्य देय है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

9:	**नकद और नकद समकक्ष**		
	हाथ में नकद	0.00	0.00
	बैंकों में शेष राशि		
	चालू खाते में	132.88	0.01
	जमा खाते में (परिपक्वता <3 महीने)	507.00	551.13
	अर्जित ब्याज बैंक जमा	12.26	10.82
	कुल	652.14	561.96
9.क:	**नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष**		
	मार्जिन नकद जमा	13.18	12.41
	उपार्जित ब्याज मार्जिन नकद जमा	0.75	0.70
	कुल	13.93	13.11

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
10 :	**अन्य चालू संपति**		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
	प्रीपेड खर्चे	11.00	14.25
	जी.एस.टी. इनपुट ऋण	190.57	173.93
	आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, आदि को अग्रिम	2.35	3.67
	विघटित/निरस्त आस्तियां	-	0.02
	विक्रेता से वसूली योग्य - जीएसटी आईटीसी	-	13.78
		203.92	205.65
	घटा: अप्रयुक्त जी.एस.टी. आई.टी.सी. के लिए प्रावधान	(50.54)	(37.57)
	कुल	153.38	168.08
	बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	0.00	0.00

11:	**इक्विटी शेयर पूंजी**		
	प्राधिकृत :	365.00	365.00
	रुपये 10/- प्रत्येक के 17,50,00,000 इक्विटी शेयर	175.00	175.00
	रु.10/- प्रत्येक के 19,00,00,000 अधिमानी शेयर	190.00	190.00
	जारी, ग्राहकीकृत और भुगतानकृतः		
	10/-रुपये प्रत्येक के16,11,01,300इक्विटी शेयरों का पूरा भुगतान	161.10	161.10
	समपहृत शेयर		
	5/- रुपये प्रत्येक के 20,76,600 इक्विटी शेयरों का भुगतान	1.04	1.04
	कुल	162.14	162.14

क) **शेयर पूंजी के प्रत्येक वर्ग से संबंधित अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:**

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है, जिसका अंकित मूल्य रु.10 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर के अनुसार एक वोट के लिए पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमानित राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

अधिमान्य शेयर: कंपनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्यों का एक शेयर वर्ग है, जिसमें क्रमशः ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार और शर्तें जुड़ी हुई हैं, जो कंपनी के नियमों द्वारा समय-समय पर पुष्टि की जा सकती हैं। इस वर्ग के शेयर का 31 मार्च, 2025 तक जारी या बकाया नहीं किया गया है (2024: शून्य) ।

बी)	इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारकों का विवरण ₹ 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत प्रमोटर	शेयरों की संख्या(%)	शेयरों की संख्या(%)
	भारत के माननीय राष्ट्रपति	95851700 (59.50%)	95851700 (59.50%)
	अन्य		
	नेफ़िट्रान इंटरट्रेड कंपनी लिमिटेड	41516500 (25.77%)	41516500 (25.77%)
	पब्लिक (सामूहिक रूप से)	25809700 (14.73%)	25809700 (14.73%)
	प्रमोटरों की शेयरधारिता % में कोई परिवर्तन नहीं		

12 : **अन्य इक्विटी**

अन्य रिजर्व:		
प्रतिभूति प्रीमियम*		
प्रारंभिक शेष	12.39	12.39
अवधि के दौरान जोड/ (उपयोग)		
अंत शेष	12.39	12.39
प्रतिधारित कमाई		
प्रारंभ शेष	(716.55)	(722.10)
जमा:वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	64.25	5.55
जमा:अन्य व्यापक आय को सीधे प्रतिधारित आय में मान्यता दी गई है	-	-
अंत शेष	(652.30)	(716.55)
अन्य व्यापक आय		
प्रारंभ शेष	352.30	260.51
जमा वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	93.17	91.79
अंत शेष	445.47	352.30
कुल	(194.44)	(351.86)

* प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के जारी से प्राप्त प्रीमियम को रिकॉर्ड करने हेतु किया गया है। इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

13.1.क : **वित्तीय देवताएं - उधार (गैर-चालू)**

अप्रतिभूत ऋण		
भारत सरकार ('भारत सरकार') ऋण	-	-
बैंक से सावधि ऋण	-	-
कुल	-	-

13.1.ख : **वित्तीय देवताएं - उधार (गैर-चालू)**

सुरक्षित ऋण		
बैंकों से नकद ऋण	109.92	153.43
क्रेता ऋण	-	-

(संयंत्र और मशीनरी पर प्रथम प्रभार के साथ भारत सरकार की प्राप्य सब्सिडी और मनली में भूमि पर वर्तमान और भविष्य के समतुल्य बंधक सहित इन्वेंटरी और पुस्तक ऋणों के बंधक द्वारा सुरक्षित।)

अप्रतिभूत ऋण

(भारत सरकार') ऋण चालू स्थिति:

- मूलधन	554.24	554.24
- अर्जित ब्याज और देय	930.15	875.57
बैंक से सावधि ऋण	-	-
कुल	1,594.31	1,583.24

भारत सरकार से प्राप्त ऋण, सुधार कार्य हेतु प्राप्त किए जाते हैं जो विशेष रूप से उर्वरकों के उत्पादन हेतु उपयोग किए जाने वाले संयत्र के सुधार, योजना ऋण जो पूंजीगत व्यय के लिए और योजनेतर ऋण का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए जाता है। ये प्रकृति में असुरक्षित हैं। ऋण पर एक निश्चित ब्याज तय होती है जिसे नीचे दिया गया है:

- सुधार ऋण7%
- योजना ऋण - I ट्रैच @ 7%, II ट्रैच @ 12.50% और III ट्रैच @ 11.50%
- योजनेतर ऋण - I ट्रैच @ 7% और II ट्रैच @ 15.50%

उक्त ऋण वर्ष 2003 से 2012 की अवधि के दौरान लिए गए थे और 10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने योग्य हैं जो 2 साल की अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होते हैं। नोट 13.1.ख में एक वर्ष के भीतर देय भारत सरकार ऋण के वर्तमान हिस्से का खुला किया गया है।

13.2.क : **लीज देयताएँ (गैर वर्तमान)**

भूमि	-	-
कुल	-	-

13.2.ख : **लीज देयताएँ (वर्तमान)**

भूमि	-	-
कुल	-	-

13.3 : **अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)**

व्याज अर्जित परन्तु ऋण पर देय नहीं	15.55	15.55
सांविधिक बकाया	9.91	14.32
डीलर डिपॉजिट	69.68	68.36
पूजी लेनदार	0.39	3.61
अन्य	2.05	8.08
	97.58	109.92

14.1.क. **कर्मचारी लाभ दायित्व (गैर-वर्तमान)**

कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान गैर-वर्तमान

सेवानिवृत चिकित्सा हितलाभ	1.25	1.05
छुट्टी नकदीकरण	10.42	9.71
सेवा पुरस्कार	0.77	0.60
ग्रेच्युटी	28.91	28.69
सेवा-निवृत्ति	-	6.42
कुल	41.35	46.47

14.1.ख : **कर्मचारी हितलाभ दायित्व (वर्तमान)**

कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधानः (वर्तमान)

सेवानिवृत चिकित्सा हितलाभ	0.16	0.14
छुट्टी नकदीकरण	7.51	4.71
सेवा पुरस्कार	0.24	0.15
ग्रेच्युटी	7.21	7.17
कुल	15.12	12.16

15 : **अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ**

पेशागी के रूप में प्राप्त किराया	-	0.40
कुल	-	0.40

16 : **व्यापार देय**

(नोट संख्या 29 (क) (iii) का संदर्भ लें)

व्यापार देय

प्रतिभूत	336.54	220.69
अप्रतिभूत	47.67	62.45
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	29.81	22.89
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	354.40	260.25
कुल	384.21	283.14

निम्नलिखित द्वारा प्रतिभूत :

आई.ओ.सी. को 44 दिनों की क्रेडिट सीमा के विरुद्ध ₹ 316.68 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹ 220.69 करोड़) का बकाया, जिसके लिए ₹ 110.00 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की गई।

17 : **अन्य - चालू देयताएँ**

ग्राहकों से अग्रिम राशि	18.86	18.29
अग्रिम में प्राप्त किराया	-	0.12
गेल - कुल खाता*	16.79	24.09
कर्मचारियों को देय	10.86	10.29
पीओएस मशीन फंड खाता	-	-
कुल	46.51	52.79

*गैस पूल खाते के कारण गेल (पूल ऑपरेटर) को देय राशि ₹ 16.79 करोड़(सीपीएलवाई व्यापार प्राप्य ₹ 24.09 करोड़)।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
18 :	**संचालन से राजस्व (निवल)**		
	उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)		
	निर्मित माल	362.79	226.99
	व्यापारकृत माल	21.00	16.74
		383.79	243.73
	घटा: छूट	-	-
	निवल बिक्री	383.79	243.73
	सरकार से सब्सिडी:		
	निर्मित माल- यूरिया सब्सिडी		
	मूल्य सब्सिडी	2,110.30	1,937.70
	परिवहन सब्सिडी	57.18	46.22
		2,167.48	1,983.91
	निर्मित माल एन.पी.के.		
	मूल्य सब्सिडी	(10.32)	(0.97)
	परिवहन सब्सिडी	-	-
		(10.32)	(0.97)
	व्यापारकृत माल सिटी कम्पोस्ट		
	मूल्य सब्सिडी	0.45	
		0.45	-
	अन्य परिचालन आय:		
	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	-	-
	स्क्रैप की बिक्री	0.45	0.82
	स्टोर और स्पेयर का परिशोधन	-	0.92
	कुल	2,541.85	2,228.42

टिप्पण: उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की शुरुआत के साथ जारी करने की प्रक्रिया क किया गया है। संशोधित प्रक्रिया में खुदरा विक्रेता द्वारा लाभार्थियों को वास्तविक बिक्री के आधार पी. ओ. एस. मशीनों के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर डी.बी.टी योजना के तहत सब्सिडी का 100% भुगतान किया जाना है।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक लाभार्थियों को पीओएस मशीन के माध्यम से कुल 38837.670 मीट्रिक टन यूरिया की लंबित बिक्री के लिए, ₹ 151.30 करोड़ की सब्सिडी, जो डीलरों को बिक्री पर अर्जित हुई है, लेकिन पीओएस मशीनों के माध्यम से बिक्री पर डीबीटी के तहत भुगतान के लिए देय हो जाएगी, को वर्तमान अवधि में मान्यता दी गई है (सीपीएलवाई मात्रा 36086.01 मीट्रिक टन और सब्सिडी ₹ 169.41 करोड़)।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
19 :	**अन्य आय**		
	ब्याज पद्धति के तहत ब्याज आय:		
	बैंक और अन्य से	36.23	25.62
	लाभारा आय गैर-वर्तमान निवेश	1.19	1.11
	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	-	-
	परिसम्पत्तियाँ, प्लांट और उपकरणों की बिक्री से लाभ (निवल)	-	0.00
	बीमा दावा	-	-
	किराए आय	1.83	3.73
	प्रावधान की आवश्यकता नहीं है /रिटर्न बैंक ऑफ अकाउंट्स	2.81	11.01
	निवेश की हानि का प्रत्यावर्तन	-	0.19
	अन्य*	1.90	2.60
	*परिसमापन नुकसान और निविदा दस्तावेजी की बिक्री शामिल है।		
	कुल	43.96	44.26
20 :	**उपभोगकृत सामग्री की लागत**		
	आरंभिक स्टॉक	28.72	42.24
	जमा:खरीद	1,396.25	1,235.21
		1,424.97	1,277.45
	घटा:		
	TAR के लिए इस्तेमाल किया गया फिलर	-	(0.01)
	स्टॉक का नुकसान	-	(12.51)
	अंतिम स्टॉक	(37.33)	(28.72)
	कुल	1,387.64	1,236.21
21 :	**व्यापार में स्टॉक क्रय**		
	कृषि रसायन	5.40	4.59
	जैविक खाद	5.07	3.38
	सिटी कम्पोस्ट	2.69	2.98
	पी.आर.ओ.एम.	1.41	-
	एफ.ओ.एम.	0.50	-
	कुल	15.07	10.95
22 :	**इन्वेंटरी में परिवर्तन**		
	आरंभिक स्टॉक		
	तैयारकृत माल	8.96	14.94
	कार्य प्रगति पर	76.21	79.47
		85.17	94.41

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष 2025	2024
	घटा:क्लोजिंग स्टॉक		
	तैयारकृत माल	(27.10)	(8.96)
	कार्य प्रगति पर	(53.75)	(76.21)
	हानि स्टॉक	-	(43.81)
	कुल	4.32	(34.56)
23:	**संचालन और रखरखाव व्यय**		
	स्टोर, स्पेयर और पैकिंग सामग्री की खपत	33.89	23.71
	बिजली,पानी और ईंधन	677.53	593.27
	मरम्मत और रखरखाव		
	औज़ार व संयंत्र	20.29	46.81
	इमारतें	0.29	2.85
	कंप्यूटर और अन्य संपति	0.92	0.84
	परिवहन और भंडारण		
	परिवहन और भंडारण	73.16	63.53
	सेकेंडरी फ्रेट	6.34	1.03
	गोदाम का किराया	0.05	0.04
	बीमा	9.84	9.04
	तैयारकृत उत्पाद की व्यवस्था	22.36	28.55
	कुल	844.67	769.65
24:	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन, मजदूरी और बोनस	100.40	73.95
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	16.34	19.90
	कल्याण व्यय	10.49	8.46
	कुल	127.23	102.30
25:	**वित्त लागत**		
	सावधि ऋण पर ब्याज:		
	भारत सरकार से	54.58	54.58
	बैंक से	4.92	3.06
	अन्य उधारी:		
	ब्याज पर खर्च		
	लीज जमा	-	-
	डीलर जमा	1.17	5.94
	व्यापार अग्रिम	-	-
	आस्थगित क्रेडिट	-	0.07

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च, को 2025	2024
	तीय लागत का खुलासा	0.61	0.98
	अन्य*	1.86	7.58
	* इसमें बिलों पर बातचीत पर ब्याज, ग्राहकों को दी गई नकद छूट और मध्यस्थ द्वारा दिए गए एसकेएलएस ₹0.36 करोड़ पर ब्याज शामिल है।		
	कुल	63.14	72.21
26:	**मूल्याह्रास और परिशोधन व्यय**		
	मूल्यहास-पी.पी.ई.और निवेश संपति	11.19	10.22
	मूल्यहास-उपयोग का अधिकार (लीज)	-	0.07
		0.44	-
	कुल	11.63	10.29
27:	**अन्य खर्च**		
	सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान		
	सांविधिक लेखा परीक्षा	0.10	0.08
	कर लेखा परीक्षा	0.02	0.02
	प्रमाणिकरण	0.18	0.10
	अन्य		
	करिाया	1.97	2.02
	दर और कर	1.60	16.59
	निदेशकों का खर्च	0.23	0.19
	कृषि सेवाएं / सूचना व्यय	1.02	0.46
	विज्ञापन और प्रचार	0.38	0.01
	विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	-	-
	बैंक प्रभार	4.53	3.34
	सुरक्षा शुल्क	5.23	3.55
	संविदा पर मजदूर	5.73	2.39
	गाडी भाड़ा	1.28	1.37
	यात्रा व्यय	0.44	1.06
	डाक और दूरसंचार खर्च	0.28	0.27
	अचल संपतियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ / हानि	0.02	0.99
	अप्रयुक्त जीएसटी आईटीसी के लिए प्रावधान	12.97	-
	अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए प्रावधान	1.08	-
	सी.एस.आर.- व्यय	-	6.33
	विविध व्यय	3.46	5.01
	कुल	40.52	43.77

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष 2025	2024
27क:	**अपवादात्मक वस्तुएँ**		
	अपवादात्मक वस्तुएँ	-	
	माइकौंग चक्रवात के कारण इन्वेंट्री का नुकसान	-	56.31
	उपयोग के अधिकार के अनुदान के लिए मुआवज़ा - भूमि	-	(6.32)
	कुल	-	49.99
28 :	**अन्य व्यापक आय**		
	आइटम जिन्हें लाभ और हानि हेतु पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया		
	गैर-वर्तमान निवेश कर उचित मूल्य परिवर्तन	70.09	117.59
	निश्चित लाभ योजना का पुनर्माण	(4.70)	0.85
	घटा : इंड ए.एस. 19 के पैरा 64 (ख) के तहत संपति की सीमा में बदलाव	-	-
	घटाएँ: उपरोक्त पर कर (व्यय)/लाभ	27.78	(26.65)
	कुल	93.17	91.79
	आयकर		
	आयकर – वर्तमान कर	23.20	5.00
	आयकर – पिछले वर्ष का कर	(1.11)	0.39
		22.09	5.39

टिप्पण संख्या:29

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत प्रगति पर कार्य, व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के लिए जरण विश्लेषण

i. प्रगति पर पूंजी कार्य

(क) 31 मार्च 2025 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची नीचे दी गई है:

विवरण	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य की मात्रा				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	3.37	14.52	0.24	1.67	19.80
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
कुल	3.37	14.52	0.24	1.67	19.80

(ख) 31 मार्च 2024 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची नीचे दी गई है:

विवरण	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य की मात्रा				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	17.41	1.94	0.59	1.08	21.02
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
कुल	17.41	1.94	0.59	1.08	21.02

(ग) 31 मार्च 2025 तक विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची – शून्य

(घ) 31 मार्च 2024 तक विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची नीचे दी गई है:

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ो में

विवरण	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य की मात्रा				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ	2.69	1.70	-	-	4.39
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ		-	-	-	-
कुल	2.69	1.70	-	-	4.39

(ग) पूंजी-कार्य प्रगति पर है, जिसका पूरा होना अतिदेय है या 31 मार्च 2025 को इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है।

(ऊ) पूंजी-कार्य प्रगति पर है, जिसका पूरा होना अतिदेय है या 31 मार्च 2024 को इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है।

विवरण	पूरा कयिा जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
समर्पित आर.ओ. प्लांट	-	-	4.24	-	4.24
कुल	-	-	4.24	-	4.24

टिप्पण संख्या:29(ए) ....(जारी..)

ii. **व्यापार प्राप्य-वर्तमान**

(क)31 मार्च, 2025 को व्यापार प्राप्तियों की जरण अनुसूची निम्न है।

विवरण	अदेय प्राप्य	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया*					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सब्सिडी पर							
(क) अच्छा असुरक्षित माना गया है- (क)	-	241.15	6.35	50.55	38.99	45.17	382.21
माल की बिक्री पर							
(क) अच्छा सुरक्षित माना गया है	-	0.72	-	-	-	-	0.72
(ख) अच्छा असुरक्षित माना गया है	-	-	-	-	-	-	-
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	-	-	-
(घ) खराब क्रेडिट विवादित	-	-	-	-	-	3.73	3.73
	-	0.72	-	-	-	3.73	4.45
घटा: अपेक्षित ऋण हानि भत्ता	-	-	-	-	-	(3.73)	(3.73)
(ख)	-	0.72	-	-	-	-	0.72
कुल (क+ ख)	-	241.87	6.35	50.55	38.99	45.17	382.93

* लेन-देन की तिथि को भुगतान की देय तिथि माना गया है।

₹ करोड़ों में

(ख) 31 मार्च, 2024 को देय व्यापार की जरण अनुसूची इस प्रकार है:

विवरण	अदेय प्राप्य	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया*					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने- 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सब्सिडी पर							
(क) अच्छा असुरक्षित माना गया है- (क)	-	230.34	-	31.61	19.39	39.86	321.20
माल की बिक्री पर							
(क) अच्छा सुरक्षित माना गया है	-	0.11	-	-	-	-	0.11
(ख) अच्छा असुरक्षित माना गया है	-	-	-	-	-	-	-
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	-	-	-
(घ) खराब क्रेडिट विवादित	-	-	-	-	-	3.73	3.73
	-	0.11	-	-	-	3.73	3.84
घटा: अपेक्षित ऋण हानि भत्ता	-	-	-	-	-	(3.73)	(3.73)
(ख)	-	0.11	-	-	-	-	0.11
कुल (क+ ख)	-	230.45	-	31.61	19.39	39.86	321.31

* लेन-देन की तिथि को भुगतान की देय तिथि माना गया है।

iii. **व्यापार देनदारियां**

(क) 31 मार्च, 2054 को देय व्यापार की जरण अनुसूची इस प्रकार है:

विवरण	अदेय बिल	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया*				कुल
		1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से बकाया राशि	-	29.75	0.06	-	-	29.81
ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों से बकाया राशि	-	344.28	0.05	0.12	9.95	354.40
iii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-		-	-	-	-
iv) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	-		-	-	-	-
कुल	-	374.03	0.11	0.12	9.95	384.21

* लेन-देन की तिथि को भुगतान की देय तिथि माना गया है।

(ख) 31 मार्च, 2024 को देय व्यापार की जरण अनुसूची इस प्रकार है:

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ो में

विवरण	अदेय बिल	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया*				कुल
		1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से बकाया राशि	-	22.53	0.36	0.00	-	22.88
ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों से बकाया राशि	1.54	256.24	1.37	0.86	0.25	260.25
iii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-		-	-	-	-
iv) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	-		-	-	-	-
कुल	1.54	278.77	1.73	0.86	0.25	283.14

* लेन-देन की तिथि को भुगतान की देय तिथि माना गया है।

टिप्पण संख्या:29

₹ करोड़ो में

बी) निर्मित और व्यापारिकृत वस्तुओं की जानकारी, उत्पादन का मूल्य, स्टॉक, खपत, आयात व्यय का मूल्य और विदेशी मुद्रा में व्यय:

(क) स्थापित क्षमता	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	मात्रा मीट्रिक टन	मात्रा मीट्रिक टन
अमोनिया	346,500	346,500
यूरिया	486,750	486,750
एन.पी.के.	280,000	280,000
जैव उर्वरक	400	400

(ख) उत्पादन	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	मात्रा मीट्रिक टन	मात्रा मीट्रिक टन
अमोनिया	326,260	252,140
नीम यूरिया	528,400	432,500
एन.पी.के.17-17-17	-	-
एन.पी.के. 20-20-0	-	-
जैव उर्वरक	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ो में

(ग) व्यापार में स्टॉक की खरीद:	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	मात्रा मीट्रिक टन	राशि (रु. करोड़ में)	मात्रा मीट्रिक टन	राशि (रु. करोड़ में)
कृषि रसायन		5.41		4.59
जैविक खाद	15,982	5.07	10,740	3.38
सिटी कम्पोस्ट	9,996	2.69	11,307	2.98
पी.आर.ओ.एम.	1,755	1.41		
एफ.ओ.एम.	1,238	0.49		
	28,971	15.07	22,047	10.95

(घ) सकल बिक्री	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	मात्रा मीट्रिक टन	राशि (रु. करोड़ में)	मात्रा मीट्रिक टन	राशि (रु. करोड़ में)
विनिर्मित उत्पाद				
नीम यूरिया	522,932	274.16	427,836	224.30
एन.पी.के.17-17-17	-	-	-	-
एन.पी.के. 20-20-0	-	-	-	-
कार्बन डाइआक्साइड*	-	-	-	-
जैव उर्वरक	-	-	-	-
अमोनिया बिक्री	21,209	88.63	545	2.69
खरीदे गए उर्वरक				
कृषि रसायन	-	6.93		6.49
जैविक खाद	15,982	7.51	10,740	5.07
सिटी कम्पोस्ट	9,996	4.59	11,307	5.18
पी.आर.ओ.एम.	1,755	1.47	-	-
एफ.ओ.एम.	1,238	0.50	-	-
	573,112	383.79	450,428	243.73

* उपोत्पाद

(ङ)स्टॉक	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	मात्रा मीट्रिक टन	राशि (रु. करोड़ में)	मात्रा मीट्रिक टन	राशि (रु. करोड़ में)
(i) प्रारम्भिक स्टॉक				
(क) तैयार उत्पाद				
नीम यूरिया	1,693	8.51	2,691	14.24
एन.पी.के.17-17-17	123	0.44	196	0.70
एन.पी.के. 20-20-0-13	-	-	-	-
जैव उर्वरक				
(ख) प्रगति पर कार्य				
विनिर्मित उत्पाद				
अमोनिया	5,647	52.87	4,799	40.08
यरिया-थोक	4,732	23.33	7,587	39.39
	12,195	85.15	15,273	94.41

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

(ii) क्लोजिंग स्टॉक				
(क) तैयार उत्पाद				
विनिर्मित उत्पाद				
नीम यूरिया	6,678	26.66	1,693	8.51
एन.पी.के.17-17-17	123	0.44	123	0.44
जैव उर्वरक	-	-	-	-
(ख) प्रगति पर कार्य				
विनिर्मित उत्पाद				
अमोनिया	6,475	33.66	5,647	52.87
यरिया-थोक	5,214	19.80	4,732	23.33
	18,490	80.56	12,195	85.15
(ग) स्टॉक घाटा				
नीम यूरिया	23	-	115	-
एन.पी.के.17-17-17	-	-	-	-

विवरण	**31 मार्च, 2025**		**31 मार्च, 2024**	
	%	**राशि**	%	**राशि**
देशी				
आर.एल.एन.जी./नेफ्था		1828.60		1646.32
अन्य		4.49		2.61
कुल (%)	100	1833.09	100	1648.93
आयातित				
यूरिया		0.00		0.00
पोटाश		0.00		0.00
फॉस्फोरिक एसिड		0.00		0.00
कुल (%)	0	0.00	16	0.00
	100	1833.09	100	1648.93
अवयव और पूर्जे				
आयातित (%)	10	1.04	19	7.14
देशज (%)	90	8.90	81	30.59
	100	9.94	100	37.73

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ों में

आयात का सी.आई.एफ.मूल्य				
कच्चा माल				
अवयव और पूर्जे		3.00		3.98
		3.00		3.98
	31 मार्च, 2025		**31 मार्च, 2024**	
	मात्रा मीट्रिक टन	**राशिं**	**मात्रा मीट्रिक टन**	**राशि**
विदेशी मुद्रा में व्यय				
किताबें और पत्रिकाएँ		-		-
यात्रा (व्यापार, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि)		-		
		0.00		0.00

टिप्पण संख्या:29

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार विश्लेषणात्मक अनुपात:

क्रमांक	**विवरण**	**अंश गणक**	**भाजक**	**31 मार्च को**		**भिन्नता (%)**	**भिन्नता का कारण**
				2025	**2024**		
ए	वर्तमान अनुपात (समय पर)	वर्तमान संपति	वर्तमान देनदारियों	0.68	0.63	8.26%	
बी	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल ऋण (1)	शेयरधारकों की इक्विटी	-49.36	-8.35	491.43%	भारत सरकार का ऋण मूलधन के साथ ब्याज जोड़े जाने के कारण बढ़ा।
सी	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय पर)	ऋण सेवा हेतु उपलब्ध आय (2)	ऋण सेवा (3)	17.88	5.61	218.54%	क्षमता उपयोग में कमी के कारण लाभ में कमी
डी	इक्विटी पर रिटन (आर. ओ. ई.) (%)	कर पश्चात निवल लाभ	औसत शेयरधारको की इक्विटी पूंजी	-57.87%	-46.77%	23.74%	माइकौंग चक्रवात और बाढ़ के कारण संयंत्र बंद होने से क्षमता उपयोग में कमी आई और राजस्व में गिरावट आई।
इ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय पर)	संचालन से राजस्व (सब्सिडी आय को छोड़कर)	औसत सूची	1.85	1.19	55.47%	
एफ	**व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय पर)**						
	- माल की बिक्री की ओर	निवल ऋण बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य माल की बिक्री	51.15	0.83	6062.12%	क्रेडिट बिक्री में कमी
	- सब्सिडी की ओर	संचालन से राजस्व सब्सिडी आय	औसत व्यापार प्राप्य सब्सिडी	6.13	4.27	43.64%	

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

₹ करोड़ो में

जी	देय व्यापार टर्नओवर अनुपात (समय पर)	निवल क्रेडिट खरीद	देय औसत व्यापार	4.18	8.09	-48.38%	ऋण खरीद में कमी के कारण
एच	निवल पूंजी कारोबार अनुपात (समय पर)	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	-3.74	-4.66	-19.71%	वर्तमान परिसंपत्तियों में निधियों की रुकावट और बैंक उधार पर निर्भरता के कारणवर्तमान परिसंपत्तियों में निधियों की रुकावट और बैंक उधार पर निर्भरता के कारण
आई	निवल लाभ अनुपात (%)	कर पश्चात निवल लाभ	संचालन से राजस्व	2.53%	5.38%	-53.02%	
जे	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ. सी. है) (%)	ब्याज और करों से पूर्व कमाई	नियोजित पूंजी (4)	7.73%	20.45%	-62.21%	
के.	"निवेश पर वापसी (आर. ओ. आई.) (%) गैर-लेपित"	निवेश से उत्पन्न आय	औसत निवेश	40553%	26016%	55.88%	ओसीआई में वृद्धि

(1) लीज़ देनदारियों सहित

(2) करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + पीपीई की बिक्री पर नुकसान जैसे अन्य समायोजन आदि,

(3) वर्ष के दौरान किए गए लीज़ भुगतान सहित

(4) मूर्त नेटवर्थ + कुल ऋण + आस्थगित कर देनदारियाँ + लीज़ देनदारियाँ

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पण
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

टिप्पण संख्या 30: स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में अन्य टिप्पण

1. पूंजी प्रतिबद्धता और आकस्मिक/विवादित देयता (₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	31 मार्च को	
		2025	2024
1.	कंपनी पर दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है' ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / विक्रेता		
	-एसआईसीजीआईएल इंडिया लिमिटेड	8.01	7.42
	-डेवी प्रोडक्ट्स	-	1.60
	-कीर्तना एंटरप्राइज	0.52	0.46
	-एम वी शेषाचार्य	1.20	0.63
2.	विभिन्न फोरम में निपटान के लिए लंबित कर देनदारियां -		
	सीमा शुल्क - मद्रास उच्च न्यायालय में अपील लंबित	65.86	65.86
	माल और सेवा कर - तमिलनाडु - वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकरण में अपील लंबित	1.94	1.79
	माल और सेवा कर - तमिलनाडु - वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लंबित	236.64	216.16
	माल और सेवा कर - कर्नाटक - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस के अनुसार	-	0.85
	आयकर - वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपील सीआईटी (ए) के समक्ष निपटान के लिए लंबित	7.22	7.22
	वाणिज्यिक कर केरल - विभाग द्वारा दायर अपील लंबित सर्वोच्च न्यायालय में	5.11	5.11
	ट्रेसस पोर्टल के अनुसार टीडीएस की मांग कंपनी द्वारा सुधार के लिए लंबित है	0.20	0.34
	स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दावे – सीएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा किराए में वृद्धि की मांग - कंपनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निपटान के लिए लंबित है	79.92	26.64
3.	अन्य		
	अलग हुए कर्मचारियों द्वारा दावा किया गया ग्रेच्युटी - 2007 संशोधन	2.85	2.85
	अलग हुए कर्मचारियों द्वारा दावा किया गया ग्रेच्युटी - 2017 संशोधन	5.70	5.70
	मणलि में भूमि के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा 31.65 एकड़ के मुआवजे की मांग	0.43	0.43
	तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्सर्जन मानदंडों के गैर-अनुपालन के कारण बताओ नोटिस के अनुसार - कंपनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निपटान के लिए लंबित है	0.37	0.37
	भारत सरकार के ऋणों पर दंडात्मक ब्याज	394.68	351.68
	ऋण पत्र और बैंक गारंटी	105.18	111.69

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएँ **(₹ करोड़ में)**

क्रमांक	विवरण	31 मार्च को समाप्त	
		2025	2024
1.	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंधित पूंजीगत व्यय, लेकिन देनदारियों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, निम्नानुसार है (अग्रिम राशि का निवल योग)	2.14	8.21
2.	अन्य प्रतिबद्धताएँ	5.06	6.87

***कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में अप्रदानकृत में निम्नलिखित शामिल हैं:**

क. कंपनी ने एसआईसीजीआईएल इंडिया लिमिटेड (एसआईसीजीआईएल) को कार्बन डाई-ऑक्साइड (सीओ2) की आपूर्ति निलंबित कर दी है क्योंकि वे अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में चूक कर रहे हैं। एसआईसीजीआईएल ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की और कंपनी को देय राशि ₹0.03 करोड़ समायोजित करने के बाद ₹ 3.25 करोड़ का पुरस्कार अपने पक्ष में प्राप्त किया। साथ ही 18% ब्याज भी। इसके अलावा मध्यस्थ ने कंपनी को ₹0.08 करोड़ की मध्यस्थता लागत 6% ब्याज के साथ एसआईसीजीआईएल को वापस करने का आदेश दिया है।

कंपनी ने उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसे 09.08.2021 को खारिज कर दिया गया। कंपनी ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की डिविजनल बेंच के समक्ष अपील दायर की थी और मामला डिविजनल बेंच द्वारा अंतिम निपटान के लिए लंबित है। मध्यस्थता निर्णय के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक संभावित बहिर्वाह ₹4.71 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 8.01 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 4.12 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.42 करोड़) है।

बी.एम. मेसर्स कीतना एंटरप्राइसेस, जिसमें कंपनी के साथ कैंटीन अनुबंध होता है, ने एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के समक्ष याचिका दायर की है, जिसमें प्रिंसिपल ₹0.31 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 0.31 करोड़) के बकाया और ₹0.06 करोड़ (पिछले वर्ष -₹0.06 करोड़) के ब्याज का दावा किया गया है। कंपनी का विचार है कि ऐसी कोई देयता नहीं है।

सी. कंपनी के पूर्व-कर्मचारी [श्री एम.वी.शोशाचारी (क.स. 2226)] को अदालत के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया और बहाल कर दिया गया। तेलंगाना के उच्च न्यायालय ने भी वापस मजदूरी की ओर ₹ 0.91 करोड़ की राशि से सम्मानित किया। कंपनी ने अदालत में जमा के रूप में ₹ 0.35 करोड़ जमा किए हैं। वर्तमान वित्तिय वर्ष के दौरान, उक्त कर्मचारी ने ₹2.04 करोड़ का दावा दर्ज किया है, जिसमें एन.सी.एल.टी. में विभिन्न दावे शामिल हैं। कंपनी ने उक्त दावे को स्वीकार नहीं किया है और उचित कानूनी मंच में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने पुस्तकों में ₹0.84 करोड़ रुपये के लिए एक प्रावधान किया है, जिसमें वापस मजदूरी की ओर रुपये और रु। ₹1.20 करोड़ के विवादित दावे की शेष राशि को एक आकस्मिक देयता माना जाता है।

डी. सीमा शुल्क के डी। कोमिशनर ने कंपनी को ₹ 65.86 करोड़ (₹ 32.88 करोड़ और ₹ 0.10 करोड़) (पिछले वर्ष - ₹ 65.86 करोड़) के जुर्माना और मोचन जुर्माना के अंतर को समावेशी सीमा शुल्क के लिए आदेश दिया, जिसके खिलाफ कंपनी ने सीस्टेट, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नै से पहले एक मामला दर्ज किया है। सीस्टेट ने मांग को अलग कर दिया है और मेसर्स मंगली ईम्पेक्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उपलब्धता के बाद अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को तय करने के लिए मामले को मूल सहायक प्राधिकरण को भेज दिया। उक्त भेजे गए आदेश के खिलाफ, कस्टम्स के आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष सिविल विविध अपील (सी.एम.ए.) दायर की है जो लंबित है।

इ. तमिल नाडु जीएसटी अधिकारियों ने निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए जीएसटी ऑडिट किया और कर की मांग बढ़ाई, कंपनी ने उसी तरह से चुनाव लड़ा

वर्ष	जीएसटी	ब्याज	जुर्माना	कुल	टिप्पणियाँ
2017-18	82,40,548.00	1,03,09,942.00	8,29,430.00	1,93,79,920.00	अपीलीय प्राधिकरण के पास दायर अपील निपटान के लिए लंबित है
2018-19	56,10,82,204.00	60,09,88,215.00	5,61,08,688.00	1,21,81,79,107.00	मांग के खिलाफ दायर रिट याचिका निपटान के लिए लंबित है
2019-20	57,68,00,642.00	51,37,16,035.00	5,76,80,532.00	1,14,81,97,209.00	मांग के खिलाफ दायर रिट याचिका निपटान के लिए लंबित है
कुल	114,61,23,394.00	112,50,14,192.00	11,46,18,650.00	238,57,56,236.00	

च. आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2021 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹7.22 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹7.22 करोड़) की मांग की है, जिसके लिए कंपनी ने सीआईटी (अपील) चेन्नई के समक्ष अपील दायर की है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने जुर्माने की कार्यवाही शुरू की है और ₹20,000/- का जुर्माना लगाया है।

छ. वाणिज्यिक कर विभाग, केरल ने कंपनी के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है, ताकि मूल्य वर्धित कर लगाने के लिए सरकार से प्राप्त सब्सिडी को टर्नओवर का हिस्सा माना जा सके। विभाग द्वारा मांगा गया कुल कर ₹5.11 करोड़ है, जिसमें ₹1.10 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹5.11 करोड़) का ब्याज शामिल है। मामला न्यायालय में लंबित है।

एच. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के संबंध में, विभाग ने ₹ 0.20 कोड़ (पिछले वर्ष - ₹0.34 करोड़) की कम कटौती और/या कम भुगतान के कारण माँग प्रस्तुत की है, जिसके लिए कंपनी सुधार प्रक्रिया में है।

आई. वर्ष 2007 के वेतन संशोधन में, भारत सरकार ने 01.01.2007 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹3.50 लाख से बढ़ाकर ₹10.00 लाख कर दी है, जबकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में संशोधन 24.05.2010 से ही हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, 01.01.2007 से 30.04.2010 की अवधि के दौरान अलग हुए कर्मचारियों को ₹3.50 लाख की अधिकतम सीमा मानते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान अलग हुए कुछ कर्मचारियों ने ₹2.85 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹2.85 करोड़) की अंतर ग्रेच्युटी राशि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और मामला विचाराधीन है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले पर रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बढ़ी हुई ग्रेच्युटी पूर्वव्यापी प्रभाव से देय नहीं है।

जे. 01.01.2017 से प्रभावी वेतन संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, पैकेज में उस तिथि से ₹20 लाख की उच्च ग्रेच्युटी शामिल है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 01.04.2023 से वेतन संशोधन को प्रभावी कर दिया है। कंपनी 29.03.2018 से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद कंपनी से अलग हुए सभी कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का भुगतान कर रही है। 29.03.2018 से पहले सेवानिवृत्त हुए कुछ कर्मचारियों ने 01.01.2017 से 28.03.2018 तक की अवधि के लिए ₹5.70 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹5.70 करोड़) की ग्रेच्युटी राशि का दावा श्रम न्यायालय में किया था, जिसे श्रम न्यायालय ने खारिज कर दिया और पृथक हुए कर्मचारियों ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। उक्त अपील बैलेंस शीट की तिथि तक माननीय उच्च न्यायालय में निपटान हेतु लंबित है।

के.तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत ₹0.37 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा लगाकर उत्सर्जन मानदंडों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी ने उचित प्राधिकारी के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व किया है। टीएनपीसीबी का निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

एल. कंपनी ने पुनरुद्धार पैकेज के एक भाग के रूप में भारत सरकार के ऋणों पर उपार्जित ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध भारत सरकार से किया है। हालाँकि, 'केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम - ब्याज दर और अन्य नियम व शर्तें' पर कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकार न करने की स्थिति में, कंपनी को चालू वर्ष (पिछले वर्ष - ₹ 351.68 करोड़) के लिए 2.75% प्रति वर्ष की दर से ₹ 394.68 करोड़ की राशि का दंडात्मक ब्याज अदा करना होगा।

2.आकस्मिक संपत्ति का प्रकटीकरण

कंपनी ने तिरुवल्लूर स्थित प्रधान जिला न्यायाधीश की माननीय अदालत में मेसर्स हेस्टलॉय इंडिया लिमिटेड, जिसके पास यूरेनस रॉड्स की आपूर्ति के ₹ 0.08 करोड़ मूल्य के व्यापारिक लेनदेन के साथ ₹ 0.04 करोड़ का ब्याज है, के विरुद्ध वसूली का मुकदमा दायर किया है। 2007 में, न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में मुकदमे में दावा की गई ₹ 0.12 करोड़ की राशि का आदेश दिया और मुकदमे की लागत ₹ 0.01 करोड़ की प्रतिपूर्ति, साथ ही डिक्री की तिथि से वसूली की तिथि तक 18% ब्याज की दर से करने का आदेश दिया। तत्पश्चात, डिक्री के हस्तांतरण हेतु जिला न्यायालय, तिरुवल्लूर में आवश्यक कार्यकारी याचिका पत्र दायर किए गए। चूँकि आपूर्तिकर्ता का क्षेत्राधिकार विशाखापत्तनम में है, इसलिए कंपनी ने वसूली हेतु कार्यकारी याचिका को स्थानांतरित करने की पहल की। कंपनी में आने वाले धन की वास्तविक निश्चितता न होने के कारण, इसे आकस्मिक संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है।

3. .ऋण की अदायगी में चूक

कंपनी ने भारत सरकार के ऋणों पर मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है, जिसका विवरण नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल राशि	अर्जित ब्याज और देय	कुल
सुधार ऋण	122.30	185.20	307.50
योजना ऋण	411.17	700.70	1111.87
योजनेतर ऋण	20.77	44.24	65.01
कुल	554.24	930.14 *	1484.38

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार से ऋण पर ब्याज की राशि ₹ 54.58 करोड़ थी।

4. संपत्ति की अनुपस्थिति

चार्टर्ड इंजीनियर और मूल्यांकक द्वारा विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार 31/03/2025 तक कंपनी द्वारा क्षति हानि के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं समझा गया। प्रमुख संयंत्र और उपकरण की शुद्ध बिक्री कीमत का आकलन उस तिथि के बही मूल्य के विरुद्ध किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

संयंत्र	31 मार्च,2025 को		31 मार्च,2024 को	
	नेट बिक्री मूल्य	बुक मूल्य	नेट बिक्री मूल्य	बुक मूल्य
अमोनिया	310.00	131.90	288.32	138.12
यूरिया	69.92	30.15	64.79	29.29
एन.पी.के	2.93	0.80	2.73	0.86
उपयोगिता	27.69	19.97	25.46	16.14

5. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत विकल्प का प्रयोग करने का विकल्प चुना है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के तहत प्रख्यापित किया गया है और उक्त वर्ष से अपने खातों में कॉर्पोरेट कर की 25.17% (आयकर 22% + अधिभार 10% + स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा उपकर 4%) दर ली है। तदनुसार, कंपनी ने वर्ष के लिए कर व्यय के लिए उक्त दर पर विचार किया है और उपरोक्त विकल्प के आधार पर अपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देनदारियों को मापा है।

वर्तमान कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च की स्थिति	
	2025	2024
कर पूर्व लाभ	91.59	11.86
लागू कर दर	25.17%	25.17%
संगणित कर व्यय	23.05	2.97
कर का प्रभाव:		
आयकर के अधीन नहीं	(0.10)	(0.28)
अस्वीकृत व्यय	8.49	8.06
भुगतान के आधार पर अनुमत व्यय	(3.74)	(1.46)
उपयोग की गई अग्रेषित हानि	(4.50)	(4.28)
वर्तमान कर व्यय(ए)	23.20	5.00

देय आयकर रिफण्ड की स्थिति और उसका समायोजन:

क. वर्ष के दौरान, कंपनी को आयकर विभाग से दिनांक 03.03.2025 को एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी को देय रिफंड के रूप में ₹ 6.16 करोड़ (₹ 0.18 करोड़ के ब्याज सहित) की राशि निर्धारित की गई है। बैलेंस शीट की तिथि तक रिफंड राशि की प्राप्ति लंबित रहने तक, ₹ 6.16 करोड़ की उपरोक्त राशि को 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (चालू)' के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर के लिए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में ₹ 1.11 करोड़ वापस कर दिए हैं।

ख. ऊपर उल्लिखित ₹ 6.16 करोड़ के रिफंड के अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी को देय आयकर रिफंड, जिसकी राशि ₹ 2.61 करोड़ है, को 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर-चालू)' में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान आस्थगित कर देयता/(संपत्ति) में उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2024 को आरम्भिक शेष	पी एवं एल में मान्यता प्राप्त	ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 को समापन शेष
आस्थगित कर परिसंपत्ति				
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय	16.00	(2.97)	1.18	14.21
कुल	16.00	(2.97)	1.18	14.21
विलम्बित कर देयता				
मूल्यह्रास	23.96	2.30		26.26
एफ.वी.टी.पओ.सी.आई. निवेश का उचित मूल्य पर पुनर्मूलर्मूयांकन	101.13		(26.60)	74.53
कुल	125.09	2.30	(26.60)	100.78
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	(109.09)	5.26	(27.78)	(86.57)

जहाँ भी कंपनी के पास वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहाँ आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और आस्थगित कर देनदारियाँ आयकर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हैं, वहाँ आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति उस वर्ष के दौरान भविष्य में कर योग्य आय के सृजन पर निर्भर करती है जिसमें अस्थायी अंतर कटौती योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन मूल्यांकन करते समय आस्थगित आयकर देनदारियों के निर्धारित प्रत्यावर्तन, अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय और कर नियोजन रणनीतियों पर विचार करता है।

ऐतिहासिक कर योग्य आय के स्तर और उन वर्षों के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों के आधार पर जिनमें आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ कटौती योग्य हैं, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी उन कटौती योग्य अंतरों का लाभ प्राप्त करेगी। यदि आगे ले जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों को कम कर दिया जाए, तो आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि को निकट भविष्य में कम किया जा सकता है।

6. वर्ष 2024 तक समाप्त होने वाले सभी वित्तीय वर्षों के लिए, लेखा पुस्तकों में दर्शाए गए आईटीसी और जीएसटी विनियमों के अंतर्गत प्रासंगिक वैधानिक अभिलेखों के साथ मिलान का कार्य पूरा हो चुका है।

31.03.2025 तक, लेखा पुस्तकों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी पोर्टल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के बीच के अंतर के लिए खातों में ₹ 50.54 करोड़ के प्रावधान पर विचार किया गया है। उपरोक्त राशि में 31.03.2024 तक के प्रावधान के रूप में ₹ 37.57 करोड़ की राशि और उपरोक्त अंतर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए ₹ 12.97 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान शामिल है।

7. अन्य आय के अंतर्गत राशि में निम्नलिखित की वापसी शामिल है, जिसे प्रबंधन द्वारा अब देय नहीं माना गया है:

विवरणों	रकम
टर्नओवर कर और बिक्री कर के प्रति देयता	0.27
प्रवेश कर के प्रति देयता	2.53

8. .संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. संबंधित पार्टियों के नाम और उनके संबंध:

संबंधित पार्टी का नाम	सम्बंध की प्रकृति	कार्यकाल
श्री मनोज कुमार जैन	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	07/06/2024
श्रीमती नीरजा आदिदम	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	30/04/2024 to 06/06/2024
डॉ. के जयचंद्रन	निदेशक (तकनीकी)	01/05/2023
डॉ. टीना सोनी	भारत सरकार नामित निदेशक	04/04/2024
श्री अरविंद कुमार	भारत सरकार नामित निदेशक	10/02/23 to 04/04/2024
श्री मोहम्मद बघेर दखिलि	एन.आई.सी.ओ. नामित निदेशक	18/02/2017
श्रीमती समीह कोकाबी	एन.आई.सी.ओ. नामित निदेशक	10/02/2021
श्री बाबक बघेरपुर	एन.आई.सी.ओ. नामित निदेशक	23/10/2018
श्री नलबोतु वेंकट रॉव	स्वतंत्र निदेशक	05/11/2021 to 04/11/2024
डॉ. सी.आर. जयंति	स्वतंत्र निदेशक	28/12/2021 to 27/12/2024
श्री संजय विष्णु शेट्टी	स्वतंत्र निदेशक	31/12/2021 to 30/12/2024
डॉ. जतिन कुमार मोहंती	स्वतंत्र निदेशक	20/06/2023
श्री प्रिय रंजन पांडा	महाप्रबंधक–वित्त & लेखा/ मुख्य वित्त अधिकारी	01/07/2020 to 30/06/2024
	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी (प्रभारी)	13/12/2023 to 30/06/2024
श्री मदन मोहन	महाप्रबंधक–वित्त & लेखा/ मुख्य वित्त अधिकारी	01/07/2024
श्री श्रीनिवास सरवणव	कंपनी सचिव	07/08/2024
एम.एफ.एल. कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि	एम.एफ.एल. द्वारा प्रबंधित कर्मचारी लाभ ट्रस्ट	01/04/1967

ख. प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	1.09	1.09
रोजगार पश्चात लाभ	0.21	0.13
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	-	-
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
कुल मुआवजा	1.30	1.22

ग. प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अलावा अन्य संबंधित पार्टी लेनदेन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान लेनदेन		
योगदान		
एम.एफ.एल. कर्मचारी अंशदायी भविष्य	5.55	5.62

डी. भारतीय लेखा मानक 24 के तहत प्रकटीकरण या संबंधित पार्टी लेनदेन नीचे दिए गए हैं

चूंकि भारत सरकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 59.50% हिस्सा रखती है (डीओएफ, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत), इसलिए सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 26 के अनुसार रिपोर्ट किए गए हैं।

गैस, एफओ, एचएसडी, ल्यूब और लीज रेंट की खरीद के लिए अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ कुछ लेनदेन किए गए हैं, जो मूल्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

इक्विटी का नाम	लेन-देन कार्य	2024-25	2023-24
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आरएलएनजी/एफओ/एचएसडी/ल्यूब की खरीद और गैस पाइप लाइन मुआवजा	1828.60	1608.43
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गैस एकत्र खाता	92.57	110.68
चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लीज किराया	2.57	4.29

ई. स्वतंत्र निदेशक बैठक शुल्क विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भुगतान किया गया बैठक शुल्क	0.09	0.12

9. लीज

क. परिचालन पर लीज:

I. पट्टेदार के रूप में:

पट्टा देयताओं का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
प्रारंभिक पट्टा देयताएं	-	0.02
जमा	-	-
अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत	-	-
पट्टा देयताओं का भुगतान	-	(0.02)
समापन पट्टा देयताएं	-	-

बिना छूट के आधार पर 31 मार्च, 2025 और 2024 तक लीज देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता का विवरण निम्न है:

कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम की लीज शर्तों और कम मूल्य वाले कुछ पट्टे भी हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टे' और 'कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे' की मान्यता छूट लागू करती है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों के लिए दर्ज किया गया किराया खर्च ₹ 0.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.18 करोड़) रहा।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च,2025	31 मार्च,2024
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	1.97	2.02
इंडस्ट्रीज़ एएस 116 के तहत कुल लीज भुगतान को लीज भुगतान के रूप में नहीं माना जाता है	1.97	2.02

ii. एक पट्टेदार के रूप में:

सी.पी.सी.एल. को किराए पर दी गई जगहों के परिचालन पट्टों पर किराये की आय को 'अन्य आय' में 'किराया' के तहत शामिल किया गया है। निम्नलिखित अवधियों में से प्रत्येक के लिए शेष अनुबंध अवधि में प्राप्य भावी पट्टा किराया हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
एक वर्ष से कम	2.94	2.62
एक से पांच वर्ष	15.68	13.95
पांच वर्ष से अधिक	-	-

लीज पर ली/ दी गई संपत्तियों का विवरण:

संपत्ति का विवरण	लीज़ दी गई	लीज़ की अवधि	लीज़ का आधार
एल.पी.जी पाइप लाइन	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10 वर्ष 01.04.2017 से	दिशानिर्देश मूल्य का 14% और हर वर्ष 12% के दर पर बढ़ौत्री

10. लाभ-हानि विवरण में प्रभारित वित्तीय लागत के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में ₹0.61 करोड़ पिछले वर्ष ₹0.83 करोड़) शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक (इंड ए.एस.) के तहत अपेक्षित रियायती मूल्य पर किराये की जमा राशि के पुनर्कथन से उत्पन्न पिछले वर्षों से संबंधित ब्याज लागत की समाप्ति का अनुमानित मूल्य है।

11. चेन्नै महानगर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (सीएमडब्ल्यूएसएसबी) ने वर्ष 1989 में टीटीपी संयंत्र के लिए कोडुंगैयूर में 33 वर्षों की लीज अवधि के लिए 43.13 एकड़ भूमि आवंटित की थी, जिसकी अवधि मई 2022 में समाप्त हो गई।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने 3 फरवरी 2021 की अपनी 315वीं बैठक में लीज को और 33 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने हेतु मंजूरी दी है। इस संबंध में बातचीत हो रही है और अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सीएमडब्ल्यूएसएसबी ने पट्टे की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने तक तदर्थ आधार पर भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी है।

इस बीच, कंपनी को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (सीएमडब्ल्यूएसएसबी) से एक नोटिस मिला है, जिसमें अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक किराए में वृद्धि के लिए ₹ 54.63 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) की मांग की गई है। कंपनी ने उक्त मांग को माफ करने के लिए अभ्यावेदन किया है।कंपनी ने ₹ 1.35 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जिसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है। अभ्यावेदन के परिणाम आने तक, ₹ 53.28 करोड़ (नेट) की अतिरिक्त माँग को आकस्मिक देयता विवरण में ₹ 26.64 करोड़ की आरंभिक आकस्मिक देयता के साथ शामिल किया गया है।

12. **निवेश संपत्ति पर प्रकटीकरण:**

क. प्रबंधन ने निवेश संपत्ति के तहत किराये की आय या पूंजी वृद्धि के लिए रखी हुई अधिशेष संपत्ति को वर्गीकृत करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
किराये की आय	1.83	3.73
किराये की आय से संबंधित प्रत्यक्ष आनुपातिक परिचालन व्यय	0.00	0.00
मूल्यह्रास	0.01	0.01

क. उचित मूल्यांकन:

कोंडप्पल्लि, आंध्र प्रदेश स्थित बायो फ़र्टिलाइज़र्स संयंत्र में निवेश संपत्ति का मूल्यांकन एक स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा संपत्ति के बाज़ार मूल्य के आधार पर किया जाता है, और मणलि स्थित निवेश संपत्ति का मूल्यांकन सरकारी दिशानिर्देश मूल्य के आधार पर किया जाता है। निवेश संपत्तियों के लिए उचित मूल्य नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च**, 2025	**31 मार्च**, 2024
कोंडप्पल्लि (आंध्र प्रदेश) बायो बिल्डगिं	0.11	0.17
कोंडप्पल्लि (आंध्र प्रदेश) जैव भूमि	5.26	5.26
मणलि में अधिशेष भूमि	934.65	849.69
मणलि नए टाउन में खाली जमीन	21.31	19.38
गुजरात में खाली जमीन	0.05	0.05
गिण्डि में खाली जमीन	71.86	65.33

13. मणलि में कंपनी के पास 70 एकड़ अधिशेष जमीन है, जिसे शेयरधारकों द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया है। शुरुआत में सी.पी.सी.एल. ने पूरी 70 एकड़ जमीन खरीदने हेतु इच्छा जताई। बाद में, सी.पी.सी.एल. ने केवल 4.98 एकड़ जमीन खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तदनुसार, कंपनी ने मणलि की 4.98 एकड़ भूमि को "बिक्री के लिए रखी संपत्ति" के तहत वर्गीकृत किया है, जिसकी राशि ₹18,484/- (लागत मूल्य पर मूल्य) है, जिसका 31, मार्च 2025 को उचित मूल्य ₹ 71.59 करोड़ है।

शेष 65.02 एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए, कंपनी ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों और तमिलनाडु सरकार को बिक्री के लिए भूमि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया है। कंपनी ने भूमि की विक्रेयता की कमी के कारण 65.02 एकड़ भूमि को "निवेश संपत्ति" के तहत वर्गृत करने का निर्णय लिया और आगे की कार्रवाई के लिए डीआईपीएएम को इसकी सूचना दी गई।

इसके अतिरिक्त,उर्वरक विभाग, भारत सरकार और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 310वीं बोर्ड बठक के दौरान, निदेशक मंडल ने 19 ग्राउंड और 1064 वर्ग फुट के क्षेत्र में गिंडी संपत्ति की बिक्री के लिए मंजूरी दी। इसे "निवेश संपत्ति" के तहत बरकरार रखा गया है। वर के दौरान, बोर्ड ने उक्त संपत्ति के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिसके लिए समझौता ज्ञापन अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।

14. कर्मचारी लाभ व्यय

पारिभाषित सुविधा योजनाएँ

कंपनी द्वारा निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं शुरू की गई हैं: i) उपदान, ii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, iii) अनुपस्थिति मुआवजा, iv) सेवा पुरस्कार और v) भविष्य निधि न्यास में अंशदान।

वित्त पोषण:

उपदान एकमात्र परिभाषित लाभ योजना है जिसे कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। निधीयन आवश्यकताएं, योजना की वित्त पोषित नीतियों में निर्धारित निधि के बीमांकिक माप ढांचे पर आधारित हैं। योजना की निधिकरण', वित्त पोषित उद्देश्य के लिए एक अलग बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

कंपनी ने निर्धारित किया है कि निशित लाभ योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार, तथा वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, प्रतिदाय का वर्तमान मूल्य या भविष्य के योगदान में कटौती योजनागत संपत्ति के कुल उचित मूल्य के शेष से दायित्वों के कुल वर्तमान मूल्य से कम नहीं है।

निवल परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयताओं में उतार-चढ़ाव:

उपदान

इस तरह के निश्चित लाभ प्रदान करने की लागत वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बनाए गए फंड के माध्यम से इसे प्रशासित किया जाता है। यह निश्चित लाभ योजना कंपनी को बीमांकिक जोखिमों, जैसे दीर्घायु जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम के लिए उजागर करती है।

प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 • अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर उपदान का हकदार है, जो अधिवर्षिता, इस्तीफा, समाप्ति, अक्षमता या मृत्यु पर ₹ 0.20 करोड़ की सीमा के अधीन है। कंपनी ने बढ़ी हुई सीमा को ध्यान में रखते हुए उपदान लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

अन्य लाभ

पद पर दायित्व - वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके सेवानिवृत्ति • चिकित्सा लाभ, अनुपस्थिति मुआवजा और सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये अपव्ययी योजनाएं हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	निश्चित लाभ दायित्व		योजना संपत्ति का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
उपदान						
1 अप्रैल को शेष राशि	43.00	44.98	7.15	12.66	35.85	32.32
लाभ और हानि के साथ						
वर्तमान सेवा लागत	1.90	1.71	-	-	1.91	1.71
ब्याज लागत	2.86	3.14	-	-	2.86	3.14
ब्याज आय	-	-	0.48	0.72	(0.48)	(0.72)
प्रदत्त लाभ	(6.79)	(6.23)	(6.79)	(6.23)	-	-
अंशदान	-	-	5.65	0.08	(5.65)	(0.08)
ओसीआई में शामिल						
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि और ब्याज	1.71	(0.60)	0.09	(0.08)	1.62	(0.52)
31 मार्च को शेष राशि	42.68	43.00	6.57	7.15	36.11	35.85
अर्जित अवकाश भुनाना						
1 अप्रैल को शेष राशि	14.42	17.09	-	-	14.42	17.09
लाभ और हानि के साथ						
वर्तमान सेवा लागत	2.51	2.02	-	-	2.51	2.02
ब्याज लागत	0.94	1.07	-	-	0.94	1.07
ब्याज आय	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(2.79)	(5.74)	-	-	(2.79)	(5.74)
ओसीआई में शामिल						
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि और ब्याज	2.85	(0.02)	-	-	2.85	(0.02)
31 मार्च को शेष राशि	17.93	14.42	-	-	17.93	14.42

(₹ करोड़ में)

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ						
1 अप्रैल को शेष राशि	1.19	1.30	-	-	1.19	1.30
लाभ और हानि के साथ						
वर्तमान सेवा लागत	0.03	0.03	-	-	0.03	0.03
ब्याज लागत	0.08	0.10	-	-	0.08	0.10

ब्याज आय	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में शामिल						
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि और ब्याज	0.11	(0.24)	-	-	0.11	(0.24)
31 मार्च को शेष राशि	1.41	1.19	-	-	1.41	1.19

(₹ करोड़ में)

सेवा पुरस्कार						
1 अप्रैल को शेष राशि	0.75	0.70	-	-	0.75	0.70
लाभ और हानि के साथ						
वर्तमान सेवा लागत	0.09	0.06	-	-	0.09	0.06
ब्याज लागत	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05
ब्याज आय	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में शामिल						
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि और ब्याज	0.13	(0.07)	-	-	0.13	(0.07)
31 मार्च को शेष राशि	1.02	0.75	-	-	1.02	0.75

विवरण	**31 मार्च**, 2025	**31 मार्च**, 2024
द्वारा प्रस्तुत		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता		
- उपदान	36.11	35.85
- अर्जित अवकाश नकदीकरण	17.93	14.42
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	1.41	1.19
- सेवा पुरस्कार	1.02	0.75

I.**योजना संपत्ति**

योजना संपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च**, 2025	**31 मार्च**, 2024
इक्विटी प्रतिभूतियां	30%	30%
सरकारी करार	70%	70%

II. **बीमांकिक अनुमान**

रिर्पोटिंग तिथि पर उपदान योजना के लिए प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च**, 2025	**31 मार्च**, 2024
प्रति वर्ष छूट दर	6.75%	7.23%
प्रति वर्ष योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	7.23%	7.50%

प्रति वर्ष वेतनवृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14) यू	आईएएलएम (2012-14) यू

रिर्पोटिंग से अन्य निश्चित लाभ योजनाओं के लिए प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित है: (₹ करोड़ में)

विवरण	अर्जित अवकाश नकदीकरण		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		सेवा पुरस्कार	
	31 मार्च		31 मार्च		31 मार्च	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
मृत्यु दर तालिका (सेवानिवृत्ति के पहले)	आईएएलएम (2012-14) यू	आईएएलएम (2012-14) यू	आईएएलएम (2012-14) यू	आईएएलएम (2012-14) यू	आईएएलएम (2012-14) यू	आईएएलएम (2012-14) यू
मृत्यु दर तालिका (सेवानिवृत्ति के बाद)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
छूट दर	6.75%	7.23%	8.00%	7.50%	6.75%	7.23%
मँहगाई दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन वृद्धि के अनुमानी पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों, जैसे रोजगार, बाजार में आपूर्ति और मांग को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, योजनागत परिसंपत्तियां पर प्रत्याशित प्रतिलाभ का निर्धा कई लागू कारकों पर विचार करते हुए किया जाता है, मुख्य रूप से धारित योजनागत परिसंपतियों की संरचना, परिसंपत्ति प्रबंधन जोखिम का आकलन और योजना परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक प्रतिफल।

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रारंगिक बीमांकिक मान्यताओं में से किसी एक में रिर्पोटिंग तिथि पर यथोचित संभावित परिवर्तन, अन्य धारणाओं को स्थिर रखते हुए, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व को प्रभावित करते हैं।:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च,2025		31 मार्च,2024	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
उपदान				
छूट दर (+/- 100 बीपी)	41.24	44.27	41.57	44.56
प्रति वर्ष वेतनवृद्धि (+/- 100 बीपी)	43.43	41.96	43.89	42.09
मृत्यु दर (+/- 10%)	42.69	42.69	43.01	43.01
संघर्षण दर (+/- 100 बीपी)	42.84	42.51	43.15	43.15
अर्जित अवकाश नकदीकरण				
छूट दर (+/- 100 बीपी)	17.08	18.87	13.74	15.18
प्रति वर्ष वेतनवृद्धि (+/- 100 बीपी)	18.84	17.09	15.16	13.74
मृत्यु दर (+/- 10%)	17.94	17.94	14.43	14.43
संघर्षण दर (+/- 100 बीपी)	17.98	17.89	14.47	14.37

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ				
छूट दर (+/- 100 बीपी)	1.35	1.48	1.17	1.20
प्रति वर्ष वेतनवृद्धि (+/- 100 बीपी)	-	-	-	-
मृत्यु दर (+/- 10%)	1.14	1.41	1.19	1.19
संघर्षण दर (+/- 100 बीपी)	1.42	1.41	1.19	1.18
सेवा पुरस्कार				
छूट दर (+/- 100 बीपी)	0.95	1.08	0.70	0.80
प्रति वर्ष वेतनवृद्धि (+/- 100 बीपी)	-	-	-	-
मृत्यु दर (+/- 10%)	1.01	1.01	0.75	0.75
संघर्षण दर (+/- 100 बीपी)	0.95	1.08	0.70	0.80

हालांकि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण को ध्यान में नहीं रखा गया है, लेकिन यह दिखाए गए अनुमानी की संवेदनशीलता का एक अनुमान प्रदान करता है।

भविष्य के वर्षों में निश्चित लाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण (₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधीक	कुल
31 **मार्च** 2025					
- उपदान	9.67	5.53	17.27	10.19	42.66
- अर्जित अवकाश नकदीकरण	4.31	2.18	6.48	4.96	17.93
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	0.29	0.17	0.55	0.40	1.41
- सेवा पुरस्कार	0.07	0.06	0.19	0.70	1.02
कुल	14.34	7.94	24.49	16.25	63.02
31 **मार्च** 2024					
- उपदान	7.66	8.41	15.56	11.37	43.00
- अर्जित अवकाश नकदीकरण	2.51	2.52	4.80	4.59	14.42
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	0.18	0.20	0.42	0.40	1.19
- सेवा पुरस्कार	0.05	0.04	0.12	0.53	0.75
कुल	10.41	11.18	20.89	16.88	59.36

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निश्चित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष (31 मार्च 2025: 10 वर्ष) है।

वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, अनुपस्थिति मुआवजे और सेवी पुरस्कारों पर दायित्व प्रदान किए जाते हैं।

भविष्य निधि और सेवानिवृति निधि:

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और सेवानिवृति निधि में नियोक्ता के योगदान के संबंध में खर्च की गई शुद्ध राशि क्रमशः ₹ 5.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.62 करोड़) और ₹ 6.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.18 करोड़) है।

15. **वित्तीय लिखत - उचित मूल्य प्रकटीकरण**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की कुछ वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है। जिस प्रकार इन वितीय परिसंपत्तियों और वितीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से, मूल्यांकन तकनीक और उपयोग किए गए इनपुट) वह निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय संपत्ति/वित्तीय देयताएं	तक उचित मूल्य		उचित मूल्य पदानुक्रम	मूल्यांकन तकनीक और प्रयुक्त प्रमुख इनपुट
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024		
एफवीटीओसीआई में अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश				
इंडियन पोटाश लिमिटेड	523.32	453.45	स्तर-3	नीचे नोट देखें
फॉर्च्यून बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	1.54	1.32	स्तर-3	नीचे नोट देखें

नोट:

गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड के नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और मेसर्स फॉर्च्यून बायोटेक लिमिटेड (एफबीएल) के स्टैंडअलोन वितीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य का अनुमान नेट बुक वैल्यू मॉडल पर लगाया गया है।

वितीय संपत्तियों और वितीय देयताओं का उचित मूल्य जो इसके समतुल्य राशि है जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

प्रबंधन ने मुल्यांकन किया कि व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय, उधार और अन्य वित्तीय संपति और देनदारिया, इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण उनकी अग्रणीत राशि उचित मूल्य अनुमानित हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
क. वितीय संपति					
ऋण	लागू नही	10.59	10.59	21.40	21.40
व्यापार प्राप्य	लागू नही	382.93	382.93	321.32	321.32
नकद और नकदी के समतुल्य	लागू नही	652.14	652.14	561.96	561.96
नकद और नकद समकक्षी के अलावा अन्य बैंक शेष	लागू नही	13.93	13.93	13.11	13.11
अन्य वित्तीय संपति	लागू नही	17.89	17.89	13.02	13.02
ख. वित्तीय देवताएं					
उधार राशियाँ	लागू नही	1594.31	1594.31	1583.24	1583.24
व्यापार देनदारियां	लागू नही	384.21	384.21	283.14	283.14
अन्य वित्तीय देयताएं	लागू नही	97.58	97.58	109.92	109.92

i. प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालाँकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं। इसलिए, लगभग सभी वित्तीय साधनों के लिए, ऊपर प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन राशियों का संकेत नहीं देते हैं जो कंपनी संबंधित तिथियों पर बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर रिपोर्ट की गई राशियों से भिन्न हो सकता है।

स्तर 3 उचित मूल्य माप का मिलाप (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31मार्च,2024
प्रारंभिक जमा	454.77	336.99
जोड़ें: किए गए प्रावधान को वापस लेना	0.00	0.19
जोड़े: ओसीआई में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य लाभ / (हानि)	70.09	117.59
अंत शेष	524.86	454.77

16. पूंजी प्रबंधन:

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से पूंजी में इक्विटी पूंजी और अन्य सभी भंडार शामिल किये गए हैं। कंपनी का पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य विकास का समर्थन करने वाली लचीली पूंजी संरचना के माध्यम से पूंजी की लागत का अनुकूलन करते हुए कुल शेयरधारक वापसी को अधिकतम करना है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय प्रसंविदाओं की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों के लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी और शुद्ध ऋण से विभाजित निवल ऋण है। कंपनी में शुद्ध ऋण, ब्याज वाले ऋण और उधार कम नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं।

गियरिंग अनुपात: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च,2025	31 मार्च,2024
ऋण (लीज देयताओं सहित)	1594.31	1583.24
घटाएं: नकदी और बैंक जमाराशियां	666.07	575.08
निवल ऋण	928.24	1008.16
कुल इक्विटी	(32.30)	(189.72)
कुल इक्विटी अनुपात के लिए निवल ऋण	-	-

17. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को कुछ वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है जो कंपनी के व्यवसाय और परिचालन/वित्तीय प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और चलनिधि जोखिम शामिल हैं।

निदेशक मंडल इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे और नीतियों की समीक्षा करता है और अनुमोदन करता है और संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और कमाई के लिए अधिक पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए उपयुक्त शमन कार्यों की निगरानी करता है।

उधार, व्यापार देय और अन्य वितीय देनदारियां कंपनी की प्राथमिक वित्तीय देनदारियों का गठन करती हैं और गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, ऋण, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वित्तीय संपत्तियां वित्तीय परिसंपत्तियां हैं।

क. ऋण जोखिम

व्यापार प्राप्य

ऋण जोखिम कंपनी को प्राप्य राशियों पर बकाया राशि के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हो सकता है। 31 मार्च, 2025 तक व्यापार प्राप्तियों से अधिकतम जोखिम ₹382.93 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹321.32करोड़) था।

व्यापार प्राप्तियों में मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और डीलरों को निर्मित और व्यापार किए गए उर्वरकों की बिक्री शामिल है। जहां तक प्राप्तियों के सरकारी हिस्से का संबंध है, चूक की आशंका शून्य या निरर्थक है। क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है, क्रेडिट सीमाएं स्थापित करना और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निगरानी करना ताकि व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में क्रेडिट शर्तों की अनुमति मिल सके। कंपनी के मामले में दी गई क्रेडिट अवधि 30 से 60 दिनों के बीच भिन्न होती है। ऐतिहासिक रूप से हानि के कुछ मामले सामने आए हैं जिनके लिए कंपनी ने अपेक्षित प्रावधान किए हैं।

गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश

कंपनी का इंडियन पोटाश लिमिटेड और फॉर्च्यून बायो-टेक लिमिटेड के गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश है। कंपनी निवेशिती द्वारा गैर-प्रदर्शन से किसी भी नुकसान की उम्मीद नहीं करती है और इसलिए कोई हानि नहीं मानी जाती है। इसलिए लाभ और हानि के विवरण में कोई हानि नहीं मानी गई है।

ऋण और अग्रिम

कपनी अपने कर्मचारियों को रियायती या ब्याज मुक्त आधार पर ऋण/अग्रिम प्रदान करती है। कंपनी कई पूर्व निर्धारित किश्तों में इसकी वसूली के माध्यम से कर्मचारियों को ऐसे ऋणों के संबंध में अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है।

नकद और नकद समकक्ष, बैंकों और अन्य वित्तीय संपत्तियों के साथ जमा:

नकद और बैंक शेष पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि प्रतिपक्ष उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले बैंक है। इसलिए, डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य माना जाता है।

अन्य वित्तीय संपतियों के मामले में मुख्य रूप से डिफॉल्ट या दिवालियापन की कार्यवाही के कारण उत्पन्न होने वाले अनुबंध के उल्लंघन के कारण कुछ क्रेडिट सम्बंधित खराब मामले हैं।

वित्तीय संपत्तियों के प्रति अरक्षितता का सारांश निम्नानुसार है : (₹ करोड़ में)

वित्तीय संपत्तियां	तक अरक्षितता	
	31 मार्च,2025	**31 मार्च, 2024**
निवेश	524.87	454.77
ऋण	10.59	21.40
व्यापार प्राप्य	382.93	321.32
नकद और नकदी के समतुल्य	652.14	561.96
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	13.93	13.11
अन्य वित्तीय संपत्ति	17.89	13.01
कुल	1602.35	1385.57

अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता आजीन अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके मापा जाता है।

कंपनी के ग्राहक आधार भारत सरकार एवं कई डीलर हैं। ऐतिहासिक रूप से बकाया जोखिम नगण्य या शून्य रहा है। इसके अलावा, प्रबंधन को मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक क्रेडिट जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर, 60 दिनों से अधिक बकाया राशि अभी भी पूरी तरह से संग्रहणीय है।

कंपनी हानि के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो सरकार और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से सब्सिडी को छोड़कर व्यापार प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित घाटे के अपने अनुमान को दर्शाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में व्यापार प्राप्तियों के लिए ईसीएल का प्रावधान मैट्रिक्स इस प्रकार है:

विवरण	अपेक्षित ऋण हानि %
क्रेडिट अवधि के भीतर या पिछले बकाया से 6 महीने पहले तक	0 %
पिछले बकाया से 6 महीने से अधिक समय	100%

अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में बदलाव (₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि को समाप्त	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
व्यापार प्राप्य (भारत सरकार से सब्सिडी को छोड़कर)		
प्रारंभिक शेष	3.73	3.81
अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में बदलाव	-	(0.08)
अंत शेष	3.73	3.73
निवेश		
प्रारंभिक शेष	-	0.19
अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में बदलाव	-	(0.19)
अंत शेष	-	-
अन्य वित्तयी संपति		
प्रारंभिक शेष	1.39	1.58
अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में बदलाव	-	(0.19)
अंत शेष	1.39	1.39

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयो लिए धन उपलब्ध है या नहीं। कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके नकद ऋण मामा और अन उधार सुविधाओं के माध्यम से चलनिधि जौखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी अपने अधिशेष धन को बैंक सावधि जमा में निवेश क जो बाजार के जोखिमों के लिए न्यूनतम पहचान रखता है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुयार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2025		संविदात्मक नकदी प्रवाह					
वित्तीय देयताएँ	वहन राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-3 वर्ष के बीच	3-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधीक	कुल
उधार राशियाँ	1594.31	1594.31	-	-	-	-	1594.31
व्यापार देनदारियाँ	384.21	384.21	-	-	-	-	384.21
अन्य वित्तीय देयताएँ	97.58	97.58	-	-	-	-	97.58
कुल	2076.10	2076.10	-	-	-	-	2076.10

(₹ करोड़ में))

31 मार्च, 2024		संविदात्मक नकदी प्रवाह					
वित्तीय देयताएँ	वहन राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	2-3 वर्ष के बीच	3-5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधीक	कुल
उधार राशियाँ	1583.24	1583.24	-	-	-	-	1583.24
व्यापार देनदारियाँ	283.14	283.14	-	-	-	-	283.14
अन्य वित्तीय देयताएँ	109.92	109.92	-	-	-	-	109.92
कुल	1,976.30	1,976.30	-	-	-	-	1,976.30

ग.बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। संस्था के लिए बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और इक्विटी जोखिम ।

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, विदेशी मुद्रा में व्यापार देय और गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश शामिल हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिफल का अनुकूलन करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

घ मुद्रा जोखिम

कंपनी कच्चे माल की खरीद के उद्देश्य से आयात करार पर सहमति करती है। ऐसे विदेशी मुद्रा लाभ/हानि मूल्यों की भौतिकता के कारण कंपनी द्वारा इनका बचाव नहीं किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों की मुद्रा प्रोफाइल निम्नानुसार है: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
व्यापार देनदारियां	-	-

संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपये के मजबूत / कमजोर होने से नीचे दर्शाई गई राशि से इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्नताओं पर आधारित है जिसे कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से ब्याज दरों में, स्थिर रहते हैं। विश्लेषण पिछले वर्ष के आधार पर किया गया है, सिवाय इसके कि उचित रूप से संभावित विदेशी विनिमय दर भिन्नताएं भिन्न थीं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	लाभ एवं हानि		लाभ एवं हानि	
10% बदलाव	अभिमूल्यन पर लाभ	अभिमूल्यन पर हानि	अभिमूल्यन पर लाभ	अभिमूल्यन पर हानि
विदेशी वर्णन मुद्रा में व्यापार देनदारियों का वर्णन	-	-	-	-

ङ ब्याज दर जोखिम

कंपनी किसी भी ब्याज दर जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि भारत सरकार से एकमात्र उधार पर ब्याज दर स्थायी प्रकृति में है।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के ब्याज वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफ़ाइल इस प्रकार है: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	**31 मार्च, 2025**	**31 मार्च, 2024**
वितीय संपत्तियां		
निश्चित दर उपकरण		
कर्मचारी ऋण	10.59	21.40
वितीय संपत्तियां		
निश्चित दर उपकरण		
भारत सरकार सावधि ऋण	554.24	554.24
बैंक से कैश क्रेडिट	109.92	153.43

नियत दर उपकरणों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के नियत दर उपकरणों को परिशोधन लागत पर नियत किया जाता है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

एफ. इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम उद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश के बाजार संदर्भ मूल्य में परिवर्तन से संबंधित है। कंपनी के सम्बन्ध में, इक्विटी शेयरों में एकमात्र निवेश गैर-उद्धृत है और कं पनी को इक्विटी मूल्य जोखिमों के लिए उजागर नहीं करता है, हालांकि संचालन और सामान्य कारोबारी माहौल के कारण विभिन्न रिपोर्टिंग अवधियों में किए गए मूल्यांकन के आधार पर इक्विटी मूल्य में परिवर्तन हो सकता है जिसमें निवेशिती संचालित होती है। सामान्य तौर पर, निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है।

इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को आयोजित इक्विटी उपकरणों की कीमतों में 5% परिवर्तन के परिणामस्वरूप इक्विटी साधन के उचित मूल्य में क्रमशः ₹ 26.24 करोड़ और ₹ 22.74 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी।

18. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

क. कंपनी मुख्य रूप से उर्वरकों के निर्माण और व्यापार से राजस्व उत्पन्न करती है। कंपनी ने समय के आधार पर अपने प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करके राजस्व को मान्यता दी है।

ख. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व से लेकर कुल राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए**	
	2025	2024
उत्पादों की बिक्री से राजस्व	383.78	243.73
सरकार से सब्सिडी आय	2157.61	1982.95
अन्य परिचालन राजस्व	0.46	1.74
कुल	2541.85	2228.42

डीओएफ द्वारा जारी दिनांक 12/10/2012 के जीओ डी(एफए)/सीसीईए/2011 के अनुसार कंपनी को डीलरों को उत्पादों की बिक्री पर ₹ 50 प्रति मीट्रिक टन एकत्र करना है, जिसका उपयोग पीओएस मशीन की खरीद/रखरखाव और अन्य प्रचार गतिविधियों के लिए किया जाना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने उपरोक्त जी.ओ. के अनुसार ₹2.61 करोड़ एकत्र किए हैं। उक्त राशि उत्पादों की बिक्री से राजस्व के अंतर्गत शामिल नहीं है।

ग. अनुबंध परिसंपत्तियां और देयताएं: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
	2025	2024
अनुबंध परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्तियां	0.72	0.11
सब्सिडी प्राप्तियां	382.21	321.21
कुल	382.93	321.32
अनुबंध देयताएं:		
प्रारंभिक जमा	18.29	23.76
घटाएं: मान्यता प्राप्त राजस्व	18.29	23.76
जोड़े: व्यापार अग्रिम	18.86	18.29
अंत शेष	18.86	18.29

तुलन पत्र में अनुबंध देनदारियों में मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक अग्रिम भुगतान और बिलिंग शामिल हैं। कंपनी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में इस तरह के राजस्व की पहचान करने की उम्मीद है। तालिका और ऊपर दी गई व्याख्या में उल्लिखित राशि को छोड़कर समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनुबंध देनदारियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। आमतौर पर कं पनी की राजस्व पैदा करने वाली गतिविधियों पर लागू भुगतान शर्तों के तहत, पूर्व भुगतान के वल एक सीमित सीमा तक ही प्राप्त होते हैं। विशिष्ट रूप से भुगतान, माल की डिलीवरी के पूरा होने पर या उसके बाद देय होता है।

19. **यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के तहत सब्सिडी**

क) मौजूदा ऊर्जा मानदंड के विस्तार हेतु अनुमोदन प्रतीक्षित: एमएफएल ने पत्र संख्या सीएमडी/सरकार/612/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और सीएमडी/सरकार/457/2025 दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के माध्यम से भारत सरकार से ऊर्जा कटौती उपायों के कार्यान्वयन तक यूरिया के 8.337 गीगाकैलोरी/मीट्रिक टन के मौजूदा ऊर्जा मानदंड को बढ़ाने का अनुरोध किया। उपरोक्त अनुरोध के अनुमोदन हेतु लंबित रहने तक, एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, कंपनी ने 18/07/2024 से प्रभावी 8.337 गीगाकैलोरी/मीट्रिक टन के मौजूदा ऊर्जा मानदंड पर 10% की अधिकतम पेनल्टी पर विचार करने के बाद सब्सिडी को हिसाब में लिया है। ₹155.61 करोड़ के उक्त पेनल्टी को वित्तीय वर्ष के लिए सब्सिडी आय में कटौती के रूप में माना गया है।

ख) नीतिगत मानदंडों और अनंतिम रूप से स्वीकृत दरों पर सब्सिडी का लेखा-जोखा: उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) द्वारा निर्धारित नीतिगत मानदंडों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूरिया बिक्री पर सब्सिडी ₹ 2110.30 करोड़ आंकी गई है, जबकि एफआईसीसी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकृत वृद्धि दावों के लिए सब्सिडी ₹ 2270.85 करोड़ है, और अंतर ₹ 160.55 करोड़ है। उपरोक्त राशि को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल व्यापार प्राप्तियों में से घटाया गया है। सब्सिडी में अंतर के प्रभाव पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दावों में वृद्धि/घटाव के आधार पर अंतिम अधिसूचना प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

20. अप्रचलित सामान और पुर्जों की पहचान के उद्देश्य से गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ₹ 1.08 करोड़ु मूल्य की 1197 वस्तुओं को अप्रचलित माना गया है और उक्त राशि के लिए खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

21. कंपनी ने उर्वरक विभाग से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के तहत जटिल उर्वरकों के उत्पादन में कैप्टिव अमोनिया के रूप में नैफ्था के उपयोग के कारण "एन" के उत्पादन की उच्च लागत की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2012-13 से लेकर फीडस्टॉक के आरएलएनजी में रूपांतरण यानी जुलाई, 2019 तक विस्तारित अवधि के लिए 64.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त मुआवजे को आय के रूप में तभी माना जाएगा, जब कंपनी को भारत सरकार के उर्वरक विभाग से अंतिम आदेश प्राप्त हो जाएगा।

22. इन्वेंटरी के मूल्यांकन पर लेखांकन नीति में परिवर्तन

एसएपी लेखांकन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के बाद, कंपनी ने चालू वर्ष से कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यांकन पर अपनी लेखांकन नीति को फिफो से भारित औसत लागत में बदलने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन कंपनी की लेखांकन नीति को सामान्य उद्योग पद्धति के अनुरूप बनाता है, जिससे इकाई के वित्तीय विवरणों की उद्योग के अन्य बाज़ार सहभागियों के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना में वृद्धि होती है।

कंपनी के पिछले लेखांकन सॉफ्टवेयर - ओएलआईएस - में भारित औसत पद्धति पर कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन निर्धारित करने का प्रावधान नहीं था। इसलिए, उक्त वस्तुओं के प्रारंभिक स्टॉक सहित एक या अधिक पूर्व अवधियों की तुलनात्मक जानकारी पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के अवधि-विशिष्ट प्रभावों का निर्धारण करना अव्यावहारिक है।

हालाँकि, कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं के अंतिम स्टॉक की गणना फिफो पद्धति पर मैन्युअल रूप से की जाती है और इसका प्रभाव नीचे दिया गया है::

विवरण	(₹ करोड़ में)
भारित औसत लागत पर कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं के समापन स्टॉक का मूल्य	40.67
फिफो पर कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं के समापन स्टॉक का मूल्य	39.91
लाभ और हानि विवरण पर प्रभाव	0.76

चालू वर्ष के लिए लाभ ₹ 0.76 करोड़ अधिक है, क्योंकि कच्चे माल, पैकिंग सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति में फिफो से भारित औसत लागत में परिवर्तन किया गया है।

23. कर्मचारी अग्रिम

वेतन संशोधन की प्रत्याशा में, कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019 से ₹17.54 करोड़ का तदर्थ अग्रिम प्रदान किया गया। हालाँकि, वेतन संशोधन केवल अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था, इसलिए कर्मचारियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि सितंबर 2024 से शुरू होने वाली 20 किश्तों में वेतन से वसूल की जा रही है।

कर्मचारी तदर्थ अग्रिम	(₹ करोड़ में)
31/03/2024 तक बकाया राशि	17.54
घटाएँ: वित्तीय वर्ष 2024-25 में वसूल की गई राशि	10.41
31/03/2025 तक बकाया राशि	7.13

24. इंड एएस 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के अनुसार प्रकटीकरण विभाजन

विभाजन का आधार

कंपनी के मामले में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) माना जाता है। सीएमडी कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करता है और कंपनी के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न प्रबंधन सूचना रिपोर्टों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है।

सीओडीएम मुख्य रूप से दो खंडों के रूप में कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करता है:

क उर्वरक (यूरिया और एनपीके);

ख. अन्य गतिविधियाँ (व्यापारिक गतिविधियाँ और उर्वरक) जैवहालाँकि, चूंकि अन्य गतिविधियों से प्राप्त राजस्व, रिपोर्ट किए गए राजस्व से 5% कम है और इन गतिविधियों के लिए कोई महत्वपूर्ण संपत्ति कार्यरत नहीं है, प्रबंधन का विचार है कि कंपनी के पास के वल एक रिपोर्ट करने योग्य खंड है जो उर्वरकों की बिक्री के निर्माण से संबंधित है।

भौगोलिक जानकारी

कंपनी भारत के भीतर उर्वरकों के निर्माण और बिक्री के संचालन में कार्यरत है, संपूर्ण राजस्व घरेलू है और सभी गैर वर्तमान संपत्तियां केवल भारत में स्थित हैं।

प्रमुख ग्राहक से राजस्व

ऐसा कोई एकल ग्राहक नहीं है जो कंपनी के राजस्व में 10% से अधिक का योगदान करता हो।

25. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण

31 मार्च, 2023 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय कुल राशि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा उस पर भरोसा किया गया है, नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	**31 मार्च**, 2025	**31 मार्च**, 2024
i.	45 दिन से अधिक बकाया राशि	0.06	0.07
ii.	वर्ष के अंत तक भुगतान न की गई राशि मूल राशि ब्याज राशि	29.81	22.89
iii.	वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 18 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
iv.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि अनुबंध की शर्तों के अनुसार अधिनियम में निर्दिष्ट	-	-
v.	वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-

एमएसएमई अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार विक्रेता द्वारा घोषित एमएसएमई संस्थाएं।

26. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	**31 मार्च, 2025**	**31 मार्च, 2024**
1.	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर व्यय पर खर्च की जाने वाली राशि	2.83	2.77
2.	अव्ययित राशि/(अधिक व्यय) पिछले वर्षों से अग्रनीत	(3.79)	(0.23)
3.	वर्ष के दौरान वास्तव में खर्च की गई राशि	(0)	(6.33)
4.	(खर्च की गई अधिक राशि अग्रनीत)/कमी	(0.96)	(3.79)
5.	कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	सीएसआर गतिविधि की प्रकृति क.ऑक्सीजन प्लांट @ गवर्नमेंट स्टेनली मेडिकल कॉलेज, चेन्नई ख. कोविड -19 संबंधित गतिविधियाँ ग.अन्य	 - - -	 - - 6.33
7.	संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण	शून्य	शून्य
8.	जहां एक संविदात्मक बाध्यता में प्रवेश होने के कारण हुई देनदारी के संबंध में एक प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में हुए बदलावों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।	लागू नहीं	लागू नहीं

27. सिक इंडस्ट्रियल कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एसआईसीए) को 01 दिसंबर, 2016 से निरस्त कर दिया गया है और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) उस तारीख से भंग हो गया है। कंपनी नेशनल कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) का रिवाइवल प्रस्ताव दाखिल करने के लिए कानूनी विकल्पों का अनुसरण कर रही है। हालांकि, पीडीआईएल रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने उनके विचार के लिए डीओएफ, भारत सरकार के साथ वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

28. **बोर्ड की संरचना का अनुपालन न करने पर शास्ति:**

6 जून, 2019 से कार्यकाल समाप्त होने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों के चलते कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं है। तदनुसार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई') ने उक्त गैर-अनुपालन पर ₹ 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है,जिसका कंपनी द्वारा विधिवत भुगतान किया गया है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के हाथों में होती है, जिसे अनुपालन की असंभवता माना जाता है। कंपनी ने उक्त राशि को "अन्य वित्तीय संपत्ति - वर्तमान" के तहत दिखाया है, क्योंकि एक बार उक्त गैर-अनुपालन को कंपनी द्वारा ठीक किए जाने के बाद वापस दावा किया जा सकता है।

29. **अन्य वैधानिक जानकारी:**

क. भूमि और इमारतों की सभी अचल संपत्तियों को शामिल करते हुए शीर्षक विलेख, जो फ्रीहोल्ड हैं, बैलेंस शीट की तारीख तक कंपनी के नाम पर हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में दी गई अचल संपत्तियों के लिए, शीर्षक विलेख उक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास जमा किए गए थे।

ख. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की संपूर्ण श्रेणी के लिए लागत मॉडल को अपनी लेखांकन नीति के रूप में अपनाया है।

ग. कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है, जो मांग पर या पुनर्भुगतान की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकाई जा सके।

घ. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए रिपोर्टिंग तिथि तक उधार लिया गया था।

ङ समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित शुल्कों का पंजीकरण, संशोधन और संतुष्टि, निर्धारित समय के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल कर दी गई है। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित शुल्कों के कुछ संशोधन और संतुष्टि के संबंध में, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

च. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

छ. कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर तिमाही रिटर्न या विवरण, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं:

(₹ करोड़ में)

समाप्त तिमाही	वित्तीय स्थिति के अनुसार	बैंकों में दाखिल वापसी के अनुसार	घट-बढ़*
30 जून, 2024			
इन्वेंट्री	248.76	264.13	(15.37)
व्यापार प्राप्य	320.97	487.28	(166.61)
व्यापार देय	298.09	323.66	(25.57)
30 सितंबर, 2024			
इन्वेंट्री	225.44	210.25	15.19
व्यापार प्राप्य	215.70	294.02	(78.32)
व्यापार देय	294.06	157.46	136.60
31 दिसंबर, 2024			
इन्वेंट्री	198.53	358.42	(159.89)
व्यापार प्राप्य	428.73	273.73	155.00
व्यापार देय	335.63	242.33	93.30
31 मार्च, 2025			
इन्वेंट्री	209.60	373.67	(164.07)
व्यापार प्राप्य	382.94	387.00	(4.06)
व्यापार देय	384.21	397.87	(13.66)

ज. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

झ. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं था।

ञ. कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित, विचाराधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ट. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई व्यवस्था योजना नहीं है।

ठ. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ

i. कंपनी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या

ii. परम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।

ड. कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाली पार्टी) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी

i. निधि देने वाली पार्टी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या

ii. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।

ढ. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो खातों की पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे किसी भी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

ण. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए, इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते।

30. व्यापार प्राप्य, अग्रिम और व्यापार देय के तहत दिखाए गए शेष राशि की पुष्टि/ समाधान / समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी पक्षों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

    हालांकि, कंपनी को इसकी वसूली / भुगतान के संबंध में किसी भी भौतिक विवाद की उम्मीद नहीं है। प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान चालू परिसंपत्तियों, चालू देनदारियों, ऋणों और वसूली पर अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में बताए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

31. कंपनी उर्वरकों के विनिर्माण और व्यापार में लगी हुई है, जो कृषि के लिए एक आवश्यक इनपुट है। केंद्र और राज्य सरकार कोविड-19 की स्थिति के दौरान भी कृषि गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। कंपनी को सामान्य परिचालन जारी रखने की उम्मीद है और उसे अपने परिचालन में कोविड-19 के किसी भी प्रभाव की उम्मीद नहीं है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2024-25 के दौरान यूरिया का उत्पादन 5,28,400 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन के साथ 108.60% क्षमता पर है।

32. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में राशि प्रति शेयर डेटा और अन्यथा बताए गए अनुसार करोड़ (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ राशियाँ, जो पूर्णांकन के कारण दिखाई नहीं देती हैं, निम्नानुसार दी गई हैं:

तुलन पत्र मद (₹)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च को	
		2025	2024
नकद और नकद समतुल्य	9		
हाथ में नकद		1,001.00	1,001.00
पीपीई की बिक्री पर लाभ	19	-	-
विघटित/स्क्रैप की गई संपत्तियाँ			
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ		1,001.00	1,001.00

33. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण और प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हस्ताक्षरित/-
मनोज कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10690782

हस्ताक्षरित/-
डॉ. के. जयचंद्रन
निदेशक - तकनीकी
डीआईएन:10062573

हस्ताक्षरित/-
ए.मदन मोहन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षरित/-
जे.श्रीनिवास सरवणन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

/हमारी समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार/

चंद्रन एवं रमन के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या:00057आईएस

एस.पट्टाबीरामन
पार्टनर
सदस्य सं. 014309
यूडीआईएन: 25014309BMMMWA2705

स्थान:चेन्नै
दिनांक: 28/05/2025

This Page is intentionally left blank

BOARD OF DIRECTORS & COMMITTEE DETAILS (AS ON 31.08.2025)

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
Shri MANOJ KUMAR JAIN

Directors

1. Shri Manoj Kumar Jain
2. Shri Amar Kushawha
3. Dr K Jayachandran
4. Shri Mohammad Bagher Dakhili
5. Shri Babak Bagherpour
6. Smt Samieh Kokabi
7. Shri Sanjay Vishnu Shetye
8. Dr Jatin Kumar Mohanty
9. CA Alok Kumar Agrawal

Audit Committee

1. CA Alok Kumar Agrawal
2. Shri Amar Kushawha
3. Dr Jatin Kumar Mohanty
4. Shri Sanjay Vishnu Shetye

Stakeholders Relationship Committee

1. Shri Mohammad Bagher Dakhili
2. Shri Manoj Kumar Jain
3. Dr K Jayachandran
4. Shri Amar Kushawha
5. Shri Sanjay Vishnu Shetye
6. CA Alok Kumar Agrawal

Risk Management Committee

1. Dr Jatin Kumar Mohanty
2. Shri Manoj Kumar Jain
3. Dr K Jayachandran
4. Shri Babak Bagherpour
5. Shri Sanjay Vishnu Shetye
6. CA Alok Kumar Agarwal

Corporate Social Responsibility Committee

1. Dr Jatin Kumar Mohanty
2. Shri Manoj Kumar Jain
3. Dr K Jayachandran
4. Shri Sanjay Vishnu Shetye
5. CA Alok Kumar Agarwa

Nomination and Remuneration Committee

1. Shri Sanjay Vishnu Shetye
2. Dr Jatin Kumar Mohanty
3. CA Alok Kumar Agrawal

Executives

Shri Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director

Dr K Jayachandran
Director – Technical (Additional Charge)

Shri N Ram Kumar, IRS
Chief Vigilance Officer

Shri A Madhan Mohan
Chief Financial Officer

Shri B Somu
General Manager - HRD & OL

Shri T Vannia Perumal
General Manager – Plant (Additional Charge)

Shri Annil Kumar
General Manager – M&D and P&A (Additional Charge)

Shri J Srinivasa Saravanan
Company Secretary & Compliance Officer

CONTENTS

	Page No
AGM Notice	03
Directors' Report	19
Management Discussion and Analysis Report	31
Report on Corporate Governance	38
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	53
Business Responsibility & Sustainability Report	54
Independent Auditor's Report	100
Balance Sheet	116
Statement of Profit & Loss	118
Statement of Cash Flow	120
Notes to the Financial Statements	123

Statutory Auditors
M/s Chandran & Raman
Chartered Accountants
"Paragon" No.2, Radhakrishnan Road
2nd Street, Mylapore
Chennai - 600 004

Cost Auditor
Mrs Aruna Prasad
Cost Accountant
Plot no. 802/2, 64th Street, 10th Sector
K.K.Nagar, Chennai - 600078

Secretarial Auditors
M/s Mohan Kumar and Associates,
Flat F1, Sudarashan Apts,
72, 2nd Main road,
VGP Selva Nagar, Velachery Chennai - 600042

Principal Bankers
State Bank of India

Registered Office
Manali,
Chennai - 600068
Tamil Nadu, India

MADRAS FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)
CIN – L32201TN1966GOI005469
Regd. Office: Post Bag No.2, Manali, Chennai 600 068
Tel.044-25942281 / 25945489
Website:www.madrasfert.co.in email:cs@madrasfert.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 59th Annual General Meeting (AGM) of Madras Fertilizers Limited will be held on Wednesday, September 24, 2025, at 11.00 a.m. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Company as at March 31, 2025, the Statement of Profit & Loss (including other comprehensive income), the Statement of Cash Flow, the Statement of Changes in Equity, Notes comprising Significant Accounting Policies and other Explanatory information forming part of Financial Statements for the year ended on that date together with the Directors' Report, Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) and our replies thereon.

2. To authorize the Board of Directors of the Company to fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2025-26 in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013 and to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

   "RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to decide and fix the remuneration of the Statutory Auditors of the Company as appointed by the Comptroller & Auditor General of India for the Financial Year 2025-26."

SPECIAL BUSINESS

3. To elect Shri Amar Kushawha (DIN:11211580) as a Director on the Board of Directors of the Company.

   As per Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India notification No.95/1/2019-HR-PSU (Part 2) (e-31042) dated 17th July 2025, Shri Amar Kushawha (DIN:11211580) was appointed as an Additional Director under the category of Nominee Director nominated by the Government of India in the Board of Directors of the Company w.e.f. 24.07.2025. The Members may consider and if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 152,161(1) and any other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Articles of Association of the Company, Shri Amar Kushawha (DIN:11211580), who was appointed as an Additional Director under the category of Nominee Director nominated by the Government of India in the Board of Directors of the Company w.e.f. 24.07.2025 as per Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India notification No.95/1/2019-HR-PSU (Part 2) (e-31042) dated 17th July 2025 for a period of three years, or co-terminus basis to his posting in the Department of Fertilizers, or until further orders, whichever is earliest, be and is hereby elected as a Director of the Company.".

4. Appointment of Sanjay Vishnu Shetye, (DIN:01089380) as Non- Executive Independent Director of the Company.

   To consider and if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 150, 152 read with schedule IV of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable provisions of the Companies

Act, 2013 and the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shri. Sanjay Vishnu Shetye, (DIN: 01089380), who was appointed as an Additional Director being designated as Non-official Independent Director in the Board of Madras Fertilizers Limited pursuant to Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India notification No.95/01/2025-HR-PSU (e-38759) dt 17.04.2025 with effect from the date of notification i.e. April 17, 2025 of appointment for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby appointed as a Director of the Company effective April 17, 2025 and not liable to retire by rotation".

5. Appointment of CA. Alok Kumar Agrawal, (DIN:09395495) as Non- Executive Independent Director of the Company.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 150, 152 read with schedule IV of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013and the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, CA Alok Kumar Agrawal, (DIN: 09395495), who was appointed as an Additional Director being designated as Non-official Independent Director in the Board of Madras Fertilizers Limited pursuant to Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India notification No.95/01/2025-HR-PSU (e-38759) dt 17.04.2025 with effect from the date of notification i.e. April 17, 2025 of appointment for a period of one year or until further orders, whichever is earlier be and is hereby appointed as a Director of the Company effective April 17, 2025 and not liable to retire by rotation".

6. **Ratification of remuneration to Cost Auditor for the financial year 2025-26.**

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Companies (Audit and Auditor) Rules 2014, Mrs. Aruna Prasad & Co., (Firm No.100883) Cost Accountant, appointed by the Board at its meeting held on May 28, 2025 as Cost Auditor to conduct the cost audit of the Company for fertilizers for the financial year 2025-26 as per the directions issued by the Central Government at a fee of ₹1,33,000/- plus taxes besides reimbursement out of pocket expenses at actuals be and is hereby ratified."

7. Appointment of Secretarial Auditor for a term of **five consecutive years from 2025-26 to 2029-30.**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 204 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, and based on the recommendations of the Audit Committee and the Board of Directors, the approval of the members be and is hereby accorded for the appointment of M/s SVJS & Associates, Company Secretaries (Firm Registration No:P2008KV017902), as Secretarial Auditors of the Company for a term of five consecutive years, commencing from Financial Year 2025-26 till Financial Year 2029-30 at such remuneration and on such terms and conditions as may be determined by the Board of Directors (including its committees thereof), and to avail any other services, certificates, or reports as may be permissible under applicable laws.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Company, (including its committees thereof) and/or Company Secretary, be and is hereby severally authorized to do all such acts, deeds, matters and things as may be deemed proper, necessary, or expedient, including filing the requisite forms or submission of documents with any authority or accepting any modifications to the clauses as required by such authorities, for the purpose of giving effect to this resolution and for matters connected therewith, or incidental thereto.

By Order of the Board
Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director
DIN: 10690782

Place: Chennai
Date : August 12, 2025

Note:

1. Pursuant to General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No.20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No.19/2021dated December 08, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No.02/2022 dated May 05, 2022, Circular No.10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively "General Circulars") and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/ HO/ CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and Circular No. SEBI/ HO/ CFD/ CFDPoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 dated October 3, 2024 (SEBI Circulars), have permitted companies to conduct General Meetings through Video Conference (VC) or Other Audio- Visual Means (OAVM) up to September 30, 2025, subject to compliance of various conditions mentioned therein, the 59th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, without the physical presence of Members at a common venue. The deemed venue shall be the Registered Office of the Company.
2. Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) the Secretarial Standard on General Meeting issued by the ICSI and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and the MCA and SEBI Circulars, the Company is holding its Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at a common venue. For the said purpose the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for conducting AGM through VC/OAVM. Further, NSDL has also been engaged for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically using remote e-voting system as well as e-voting during the AGM.

   The procedure for participating in the meeting through VC/OAVM is explained in the notes below.
3. An Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 ("the Act") setting out material, relating to special business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
4. Brief profile and other additional information pursuant to Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard – 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, in respect of the directors seeking appointment / re-appointment at the AGM, is also annexed to the Notice.
5. The relevant documents referred to in the accompanying Notice and the Statement pursuant to Section 102 of the Act, shall be available for inspection by the members at the registered office of the Company during normal business hours (between 10.00 A,M. and 01.00 P.M.) on all working days, from the date of circulation of this notice upto the date of the AGM. The relevant documents will also be made available on the website of the Company during the above mentioned period. Members seeking to inspect such documents can also send an email to cs@madrasfert.co.in

   The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Register of Contracts or Arrangements in which the directors are interested, maintained under Section 189 of the Act, will

be available electronically for inspection by the members during the AGM.

Further, members seeking any information with regard to the accounts or any other matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company latest by September 17, 2025 through email on cs@madrasfert.co.in. Such questions shall be taken up during the meeting or replied by the Company suitably.

6. Pursuant to the Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since the AGM is being held through VC, the facility for the appointment of proxies by the members will not be available. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.

7. Pursuant to the above mentioned Circulars, the Company will send the Annual Report for the financial year 2024-25 and AGM notice in electronic form only. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 are also placed on the website of the Company i.e. www.madrasfert.co.in and the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com and at the relevant sections of the websites of the stock exchange i.e. National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

8. The Notice is being sent only through electronic mode to all the Members/Beneficiaries, whose names appear on the Register of Members/ Record of Depositories as on 22nd day, August, 2025 and who have registered their email addresses with the Company/RTA or Depository/ Depository Participant, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and the MCA and SEBI Circulars.

9. The remote e-voting period begins on 21st day, September, 2025 at 9.00 A.M. (IST) and ends on 23rd day, September, 2025 at 5.00 P.M.(IST). During this period, members of the Company holding equity shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e.,17th day, September, 2025, may cast their vote electronically. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time as the same shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

   The facility for electronic voting system, shall also be made available at the AGM. The Members attending the AGM, who have not cast their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already cast their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again at the AGM.

   Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. There will be one e-vote for every Folio/ Client ID irrespective of the number of joint holders. Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member(s) as on cut-off date and any person who is not a member as on that date should treat this Notice for information purposes only.

10. Members may join the AGM through VC/OAVM Facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 11.00 a.m. (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Company may close the window for joining the VC/OAVM facility, 15 minutes after the scheduled time to start the AGM. The facility of participation at the General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. However, the said restriction on account of first come first served principle shall not be applicable on large shareholders (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship, Auditors, etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

11. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

12. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and client ID/ Folio no, No. of shares, PAN, mobile number at cs@madrasfert.co.in on or before 14th September 2025. Only those Members who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views, ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers as well as the speaking time depending upon the availability of time at the AGM.

13. The Board of Directors have appointed M/s. Chitra Lalitha & Associates, Chennai, Practicing Company Secretaries (Membership No.4464) as the Scrutiniser to scrutinize the remote e-voting process and voting through electronic voting system at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser has communicated their willingness to be appointed for the said purpose.

14. The Scrutiniser will, after the conclusion of e-voting at the Meeting, scrutinize the votes cast at the Meeting and votes cast through remote e-voting, make a consolidated Scrutiniser's Report and submit the same to the Chairman or a person authorised by him, who shall countersign the same and declare results (consolidated) within two working days from the conclusion of the meeting and the same, along with the consolidated Scrutiniser's Report, will be placed on the website of the Company (www.Madrasfert.co.in) and the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com) immediately after the declaration of result by the Chairman and in his absence, any Director/Officer of the Company authorised by the Chairman and the same will also be communicated to National Stock Exchange of India Limited. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office and the Corporate office of the Company.

15. With a view to using natural resources responsibly, we request shareholders to update their contact details including e-mail address, mandates, nominations, power of attorney, Bank details covering name of the Bank and branch details, Bank account number, MICR code, IFSC code, etc. with their depository participants and with RTA if shares are held in physical form to enable the Company to send all the communications electronically including Annual Report, Notices, Circulars, etc.

16. The Securities and Exchange Board of India has mandated the submission of the Permanent Account Number (PAN) by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN details to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN details to the Company/RTA.

17. Members are requested to notify the change in address if any, with Pin Code numbers immediately to the RTA i.e. M/s. Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., (IRMSPL), Kences Towers, II Floor, No.1, Ramakrishna Street, T Nagar, Chennai 60017, Phone 044-28140801 to 803 email: Einward@integratedindia.in.

18. Non-Resident Indian Members are requested to inform RTA of the Company any change in their residential status on return to India for permanent settlement, particulars of their Bank account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of Bank with pin code number, if not furnished earlier. Members holding shares in electronic form may contact their respective Depository Participants for availing this facility.

19. SEBI vide its circular dated January 25, 2022, has mandated that the listed companies shall henceforth issue the securities in dematerialised form only, while processing service requests such as issue of duplicate share certificates, transmission, transposition, etc. Accordingly, members who still hold shares in physical form are advised to dematerialise their holdings.

20. Effective April 1, 2024, SEBI has mandated that the shareholders, who hold shares in physical mode and whose folios are not updated with any of the KYC details [viz., (i) PAN (ii) Choice of Nomination (iii) Contact Details (iv) Mobile Number (v) Bank Account Details and (vi) Signature], are requested to complete their KYC by writing to the Company's RTA, M/s. Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., (IRMSPL) through email to Einward@integratedindia.in. Also the forms for updating the same are available at www.madrasfert.co.in.

    Further, in respect of shares held in electronic/demat form, the members may please contact their respective Depository Participant.

    SEBI vide its Circular SEBI/ HO/ MIRSD/ POD-1/ P/ CIR/2023/181 dated November 17, 2023 has done away with the requirement of freezing of folios and referring frozen folios to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002.

21. SEBI vide its circular dated May 30, 2022 has prescribed Standard Operating Procedures for dispute resolution under the Stock Exchange arbitration mechanism for a dispute between a Listed Company and/or RTA and its Shareholders(s) / investor(s). The said circular is available on the website of the Company at www.madrasfert.co.in.

22. Pursuant to SEBI Circular vide SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD/ P/ CIR/ 2025/ 97 dated July 2, 2025, a special window has been opened for a period of six months from July 7, 2025 till January 6, 2026, exclusively for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged by the shareholders prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise.

    During this period, all securities re-lodged for transfer (including requests currently pending with the listed company or its Registrar and Transfer Agent (RTA) as on date) shall be processed only in dematerialized (Demat) mode. The due process, as prescribed under applicable regulations, to be followed for all such transfer-cum-demat requests.

    Shareholders are requested to make use of this opportunity and reach out to RTA/ Company for any support that they may require. Kindly visit our website. Or https://re-lodgement-of-transfer-request-of-physical-shares-02.06.2025-circular-1.pdf

23. The Register of Members and the Share Transfer Books of the company will remain closed from 18.09.2025 to 24.09.2025 (both days inclusive) on account of the 59th AGM

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AND JOINING THE ANNUAL GENERAL MEETING ARE AS UNDER: -

The remote e-voting period begins on 21st day, September 2025 at 9.00 A.M. (IST) and ends on 23rd day, September 2025 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. 17th day, September, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being 17th day, September, 2025.

The instructions for Members for remote E-voting are as given below:

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "**Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "**NSDL Speede**" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on App Store Google Play

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1 Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3 If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

IMPORTANT NOTE: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login Type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call toll free number 022-48867000 and 022 - 24997000
Individual Shareholders holding Securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk evoting@ cdslindia.com or contact at toll free number 1800 22 55 33.

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

   c) How to retrieve your 'initial password'?

      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

      (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

   a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

   b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

   d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

a. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

b. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".

c. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

d. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

e. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

f. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

g. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

i. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to lalitha.companysecretary@

gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

ii. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

iii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Security Depository Ltd Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat, Lower Pare, Mumbai or to be emailed at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to einward@integratedindia.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to einward@integratedindia.in
3. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
4. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
5. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

The instructions for members for e-voting on the day of the AGM are as under:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

Instructions for members for attending the AGM through vc/oavm are as under:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting

system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under "Join meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/ Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

   Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at (einward@integratedindia.in). The same will be replied by the company suitably.

The Explanatory Statement pursuant to Section 102 (1) of the Companies Act, 2013:

Item No.3: Appointment of Shri Amar Kushawha (DIN: 1121180) as a Director of the Company.

Department of Fertilizers vide Notification No.95/1/2019-HR-PSU (Part 2) (e-31042) dated 17th July 2025 communicated the appointment of Shri Amar Kushawha (DIN: 11211580), as a Government Nominee Director on the Board of Madras Fertilizers Limited for a period of 3 years with immediate effect or co-terminus basis to his posting in the Department of Fertilizers, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Amar Kushawha (DIN:11211580), was appointed as Government Nominee Director of the Company pursuant to Section 161(3) of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, by the Board of Directors vide Circular Resolution dated 28.07.2025, Accordingly, approved effective from 24.07.2025.

The Company has received all statutory disclosures / declarations from Shri Amar Kushawha, including (i) consent in writing to act as director in Form DIR-2 pursuant to Rule 8 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 ("the Appointment Rules"), (ii) intimation in Form DIR-8 in terms of the Appointment Rules to the effect that he is not disqualified under sub-section (2) of Section 164 of the Act.

The resolution seeks the approval of members for the appointment of Shri Amar Kushawha as a Government Nominee Director of the Company effective July 24, 2025 for a period of 3 years. Pursuant to Sections 149, 152 and other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof) and his office shall be liable to retire by rotation.

No director, key managerial personnel or their relatives except Shri Amar Kushawha, to whom the resolution relates, is interested in or concerned, financially or otherwise, in passing the proposed resolution set out in item No.3.

The Board recommends the resolution set forth in item No.3 for the approval of members by the way of special resolution.

Profile of Shri Amar Kushawha

DIN	11211580
Date of Birth	15.08.1985
Date of appointment/Change in terms of appointment	24.07.2025
Relationship with Directors/KMP	No
Shareholding in the Company	No
Remuneration proposed to be paid	NIL
Expertise in specific functional area	Law & Order Management, Planning & Developments, Agriculture, Rural & Urban Development, Industrial Palnning etc.

Number of shares held in the Company as on March 31,2025	NIL
List of the Directorships held in other Listed Companies	NIL
Chairman/Member of the Committee of Directors of other Companies in which he/she is a Director as on March 31,2025	NIL
Number of Board Meeting attended during the year 2024-2025	NA

Item No.4: Appointment of Shri Sanjay Vishnu Shetye (DIN: 01089380) as Non- Executive Independent Director of the Company.

Department of Fertilizers vide letter No.95/01/2025/HR-PSU (e-38759) dated April 17, 2025 communicated the appointment of Shri Sanjay Vishnu Shetye as Non-Official Independent Director on the Board of Madras Fertilizers Limited effective April 17, 2025 for a period one year, with effect from the date of notification of appointment or until further orders whichever is earlier

Shri Sanjay Vishnu Shetye fulfills the requirements of an independent director as laid down under Section 149(6) of the Companies Act, 2013, and Regulation 16 of the LODR Regulations.

The Company has received all statutory disclosures / declarations from Shri Sanjay Vishnu Shetye, including (i) consent in writing to act as director in Form DIR-2, pursuant to Rule 8 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 ("the Appointment Rules"),(ii) intimation in Form DIR-8 in terms of the Appointment Rules to the effect that he is not disqualified under sub-section (2) of Section 164 of the Act, and (iii) a declaration to the effect that he meets the criteria of independence as provided in sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

The Board of Directors of the Company has considered that Shri Sanjay Vishnu Shetye possesses diverse skills, leadership capabilities, expertise in governance and finance, risk management and vast business experience, as being key requirements for this role.

Considering the above, the Board opined that Shri Sanjay Vishnu Shetye has fulfilled the conditions specified in the Section 149, 150, 152 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Act read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and the Board of Directors vide Circular Resolution dated 24.04.2025 accorded approval for his appointment as Independent Director of the Company, effective from April 17, 2025 or until further orders.

The resolution seeks the approval of members for the appointment of Shri Sanjay Vishnu Shetye as an independent director of the Company for a for a period one year, with effect from 17.04.2025 pursuant to Sections 149, 150, 152 and other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof) and his office shall not be liable to retire by rotation.

The Board recommends the resolution set forth in item No.4 for the approval of members by the way of special resolution.

No director, key managerial personnel or their relatives except Shri Sanjay Vishnu Shetye, to whom the resolution relates, is interested in or concerned, financially or otherwise, in passing the proposed resolution set out in item No.4.

Profile of Shri Sanjay Vishnu Shetye

DIN	01089380
Date of Birth	16.01.1966
Date of appointment/Change in terms of appointment	17.04.2025
Relationship with Directors/ KMP	No
Shareholding in the Company	No
Remuneration proposed to be paid	NIL
Expertise in specific functional area	Event Management, Creative, Graphics, Film Production and Photography
Number of shares held in the Company as on March 31,2025	NIL
List of the Directorships held in other Listed Companies	NIL
Chairman/Member of the Committee of Directors of other Companies in which he/she is a Director as on March 31,2025	-
Number of Board Meeting attended during the year 2024-2025	NA

Item No.5: Appointment of CA Alok Kumar Agrawal (DIN: 09395495) as Non- Executive Independent Director of the Company.

Department of Fertilizers vide letter No.95/01/2025/HR-PSU (e-38759) dated April 17,2025 communicated the appointment of CA Alok Kumar Agrawal as Non-Official Independent Director on the Board of Madras Fertilizers Limited effective April 17,2025 for a period one year, with

effect from the date of notification of appointment or until further orders whichever is earlier

CA Alok Kumar Agrawal fulfills the requirements of an independent director as laid down under Section 149(6) of the Companies Act, 2013, and Regulation 16 of the LODR Regulations.

The Company has received all statutory disclosures / declarations from CA Alok Kumar Agrawal, including (i) consent in writing to act as director in Form DIR-2, pursuant to Rule 8 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 ("the Appointment Rules"),(ii) intimation in Form DIR-8 in terms of the Appointment Rules to the effect that he is not disqualified under sub-section (2) of Section 164 of the Act, and (iii) a declaration to the effect that he meets the criteria of independence as provided in sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

The Board of Directors of the Company has considered that CA Alok Kumar Agrawal possesses diverse skills, leadership capabilities, expertise in governance and finance, risk management and vast business experience, as being key requirements for this role.

Considering the above, the Board opined that Shri CA Alok Kumar has fulfilled the conditions specified in the Section 149, 150, 152 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the Act read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and the Board of Directors vide Circular Resolution dated 24.04.2025 accorded approval for his appointment as Independent Director of the Company, effective from April 17, 2025 or until further orders.

The resolution seeks the approval of members for the appointment of CA Alok Kumar Agrawal as an independent director of the Company for a for a period one year, with effect from the date of notification of appointment or until further orders whichever is earlier, pursuant to Sections 149, 150, 152 and other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof) and his office shall not be liable to retire by rotation.

The Board recommends the resolution set forth in item No.5 for the approval of members by the way of special resolution.

No director, key managerial personnel or their relatives except CA Alok Kumar Agrawal, to whom the resolution relates, is interested in or concerned, financially or otherwise, in passing the proposed resolution set out in item No.5.

Profile of CA Alok Kumar Agrawal

DIN	09395495
Date of Birth	09.08.1974
Date of appointment/Change in terms of appointment	17.04.2025
Relationship with Directors/ KMP	No
Shareholding in the Company	No
Remuneration proposed to be paid	NIL
Expertise in specific functional area	Corporate Governance & Board Leadership, Financial Oversight & Audit Committees, Risk Management & Compliance, Strategic Planning & Business Transformation, Mergers & Acquisitions (M&A), Stakeholder Engagement & Reporting, Regulatory Compliance, (SEBI, RBI, etc.) Ethics, Transparency & Corporate Social Responsibility (CSR).
Number of shares held in the Company as on March 31,2025	NIL
List of the Directorships held in other Listed Companies	NIL
Chairman/Member of the Committee of Directors of other Companies in which he/she is a Director as on March 31,2025	-
Number of Board Meeting attended during the year 2024-2025	NA

Item No.6: Ratification of Remuneration paid to Cost Auditor for the year 2025-26.

The company is required to have its cost records audited by a Cost Accountant in practice. Accordingly, the Board at its meeting held on 28.05.2025 on the recommendation of the Audit Committee, approved the appointment of Mrs Aruna Prasad & Co, (Firm No.100883) to conduct the audit of the cost records of the Company, for the Financial Year ending March 31, 2026 at a remuneration of Rs.1,33,000/- plus tax as applicable and reimbursement of out of pocket expenses.

In terms of the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration payable to the Cost Auditor has to be ratified by the Members of the Company.

Accordingly, the Members are requested to ratify the remuneration payable to the Cost Auditor for the Financial Year ending March 31, 2026 as set out in the resolution, for the services rendered / to be rendered by the Cost Auditor.

None of the Directors and / or Key Managerial Personnel of the Company and / or their relatives is, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the proposed Ordinary resolution.

Item No.7: Appointment of Secretarial Auditor for a term **of five consecutive years from 2025-26 to 2029-30.**

Pursuant to Regulation 24A of Listing Regulations, every listed entity shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary/ Company Secretaries Firm.

As per the Listing Regulations, an individual Secretarial Auditor may be appointed for one term of five consecutive years, while a firm of Company Secretaries may be appointed for two such terms, subject to shareholders approval at the AGM.

In line with the above and pursuant to Section 204 of Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, Audit Committee and Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 12, 2025, approved the appointment of M/s SVJS &Associates, Practising Company Secretaries (Firm Registration No.: P2008KV017902) as Secretarial Auditor of the Company, for a term of five consecutive years commencing from April 1, 2025, subject to approval of Shareholders of the Company.

Profile of M/s. M/s SVJS & Associates, Practising Company Secretaries

M/s SVJS & Associates a leading firm of practicing Company Secretaries (hereinafter referred to as SVJS) with over 17 years of experience in delivering comprehensive professional services across Corporate Laws, SEBI Regulations and FEMA Regulations. Their expertise includes conducting Secretarial Audits, Due Diligence Audits, and Compliance Audits etc. SVJS are the recipient of the National Award for the Best CS firm from ICSI during 2021.

Confirmation and Disclosures

M/s. SVJS & Associates has given its consent to act as the Secretarial Auditors, confirmed that they hold a valid peer review certificate issued by ICSI and that they are not disqualified from being appointed as Secretarial Auditors.

Proposed Remuneration

Proposed Remuneration payable to M/s. SVJS &Associates for secretarial audit services is as per table below.

Sl No	Description	Years	Remuneration (in Rs.)
1	Secretarial Audit Report &Annual Secretarial Compliance Report	2025-26	65000
		2026-27	65000
		2027-28	68250
		2028-29	71663
		2029-30	75246
	Total Amount		345159
	GST 18%		62129
	Grand Total		407288

Further, the Company may avail such other services from the Firm as are permitted under applicable rules/ regulations, on such terms & conditions including the fees payable for availing such services, as may be agreed to between the Company and the Secretarial Auditor.

Proposed remuneration for Secretarial Audit is commensurate with fees charged by similar tier of firms in the industry and is not comparable to the remuneration paid to erstwhile secretarial auditor.

Board's recommendation

The Board reviewed the Firm's profile and concluded that it has a competent team with the right blend of experience and expertise to undertake the Secretarial Audit assignment. The Board also noted that the Firm has exposure to diverse industries.

Considering the above and after evaluating various factors such as industry experience, competency of audit team and independence from management, the Board recommends passing of the proposed resolution stated in Item 7 of the Notice for approval by the Shareholders by way of Ordinary Resolution.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their respective relatives is concerned or interested, financially or otherwise, in passing the proposed Ordinary Resolution.

The Board recommends the resolution set forth in item no. 7 for the approval of members.

By Order of the Board
For MADRAS FERTILIZERS LIMITED
Sd/-
MANOJ KUMAR JAIN
Chairman & Managing Director
(DIN:10690782)

Place: Chennai
Date: August 12, 2025

DIRECTOR'S REPORT

The Shareholders

Madras Fertilizers Limited

Your Directors have pleasure in presenting herewith the 59th Annual Report together with the Balance Sheet as at March 31, 2025 and the Statement of Profit & Loss for the year 2024-25.

SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS

₹ Cr

Particulars	2024-25	2023-24
Turnover	2541.85	2228.42
Profit Before Interest, Depreciation, Exceptional items and Tax	166.37	144.35
Less: Interest	63.14	72.21
Less: Depreciation	11.63	10.29
Less: Exceptional items	-	49.99
Profit / (Loss) Before Tax	91.60	11.86
Provision for Tax	27.35	6.30
Profit / (Loss) After Tax	64.25	5.56
Other Comprehensive Income	93.17	91.79
Cash Profit / (Loss)	103.23	22.16

The overall sales of the Company are increased by ₹ 313.43 Cr around 14% (FY 2024-25 ₹ 2541.85 Cr as against the FY 2023-24 ₹ 2228.42 Cr). The Company has made profit after tax of ₹ 64.25 Cr as compared to Rs. 5.56 Cr in the previous year.

REVIVAL

The Company has submitted a Revival Proposal to Department of Fertilizers, Government of India, for its consideration.

DIVIDEND

The Company does not propose to declare any Dividend to shareholders during the fiscal 2024 on account of accumulated losses as on 31.03.2025.

The Dividend Distribution Policy, in terms of Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") is available on the Company's website at_https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/MFL-Dividend-Policy.pdf

TRANSFER TO RESERVES

The Company has not transferred any amount to Reserve during the year.

SHARE CAPITAL

The is no change in the paid-up share capital of the Company. The Paid-up Equity Share Capital of the Company as on March 31,2025 is ₹162.14 Crores.

PLANT PERFORMANCE

Product	Apr 2024 - Mar 2025		
	Target	Actual	Achieved
	MT	MT	%
Ammonia	292000	326260	111.7
Urea	486750	528400	108.6

Your Company has taken adequate measures for improvement in reliability, productivity and safety of the plants leading to improved performance during the year. The major highlights are:

- Highest Neem Coated Urea production, since inception: 528,400 MT (Previous best: 519,800 MT during 2022-2023).
- Lowest Urea Specific Energy Consumption (SEC), since inception: 6.875 GCal/MT (Previous best: 7.370 GCal/MT during 2021-2022).
- Highest Urea Plant capacity utilization : 109% (Previous best: 107% during 2022-2023) with 291days of plant operation over 100% capacity during the FY 24-25
- Highest Ammonia production, since inception: 326,260 MT (Previous best: 301,182 MT during 1999-2000).
- Lowest Ammonia Specific Energy Consumption (SEC), since inception: 9.271 GCal/MT (Previous best: 9.981 GCal/MT during 2021-2022).
- Anhydrous Ammonia of quantity 21209.34 MT sold to vendors thru Road Tankers which is the highest ever, since inception.

- At the close of Mar 31, 2025, 231 days were completed without any lost time accident covering 0.54 Million Man-hours.
- Adequate arrangements are done to counter the Water crisis during the FY 24-25.

FUTURE OUTLOOK

There is a compelling need for self-sustainability in fertilizer production under Atmanirbhar Bharat to reduce dependency on imports. The Company has drawn up a road map for establishment of a New Greenfield Ammonia/Urea Complex with a capacity of 1.30 MTPA of Urea. The Pre-Feasibility Report (PFR) is approved by your Board and the Company is in the process of obtaining approval form Govt. of India for inclusion under New Investment Policy (NIP) 2012 for going ahead with Detailed Project Report (DPR) and selection of financial module for the project. This will open up for new investment with better return while ensuring food security.

Further, to augment additional revenue, your Company is examining the feasibility of diversification of business by way of setting up of environmental friendly Pollution free Modern Business Park in its land situated at Guindy. Business diversification like Trading of fertilizer products will improve the bottom line of the company.

MARKETING PERFORMANCE

Fertilizer Sales:

- Sold 5,22,932 MTs of NC Urea, **which is the 2nd highest since revamping** of Urea plant against the previous best of 5,29,879 MT during 2022-23.
- Even though there is a decrease of 3.69% in consumption of NC Urea witnessed in Southern states, the Market Share for of MFL in its Marketing territory marginally increased to 8.32% against the CPLY of 6.57%. (Total consumption 62,81,436 MT in 2024-25 and 65,13,220 MTs in 2023-24)
- 96% of the products delivered to dealers directly from Railhead without moving to warehouse, which sizably **reduced the inventory carrying cost**.
- Point of Sale (PoS) of NC Urea for the year 2024-25 is at par with invoiced quantity and the closing PoS inventory as on 31.03.2025 is 32,312 MTs, which is **only 6.1 % as carry forward quantity.**

Bio Pesticides & Organic Products Sales:

- Sold 1,43,730 ltrs of Environmental friendly Neem pesticide, which is the **2nd highest since introduction** against the previous best of 1,57,420 ltrs during 2022-23.
- Under Basket approach, Sold 15,982 MTs of Organic Manure, which **is All-time high** and 49% increase over previous best of 10,740 MTs during 2023-24.
- In addition to Organic Manure, Under "Swachh Bharat Mission" MFL continues to market City compost, a product from Municipality/City waste and sold 9,996 MTs.
- MFL join hands with the Government of India's visionary initiative PM-PRANAM (PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) with the objective to promote 'Reduction in excess use of chemical fertilizers & increase awareness on balanced fertilizer use', started marketing **two more** Organic products namely FOM & PROM during 2024-25 and sold 1238 & 1755 MTs respectively.
- With the addition of two more Organic products, MFL achieved **an All-time high volume sale of 28,971 MTs of combined Organic products**, which is 31.4% higher than the previous best of 22,047 MTs recorded during 2023-24.

Ammonia Sales:

Marketing Department has successfully ventured into new avenues of Marketing Anhydrous Ammonia, the excess available after captive use by identifying Industrial vendors and **sold 21,209 MTs.**

MARKET DEVELOPMENT & AGRO-SERVICE PROGRAMS:

MFL is consistently contributing in all areas of operation to improve the Agriculture production & to ensure food security in India by implementing various Central Govt schemes:

- The converted 2300 numbers of Fertilizer retailers' shops into PMKSK (Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendra) - a model fertilizer **'One Stop Shop'** for all agriculture related inputs and services are being facilitated for participation of more number of farmers thru online virtual meeting organized by DoF to create

awareness about farm related Govt. schemes and also disseminating new farm techniques viz., Drone usage, alternate to Chemical fertilizers, etc.,

- All the MFL dealers Geo-coordinates were mapped under the **PM-GATI SHAKTHI** scheme for generating master plan to multi nodal connectivity.
- Per directions of Government of India – Department of Fertilizers towards promoting the Objective of **"Reducing the use of Chemical Fertilizers & increase the usage of Organic Fertilizers**, MFL planned to organize **120 numbers of KISAN SANGOSHTHI** under **PM PRANAM (**PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) across southern states during Feb'2025- Jan'2026 @ 10 programs/ month to create awareness on FOM & PROM products and emphasis the balanced fertilization & more usage of Organic products.
- Continuously conducting field demos, Exhibitions, Government Contact Programs, Dealer Training Programs for all the Organic products like FOM, PROM, OM & City compost to use as alternate fertilizers to promote the concept of "Integrated Nutrition" to Soil.
- Community Radio (CR) can play an effective role in valuable **Information dissemination, Education and Communication (IEC)** for generating awareness to farmers. MFL have structured and broadcasted **180 programs** during the year 2024-25 propagating the balanced use of fertilizers, organic farming and other agriculture topics in collaboration with **Anna community Radio**, Department of Media Sciences, Anna University, Chennai in line with Government of India vision of achieving self-reliance in fertilizer sector in the country for sustainable agricultural growth and intends to create awareness about various programs and schemes viz. PM – PRANAM, balanced use of fertilizers and nutrient management.
- MFL is regularly updating the various Agro service programs coming under PM-PRANAM like Field demonstration of Vijay FOM, Vijay PROM, Vijay City Compost & Vijay Organic products, Kisan Sangoshthi, Community Radio Programs in the Social Media platforms like Facebook, YouTube, X-handle, Linked-In, Instagram & WhatsApp so as to reach maximum farmers to know the benefits of Organic fertilizers and Balanced Use of Fertilizers.
- MFL's Marketing personnel have contacted 23167 numbers of farmers during the year and continuously imparted knowledge to farmers on use of eco-friendly products for Soil health, Soil fertility, Soil vitality and balanced fertilization (Integrated Nutrient Management). Method demonstrations for all the Organic Products viz., Organic Manure, City compost, FOM & PROM and farmer seminars were organized in coordination with State/Central Agricultural extension departments.
- Under Corporate social responsibility towards farming community, during the year 2024-25, Marketing personnel collected 4020 numbers of soil samples, got analyzed and communicated to the farmers about the micro & macro nutrient recommendations of various crops.

DBT Implementation (Direct Benefit Transfer)

- In compliance with PAN India implementation of DBT Fertilizer, in order to sustain sales thru PoS machines, MFL consistently organizing Dealers Training Programs for educating the Wholesalers/Retailers and farmers on the importance of PoS sales.

VIGILANCE

Vigilance Department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO). The CVO is assisted by a team of Officers drawn from various functional departments and placed in Corporate Office at Chennai.

Regular preventive vigilance activities such as Scrutinizing of Tender Files, Surprise checks, Vigilance clearance for administrative decisions, Periodic Vigilance Reports like preparation of Agreed List of Officers, List of Officers of Doubtful Integrity are submitted to Department of Fertilizers regularly. The working of vigilance wing of MFL is based on a proactive, participative and focused approach.

As part of Preventive Vigilance, efforts are made to keep a watch on the various activities through regular inspections and surprise checks. Systemic improvements and corrective actions are suggested wherever necessary. Vigilance Department has focused on spreading awareness on rules/ regulations and procedures. Efforts are made to ensure speedy Redressal of the complaints. Tender documents

have been made more objective. Transparency in existing system of dealing with the Dealers / Vendors has been enhanced by adopting e-procurement and e-payment. Vigilance Department has also guided the organization in an era of e-clearances for issuing NOC for various purposes to the employees superannuating and visiting abroad.

MFL observed Vigilance Awareness Week 2024 (VAW-2024) **"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"** from October 28, 2024 to November 03, 2024.

Banners, Posters, Display Boards related to Vigilance Awareness were displayed at various vantage points in the Company premises and all the Regional Offices situated all over South India highlighting the theme of Vigilance Awareness Week.

On October 28, 2024, Integrity Pledge was administered to all the employees at 1100 hours by CMD in the presence of CVO at the Company's Administrative Building and the other employees from Plant and Regional offices took pledge at their respective work place. A link was provided in the Company's web site, to facilitate Citizens and Corporates to access the CVC website for taking e-Pledge. In MFL's Website, Vigilance Awareness Theme pop-up message has been displayed during campaign period and VAW 2024 Theme was printed in Employees' Monthly and Supplementary Payslip's during three months campaign period.

On 25/09/2024, Workshop on "Ethics & Governance" was conducted by Shri Dr. K D Balaji, Assistant Professor, SRM Institute of Science and Technology at MFL Training Centre in the forenoon session as part of VAW 2024 activities. Around 25 employees, trainees etc., have actively participated in the workshop.

On 28/10/2024, Workshop on 'Cyber Hygiene and Security" has been conducted by Mr Saithu Mohammed, Assistant Professor, SRM Institute of Science and Technology at MFL Training Centre in the afternoon session as part of VAW 2024 activities. Around 23 employees, trainees etc., have actively participated.

DGM-Production Organised Vendor Awareness Programme on "VAW 2024 Theme" on 28/10/2024 at MFL Technical Services Conference Hall for contractors/vendors and explained them about the importance of moral values, ethics and governance.

Essay Writing Competitions in Tamil, Hindi & English and Drawing & Painting/Poster Making Competitions were held for Employees as well as Trainees, Contract Employees & Apprentices at MFL on 23/10/2024 & 25/10/2024. Further, Employees as well as Contract Employees, Trainees and Apprentices were asked to write slogans in Tamil, Hindi and English on VAW 2024 theme.

As a first ever initiative, On-line Quiz programme was organized for Head Office and Regional Offices' Employees by providing the link in MFL website commencing from 28/10/2024 - 11.00 am to 29/10/2024 - 5.00 pm. Around 104 Employees enthusiastically took part in the Quiz Program in a short span of two days.

Competitions viz., Essay Writing in in both English and Tamil, Oratorical competition (Tamil) and Drawing / Painting were conducted at the neighbouring Government High School located at Old Nappalayam, Chennai on 29/10/2024. Similarly covering all the Regional Offices, competitions viz., Quiz, Essay Writing, Rangoli etc., were conducted at various Schools and Colleges located at Regional Offices. Altogether, around 800 Students participated during Vigilance Awareness Week campaign.

Walkathon: In Trichy Region, a Walkathon was conducted at Jamal Mohammed College, Trichy by M&D Officials on 25/10/2024 and around 37 Students participated. The program was started by taking the Integrity Pledge and at the time of Walkathon, students were holding placards, banners and MFL stickered caps and also chorused slogans and proverbs against corruption.

Gram Sabha: In Bangalore Region, a Grama Sabha program was conducted at N R Kalyana Mandapa, Bannur, T Narasipura Taluk, Mysore District by M&D Officials on 29/10/2024. Local News reporters were also present in the program, and the news of the program was widely published through print media and in local Kannada news channels. Around 80 farmers participated in the program.

Dealers Meet: At Vellore Region, Dealers Meet was conducted at Aandal Singaravelu Thirumana Mandabam, Thiruvannamalai by M&D Officials on 05/11/2024 and around 90 dealers participated in the program.

An In-house journal "Harvest" has been published by M&D Group during the Month of November 2024 covering VAW 2024 activities undertaken at all Regional Offices.

In the concluding session of the Vigilance Awareness Week, Prizes were distributed to the competition winners by CMD along with CVO at Head Office Chennai on 28/11/2024. Photos covering all the VAW 2024 activities have been uploaded in MFL Website and also in Social Media.

Integrity Pact: Quarterly Review Meetings were held with two IEMs, viz. Shri Aditya Kumar Mittal, IRSE (Retd.) and Shri Ashwani Kumar Mehta, IRS (Retd.) through Video Conference / in person. Since, the tenure of Shri Aditya Kumar Mittal was ended on December 21, 2024, and also the tenure of Shri Ashwani Kumar Mehta, IRS (Retd.) was ended on July 22, 2025. On request, CVC has appointed Shri. B.Ravichandran IRS (Retd.) and Shri. M J Joseph ICAS (Retd.) as Independent External Monitor (IEM) with effect from April 24, 2025.

HUMAN RELATIONS AND INDUSTRIAL RELATIONS

MANPOWER

The total strength of MFL as on 31.03.2025 is 402 against 435 as on 31.03.2024.

TRAINING

285 employees and 145 contract workers have been trained during the year 2024-25 on Technical and Life Skills.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year, overall Industrial Relation situation in the Company has been normal and cordial.

SC / ST EMPLOYEES WELFARE ACTIVITIES

- The Presidential Directives and various guidelines issued by the Government of India from time to time relating to the SC/ ST employees are being scrupulously followed.
- Rs.50,000/- each was granted to MFL's, Dr Ambedkar SC/ST Employees Welfare Association and MFL's SC/ ST Employees welfare Association for celebrating Dr. Ambedkar Jayanthi during the FY 2024-25.
- To handle the grievance of SC / ST employees, the following are in existence
  - SC / ST Cell
  - Internal Grievance Committee (IGC) for SC and ST separately
  - A Liaison Officer for SC / ST employees

OBC EMPLOYEES WELFARE ACTIVITIES

- Rs.50,000/- was granted for celebrating birthday of Thanthai Periyar E V Ramasamy for the FY 2024-2025
- To Handle the grievance of OBC employees, the following are in existence
- OBC Cell
- Internal Grievance Committee (IGC) for OBC employees
- A Liaison Officer for OBC employees

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

The target fixed by Department of Official Language for letter correspondence in Hindi and other implementation programs are being taken care of. Hindi Fortnight was celebrated at Head Office and Regional Offices. Various competitions were organized through online and prizes were distributed during the year 2024-25.

INVESTOR RELATIONS CELL (IRC)

IRC is functioning in the Company under the Company Secretary to create awareness of the Company's strength and ensuring timely communication to shareholders.

STATUTORY INFORMATION

Annual Evaluation of Board

MFL being a Government Company, all appointments in the Board are made by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers. The performance of Directors are evaluated by the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers, Government of India. As per Government of India, Ministry of Corporate Affairs notification dated 5th June 2015, clause (e) and (p) of sub-section 3 of Section 134 of Companies Act 2013 relating to appointment, remuneration and Annual evaluation of Board on its performance are not applicable to MFL. However, the company is evaluating the performance of its Directors as per the guidelines issued by SEBI.

Meeting of the Board

During the year 2024-25, 4 meetings of the Board of Directors were convened and held. The details of the meetings of the Board of Directors are given in the report on Corporate Governance, which is part of this report. The intervening gap between the meetings was within the period prescribed under the Companies Act 2013.

Particulars of Employees and Related Disclosures

In terms of the provisions of Section 197 (12) of the Companies Act 2013 read with Rules 5 (2) and 5 (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, it is stated that no employee of your Company was in receipt of remuneration in excess of the amount mentioned in Rule 5 (2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

The details of ratio of the remuneration of each director to the median remuneration of the employees of the Company and percentage increase in remuneration of each Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary in the financial year as required to be disclosed in pursuant to Rule 5 (1) is provided in Annexure A.

Directors and Key Managerial Personnel

1. The Government of India as per Government Order notification No.95/1/2019-HR-PSU (Part 2) (e-31042) dated July 17, 2025 has appointed Shri Amar Kushawha (DIN 112111580.) Director for a period of three years, with immediate effect, or on co-terminus basis to his posting in the Dept. of Fertilizers, or until further orders, whichever is earliest. The Board has recommended the Members to appoint him as the Director of the Company in the 59th Annual General Meeting of the Company.
2. The Government of India as per Government Order notification No.95/01/2025-HR-PSU (e-38759) dated April 17, 2025 has appointed Shri Alok Kumar Agrawal (DIN 09395495) as Non-Official Independent Director for a period of one year, with effect from the date of notification of appointment, or until further orders, whichever is earlier. The Board has recommended the Members to appoint him as the Director of the Company in the 59th Annual General Meeting of the Company.
3. The Government of India as per Government Order notification No.95/01/2025-HR-PSU (e-38759) dated April 17, 2025 has appointed Shri Sanjay Vishnu Shetye (DIN 01089380) as Non-Official Independent Director for a period of one year, with effect from the date of notification of appointment, or until further orders, whichever is earlier. The Board has recommended the Members to appoint him as the Director of the Company in the 59th Annual General Meeting of the Company.

Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013, your Directors hereby state that

1. in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025, the applicable accounting standards (Ind AS) had been followed along with proper explanation relating to material departures.
2. the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that year;
3. the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
4. the directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
5. the directors have laid down internal financial control to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
6. the directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Prevention of Sexual Harassment

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 have been provided in the Report on Corporate Governance report.

Conservation of Energy, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and outgo

The details of Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo as required in pursuant to provisions of Section 134 of Companies Act 2013 are given in the **Annexure – I** forming part of this report.

Management Discussion and Analysis Report

Management Discussion and Analysis Report, as required under Listing Agreement is enclosed as **Annexure - II** forming part of this report.

Corporate Governance

The Company is committed to maintain the highest standard of Corporate Governance and adhere to the Corporate Governance requirements set out by SEBI. The Board lays emphasis on transparency and accountability for the benefit of all stakeholders of the Company. The Report on Corporate Governance as stipulated under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Business Responsibility Report have been enclosed as **Annexure – III and IV** respectively forming part of the report.

Code of Conduct

Declaration affirming compliance with the code of conduct pursuant to the provisions of Regulation 17(5) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") is enclosed as **Annexure - V** forming part of this report.

Declaration by Independent Directors:

The Independent Directors have submitted their declaration to the Board that they meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of Listing Regulations so as to qualify as an Independent Director of the Company

Annual Return

As provided under Section 92 (3) of the Act, the form MGT-7 Annual Return is available in our web link: http://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2025/09/Form_MGT_7-_2025.pdf

Auditors

a. The Comptroller &Auditor General of India shall appoint the Statutory Auditors of the Company for the year 2024-25.

b. Mrs. Aruna Prasad, Cost Accountant, has been re-appointed as Cost Auditor of the Company for the year 2024-25.

c. In terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, a Secretarial Report in the prescribed format, obtained from a Company Secretary in practice, is required to be annexed to the Board's Report. In view thereof, your Board at its 337th meeting held on February 11, 2025 has appointed M/s. Mohan Kumar & Associates (CP 19145), Practicing Company Secretary, as the Secretarial Auditor of your Company. The Secretarial Auditors' Report **(Form No.MR-3)** for the year 2024-25 is enclosed as **Annexure – VI & VI-A,** forming part of this report. Further, in terms of SEBI LODR Regulations, Secretarial Compliance Report has also been obtained from M/s. Mohan Kumar & Associates for the year 2024-25.

Committees

The details pertaining to the composition of (i) Audit Committee, (ii) Nomination & Remuneration Committee, (iii) Stakeholders Relationship Committee, (iv) Risk Management committee are included in the Corporate Governance Report, which is a part of this report. The details of Corporate Social Responsibility Committee given in CSR Report attached to this report.

Public Deposit

The Company has not accepted any deposits from public and as such, no amount on account of principal or interest on deposits from public was outstanding as on the date of the balance sheet.

Contract or arrangement with Related Parties

The transactions entered with related parties for the year under review were on arm's length basis and in the ordinary course of business. The disclosure in **Form No.AOC-2** for the transactions with related parties during the period under review is enclosed as **Annexure - VII** of the report. As none of the transaction is material in nature, hence no resolution is placed before the shareholder for their approval.

The Company's Policy on Related Party Transactions is available on the Company's web link:https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/Related-Party-Transaction-Policy.pdf

Maintenance of Cost records and accounts:

The Company, in terms of the provisions of Section 148 (1) of the Companies Act, 2013, is required to maintain cost

records. Accordingly, the Company had maintained Cost Accounts and Records for the year ended March 31, 2025.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As per Section 135 of Companies Act, 2013, the CSR Committee of the Board consisting 3 or more directors out of which one director shall be an Independent Director. The Company having 3 members of CSR Committee and the Chairman of the Committee is an Independent Director.

The Company has carried out the CSR activities during the financial year 2024-25. The details are contained in the Annual Report on CSR activities is enclosed as **Annexure – VIII** forming part of this report.

Material changes and commitments

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the company between the end of financial year March 31, 2025 and the date of the report.

Significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future

There were no significant and material orders that have been passed by any Court or Judicial Authority against the company during the Financial Year 2024-25 impacting the going concern status and Company's operations in future.

Internal financial control systems and their adequacy:

The details in respect of internal financial control and their adequacy are included in the Management Discussion and Analysis, which is a part of this report.

Based on the framework of internal financial controls and compliance systems established and maintained by the Company, the work performed by the internal, statutory and secretarial auditors and external consultants, including the audit of internal financial controls over financial reporting by the statutory auditors and the reviews performed by management and the relevant board committees, including the audit committee, the Board is of the opinion that the Company's internal financial controls were adequate and efective during FY 2024-2025.

Auditor's Report

The Statutory Auditor's Report for the period under review does not contain any qualifications, reservations, adverse remarks, or disclaimers. Furthermore, no frauds have been reported by the auditors under Section 143(12) of the Companies Act, 2013, other than those reportable to the Central Government.

Secretarial Audit Report

The Secretarial Auditor's Report contains a few qualifications and reservations. The management has provided their responses and explanations to these qualifications and reservations, which have been annexed as Annexure **VI-A**.

Risk Management

The Company has risk policy and implemented the risk management policy in true spirit including identification of risk elements. The boards' opinion, may threaten the company existence, if any, provided in Management Discussion and Analysis in this report.

The Company has developed and implemented various policy, procedures and practice to mitigate the risk and threats and to achieve the objects of the Company. Some of the important policies are

1. Prompt convening of Risk Management Committee
2. Analysis of Business Continuity Plan by the Head of Departments on need basis
3. Upholding Corporate Governance Practices

Certification

As required by Regulation 17(8) of the SEBI Regulation, a Certificate on the Financial Statements and Cash Flow Statement of the Company for the year ended March 31, 2025 duly signed by the Chairman & Managing Director and CFO was submitted to the Board of Directors at their 338th meeting held on 28th May 2025 is enclosed as **Annexure – IX** forming part of this report**.**

Certificate from Company Secretary in Practice pursuant to Clause 10 of Part C of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015:

The Certificate dated 07.08.2025 received from CS. Chandrasekar , Company Secretaries, confirming that none of the Directors on the Board of the Company have been

debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Company by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such Statutory Authority is enclosed as **Annexure X**.

Vigil Mechanism

MFL is having vigil mechanism for directors and employees to report their concerns. The Directors and employees can approach Chairman Audit Committee of the Board directly and report their concern in appropriate case. The vigil mechanism and whistle blower policy is published in the website of the Company www.madrasfert.co.in.

Prevention of Insider Trading

No instances of insider trading have been reported on MFL shares till date. None of the directors and key managerial personnel is holding any shares in MFL. A code of conduct of prevention of insider trading and code for corporate disclosure is published in the website of the Company, the web Link: https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Trading-Window-Policy.pdf

Appreciation

Your Directors wholeheartedly place on record their appreciation for the continued and unstinted support of Department of Fertilizers, Government of India, Government of Tamilnadu, NICO, Financial Institutions, Banks, Depositors and all stakeholders during the year. It is most appropriate to mention that the Directors convey their gratitude to the Department of Fertilizers for settlement of subsidy bills on priority basis and to the dealers and farmers for their sustained support to Vijay products. Last but not the least that your Directors also place on record their appreciation for the dedication, commitment and sincere services rendered by the employees for sustained improvements.

By order of the Board
For Madras Fertilizers Limited

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director
(DIN:10690782)

Chennai
Date: August 12, 2025

Annexure A

(Pursuant to Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(1) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014)

a. The ratio of the remuneration of directors and KMP to the median remuneration of the employees of the Company for the Financial Year- 2024-25

(in lacs)

S No.	Particulars	Median Remuneration (₹)	Remuneration	Median Remuneration in %
1	Director	29.13	44.85	53.96
2	KMP	29.13	39.20	34.57

b. The Percentage increase in remuneration of Director, Chief Executive Officer, Manager, Chief Financial Officer, Company Secretary in the Financial Year- 2024-25

(in lacs)

S No	Name	Designation	2023-24	2024-25	% of increase of salary	Date of Position Occuupied
1.	Manoj Kumar Jain	Chairman and Managing Director	NIL	44.85	NA	07-06-2024
2.	A Madhan Mohan	Chief Financial Officer	NIL	62.27	NA	14-08-2024
3.	J Srinivasa Saraanan	Company Secretary	NIL	16.12	NA	07-08-2024

c. The percentage increase / (decrease) in the median remuneration of employees in the Financial Year 2024-25

(In lacs)

Particulars	2023-24 (₹)	2024-25 (₹)	Percentage Increase of Median salary
Total Salary	25.80	29.13	12.91

d. The number of permanent employees on the rolls of the Company

	2023-24	2024-25
No. of Employees	435	402

ANNNEXURE – I

THE COMPANIES (DISCLOSURE OF PARTICULARS IN THE REPORT OF DIRECTORS) RULES 1988
FORM A
Disclosure of Particulars with respect to Conservation of Energy.

		Financial Year	Previous Year
		2024-25	2023-24
A. Power and fuel consumption			
1. Electricity			
(a) Purchased			
Unit (lakhs) *		1097.326	954.164
Total amount (₹ in lakhs)		10105.919	8643.823
Rate / unit (₹)		9.21	9.06
* Includes power consumed at TTP, Kodungaiyur			
(b) Own generation			
(i) Through diesel generator			
Units (lakhs)		0.104	0.000
Diesel consumption (KL)		3.120	0.000
Units per ltr. of diesel oil		3.333	0.000
Cost/unit (₹)		28.42	0.00
2. Coal		Not applicable	Not applicable
3. RLNG, Furnace oil & LSHS			
Furnace Oil Quantity (tonnes)		798.000	12865
Total cost (₹ in lakhs)		532.437	7485.000
Average rate (₹ per tonne)		66754.020	58179.78
RLNG Quantity (MMBTU)		15480098.000	12836337
Total cost (₹ in lakhs)		182859.946	152464.820
Average rate (₹ per MMBTU)		1181.260	1187.76
B. Consumption per unit of production			
	FICC Norm	2024-25	2023-24
(a) Product : Ammonia			
Electricity (KWH) *	115.000	104.493	112.899
Fuel oil + LSHS (MT)	0.2341	0.00089	0.0266
RLNG(MMSCM)		0.00015	0.00017
* includes own generation			
(b) Product: Urea			
Electricity (KWH)	202.000	143.0810	151.442
Fuel oil + LSHS (MT)	0.1309	0.00051	0.0164
RLNG(MMSCM)		0.00013	0.00011
(c) Product: NPK			
Electricity (KWH)	43.410	0.000	0.000
Fuel oil + LSHS (MT)	0.0069	0.0000	0.0000

FORM – B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO RESEARCH & DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY ABSORPTION

RESEARCH & DEVELOPMENT

1	Specific areas in which R&D carried out by the Company	Nil
2	Benefits derived as a result of the above R&D	
3	Future plan of action	
4	Expenditure on R&D Capital Recurring (in lacs) Total (in lacs) Total R&D expenditure as a percentage of total turnover	

TECHNOLOGY ABSORPTION, ADAPTATION AND INNOVATION:

1	Efforts in brief made towards technology absorption, adaptation and innovation.	Nil
2	Benefits derived as a result of the above efforts, e.g. product improvement, cost reduction, product development, import substitution, etc.	
3	Details of imported technology (imported during the last 5 yrs reckoned from the beginning of the financial year	

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

	2024-25
1. Activities relating to export	Nil
2. Total Foreign Exchange used	(₹ Cr)
a. Raw Materials	Nil
b. Components & Spare Parts	3.00
c. Books & Periodicals / Travel	-

Total	3.00
	----------
3. Total Foreign Exchange earned	Nil

ANNEXURE – II

MANAGEMENT DISCUSSIONS AND ANALYSIS REPORT

Business

Madras Fertilizers Limited (MFL) incorporated in the year 1966 as a PSU under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, and Government of India.

MFL is engaged in the manufacture of Ammonia, Urea and Complex Fertilizers at Manali, Chennai-68. MFL is also engaged in manufacturing Bio-fertilizers and marketing of eco-friendly Organic fertilizers and Neem Pesticides under the brand name "VIJAY".

Overview of the Economy

The government has continued its focus on augmenting farmer income through various steps. Increased allocation across the schemes to drive irrigation facilities, improve agricultural markets, augment the allied sectors supporting income, setting-up of FPOs, crop insurance schemes and income supplementation schemes are major positive. With these steps, a positive effect on fertiliser off-take is expected.

Industry Structure and Development

Fertilizer industry is one of the most industrial sectors that contributes mainly to achieve food security and sustainable agricultural development.

Indian fertilizer sector witnessed a sustained high growth in consumption. The Government has taken a number of initiatives for promoting balanced fertilization to accelerate agricultural growth.

Besides this, there have been efforts on the technological development in production processes that keep pace with the latest global production methods and environmental requirements.

Improvement in demand due to a good monsoon which resulted in higher sowing aided the increase in production. Overall Fertilizers Sales too have increased buoyed by a good monsoon and harvest season. As overall cost of production of urea produced using RLNG has seen decrease in the working capital intensity of the fertilizer manufacturers and it will also act as a relief for the fiscal spending of the government while disbursing the urea subsidy.

Agricultural Situations prevailed in Southern States:

Tamil Nadu:

The State received actual rainfall of 1134.22 mm against the normal of 879.643 mm and CPLY of 1098.45 mm, which is 28% & 3% higher than normal & CPLY respectively. The State recorded normal to excess rains during the year. Districts adjacent to Western Ghats & Southern districts like Tirunelveli, Kanyakumari received heavy rains during Dec-March 2025 period. Some of the interior districts recorded normal rains. Due to poor storage in initial part of the year ie during June 2024, Mettur dam was not opened for Kuruvai cultivation. Cyclonic rains during Nov.2024 especially in Cuddalore, Perambalur, Mayiladuthurai & Tiruvarur districts heavily damaged the standing Paddy crop. Nearly 1,15,000 acres of Paddy got damaged. Unseasonal heavy rains during Feb-March 2025 affected the Thalady crop at its harvesting stage in delta districts. The rains also damaged 14000 acres of summer cotton in delta districts. Very hot summer during April-May months reduced the Summer Paddy acreages in Ranipet & Tiruvallur districts & in-turn which reduced the fertilizer application. Produce price of Paddy is 2500/Qtl, Maize: 2400- 2700/ Qtl, Sugarcane-Rs 2950/ MT, Coconut: Rs 60/ Kg, Cotton- Rs 6750/ Qtl, Rubber- Rs 10000/Qtl, Black Pepper- Rs 680/Kg, Cardamom- Rs 287/Kg. Urea supply was surplus throughout the year. No demand prevailed for Urea. Demand prevailed for DAP & 20-20-0-13 during third quarter of the year but later supplies were made good. All companies supplied sufficient quantity of fertilizer's thru rake. Over all the year was good with normal or excessive rains with good storage in reservoirs & normal crop coverage even though some problems faced in few of the districts.

Puducherry:

Received 1818.50 mm of Actual rainfall against the normal of 1453.3 mm which is 23% higher than normal. Area under crop coverage are Paddy - 51,500 acres, Sugarcane - 3,500 acres, Pulses - 3,800 acres, G Nut – 1,300 acres, Fruits & Vegetables – 5,800 acres, Coconut - 3,900 acres and other crops – 10,300 acres. Paddy price tanged between Rs 1,300 to Rs 1,650 per bag of 77 kgs. During North East monsoon, Fengal Cyclone damaged 70 % of Paddy cropping area which affected December & January sales of Fertilizers. Major sugarcane area converted into Casuarina due to labour shortage & high input cost. No major reservoirs in Puducherry. Cultivable area is coming down due to Urbanization & commercial activities. FACT made good supply of 20-20-0-13, MOP & Ammonium sulphate during this year. MFL had taken 67.45% share in urea supply followed by SPIC-28.5%. In NP segment FACT 20-20-0-13 is the major supplier in Puducherry. In POS sales, achieved 100.77% against supply of urea in 2024-25.

Telangana:

Received 1056.10 mm rainfall against normal of 876.50 mm, which is 20% higher than normal leading to normal Agricultural seasonal conditions. Major Agriculture in Telangana depends on South-West Monsoon. The South West Monsoon is crucial for the Agriculture Sector. During Kharif major crops like Paddy, Maize, Jowar, Cotton, Chillies, Pulses, Oil Seeds and other crops including Vegetables sown in an area of 129.89 lakh acres against normal of 129.32 lakh acres. During Rabi , Paddy, Maize, Groundnut, Pulses and other crops sown in an area of 76.07 lakh acres against normal of 63.54 lakh acres. The crop coverage area for Paddy is 12244475 acres, Coarse grains are 7511311 acres, Total Pulses is 890236 acres and total Oil Seeds is 738440 acres. The MSP for Paddy is Rs. 2300/quintal, Jowar is Rs. 2500/quintal, Maize is Rs.2350/quintal, Blackgram is Rs. 7400/quintal, Groundnut is Rs.6783/quintal, Sunflower is Rs. 5500/quintal and Cotton is Rs.7521/quintal. Urea demand was observed in Aug/Sep 2024 and January/February 2025. But overall supplies are more than demand.

Andhra Pradesh:

Overall, the average rainfall received in Andhra Pradesh from 01.06.2024 to 19.03.2025 is recorded as 963.80 mm as against the normal as on date of 883.20 mm showing by 9.1% excess. All the major reservoirs are holding 371.06 tmc as on 19-03-25. By this time last year, the level had stood at 205.55 tmc. Major agriculture of AP depends on South West Monsoon. The South-West monsoon set over in Kerala on 30th May 2024 against the normal date of 01st June, 2024. The South west monsoon has entered in some parts of Rayalaseema Region in AP on 02nd June 24, and in Coastal AP on 04th June, 24 . The North East monsoon generally enters the state in the month of October. It provides almost 28.9% of state's rainfall and mostly covers in the districts of Chittoor, Tirupati, Nellore, Annamayya and some parts of Prakasam, Kadapa & Anantapuram, Sri Satya Sai. The total area sown in the State is 18.56 lakh ha (86%) as against the normal area of 21.52 lakh ha. & normal as on date is 21.52 lakh ha (86%). Paddy crop coverage is 20.25 lak hectares, Coarse Grains is 4.84 lak hectares, Total Pulses is 11.36 lak hectares and Total Oil Seeds is 4.09 lak hectares. The MSP for the Paddy is Rs.2300/ quintal, Jowar is Rs. 3371/quintal, Maize is Rs.2225/quintal, Urad (Blackgram) is Rs.7400/quintal, Groundnut is Rs. 6783/ quintal, Sun flower is Rs.7280/quintal, Moong (Greengram) Rs.8682/quintal, Tur (Redgram) Rs.7550/Quintal and Cotton (long staple) is Rs.7521/quintal. Overall MSP are increased reasonably by Government of India compared than last year. All the Fertilizer grades are available as per the demand more or less, but slight demand observed for DAP in the months of Sep & Oct, whereas demand observed for 20-20-0-13 in some parts of the State during the months of Dec,24 & Jan, 25.

Karnataka:

During the year, Karnataka received 1411 mm of rainfall against the normal of 1185 mm and CPLY of 881 mm, which is 19% & 60% higher than normal & CPLY respectively. The state recorded approximately 100 rainy days. The above-normal rainfall resulted in all reservoirs reaching full capacity by the middle of the Kharif season, supporting normal cropping patterns and acreage across the state. Karnataka experiences three cropping seasons – Kharif, Rabi, and summer – covering a total cropped area of 275 lakh acres. The Kharif season accounts for approximately 65% of the total crop coverage, followed by Rabi at 25%, with the remainder under summer crops. Major crops cultivated in the state include Paddy (25 lakh acres),

Sugarcane (16 lakh acres), Maize (30 lakh acres), Ragi (15 lakh acres), Red Gram (18,000 acres), Groundnut (8 lakh acres), Coffee (5.75 lakh acres), along with various horticultural and vegetable crops. Except for a few Kharif crops, the productivity of other crops remained normal. However, market prices for produce varied. Chilly prices fell significantly to Rs. 8,000 per tonne against the usual range of Rs. 18,000 to Rs. 25,000 per tonne. In contrast, Coffee fetched record-high prices, ranging from Rs. 26,800 to Rs. 27,600 per 50 kg of parchment Arabica. Arecanut cultivation continues to expand, particularly in the central districts of Davanagere and Shimoga, due to consistently good yields over recent years. Fertilizer availability across all grades was sufficient to meet demand. Market prices remained steady, although 20-20-0-13 continued to be in surplus. Total fertilizer consumption for the year stood at 45.73 lakh tonnes, comprising of Urea -17.3 lakh tons, DAP - 4.94 lakh tons, MOP - 2.45 lakh tons, NPK - 7.24 lakh tons and 20-20-0-13 - 9.89 lakh tons. Overall, fertilizer supply aligned well with the agricultural activities in the state.

Kerala:

The state received 3085.450 mm of rainfall against a normal of 2948.600 mm shows a 5% excess. With normal precipitation levels, all major reservoirs, including Malampuzha, had adequate water storage. Water release for agricultural purposes was ensured from 15th November 2024 to 15th January 2025. In Kerala, major irrigated crops include Paddy, Banana, Vegetables, and Arecanut, while rainfed crops include Banana, Rubber, Coconut, Arecanut, and Pineapple. During the 2024 Kharif season, the actual cropped area was 25.68 lakh acres against the normal of 26.57 lakh acres. Out of that, 16.00 lakhs acres of Paddy and 43000 acres Banana, 1.80 lakh acres of Rubber, 5.70 lakhs acres of Coconut, 2.20 lakh acres of Arecanut has been cultivated. In the Rabi season, 74,900 acres of Paddy, 37300 acres of Banana, 11000 acres of Pineapple were grown. In Rabi, the cropped area stood at 1.71 lakh acres, exceeding the normal area of 1.57 lakh acres, reflecting good overall crop coverage in 2024–25. Farmers realized good market prices for most crops including Pineapple, Ginger, Banana, Coffee, Tea, Cardamom, Pepper, and Nutmeg, contributing to higher incomes and encouraging increased fertilizer usage. Rubber prices also improved significantly, averaging Rs. 200 per kg, enhancing the financial position of rubber growers. There were no reported shortages of Urea or other fertilizers in any district throughout the cropping seasons.

STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES & THREATS

Strengths

MFL's strength is its Highly skilled manpower, its flagship product Brand viz., Vijay and its dedicated far and wide reach of marketing network throughout South India are its strength. It has its presence in the market over 5 decades and receive continuous support from the GoI. It has already converted its feed stock from Naptha to RLNG which is being supplied by M/s IOC located at the close proximity of MFL.

Weaknesses

Agro-climatic condition has a large effect on the performance of the Company. NPK raw materials which are imported are subject to severe volatility in terms of its availability and affordable price. Variation in the foreign currency exchange rates will also affect the profitability of the Company.

Opportunities

There is a compelling need for alternate fertilizers which will have lesser wastage and reduced fertilizer usage while keeping the same or more yield. This opens up for new investment with better return while ensuring food security.

Business diversification like Trading of fertilizer products will improve the bottom line of the company.

Threats

High volatility in the prices of raw material of NPK resulting in an adverse impact on production of NPK and marketing plans which eventually affects the bottom line of the company.

Outlook

The outlook for the fertilizer sector is positive on expectations of good monsoon. The underlying macros for the Indian fertilizer industry look promising. With surplus reservoir levels, forecasts for a good monsoon season, demand for the procurement of fertilizers seems also promising.

Risks and Area of Concern

The company face low operating margin due to working capital limitation for NPK production. But, the company ensured uninterrupted supply of vital plant nutrients besides ensuring safety of the plants and personnel including contract labor.

Fertilizer Sector:

(Lac MT)

PRODUCT	UREA		NPK	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
Sales in MFL Marketing Territory	65.13	62.81	54.75	54.05
MFL Sales	4.27	5.23	-	-

For Complex fertilizers, NBS is applicable from 1.4.2010 where the subsidy is being fixed by Government of India and the MRP is allowed to be fixed by manufacturers based on market dynamics. Due to fluctuations' in international prices of raw-materials during the year 2024-25, the subsidy for NPK 17-17-17 was marginally increased from Rs 11937/MT and fixed at Rs 13281/MT in Kharif & Rs 12954/MT in Rabi'2024-25. Similarly for NPK 20-20-0, the Subsidy was increased from Rs 13568/ MT and fixed at Rs 15148/MT in Kharif & Rs 14764/MT in Rabi'2024-25. Overall, the average subsidy extended for NPK Complexes 17-17-17 & 20-20-0 during the year 2024-25 was declined by 24.22% and 19.30% respectively against previous year.

The consumption of UREA has surged by 8.3% over CPLY due to favorable agricultural situation across the nation and NP/ NPK/NPKS (Other than DAP) drastically increased by 28.30% over CPLY, there is a marginal decrease in consumption of both NC Urea & NPK fertilizers in MFL's marketing territory.

- MFL Improved the Rail Road ratio to the ever highest of 87:13 against the DoF norms of 80:20 and the previous best of 86:14 recorded during 2022-23 & 2023-24.
- For the 6th Consecutive year since 2019-20, MFL products were marketed without any additional rebates & credit periods, thereby saved a huge financial outgo on marketing costs, whereas Competitors offered various rebates & extended credit periods liberally.
- For the 7th consecutive year, achieved 100 % on RTGS/online payments for all the sales transactions.

Global Scenario:

Trend in International prices of fertilizers

The trends of average international prices of fertilizers since April, 2024 are given below:



	Apr, 24	May, 24	June, 24	July, 24	Aug, 24	Sept, 24	Oct, 24	Nov, 24	Dec, 24	Jan, 25	Feb, 25	Mar, 25
Urea (FOB)	343	343	343	354	358	345	369	362	362	383	425	425
DAP (CFR)	542	515	525	572	611	632	642	634	633	633	635	640
MOP (CFR)	319	319	319	290	283	283	283	283	283	283	283	283
Phos. Acid (CFR)	963	948	948	948	948	948	950	950	950	1060	1060	1060
Rock Phos. (CFR)	187	175	167	167	167	167	171	171	171	175	175	175
Ammonia (CFR)	475	450	400	426	475	503	560	570	570	524	490	454
Sulphur (CFR)	111	109	102	113	143	148	149	183	185	186	193	263

- Price of Urea (FOB) has increased by about 23.91% from USD 343/MT in April, 2024 to USD 425/MT in March, 2025.
- The price of DAP (CFR) has increased by about 18.10% from USD 542/MT in April, 2024 to USD 640/MT in March, 2025.
- The price of MOP (CFR) has decreased by about 11.29% from USD 319/MT in April, 2024 to USD 283/MT in March, 2025.
- The price of Phosphoric Acid (CFR) has increased by about 10.10% from USD 963/MT in April, 2024 to USD 1060/MT in March, 2025.
- The price of Rock Phosphate (CFR) has decreased by about 6.42% from USD 187/MT in April, 2024 to USD 175/MT in March, 2025.
- The price of Ammonia (CFR) has decreased by about 4.42% from USD 475/MT in April, 2024 to USD 454/MT in March, 2025.
- The price of Sulphur (CFR) has increased by about 136.9% from USD 111/MT in April, 2024 to USD 263/MT in March, 2025.

Production, Imports and Consumption of Major Fertilizers (All India Basis) :

In the landscape of India's Agricultural and Fertilizer sectors, the Fiscal Year 2024-25 stands out as a beacon of success of strategies implemented by Ministry of Fertilizers, Govt of India adorned with remarkable achievements and significant milestones. The nation has witnessed a remarkable surge in consumption of key Fertilizers, propelling the total production to an impressive 45.74 million tons.

Leading this charge is Urea, spearheading the fertilizer production with a monumental output of 30.64 million tons. Closely trailing behind the surge are the essential NPKs, contributing 11.33 million tons, and DAP with a contribution of 3.77 million tons. This collective accomplishment underscores India's unwavering commitment to bolstering its agricultural infrastructure and ensuring food security for its populace.

The figures of production, imports and consumption of major fertilizers viz. Urea, complexes in India for the years 2023-24 and 2024-25 are given below:

[Lakh MT]

PRODUCT	UREA		DAP		NP/NPK (Other than DAP)		MOP *	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
PRODUCTION	314.1	306.4	42.9	37.7	95.5	113.3	-	-
IMPORTS	70.4	56.5	55.7	45.7	22.2	22.7	28.7	35.4
CONSUMPTION	357.8	387.7	108.1	92.8	110.7	142.1	16.4*	22.0*

* = For direct application only, Excludes supply to NPK/Complex fertilizers units.

With a growing population and increasing demands on agricultural productivity, these achievements signal a promising trajectory for India's agricultural future. As India continues to strive for self-sufficiency and resilience in its agricultural sector, these accomplishments serve as a sign of inspiration for the nation's journey towards prosperity and food security.

All India Demand Forecast For Fertilizer Nutrients for the Periods 2023-24 to 2025-26

[Lakh MT]

PERIOD	N	P	K	TOTAL	RATIO (NPK)
2023-24 (Estd)*	204.6	83.1	18.8	306.5	10.9:4.4:1
2024-25 (Estd)	221.5	84.0	23.8	329.3	9.3:3.5:1
2025-26 (Forecast)	226.0	85.7	24.3	336.0	9.3:3.5:1

* = DBT Pos sale.

All India Product-Wise Demand Forecast For 2023-24 To 2025-26

[Lakh MT]

PERIOD	UREA	DAP	SSP	MOP	COMPLEX FERTILIZERS
2023-24 (Estd)*	357.8	108.1	45.4	16.4	110.7
2024-25 (Estd)	387.7	92.8	49.3	22.0	142.1
2025-26 (Forecast)	395.5	94.7	50.3	22.4	144.9

* = DBT Pos sale.

The Demand forecast for nutrients and corresponding fertilizers are based on anticipating favorable onset of monsoon, availability of irrigation, production, imports, cropping pattern etc. And it is based on existing product nutrient ratio also. However, with Nutrient Based subsidy scheme and programs like soil health management and promotion of balanced fertilizer nutrients application, the demand for complex fertilizers will get rationalized in the coming years.

Nutrient Based Subsidy (NBS) for Phosphatic & Potassic Fertilizers

The Government of India introduced the Nutrient Based Subsidy Phase-I with effect from 1.4.2010. This scheme is applicable for DAP, MOP, MAP, SSP, TSP and for other twenty two grades of P & K fertilizers.

Under NBS Scheme, Subsidy for the product 'Potash Derived from Molasses' (PDM-0:0:14.5:0) was decreased to Rs 345/- MT from Rs 2304/MT to Manufacturers effective October'2023 in line with reduction applicable for other P&K fertilizers. Any

fortified fertilizers with secondary & micro-nutrients like Boron & Zinc will continue to be eligible for additional per MT subsidy of Rs 300/- & Rs 500/- respectively.

The per kg Nutrient Based Subsidy for Nutrients 'N' 'P' 'K' for the period 2022-23 to 2024-25 Season wise is given below:

(Rs/Kg of Nutrient)

Sl.	Nutrients	2022-23			2023-24		2024-25	
	Season	Kharif	Rabi		Kharif	Rabi	Kharif	Rabi
1	N	91.96	98.02	99.27	76.49	47.02	47.02	43.02
2	P	72.74	66.93	49.94	41.03	20.82	28.72	30.80
3	K	25.31	23.65	25.70	15.91	2.38	2.38	2.38
4	S	6.94	6.12	2.84	2.80	1.89	1.89	1.76

Internal Control System

The company has an Internal Control system designed to ensure security of the assets of the company and efficiency of operations. The internal Control systems include proper delegation of authority, supervision, SAP (MM/FI/SD) & Online Integration System (OLIS), both having checks & procedures through documented policy guidelines and manuals.

Ratio Analysis

Particulars	FY 2024-25
(i) Debtors Turnover	7.22
(ii) Inventory Turnover	1.85
(iii) Interest Coverage Ratio	2.45
(iv) Current Ratio	0.68
(v) Debt Equity Ratio	(49.36)
(vi) Operating Profit Margin (%)	5.98
(vii) Net Profit Margin (%)	2.53
(viii) Return on Net worth	NA

Prevention of Sexual Harassment

The Company has zero tolerance for sexual harassment at the work place and has been following the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Act 2014 and the Rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace.

Internal Complaints Committee (ICC) is in place at MFL to redress the complaints received regarding sexual harassment. All women associates (permanent, temporary, contractual and trainees) as well as any woman visiting the Company's premises are covered under this provision.

Summary of sexual harassment issues raised attended and disposed of during the financial year 2024-25:

No. of complaints received	:	Nil
No. of complaints disposed of	:	Nil
No. of cases pending for more than 90 days	:	Nil

ANNEXURE – III

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Company's Philosophy

The Company adopts well-established corporate governance principles and practices developed over a period of time, which are constantly updated in the changing scenario. The Company's citizen charter provides for transparency, integrity and accountability in all spheres of corporate functions. The Company's Corporate Governance principle and practice include internal empowerment of middle level Officers.

Board of Directors

As on 31st March 2025, there were 7 directors on the Board of the Company. At present, MFL Board strength is 9. Chairman and Managing Director and Director (Technical) are Executive Directors and all other Directors are Non-Executive Directors. The Board of Directors comprise of One GOI Nominee Director and Two functional Directors viz. CMD and Director – Technical appointed by the Government of India. Our Co-Promoter, Naftiran intergraded Co. Ltd., has appointed three Nominee Directors. Three Non-official independent directors are appointed by the Government of India.

a. Composition, Category, Details regarding tenure, number of other Directorships/Committee Memberships (viz. Audit Committee and Shareholders Grievance Committee as per SEBI's Corporate Governance Code) held by Directors during the year 2024-25 are tabulated below:

Sl. No.	Director	Category	Tenure			In other Board Committees		Directorship in other listed entity
			From	To	Director-ship	Member-ship	Chairman-ship	
1.	Smt. Neeraja Adidam (DIN 09351163)	CMD	30.04.2024	06.06.2024	-	-	-	-
2	Shri Manoj Kumar Jain (DIN 10690782)	CMD	07.06.2024	Continuing	3	-	-	Fortune Biotech Ltd,The fertilizer associate India Ltd, Indian Potash Ltd
3	Dr Tina Soni (DIN 07720240)	NED (GOI Nominee)	04.04.2024	Continuing	-	-	-	-
4	Dr K Jayachandran (DIN 10062573)	Director - Technical	01.05.2023	Continuing	1	1	-	FACT
5	Shri Mohammad Bagher Dakhili (DIN 07704367)	NED NICO Nominee	18.02.2017	Continuing	1	1	-	Chennai Petroleum Corpn. Ltd
6	Shri Babak Bagherpour (DIN 08341090)	NED NICO Nominee	23.10.2018	Continuing	1	1	-	Chennai Petroleum Corpn. Ltd

7	Mrs.Samieh Kokabi (DIN 09066692)	NED NICO Nominee	10.02.2021	Continuing	-	-	-	-
8	Shri Nalabothu Venkata Rao (DIN 00310724)	Independent	05.11.2021	04.11.2024	-	-	-	-
9	Dr C R Jayanthi (DIN 09450350)	Independent	28.12.2021	27.12.2024	-	-	-	-
10	Shri Sanjay Shetye (DIN 01089380)	Independent	31.12.2021	30.12.2024	-	-	-	-
11	Dr Jatin Kumar Mohanty (DIN 02660442)	Independent	20.06.2023	Continuing	2	-	-	India post payment bank, Transworld manpower Pvt Ltd
12	Shri Sanjay Shetye (DIN 01089380)	Independent	17.04.2025	Continuing	3	1	-	Orange Round (OPC) Pvt Ltd, Wisdom Tree Events Pvt Ltd, Short fuse studio Pvt Ltd, Pan to Plate venture Pvt Ltd
13	Shri Alok Kumar Agragwal (DIN 09395495)	Independent	17.04.2025	Continuing	-	-	-	-

b. Board Meeting

Sl. No.	Name of the Director	Category	Tenure		Board Meetings during respective tenure of Directors		Whether attended last AGM held on 26.09.2024
			From	To	Held	Attended	
1	Smt. Neeraja Adidam	CMD	30.04.2024	06.06.2024	1	1	NA
1	Shri Manoj Kumar Jain	CMD	07.06.2024	Continuing	3	3	Yes
2	Dr Tina Soni	NED (GOI NOMINEE)	04.04.2024	Continuing	4	4	Yes
3	Dr K Jayachandran	Director - Technical	01.05.2023	Continuing	4	-4	Yes
4	Shri Mohammad Bagher Dakhili	NED (NICO NOMINEE)	18.02.2017	Continuing	4	3	Yes

5	Shri Babak Bagherpour	NED (NICO NOMINEE)	23.10.2018	Continuing	4	4	Yes
6	Mrs.Samieh Kokabi	NED (NICO NOMINEE)	10.02.2021	Continuing	4	4	Yes
7	Shri Nalabothu Venkata Rao	Independent	05.11.2021	04.11.2024	2	2	Yes
8	Dr C R Jayanthi	Independent	28.12.2021	27.12.2024	3	3	Yes
9	Shri Sanjay Shetye	Independent	31.12.2021	30.12.2024	3	3	Yes

During the year, Four (4) meetings of the Board were held on 28.05.2024, 14.08.2024, 13.11.2024, and 11.02.2025. The Annual General Meeting was held on 26th September 2024 through Video Conference("VC") / Other Audio Visual Means("OAVM"). Details of attendance of directors at the Board Meetings and Annual General Meeting are as follows:-

Sl. No.	Name of the Director	Category	Tenure		Board Meetings during respective tenure of Directors		Whether attended last AGM held on 26.09.2024
			From	To	Held	Attended	
10	Dr Jatin Kumar Mohanty	Independent	20.06.2023	Continuing	4	4	Yes
11	Shri Sanjay Shetye	Independent	17.04.2025	Continuing	-	-	NA
12	Shri Alok Kumar Agrawal	Independent	17.04.2025	Continuing	-	-	NA

c. Disclosure of relationships between Directors Inter-Se:

There is no inter-se relationship with directors and KMP of the Company.

Number of shares and convertible instruments held by non- executive directors: Nil

d. Web link where details of familiarization programmes imparted to Independent Directors is disclosed:

Familiarisation programme for Independent Directors of the Company was being conducted and the details of the familiarisation programme are uploaded on the website of the Company https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/ID- Familiarization.pdf

e. SKILLS/EXPERTISE/COMPETENCIES AVAILABLE WITH THE BOARD

In pursuance to Schedule V of the SEBI (LODR) Regulation, the chart setting out the core skills / expertise/ competencies identified by the Board of Directors as required by it in the context of the Company's business and sector for it to function effectively and those actually available with the Board of Directors and the names of directors who have such skills / expertise / competencies are as under

Name of Director	Skills/expertise/competencies				
	Corporate Governance and Legal Compliance	Accounting and Finance	Leadership and General Management	Industry Experience	Strategic Planning and Implementation
Shri Manoj Kumar Jain	√	√	√	√	√
Dr Tina Soni	√	√	√	√	√

Dr K Jayachandran	√	√	√	√	√
Shri Mohammad Bagher Dakhili	√	√	√	√	√
Shri Babak Bagherpour	√	√	√	√	√
Smt. Samieh Kokabi	√	√	√	√	√
Shri Nalabothu Venkata Rao	√	√	√	√	√
Dr C R Jayanthi	√	√	√	√	√
Shri Sanjay Shetye	√	√	√	√	√
Dr Jatin Kumar Mohanty	√	√	√	√	√

f. **Confirmation of Independence of Independent Directors:**

The Board is of the opinion that the independent directors fulfil the conditions specified in the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and that they are independent of the management.

g. Detailed reasons for resignation of an independent director who resigned before expiry of tenure:

Not applicable for period under review

h. Minimum Information to be placed before the Board of Directors

All the minimum information under Part A of Schedule II pursuant to Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) to the extent applicable to the Company were placed before the Board of Directors.

Audit Committee

During the year 2024-25, the Audit Committee met Four (4) times on i.e.. 28.05.2024, 14.08.2024, 13.11.2024, and 11.02.2025, Details of Composition, name of members and Chairperson and attendance of the members of Audit Committee Meetings are as follows:-

Sl. No.	Name of the Audit Committee Members	Status	Tenure		No of Meeting Held during tenure	No of Meeting Attended
			From	To		
1	Shri Nalabothu Venkata Rao	Chairman - Independent	10.02.2022	04.11.2024	2	2
2	Dr Tina Soni	Member - GOI Nominee	04.04.2024	continuing	4	3
3	Dr C R Jayanthi	Member - GOI Nominee	10.02.2022	27.12.2024	3	3
4	Shri Sanjay Shetye	Member - Independent	10.02.2022	30.12.2024	3	3
5	Dr Jatin Kumar Mohanty	Member - Independent	20.06.2023	Continuing	4	4

Terms of Reference:

7. Oversight of financial reporting.
8. Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors.
9. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.
10. Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the board for approval, including:
    a. Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013.
    b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same.
    c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management.
    d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings.
    e. Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements.
    f. Disclosure of any related party transactions.
    g. Modified opinion(s) in the draft audit report.
11. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval.
12. Reviewing, with the management, the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.).
13. Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process.
14. Rpproval or any subsequent modification of transactions of the Company with related parties.
15. Scrutiny of inter-corporate loans and investments.
16. Valuation of undertakings or assets, wherever it is necessary.
17. Evaluation of internal financial controls and risk management systems.
18. Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems.
19. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit.
20. Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on.
21. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board.
22. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
23. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.
24. To review the functioning of the whistle blower mechanism.
25. Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate.

26. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee.
27. Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., and its shareholders.
28. To carry on the duties and function as may be assigned by the Board from time to time.

Nomination and Remuneration Committee

During the year 2024-25, the Nomination and Remuneration Committee (NRC) met Once on August 14, 2024. Details of Composition, name of members and chairperson and attendance of the members of of NRC Meeting is as follows:-

Sl.No.	Name of the NRC Members	Status	Tenure		No of Meeting Held	No of Meeting Attended
			From	To		
1	Shri Sanjay Shetye	Chairman - Independent	10.02.2022	30.12.2024	1	1
2	Shri Manoj Kumar Jain	Member - CMD	07.06.2024	Continuing	1	1
3	Shri Nalabothu Venkata Rao	Member - Independent	10.02.2022	04.11.2024	1	1
4	Dr C R Jayanthi	Member - Independent	10.02.2022	28.12.2024	1	1
5	Dr Jatin Kumar Mohanty	Member - Independent	20.06.2023	Continuing	1	1

Terms of Reference:

1. formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board of directors a policy relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees.
2. For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
    a. use the services of an external agencies, if required.
    b. consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity.
    c. consider the time commitments of the candidates.
3. formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors.
4. devising a policy on diversity of board of directors.
5. identifying persons who are qualified to become directors and who may be pointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal.
6. whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors.
7. recommend to the board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management.

Performance evaluation criteria for independent directors

The performance evaluation criteria for independent directors are participation and contribution by a director, commitment, effective deployment of knowledge and expertise, integrity and maintenance of confidentiality and independence of behavior and judgment, upholding ethical standards of integrity and probity, his/her knowledge about the Company and external environment in which it operates,

REMUNERATION TO THE DIRECTORS

Being a Central Public Sector Undertaking, the Managerial Remunerations for the executives are fixed by the Government of India.

Payment of remuneration to the Chairman and Managing Director is as per the terms and conditions of appointment by the Government of India and approved by the Board.

The aggregate value of the salary, incentives, perquisites and other benefits paid by the Company to the Directors is ₹ 44.85 lks

The Company pays only sitting fees to the Non-official Independent Directors and no other monetary compensation is being paid to them. For Nominee Director of Government of India and Nominees of Naftiran Intertrade Co (NICO) Ltd no remuneration is paid for attending the Board / Committee Meetings during the year.

Stakeholders Relationship Committee

During the year 2024-25, the Stakeholders Relationship Committee (SRC) met on November 13, 2024. Details of Composition, name of members and chairperson and attendance of the members of of SRC Meeting is as follows:-

Sl. No.	Name of the SRC Members	Status	Tenure		No of Meeting Held	No of Meeting Attended
			From	To		
1	Shri Mohammad Bagher Dakhili	Chairman - NICO Nominee	18.02.2017	Continuing	1	1
2	Shri Manoj Kumar Jain	Member - CMD	07.06.2024	Continuing	1	1
3	Dr Tina Soni	Member - GOI Nominee	04.04.2024	Continuing	1	1
4	Shri Nalabothu Venkata Rao	Member - Independent	10.02.2022	04.11.2024	0	NA
5	Dr K Jayachandran	Director - Technical	01.05.2023	Continuing	1	1

The scope and function of the Committee is as per Clause 20 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For the year 2024-25, 25 Share Transfer Committee Meetings have been held to consider are transfer and other share related matters.

Total number of complaints redressed by the Company and Share Transfer Agents during the period was 820 which include attending Loss of Share Certificate, Issue of Duplicate Share Certificate, Nomination and Procedure for transmission of shares, general queries, etc. All the complaints were redressed in full and there is no pending as of March 31, 2025.

Risk Management Committee

During the year 2024-25, the Risk Management Committee (RMC) met on November 13, 2024. Details of Composition, name of members and chairperson and attendance of the members of of SRC Meeting is as follows:-

The Risk Management Committee (RMC) consists of the following members:

Sl.No.	Name of the RMC Members	Status	Tenure		No of Meeting Held during the tenure	No of Meeting Attended
			From	To		
1	Shri Nalabothu Venkata Rao	Chairman - Independent	10.02.2022	04.11.2024	NA	NA
2	Shri Manoj Kumar Jain	Member - CMD	07.06.2024	Continuing	1	1
3	Dr K Jayachandran	Director - Technical	01.05.2023	Continuing	1	1
4	Shri Mohammad Bagher Dakhili	Member - NICO Nominee	10.02.2022	Continuing	1	1

Terms of Reference:

1. a. A framework for identification of internal and external risks specifically faced by Company, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.

   b. Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.

   c. Business continuity plan.

2. To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Company;
3. To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
4. To periodically review the risk management policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
5. To keep the board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
6. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.

Senior Management:

Shri. Priya Ranjan Panda, CFO was superannuated on 30.06.2024. Shri, A Madhan Mohan, General Manager – F&A was appointed as CFO w.e.f 14.08.2024.

Compliance Officer:

Shri J Srinivasa Saravanan has been appointed as the Company Secretary and Compliance Officer effective August 14, 2024 consequent to the resignation of Shri R Ram Ganesh on December 12, 2023.

During the period December 2023 – June 2024, Shri Priya Ranjan Panda, CFO was appointed as Compliance Officer till 30.06.2024. From July 10, 2024, Shri Padmavathy, Dy. Manager - Finance was appointed as Compliance Officer till 13.08.2025

General Body Meetings

The venue and the starting time of the last three Annual General Meetings were :

Year	Venue	Date	Time
2023-2024	Meeting conducted through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")	26.09.2024 (Thursday)	11.00 A.M.
2022-2023	Meeting conducted through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")	25.09.2023 (Monday)	11.00 A.M.
2021-2022	Meeting conducted through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")	21.09.2022 (Wednesday)	11.00 A.M.

The details of Special Resolutions passed in AGM / EGM in the last 3 years are as follows

Date of AGM	Whether any Special Resolution was passed	Particulars
26.09.2024	No	NA
25.09.2023	Yes	1. Appointment of Dr Jatin Kumar Mohanty as anIndependent Director of the Company 2. To consider and authorize the Board of Directors to borrow upto Rs. 747.80 Crores under section 180(1) C of Companies Act, 2013 3. To consider and approve the creation of security in respect of borrowings made under Section 180 (1) (a) of Companies Act, 2013
21.09.2022		1. Appointment of Shri. Nalabothu Venkata Rao as an Independent Director of the Company 2. Appointment of Dr. C R Jayanthi as an Independent Director of the Company 3. Appointment of Shri. Sanjay Vishnu Shetye as an Independent Director of the Company

Postal Ballot:

No resolutions were passed in the year 2024-2025 through Postal Ballot.

There is no immediate proposal for passing any resolution through postal ballot. However, if required, the same shall be passed in compliance of provisions of the Companies Act, 2013, the Listing Regulations or any other applicable laws.

Related Party Transactions :

A transaction with a related party shall be considered material, if either single transaction or together with all or any other transaction during a financial year with the company, exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the Company as per the last audited financial statements of the Company.

All related party transactions entered during the year, including the one existing with the Chennai Petroleum Corporation Ltd. (CPCL), were on arm's length basis and in ordinary course of business of the Company. During the year, the Company had not entered into any contract / arrangement / transaction with related parties which could be considered material in accordance with the policy of the Company.

The Policy on dealing with related party transactions are displayed in our website www.madrasfert.co.in.

Whistle Blower / Vigil Mechanism

The Company has established a vigil mechanism and adopted a whistle blower policy, pursuant to which whistle blowers can report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. The mechanism provides adequate safeguards against victimisation of persons who use this mechanism.

Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non mandatory requirements:

During the year, the Company has fully complied with the mandatory requirements of the Listing Regulations to the extent applicable.

CEO/CFO CERTIFICATION:

The Managing Director and Chief Financial Officer of the Company gives Annual Compliance Certificate in accordance with Regulation 17(8) read with Part B of Schedule II of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The annual Compliance Certificate given by Managing Director and Chief Financial Officer forms part of this Annual Report.

Details of non compliance by the listed entity, penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets during the last 3 years.

Means of Communication

Quarterly and Annual Results

The Company has the ultimate responsibility of keeping the investors informed of the Financial performance of the Company. The quarterly results of the Company are approved and adopted by the Board within 45 (forty-five) days of the end of the quarter and the last quarter and annual results are approved and adopted by the Board within 60 (Sixty) days from the closure of the last quarter. The results are disseminated immediately to the Stock Exchange where the Company's shares are listed and on the website of the Company.

Quarterly Yearly Financial results are published in one National Daily - Financial Express and one Regional Daily - **Maalaimalar. The financial results are made available on the Company's website:** www.madrasfert.co.in.

Whether any presentation made to institutional investors or to the analyst: No.

General Shareholders Information

Annual General Meeting, Date, Time and Venue:		
AGM Date	:	September 24, 2025
Time	:	11,00 a.m.
Venue	:	Video Conferencing / AV means
Financial Year	:	April 2024 – March 2025
Book Closure Date	:	18.09.2025 to 24.09.2025 (both days inclusive) (Based on Board's decision on fixing date of AGM)
Dividend Payment	:	Nil
Whether Management Discussion and Analysis is part of this report	:	Yes

Listing on Stock Exchanges	:	National Stock Exchange of India Ltd

The Company has paid the listing fees to the stock exchange in time.

Stock Code / Symbol :

National Stock Exchange of India Ltd	:	MADRASFERT

Share Transfer System

M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, a SEBI Registered Share Transfer Agent has been assigned the Share Transfer and Depository Registry related functions. Share Transfer Committee attends to share transfer formalities every fortnight.

Share Transfer Agent & Depository Registry:

M/s Integrated Registry Management Services Private Limited
2nd Floor, Kences Towers
No. 1, Ramakrishna Street
Off: North Usman Road
T Nagar, Chennai 600 017
Phone 091-044 - 2814 0801 to 803
Email : einward@integratedindia.in

Distribution of Shareholding:

Sl No	Category of Shares	PHYSICAL			NSDL			CDSL			TOTAL		
		Holder	Shares	%	Holder	Shares	%	Holder	Shares	%	Holder	Shares	%
1	Up to 500	5698	1569158	0.97	14879	2130634	1.32	35037	3341245	2.07	55614	7041037	4.37
2	501 - 1000	1435	1402100	0.87	1786	1555592	0.97	2018	1633198	1.01	5239	4590890	2.85
3	1001 - 2000	153	283700	0.18	667	1053692	0.65	759	1137370	0.71	1579	2474762	1.54
4	2001 - 3000	30	85300	0.05	216	573509	0.36	224	569578	0.35	470	1228387	0.76
5	3001 - 4000	3	10300	0.01	75	273006	0.17	99	355241	0.22	177	638547	0.40
6	4001 - 5000	12	59900	0.04	87	421135	0.26	82	390553	0.24	181	871588	0.54
7	5001 - 10000	2	12000	0.01	108	853061	0.53	94	694994	0.43	204	1560055	0.97
8	10001 and Above	0	0	0.00	74	141365297	87.75	60	1330737	0.83	134	142696034	88.58
	Total	7333	3422458	2.12	17892	148225926	92.00	38373	9452916	5.88	63598	161101300	100.00

The distribution of shareholding as on March 31, 2025 is as follows:

Category of Shareholders as on March 31, 2025 as follows:

Sl. No	Category	Physical				Electronic				Total			
		No. of Holders	% of Holders	No. of Shares	% of shares	No. of Holders	% of Holders	No. of Shares	% of shares	No. of Holders	% of Holders	No.of Shares	% of shares
1	BANK'S	13	0.02	34,600	0.02	0	0.00	0	0.00%	13	0.02	34600	0.02
2	BODIES CORPORATE	77	0.12	119500	0.07	150	0.24	682006	0.42	227	0.36	801506	0.50
3	CLEARING MEMBER	0	0.00	0	0.00	4	0.01	4617	0.00	4	0.01	4617	0.00
4	EMPLOYEES	68	0.11	56400	0.04	0	0.00	0	0.00	68	0.11	56400	0.04
5	FOREIGN PROMOTERS	0	0.00	0	0.00	1	0.00	41516500	25.77	1	0.00	41516500	25.77
6	GOVERNMENT/ PROMOTERS	0	0.00	0	0.00	1	0.00	95851700	59.50	1	0.00	95851700	59.50
7	LLP	0	0.00	0	0.00	9	0.01	11105	0.01	9	0.01	11105	0.01
8	MUTUAL FUND	1	0.00	2400	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	2400	0.00
9	N R I	0	0.00%	0	0.00	422	0.66	575790	0.36	422	0.66	575790	0.36
10	HUF	0	0.00	0	0.00	580	0.91	512168	0.32	580	0.91	512168	0.32
11	TRUST	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1600	0.00	1	0.00	1600	0.00
12	FORN.POFOL INV. CORP.1&2	0	0.00	0	0.00	6	0.01	42862	0.03	6	0.01	42862	0.03
13	NBFCs	0	0.00	0	0.00	2	0.00	40000	0.02	2	0.00	40000	0.02
14	RESIDENT INDIAN	7174	11.28	3209558	1.99	55088	86.62	18439994	11.45	62262	97.90	21649552	13.44
15	ASSOCIATION OF PERSONS	0	0.00	0	0.00	1	0.00	500	0.00	1	0.00	500	0.00
	Total	7333	11.53	3422458	2.12	56265	88.47	157678842	97.88	63598	100	161101300	100

Mode-wise Shareholdings as on March 31, 2025

Mode	Count	Shares	%
Physical	7,333	34,22,458	2.12
NSDL	17,892	14,82,25,926	92.00
CDSL	38,373	94,52,916	5.88
Grand total	63,598	16,11,01,300	100

Category	Count	Shares	%
Government of India	1	9,58,51,700	59.50
Naftiran Inter Trade Company (NICO) Ltd	1	4,15,16,500	25.77
Others	62,071	2,37,33,100	14.73
GRAND TOTAL	62,073	16,11,01,300	100

Dematerialisation of Shares:

MFL has connectivity with both NSDL and CDSL

ISIN No : INE 414A01015

15,76,78,842 equity shares (representing 97.88% of total shares) have been dematerialized as of March 31, 2025. In terms of number of shareholders, 88.47 % of shareholders have dematted their shares.

Outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any Convertible Instruments, conversion date and likely impact on equity:

As on date, the Company has not issued GDRs, ADRs or any other Convertible Instruments and as such, there is no impact on the equity share capital of the company.

Plant Location : Manali, Chennai 600 068

The Address for correspondence is

J Srinivasa Saravanan
Company Secretary & Compliance Officer
Madras Fertilizers Limited
Manali, Chennai 600 068
Tel : 044 2594 2281 / 044 25945489
Email : cs@madrasfert.co.in cosec@madrasfert.co.in

Compliance:

In respect of appointment of two more Independent Directors on the Board of MFL, the Company requested the Department of Fertilizers to appoint them at the earliest.

Fees paid to Statutory Auditors:

Total fees for all services paid to the statutory auditor by the Company for the FY 2024-25 was ₹ 30 lacs.

Certificate from Practising Company Secretary confirming that Directors are not debarred disqualified:

A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority shall be obtained by the Company and such certificate has been obtained from Mr. Subramanian Chandrasekar, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 6773).

Disclosure in relation to Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Company has always believed in providing a safe and harassment-free workplace for every individual working in the Company. The Company has complied with the applicable provisions of the aforesaid Act and the Rules framed thereunder, including constitution of the Internal Complaints Committee (ICC).

a. No of complaints filed during the financial year – NIL
b. Number of complaints disposed off during the financial year – NIL
c. Number of complaints pending as on end of the financial year – NIL

Foreign Exchange Risk and Hedging activity:

Foreign exchange during the financial year 2024-25 is negligible and hence risk did not arise.

Details of material subsidiaries of the listed entity; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries

The Company does not have any subsidiaries. Hence, not applicable.

Book Closure:

The period of book closure is from September 18, 2025 to September 24, 2025 (Inclusive of both days). (Based on Board's decision on fixing date of AGM)

Disclosure on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of listed entity at large

All the material related party transactions have been listed out under AOC 2 which forms part of this report as Annexure 6.

Details of non-compliance by the listed entity, penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years

There are no penalties imposed during the last three years

Details of establishment of vigil mechanism, whistle blower policy

The policy adopted by the Board is hosted on the website at https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/Whistle-Blower-Policy.pdf further; no person has been denied access to the audit committee.

Web link where policy for material subsidiary is disclosed

The Company does not have any material subsidiary. Hence policy is not applicable.

Web link where policy on dealing with related party transaction

The policy is hosted on the Company's website and can be viewed at https://madrasfert.co.in/wp-content/uploads/2022/09/Related-Party-Transaction-Policy.pdf

Details of utilization of funds raised through preferential allotment

Not applicable for the financial year 2024-25.

Details wherein recommendation of the Committee is not accepted by the Board

No such instances were observed during the financial year 2024-25.

Details of material subsidiary of the listed entity

The Company does not have any subsidiaries.

Disclosure by listed entity and its subsidiary with **respect to loans and advances to companies/firms in** which directors are interested

No such Loans or advances were provided to the Companies/ firms in which Directors are interested.

Certificate from Practising Company Secretary confirming that Directors are not debarred Disqualified

A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority shall be obtained by the Company and such certificate has been obtained from Mr. Subramanian Chandrasekar, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 6773).

Compliance Certificate from Practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance

A compliance certificate regarding compliance of Corporate Governance has been obtained from Mr. Subramanian Chandrasekar, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 6773).

Declaration by CEO on Code of Conduct

Annual compliance of the Code of Conduct for the financial year 2024-25 has been obtained from the Chairman and Managing Director of the Company.

Disclosure in relation to Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The company has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

Other Disclosures

a. Your Company is not exposed to Commodity price during the year under review and hence the disclosure on commodity price risks and commodity hedging activities are not applicable.

b. During the year under review, the Company has not raised any funds through preferential allotment or public issue or rights issue or qualified institutions placement and hence the disclosure as specified under Regulation 32(4) & 32(7A) of the SEBI Listing Regulations is not applicable.

c. Details of any recommendation of any committee of the board had not been accepted by the Board. Not applicable to the Company for the financial year 2024-25.

d. During the year under review, the Company had not granted any loans/advances in the nature of loans to firms/companies in which Directors are interested (in terms of Section 184(2) of the Act).

e. The requirements of Regulation 17 to Regulation 27 of the SEBI Listing Regulations and clauses to of Regulation 46(2) to the extent applicable to the Company have been complied with as disclosed in this Report.

f. Your Company has complied with all applicable mandatory requirements in terms of SEBI Listing Regulations. A report on the compliances on the applicable laws for the Company is placed before the Board on a quarterly basis for its review.

g. Disclosure of Accounting Treatment: Your Company has not adopted any alternative accounting treatment prescribed differently from the Ind AS.

h. Your Company has fulfilled the following non mandatory requirements.

i. The Auditors' Report on statutory financial statements of the Company containing the Audit opinion is unmodified.

j. The Internal Auditors of the Company make presentations to the Audit Committee on their reports on a regular basis.

Disclosure of certain type of agreements binding listed entities:

There are no agreement impacting management or control of the Company or imposing any restriction or create any liability upon the Company.

For and on behalf of the Board
Sd/-
MANOJ KUMAR JAIN
Chairman and Managing Director
DIN: 10690782

Place: Chennai
Date: August 12, 2025

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

[Pursuant to Regulation 34 (3) and Clause E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To
The Members,
Madras Fertilizers Limited
Manali, Chennai 600 068

I have examined the compliance of conditions as stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with respect to Corporate Governance by Madras Fertilizers Limited, for the year ended March 31, 2025.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanation given to me and the representations made by the Directors and the Management, I certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except that the Composition of the Board of Directors, Composition of Committees during the period under review are not in accordance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations and there was delay in appointment of Company Secretary. However, being a Government Company it has taken up the matter with the Department of Fertilizers, Government of India to appoint sufficient number of Independent Directors to comply with the SEBI (LODR) Regulations.

I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency of effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: Chennai
Date: 07.08.2025

Sd/-
Subramanian Chandrasekar
Practising Company Secretary
FCS No.6773/ COP No.13761
UDIN: F006773G000952751.
Peer Review Certificate No.2902/2023

ANNEXURE IV

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING FORMAT

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	:	L32201TN1966GOI005469
2	Name of the Listed Entity	:	MADRAS FERTILIZERS LIMITED
3	Year of incorporation	:	1966
4	Registered office address	:	Post Bag No.2, Manali, Chennai 600068
5	Corporate address	:	Post Bag No.2, Manali, Chennai 600068
6	E-mail	:	cs@madrasfert.co.in/cosec@madrasfert.co.in
7	Telephone	:	25942489 / 25945203
8	Website	:	www.madrasfert.co.in
9	Financial year for which reporting is being done	:	2024-25
10	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	:	National Stock Exchange (NSE)
11	Paid-up Capital	:	₹ 161.10 Cr
12	Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	:	Company Secretary & Compliance Officer Madras Fertilizers Limited Manali, Chennai 600068 Phone : 044-25942281 / 25945489
13	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).	:	Standalone basis

II. Products/Services

14. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Manufacture & Marketing Fertilizers	Production and Marketing of Neem Coated Urea and NPK 17-17-17 Complex Fertilizers / BIO / AGRO / Organic and City Compost	100%

15. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
2.	Neem Coated Urea	20121	99%

III. Operations

16. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	**Number of offices**	Total
National	1	13*	14
International	-	-	-

* Regional / Sales offices & Bio Plant office only

17. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States)	7 (5 States and 2 Union Territories)
International (No. of Countries)	Nil

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Nil

c. A brief on types of Customers :

MFL is selling its products in Southern States of India by having the network of around 5418 dealers in different categories which are detailed below :

Gen	SC	ST	Unemp	Govt	Ex-Ser	PH	Coop	Bulk Buyer	Others	Total
3523	1406	220	33	5	0	8	214	2	1	5418

IV. Employees

18. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	261	237	90.80%	24	9.19%
2.	Other than Permanent (E)					NIL
3.	Total employees (D + E)	261	237	90.80%	24	9.19%
WORKERS						
4.	Permanent (F)	141	135	95.74%	6	4.25%
5.	Other than Permanent (G)	0	0	0	0	0
6.	Total workers (F + G)	141	135	95.74%	6	4.25%

b. Differently abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	4	4	100%	0	0
2.	Other than Permanent (E)	NIL				
3.	Total differently abled employees (D + E)	4	4	100%	0	0
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	0	0	100%	0	0
5.	Other than permanent (G)	NIL				
6.	Total differently abled workers (F + G)	0	0	100%	0	0

19. Participation/Inclusion/Representation of Women

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	9	2	20.22
Key Managerial Personnel	4	-	Nil

20. Turnover rate for permanent employees and workers (Disclose trends for the past 3 years)

	FY 2024-25 (Turnover rate in current FY)			FY 2023-24 (Turnover rate in current FY)			FY 2022-23 (Turnover rate in previous FY)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	-0.06	0.08	-0.05	0.13	0.04	0.12	0.12	0.10	0.11
Permanent Workers	0.27	0.29	0.28	0.03	0.00	0.03	0.02	0.12	0.03

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

21. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

S. No.	Name of the holding / subsidiary/associate companies/joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
Not Applicable				

VI. CSR Details

22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No) Yes

(ii) Turnover (in Rs.) : 2,585.81 Cr

(iii) Net worth (in Rs.) : (32.30)

(iv) Amount spent as CSR : Nil

Company has spent excess amount as CSR in the previous years and hence the same is being utilized for set off.

VII. Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No)	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes www.madrasfert.co.in	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Investors (other than shareholders)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Shareholders	Yes www.madrasfert.co.in	820	Nil	Nil	222	Nil	Nil
Employees and workers	Yes www.madrasfert.co.in	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Customers	Yes www.madrasfert.co.in	1	Nil	Nil	1	Nil	Nil
Value Chain Partners	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Other (please specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format :

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Price Volatility of Raw Materials for Fertilizers	Risk and opportunity	Increase in Demand for Fertilizers	Changeover of feed stock from Naptha to RLNG will substantially reduce the cost of production of urea and Product Diversification strategies are also in the pipeline	Positive Huge Demand and import dependency provides opportunity for business expansion.

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
P5	Businesses should respect and promote human rights
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Ethics & Transparency	Product Responsibility	Human Resources	Responsiveness to Stakeholders	Respect for Human Rights	Responsible Lending	Public Policy Advocacy	Inclusive Growth	Customer Engagement
Policy and Management Process								

1.a. Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/ No)^	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Has the policy been approved by the Board? (Yes/No) {Refer Note 1}	Policies of the Company have been approved or competent authorities as per the Delegations of the Board									
Web link of the policies, if available	www.madrasfert.co.in Some policies may also include a combination of internal policies of the Company which are accessible to all internal stakeholders and policies placed on the Company's website.									
Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Yes. The Company has translated the policies as applicable and imbibed the same into procedures and practices in all spheres of activities that the Company undertakes.									
Do the enlisted policies extend to your value chain partners?	Yes. The Company's Code of Conduct largely imbibes the above-mentioned principles and the Company expects its stakeholders to adhere to the same									
Name the national and international codes/ certifications/ labels/ standards	Not Applicable									

5. Specific commitments, goals, targets set by the entity

1. Trading of all types of finished Fertilizers products
2. New Brownfield Ammonia / Urea Plant

6. Performance of the entity against specific commitments, goals and targets

The Company has been taking effective steps in achieving the targets set Governance, leadership and oversight

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements

The Company's key objective is to increase production of High Quality Fertilizers across the country. Also the Company is increasing its due diligence on environmental and social risks and discourages wasteful usage of natural resources. . There is a recognition of the medium to long-term benefits that accrue from renewables and the Company endeavours to reduce its carbon footprint.

8	Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Company Secretary and Compliance Officer
9	Does the entity have a specified committee of the board/ director responsible for decision making on sustainability related issues?	Yes. The directors and senior management of the Company monitor various aspects of social, environmental, governance and economic responsibilities of the Company on a continuous basis. The Company's business responsibility performance is reviewed by the Board of Directors on an annual basis. The BR performance of the Company is assessed by the following committees of the board: i. The Audit and Governance Committee; ii. The Corporate Social Responsibility Committee; iii. The Stakeholders Relationship Committee. iv. Risk Management Committee v. Nomination and Remuneration Committee

10. Details of Review of the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC)

Subject for Review	Review of principles undertaken by and frequency
Performance against above policies and follow up action	As a practice, BR policies of the Company are planned to be reviewed periodically or on a need basis.
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and rectification of any non-compliances	The Company is in compliance with the extant regulations as applicable.

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.

Yes, The processes and compliances, is subject to scrutiny by internal auditors and regulatory compliances, as applicable.

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

NA

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

PRINCIPLE – 1

Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

Essential Indicators

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training and impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programs
Board of Directors	0	Nil	0
Key Managerial Personnel	01	FAI Annual Seminar 2024	100
Employees other than BoD and KMPs	25	Nation 2024 40th NIPM Conference, Workshop on Roster & Reservation in Services, OL Conference, Workshop for Employers of Exempted Establishments, FAI Annual Seminar 2024, Accident Causation Prevention & Investigation, Japan–India Business Forum on Energy Conservation & CO_2 Emission Reduction, Chemicals and Petrochemicals Industrial Safety, The Commercial & Industrial Clean Energy, Safety Awareness Program, International Yoga Day, Lifestyle Diseases and Their Prevention, Vigilance Awareness Program on Ethics and Governance & Conduct Rules, Workshop on 5S, Cyber Hygiene and Security, Retirement Planning, Prevention of Sexual Harassment at Workplace, Awareness Program on TB Eradication Campaign, Managerial Competency Building, , Self-Development & Subordinate Relationship in Workplace	100

Workers	7	Safety Manager Implementation and Maintenance. Safety Awareness Program Lifestyle Diseases and their Prevention, Workshop on 5s, , Self-Development & Subordinate Relationship in Workplace Awareness Program on TB Eradication Campaign, Inspirational Awareness Session	100

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary				
	Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions	Amount (in INR)	Brief of the case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/Fine	National Stock Exchange	1,82,900	Constitution of Board as per LODR	No
Settlement	NA	NA	NA	NA
Compounding fee	NA	NA	NA	NA
Non-Monetary				
	Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions	Amount (in INR)	Brief of the case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Imprisonment	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory/enforcement agencies/judicial institutions
Nil	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

   Yes, we have Anti-Corruption or Anti-Bribery Policy and the same is available in www.madrasfert.co.in

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Directors	Nil	Nil
KMPs	Nil	Nil
Employees	Nil	Nil
Workers	Nil	Nil

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2024-25		FY 2023-24	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	NA	Nil	NA
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	NA	Nil	NA

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

NA

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
Others	Nil	Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/ No) If Yes, provide details of the same.

NA

PRINCIPLE - 2

Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and process to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

	Current Financial Year	Previous Financial Year	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	Nil	Nil	-
Capex	Nil	40.82%	-

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably? NA

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

Covered in the Report

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

No.

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

NIC Code	Name of Product/ Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective/ Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
Nil					

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.

Name of Product / Service	Description of the risk / concern	Action Taken
Nil		

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

Indicate input material	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2024-25	FY 2023-24
Nil	-	-

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:

	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Re-used	Recycled	Safely Disposed	Re-used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (Including packaging)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
E-waste	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Hazardous waste	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Other waste	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
Nil	Nil

PRINCIPLE - 3

Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	Total (A)	% of employees covered by									
		Health insurance		Accident insurance		**Maternity benefits**		**Paternity Benefits**		Day Care facilities	
		Number (B)	% covered	Number (B)	% covered	Number (B)	% covered	Number (B)	% covered	Number (B)	% covered
Permanent employees											
Male	372	372	100	372	100	NA	NA	0	0	Nil	Nil
Female	30	30	100	30	100	0	0	NA	NA	Nil	Nil
Total	402	402	100	402	100					Nil	Nil
Other than Permanent employees											
Male	1600	1600	100	1600	97.59	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Female	70	70	100	70	5.41	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	1670	1670	100	1670	100	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total Workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	100	100	Y	100	100	Y
Gratuity	100	-	NA	100	-	NA
ESI	-	100	Y	-	100	Y

Others – Please specify	Retirement medical reimbursement, Superannuation, PF & LIC pension & Benevolent fund	100	NA	Retirement medical reimbursement, Superannuation, PF & LIC pension & Benevolent fund	NA	NA

3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Yes.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes.

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

	Permanent Employees	
Gender	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	100%
Female	100%	100%
Total	100%	100%

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes / No (If yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	Yes Internal Grievance Committee (IGC) Internal Complaints Committee (CC) for Redressal of women employees against Sexual Harassment
Other than Permanent Workers	
Permanent Employees	
Other than Permanent Employees	

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	% (B/A)	Total employees/ workers in respective category (C)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	261	242	92.72	256	233	91.02
- Male	237	218	91.98	230	209	90.87
- Female	24	24	100	26	24	92.31

8. Details of training given to employees and workers :

Category	FY 2024-25 Current Financial Year					FY 2023-24 Previous Financial Year				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Employees										
Male	156	31	19.87	125	80.13	55	32	58.18	23	41.81
Female	65	20	30.77	45	69.23	2	1	50	1	50
Total	221	51	23.08	170	76.92	57	33	57.83	24	42.10
Workers										
Male	55	23	41.82	32	58.18	33	33	100	-	-
Female	9	04	44.44	5	55.56	-	-	-	-	-
Total	64	27	42.19	37	57.81	33	33	100	-	-

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. (B)	% (B / A)	Total (C)	No. (D)	% (D / C)
Employees						
Male	156	156	100	55	55	100
Female	65	65	100	2	2	100
Total	221	221	100	57	57	100

Workers						
Male	55	55	100	33	33	100
Female	9	9	100	0	0	0
Total	64	64	100	33	33	100

10. Health and safety management systems:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (yes / No.). If yes, the coverage such systems?

Yes. The Company has a policy on health and safety for its employees. Periodic internal communication and alerts are sent out to employees and awareness sessions are conducted on safety related aspects. Employees are given periodic training on basic and advanced fire safety, including evacuation drills

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

The Company recognises the risks of infections that could take place in the office premises. To minimise these risks, the Company took necessary precautions at the offices, which included sanitisation of all office premises, removal of biometric scanners, installation of thermal scanners, daily communication updates, and restricted movements in common areas, closure of recreational facilities and avoidance of large gatherings. The Company also adhered to all the government directives and issued travel and health advisories to its employees.

c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

The Company has necessary protocols and systems in place to ensure employees' safety is not compromised at the workplace.

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	Nil	Nil
	Workers	1.83	2.10
Total recordable work-related injuries	Employees	Nil	Nil
	Workers	1	1

No. of fatalities	Employees	Nil	Nil
	Workers	Nil	1
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	Nil	Nil
	Workers	Nil	Nil

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

The Company emphasises on the importance of maintaining a safe and healthy workplace for all employees and third-party employees who work on its premises. The Company assesses the health, safety and environmental performance across all its premises. For employees and workers are given training on fire safety and evacuation drills. Fire drills, mock drills and audits are conducted in the premises to ensure maintenance of safety standards.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2024-25 (Current Financial Year)			FY 2023-24 (Previous Financial Year)		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	NIL	NIL	-	NIL	NIL	-
Health & Safety	NIL	NIL	-	NIL	NIL	-

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	100% (Frequent Visit by Joint Director of Industrial Safety & Health (JDISH)
Working Conditions	100%(On site mock drill conducted at regular intervals) The recent Onsite Mock Drill was conducted on 20.03.2025.

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Safety Audit done during July 2024.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).

Yes.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

   The Company ensures that statutory dues as applicable to the transactions within the remit of the Company are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is also reviewed as part of the internal and statutory audit

3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work- related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

Category	Total no. of affected employees / workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2024-25 (Current Year)	FY 2023-24 (Previous Year)	FY 2024-25 (Current Year)	FY 2023-24 (Previous Year)
Employees	Nil	Nil	Nil	Nil
Workers	Nil	1	1	Nil

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)

   NA

5. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	The Company expects all its value chain partners to follow extant regulations, including health and safety practices and working conditions.
Working Conditions	

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

   NA

PRINCIPLE – 4

Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

   Any individual or group of individuals or institution that adds value to the business chain of the Company is identified as a core stakeholder and this inter alia includes employees, shareholders and investors, customers etc

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stake-holder Group	Whether **identified as** Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), other	Frequency of engagement (Annually/Half yearly/ Quarterly/others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Shareholders/ Investors	No	Email, SMS, newspaper advertisement, notice board, website, Annual General Meetings, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials and investor meetings/ conferences	Annually	To stay abreast of developments in the Company
Customers	No	Multiple channels – physical and digital	Frequent and need based	Helps to increase reach and enhance business
Employees	No	Direct & other communication mechanisms	Regular	To stay abreast of developments in the Company and for day to day operations

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

   The Company has always maintained that a constant and proactive engagement with our key stakeholders enables the Company to better communicate its strategies and performance. A continuous engagement helps align expectations, thereby enabling the Company to better serve its stakeholders.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

   It is still in a 'learning phase' on various evolving aspects of ESG and hence stakeholder interactions are important.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

   Nil

PRINCIPLE 5

Business should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	% (B/A)	Total (C)	No. of employees / workers covered (D)	% (D/C)
Employees						
Permanent	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Other than permanent	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Employees	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Workers						
Permanent	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Other than permanent	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Employees	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2. Details of minimum wages paid to employees and workers in the following format:

Category	FY 2024-25 Current Financial Year						FY 2023-24 Previous Financial Year			
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Permanent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Female	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other than Permanent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Female	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Workers										
Permanent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Female	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other than Permanent	1670	1670	100	-	-	1870	1870	100	-	-
Male	1600	1600	100	-	-	1800	1800	100	-	-
Female	70	70	100	-	-	70	70	100	-	-

3. Details of remuneration / salary / wages in the following format

	Male		Female	
	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category (Rs in lacs)	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category (Rs in lacs)
Board of Directors (BoD)	1	30.23	0	NIL
Key Managerial Personnel	2	30.83	0	-
Employees other than BoD and KMP	234	35.05	29	24.84
Workers	135	22.79	6	17.45

4. Do you have a focal point (Individual / Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business (Yes / No)

   Yes

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

   The Company regards respect for human rights as one of its fundamental and core values and strives to support, protect and promote human rights to ensure that fair and ethical business and employment practices are followed. The Company is committed to maintain a safe and harmonious business environment and workplace for everyone, irrespective of the ethnicity, region, sexual orientation, race, caste, gender, religion, disability, work, designation and such other parameters.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Discrimination at workplace	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Child Labour	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Forced Labour / Involuntary Labour	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Wages	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Other human rights related Issues	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

7. Mechanism to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

   The Company is committed to providing equal opportunities to all individuals and is intolerant towards discrimination and / or harassment based on race, sex, nationality, ethnicity, origin, religion, age, disability, sexual orientation, gender identification and expression (including transgender identity), political opinion, medical condition, language as protected by applicable laws.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes / No)

   Yes, wherever, applicable

9. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	100% by statutory authorities and third party.
Forced / Involuntary labour	
Sexual harassment	
Discrimination at workplace	
Wages	
Others – please specify	

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

    Nil

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances / complaints.

   No deviation in the business process.

2. Details of the scope and coverage of any human rights due-diligence conducted.

   100% by the Statutory authorities and third parties by correcting all employees.

3. Is the premise / office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

   Yes

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual harassment	No specific assessment in respect of value chain partners has been carried out other than certain covenants where some of these parameters are being monitored closely in certain lending arrangements.
Discrimination at workplace	
Child labour	
Forced Labour / Involuntary Labour	
Wages	
Others – please specify	

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

   NA

PRINCIPLE 6

Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity in the following format:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total electricity consumption (A) Gcal/MT	0.5812	0.6197
Total fuel consumption (B) Gcal/MT	1.8963	2.1144
Energy consumption through other sources (C)Gcal/MT	4.3971	4.8778
Total energy consumption (A+B+C) Gcal/MT	6.8747	7.6118

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

NA

3. Provide details of the following disclosures related to water in the following format:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Water withdrawal by source (in Kilolitres)		
i. Surface water	Nil	Nil
ii. Ground water	Nil	Nil
iii. Third party water	Nil	Nil
iv. Sea water / desalinated water	306410.007	318358
v. Others (Sewage+TTRO)	4201298	3759389
Total Volume of water withdrawal (in Kilolitres) (i + ii + iii+ iv + v)	4507708.007	4077747

4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

The company has installed Effluent Treatment Plants and Cooling Water Blow Down plants for treating the Effluents generated in the Plants.

1. COOLING WATER BLOWDOWN TREATMENT PLANT (Cap. 3840 KLPD)

We use UF membrane technology to remove salts and reduce TDS. The outlet from this plant is fed into Dedicated RO membranes for further reduction of Chlorides and other salts. The permeate from this plant is directly fed into the CW system.

2. COMMON EFFLUENT TREATMENT PLANT (Cap. 480 KLPD)

The Sanitary overflow and Effluents from both Staff and Labour Canteens are being treated in this plant. The BOD and the COD are reduced by Aeration method and the Clarifier Overflow after passing through DMF (Treated Water) are used for gardening purpose.

3. Effluent treatment Plant (cap. 360 KLPD)

The effluents generated from NPK plants are treated in this plant and the treated water is used in scrubbers instead of service water, thus saving Metro water.

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity in the following format:

Utility Boiler

Parameter	Please specify unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
NOx	Mg / nm^3	15.5	126
Sox	Mg / nm^3	<1.0	BDL
Particulate Matter (PM)	Mg / nm^3	13	14

110ATA Boiler

Parameter	Please specify unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
NOx	Mg / nm^3	36	81
Sox	Mg / nm^3	<1.0	BDL
Particulate Matter (PM)	Mg / nm^3	8.8	13

#PC-Boiler

Parameter	Please specify unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
NOx	Mg / nm^3	35	67
Sox	Mg / nm^3	<1.0	BDL
Particulate Matter (PM)	Mg / nm^3	6.7	11

Urea Prill Tower Demister

Parameter	Please specify unit	FY 2024-25	FY 2023-24
NOx	mg/Nm3	NA	NA
SOx	mg/Nm3	NA	NA
Particulate matter (PM)	mg/Nm3	6	7
Persistent organic pollutants(POP)		NA	NA
Volatile organic compounds(VOC)		NA	NA
Hazardous air pollutants(HAP)		NA	NA
Others – NH_3		140	128

NPK-C Train

Parameter	Please specify unit	FY 2024-25	FY 2023-24
NOx	mg/Nm^3	Plant is not in Operation	Plant is not in Operation
SOx	mg/Nm^3		
Particulate matter (PM)	mg/Nm^3		
Persistent organic pollutants(POP)			
Volatile organic compounds(VOC)			
Hazardous air pollutants(HAP)			
Others – NH3	mg/Nm^3		
Others – F	mg/Nm^3		

All these analysis were carried out by MoEFCC authorized lab

6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	2.4 Lakhs MT	1.96 Lakhs MT
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	-	-

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If yes, then provide details.

Yes, Project for expansion of green belt area is in progress to reduce the Green House Gas emission. We have planted 1 acre of land with 400 saplings as Phase I under Tamil Nadu's Kurunkadugal Scheme development inside MFL and around 500 saplings are being planted in Kurunkadugal Phase II. Another 3 acres of land will developed in a phased manner.

In one of the Utility Boilers, the Fuel was changed over from Fuel Oil to Natural Gas Firing and Commissioned during October 2023.

8. Provide details related to waste management by the entity in the following format:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste (A)	Nil	Nil
E- waste (B)	Recycled	Recycled
Bio-medical waste (C)	Nil	Nil
Construction and demolition waste (D)	Reused for Land filling	Reused for Land filling
Battery waste (E)	Nil	Nil

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Radioactive waste (F)	Nil	Nil
Other Hazardous waste. (G) i .Spent Catalyst ii. Used Oil iii. Residue containing Oil iv. Chemical Drum	 Nil 9.05 MT 12.9 MT 500 Nos.	 3.42 MT Nil 17.88 MT 1864 Nos.
Other Non-hazardous waste generated (H).	Nil	Nil
Total (A+B+C+D+E+F+G+H)	21.95 MT	21.3 MT
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled	Nil	Nil
(ii) Re-used	Nil	Nil
(iii) Other recovery operations	Nil	Nil
Total	Nil	Nil
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Incineration	Nil	Nil
(ii) Landfilling	Nil	Nil
(iii) Other disposal operations	Sold to recycler: Used Oil -5.65 MT Residue containing Oil -25.57MT Chemical Drum -1864 nos	Nil
Total	31.22MT	Nil

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Method of Disposal	a	Shredding and selling - Used paper & useless wood scrap.
	b	Sale by auction: - Metal scraps, damaged equipment parts, usable wood and spent catalysts.
	c	Composting:- Wet garbage from canteens
	d	Spent catalyst are generated during annual turnaround (once in 24 to 60 months depending on the need for replacement of catalyst) and spent oil are carefully stored in closed drums and sold thru Pollution Control Board authorized vendors having valid authorization from both SPCB and MOEF. Wastes / residues containing Oil & discarded containers /Barrels / liners contaminated with HW chemicals are also sold through in the same.

10. If the entity has operations / offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones, etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify the details in the following format.

S.No.	Location of operations / **offices**	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
Yes			

11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws in the current financial year:

Name and brief details of project	**EIA Notification No.**	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain	Relevant Web link
NA					

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law / regulations / guidelines in India such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances in the following format.

S.No.	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	**Any fines / penalties / action** taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts
-			

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources in the following format:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	Nil	Nil
Total fuel consumption (B)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (C)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	Nil	Nil
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	107386658 /Year 0.58124 GCal/MT	93712594 KWH / Year 0.6197 GCal/MT

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total fuel consumption (E) (FO+RLNG)	533.28 MT/ Year + 114.92188 MMSCM / Year +2.36 MT (0.00964 Gcal/MT+ 1.88666 Gcal/MT +0.00005 Gcal/MT = 1.89635 Gcal/MT)	13718 MT / Year +91.540MMSCM/Year (0.3031 Gcal/MT+1.8113 Gcal/MT= 2.1144 Gcal/MT)
Energy consumption through other sources (F) -RLNG	267.843 MMSCM/Year 4.39714 Gcal/MT	246.517 MMSCM / Year 4.8778 GCal//MT
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	6.8747 GCal/MT	7.6118 Gcal/MT

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

2. Provide the following details related to water discharged:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
i. To Surface water	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment	Nil	Nil
ii. To Ground water	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment	Nil	Nil
iii. To Sea water	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment		
iv. Sent to third-parties	162310 KL	233970 KL
- No treatment	162310 KL	233970 KL
- With treatment – please specify level of treatment		
v. Others	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)	162310 KL	233970

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres)

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

i. Name of the area

ii. Nature of operations

iii. Water withdrawal, consumption and discharge in the following format

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i. Surface water	Nil	Nil
ii. Ground water	Nil	Nil
iii. Third party water	Nil	Nil
iv. Sea water / desalinated water	306410.007	318358
v. Others (Sewage+TTRO)	4201298	3759389
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	4507708.007	4077747
Total volume of water consumption (in kilolitres)	4281479	3921372
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	--	--
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
i. Into Surface water	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment		
ii. Into Ground water	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment		
iii. Into Sea water	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment		
iv. Sent to third-parties	162310 KL	233970 KL
- No treatment	162310 KL	233970 KL
- With treatment – please specify level of treatment		
v. Others	Nil	Nil
- No treatment	Nil	Nil
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)	162310 KL	233970 KL

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	Nil	Nil
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover		Nil	Nil
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		Nil	Nil

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along with prevention and remediation activities.

   NA

6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

S.No.	Initiative undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along with summary)	Outcome of the initiative
NA			

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words / web-link.

   The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 and the Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and Response) [CA (EPPR)] Rules, 1996 provide a statutory structure for controlling major hazards posed by hazardous chemicals. The rule 14(1) of MSIHC Rules requires the District Authorities to prepare an Off-site Emergency Plan.

   It is a customary practice of industries to conduct Off-site Mock Drill as per MSIHC Rules, to ensure readiness and preparedness to handle any kind of emergency or disaster that may happen in an industrial area.

   Prior to Off-site mock drill we conducted On-site mock drill on 16.06.2022 & 21.06.2022. Further off-site mock drill was conducted on 22.06.2022 under the able guidance of JD-DISH, Regional Deputy Commissioner (North), NDRF & District Crisis Group formed by Commissioner of Greater Chennai Corporation and including Manali Industries Association (MIA).

8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

   NA

9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

   NA

PRINCIPLE 7

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. A. Number of affiliations with trade and industry chambers / associations.

   List the top 10 trade and industry chambers / associations (determined based on the total members of such body) for which the entity is a member of / affiliated to

S.No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers / associations (State / National)
1	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry	National
2	The Fertilser Association of India	National
3	Institute of Directors	International
4	Employers Federation of Southern India	National
5	Indian Council of Fertilizer and Fertilizer Technology Research	National
6	RNZ-Indian Fertilizer Industry Directory	National
7	Standing Conference of Public Entreprises	National
8	Internal Fertilizer Association	International

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
NA		

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S.No.	Public Policy Advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes / No)	Frequency of Review by Board (Annually / Half yearly / Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
Members of the senior management are associated with various bodies from time to time, including for the purpose of legislating regulations related to capital markets and corporate governance.					

PRINCIPLE 8

Business should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year

Name and brief details of project	SIA **Notification** No.	Date of **Notification**	Whether conducted by Independent External Agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
NA					

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity in the following format:

S.No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (in INR)
NA						

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community

   The Company has various mechanisms to receive and redress grievances of various stakeholders

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Directly sourced from MSMEs / small producers	NA	
Sourced directly from within the district and neighbouring districts		

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
NA	NA

2. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized / vulnerable groups? (Yes/No)

   No

   (b) From which marginalized / vulnerable groups do you procure? NA

   (c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute? NA

3. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

S.No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned / Acquired (Yes / No)	**Benefit Shared** (Yes / No)	Basis of calculating **benefit share**
NA				

4. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
NA		

PRINCIPLE - 9

Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.
   Details of Toll free number, customer care email id and address of Grievance Redressal officer are printed on product bags MFL is producing and marketing across Southern Territory.
   Company will get complaints through this kind of mechanism and all complaints received will be addressed suitably.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about :

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	100
Safe and responsible usage	
Recycling and / or safe disposal	

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2024-25 (Current Financial Year)		Remarks	FY 2023-24 (Previous Financial Year)		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Data privacy	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Advertising	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Cyber-security	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Delivery of essential services	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Restrictive Trade Practices	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Unfair Trade Practices	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Other	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Reasons for recall
Voluntary recalls	Nil	
Forced recalls		

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

   CERT-In Empanelled agency viz:- GRM Technology Private Limited conducted the Information System and Security Audit and observed that security posture of the environment is Good. There is periodic monitoring of IT implemented solutions and the data center is meeting requirement of TIA standard.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

   NA

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

   www.madrasfert.co.in

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

   Different types of Agro Service programs were organized to educate the consumers about the usage of our products such as :

   a. Field Demonstration : MFL conducts demonstrations to promote its products like Bio, City Compost and Organic Manure, FOM & PROM in its territory.

      Demonstrating the quality, usage and benefits of products at field level by selecting a farmer's field in a particular village by performing live demonstrations.

   b. Soil Samples : Collecting samples by technical approach from farmers and educate them about various fertilizers applications and package of practices based on soil health card recommendation

   c. Farmer Contact Program : MFL field officials contacting farmers on regular basis and explain about the cultivation practices by distributing handouts based on Agricultural situation & seasonal conditions

   d. Exhibitions: MFL participates in exhibitions by arranging stalls and distributes Pamphlets to all farmers to promote the importance of our products.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

   Company uses both physical and digital forum to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/ Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

   Yes. The information on the product are displayed on the packet.

5. Provide the following information relating to data breaches:

   a. Number of instances of data breaches along-with impact- NA

   b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers- NA

ANNEXURE –V

Declaration affirming Compliance with the Code of Conduct in terms of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Board had laid down a code of conduct for all Board Members and Senior Management of the Company. The code of conduct is posted on the website of the Company.

All the Board Members and Senior Management personnel affirmed compliance with the code for the financial year 2024-25.

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director
DIN:10690782

Place : Chennai
Date : May 28, 2025

ANNEXURE - VI

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
Madras Fertilizers Limited
CIN: L32201TN1966GOI005469
Registered Office: Manali, Chennai 600 068, Tamil Nadu

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. Madras Fertilizers Limited (hereinafter called the "Company"), for the financial year ended March 31, 2025 ("Audit Period"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company M/s. Madras Fertilizers Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the Audit Period, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the Audit Period according to the provisions of:

xi. The Companies Act, 2013 ('Act') and the rules made thereunder;

- The company has complied with the procedure laid under the Companies Act, 2013 except the comments marked elsewhere in the report:

xii. The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; wherever applicable;

xiii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

xiv. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

xv. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

a. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations").

b. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; ("SEBI SAST Regulations"); - *Requisite disclosures are made.*

c. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ("SEBI PIT Regulations");

d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021- *Since, the Company does not have any scheme approved during the Audit Period, the Regulations are not applicable.*

e. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

f. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018–*Since, the Company had not issued any securities during the Audit Period, the Regulations are not applicable;*

g. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021– *Since, the Company had not issued any non-convertible securities during the Audit Period, the Regulations are not applicable;*

h. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993–*Since, the Company is not registered as a Share Transfer Agent, the Regulations are not applicable;*

i. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009- *Not applicable during the Audit Period as the Company has not delisted its equity shares from any stock exchange;*

j. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 –*Since, the Company has not bought back any of its securities during the Audit Period, the Regulations are not applicable; and*

k. Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009: *Not applicable during the Audit Period.*

vi. Other laws applicable specifically to the Company.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

i. Secretarial Standards issued by 'The Institute of Company Secretaries of India'.

ii. The Listing Agreement entered into by the Company with the NSE Limited (NSE).

During the Audit Period, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

I further report that based on the compliance mechanism established by the Company, which has been verified on test checked basis and the Compliance Report submitted to and taken on record by the Board of Directors of the Company, further the compliance by the Company of applicable Taxation laws, like Direct & Indirect Tax laws, has not been reviewed in our Audit since the same have been subject to review by Statutory Financial Auditor and other designated professionals.

I further report that:

a. The Composition of the Board of Directors & several committees during the period under review is not in accordance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015. In view of the above, NSE has levied penalty as referred above. Being a Government Company, it had been communicating the matter with the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India to appoint sufficient number of Independent Directors to comply with the SEBI (LODR) Regulations.

b. Notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking meaningful participation at the meeting.

c. Decision is carried through while the members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observation and Non Compliances reported hereinafter:

1. Mr. R Ram Ganesh resigned as Company Secretary on December 12, 2023 and Mr. J Srinivasa Saravanan was appointed as the Company Secretary and Compliance Officer effective August 14, 2024. Company Secretary was not the Compliance officer for the period 13.12.2023 to 13.08.2024.
2. Few Charges are appearing on the Index of Charges which the company is unable find the source to approach ROC for removal of the charge IDs.
3. Moreover, there were fines imposed for the following Non Compliances made by the Company during this year also and this needs to be address by the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India.

S. No.	Regulations & Non-Compliance Details	Quarter Ended	Fine Amount	Management Response
1	Delay in submission of Related Party Disclosures (Reg. 23(9))	30.09.2024	Rs. 45,000	Inadvertent delay of 9 days; noted by Board on 11.02.2025; fine paid on 03.01.2025
2	Delay in Appointment of Company Secretary / Compliance Officer (Reg. 6(1) & 6(1A))	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024	Rs. 20,000 Rs. 91,000 Rs. 44,000	CFO and Dy. Manager - Finance appointed as interim Compliance Officers; fine paid on 14.06.2024, 31.08.2024, and 17.12.2024
3	Less than 50% Independent Directors on Board (Reg. 17(1)(b) & 17(1E))	31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024	Rs. 4,55,000 Rs. 4,55,000 Rs. 4,60,000 Rs. 4,60,000	Appointment of Independent Directors pending with Department of Fertilizers (GOI); matter beyond company's control; fines not paid
4	Improper Composition & Quorum in Audit Committee (Reg. 18(1)(a), 18(1)(b), 18(2)(b), 17(1E))	31.12.2024	Rs. 2,000	Audit Committee non-compliance due to absence of Independent Directors; request pending with GOI; fine not paid
5	Improper Composition in Nomination & Remuneration Committee (Reg. 19(1)(a) & 19(1)(c))	31.12.2024	Rs. 2,000	Committee had only 2 members; Independent Directors' term expired; appointment awaited from GOI; fine not paid
6	No Independent Director in Stakeholders Relationship Committee (Reg. 20)	31.12.2024	Rs. 1,14,000	The company has reconstituted the SRC Committee and appointed Mr. Jatin Kumar Mohanty, Independent Director as a member of the SRC Committee w.e.f 11.02.2025; The fine is not paid.
7	Improper Composition & Meetings of Risk Management Committee (Reg. 21(3A) & 21(3C)	31.12.2024	Rs. 16,000	No Independent Director from 05.11.2024 to 12.11.2024; committee didn't meet as required; fine not paid
8	Non-compliance with Board Composition (less than 50% Independent Directors) (Reg 17(1))	31.03.2024	A total fine of Rs. 21,59,400	Company has been persistently requesting the Central Government for appointment of Independent Directors; issue continues; fines remain unpaid. The default persists.

4. The details of Familirisation programmes for Independent Directors, Board authorised personnel under Reg 30(5) of SEBI (LODR) are in process of updating in the company's website for FY 2023-2024 & FY 2024-2025
5. DIN of the Nominee Directors – Mrs. Samieh Kokabi, Mr. Mohammed Bagher, Mr. Dakhili, Babak Bagherpour are deactivated as per MCA records.
6. Performance evaluation for April 2024 could not be verified. Only the Managing Director submitted the evaluation for the period ended 31st March 2025.

7. The disclosure under SEBI (LODR) Regulations for change in Directors (Appointment of Ms. Tina Soni, Cessation of Mr. Nalabothu Venkata Rao, Dr C R Jayanthi) and Superannuation of CFO Mr. Priya Panda was intimated after 12 hours of the event.
8. It was noted that while the SDD software is in place, compliance with timely and complete entries needs to be strengthened & updated.
9. It was noted that Mr. Manoj Kumar Jain was appointed as Chairman and Managing Director before obtaining DIN.
10. The Company has convened only one Risk Management Committee meeting for the FY 24-25.

I further report that during and after the Audit Period, the following major transactions/ events/ developments were identified:

1. Additional charge for the post of Chairman and Managing Director has been assigned to Ms. Neeraja Adidam, Special secretary, Department of Fertilizers, in addition to her own duties w.e.f 30/04/2024.
2. Dr. Tina Soni was appointed as a Government Nominee Director of the Company in the place of Mr. Aravind Kumar w.e.f 30/04/2024 and ratified in the AGM held on 26/09/2024.
3. Mr. Manoj Kumar Jain was appointed as Chairman and Managing Director (CMD) of the Company w.e.f 07/06/2024 & ratified in the AGM held on 26/09/2024.
4. Mr. Amboor Madhanmohan was appointed as Chief Financial officer (CFO) with effect from 14/08/2024 in place of Ms. Priya Ranjan Panda, the CFO & Compliance Officer who was retired on 30/06/2024.
5. Ms. Padmavathy was appointed as an Interim Compliance Officer in place of Ms. Priya Ranjan Pande till appointment of New Company Secretary and Compliance Officer.
6. Mr. J. Srinivasa Saravanan was appointed as a Company Secretary with effect from 14/08/2024.
7. Consequent to the completion of the term, the following Independent Directors ceased to be the member of Board of the company.

S. No.	Name of the Director	Date of Cessation
1.	Mr. Nalabothu Venkata Rao	04-11-2024
2.	Dr. C R Jayanthi	27-12-2024
3.	Mr. Sanjay Vishnu Shetye	30-12-2024

8. The Company is unable to file Form DIR-12 with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to reflect the cessation from the Board of directors – Mr. Siya Sharan and Mr. Sanjay Shetye as a formal Government Order is yet to be received for the said directors.

For Mohan Kumar & Associates
Sd/-
A. Mohan Kumar
Practicing Company Secretary
Membership Number: FCS 4347
Certificate of Practice Number: 19145
Peer review Certificate No. 2205/2022
UDIN: F004347G000928710

Place: Chennai
Date: 04-08-2025

This Report is to be read with my testimony of even date which is annexed as Annexure-I and forms an integral part of this report.

Annexure-I

To
The Members
Madras Fertilizers Limited
CIN: L32201TN1966GOI005469
Registered Office: Manali, Chennai 600 068, Tamil Nadu

My report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.
2. I have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. I believe that the process and practices, I have followed provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the Compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Mohan Kumar & Associates
Sd/-
A. Mohan Kumar
Practicing Company Secretary
Membership Number: FCS 4347
Certificate of Practice Number: 19145
Peer review Certificate No. 2205/2022

Place: Chennai
Date: 04-08-2025

ANNEXURE-VI-A

Management Reply to the Observations in the Secretarial Audit Report 2024–25:-

Point no. 1:

Mr. Ram Ganesh, resigned as Company Secretary on December 12, 2023 and Mr. J Srinivasa Saravanan was appointed as a Company Secretary and Compliance Officer with effect form 14.08.2024. There was no Company Secretary in place during the period 13.12.2023 to 13.08.2024 as the recruitment process for the new Company Secretary took time due to the need for a thorough selection and interview process. During the intervening period, the Company had appointed the CFO as Compliance Officer and on superannuation of CFO w,e,f 30.06.2024, the Deputy Manager – Finance was designated as the Compliance Officer.

Point no. 2:

The concerned banks and financial institutions are either closed or untraceable at the addresses available in our records. It is also pertinent to note that MFL has fully repaid all loans except the one with SBI, Chennai. The Company is taking necessary efforts to remove the charge IDs from Index of Charges.

Point no. 3.1:

Due to inadvertent delay there was a delay in submission of Related Party Transactions (RPTs) disclosure with the stock exchange. The Company will ensure that due compliance will be taken care in future.

Point no. 3.2:

The delay in the appointment of Company Secretary is due to time taken for a thorough selection and interview process and also to obtain necessary administrative approvals from the Government.

Point no. 3.3 to 3.8:

The appointment of Independent Directors falls under the purview of the Department of Fertilizers, Government of India, and is beyond the control of the Company. The Company is actively following up with DoF to ensure the necessary appointments are made at the earliest.

Point no. 5:

The Company has foreign nominee Directors and due to a technical issue in generating OTPs through the MCA portal, the DIN of foreign nominee directors were deactivated due to non-filing of director KYC form. The Company is taking all necessary steps to resolve the issue in coordination with the MCA.

Point no. 7:

The delay was inadvertent and occurred due to the non-availability of a Company Secretary during the relevant period.

Point no. 9:

The appointment of the Chairman and Managing Director (CMD) is vested with Govt. of India as MFL being a PSU. The Director Identification Number (DIN) was subsequently obtained based on appointment made by GOI.

ANNEXURE – VII

MADRAS FERTILIZERS LIMITED
MANALI, CHENNAI 600 068
FORM NO. AOC – 2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transaction under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at Arm length basis.

S.No.	Particulars	Details
a.	Name(s) of the related party & nature of relationship	Nil
b.	Nature of contracts/arrangements/trans- action	Nil
c.	Duration of the contracts/arrangements/ transaction	NA
d.	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any	NA
e.	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	NA
f.	Date of approval by the Board	NA
g.	Amount paid as advances, if any	NA
h.	Date on which the special resolution was passed in General meeting as required under first proviso to section 188	NA

2. Details of contracts or arrangements or transactions at Arm's length basis

S.No.	Particulars	Details
a.	Name (s) of the related party	M/s. Indian Oil Corporation Ltd
	Nature of relationship	At Arm's length price
b.	Nature of contracts/ arrangements/ transaction	Supplier of LNG & FO/LSHS/HSD/LUBRICATES
c.	Duration of the contracts/ arrangements/transactions	Continuous basis
d.	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions	Long term contract
e.	Date of approval by the board	Based on Gas Sales Agreement dated 06.02.2019
f.	Amount paid as advances, if any	Nil
g.	Amount incurred during the year	₹ 1828.60 Cr. - FY (2024-25)

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director
DIN:10690782

Place: Chennai
Date: August 12, 2025

ANNEXURE – VIII

MADRAS FERTILIZERS LIMITED
MANALI, CHENNAI 600 068

Annual Report on CSR Activities of MFL
(Pursuant to Rule 9 of the Companies (Accounts) Rules 2014)

1. A brief outline on Companies CSR Policy

   Madras Fertilizers Ltd gives priority on various social responsibility measures for the benefit of weaker section of the Society and to improve the standard of living of the inhabitant near the factory area.

2. Composition of CSR Committee as on 31.03.2025:

   The CSR Committee consists of the following members :

Sl No	Name	Designation
1.	Dr Jatin Kumar Mohanty	Chairperson
2.	Shri Manoj Kumar Jain	Member
3.	Dr Tina Soni	Member
4.	Dr K Jayachandran	Member

3. The Composition of CSR committee & CSR Policy are disclosed on the website of the Company.

4. Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, is not applicable

5. Since the Average Net Profit of the Company as per Section 135 (5) of Companies Act 2013 is negative, the details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, need not be disclosed.

6. Average net profit of the Company for the last 3 FY. : Rs.141.33 Crs

7. (a) Two percent of average net profit of the Company as per Section 135(5) of the Act:283 lacs

   (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: NA Z

   (c) Amount required to be set off for the financial year, if any: Rs.381 lacs

   (d) Total CSR obligation for the financial year (a+b-c): NA since excess CSR contributed

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount spent for the financial year in ₹	Amount unspent in ₹				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Section 135 (6)		Amount transferred to any find specified under Schedule VII as per second proviso to section 135 (5)		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
0.10 Lacs	NA	NA	NA	NA	NA

b. Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Sl. no	Name of the project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes / No)	Location of the project		Project Duration (in years)	Amount allocated for the project in fiscal 2023	Amount spent in the current financial year	Amount transferred to unspent CSR account for the project as per Section 135(6)	Mode of implementation – Direct (Yes / No)	Mode of implementation – Through implementing agency	
				State	District						Name	CSR registration Number
NA												

c. Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

Sl. no	Name of the project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes/ No)	Location of the project		Project Duration (in years)	Amount spent for the project	Mode of implementation- Direct (Yes/No)	Mode of Implementation –Through implementing agency	
				State	District				Name	CSR registration number
Armed Forces Flag Day Fund										
1.	District Environmental Engineer TNPCB, Manali	1	Yes	Tamil Nadu	Chennai	NA	0.03 lacs	Y	NA	NA
2.	Deputy Director of Industrial Safety and Health, Thiruvottriyur	1	Yes	Tamil Nadu	Chennai	NA	0.07 lacs	Y	NA	NA

d. Amount spent in Administrative Overheads: -NA

e. Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NA

f. Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Rs. NIL

g. Excess amount for set off, if any

Sl No.	Particulars	Amount
(i)	2% of average net profit of the Company as per Section 135(5)	283 lacs
(ii)	Total amount spent for the financial year	0.10 lacs
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	NA
(iv)	Excess amount spent in previous years available for Set off	381
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programs or activities of the previous financial years, if any	NA

3. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl No.	Preceding financial year	Amount transferred to unspent CSR account under Section 135 (6)	Amount spent in the reporting financial year	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per Section 135(6), if any			Amount remaining to be spent in succeeding financial years
				Name of the fund	Amount	Date of Transfer	
NA							

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

Sl No.	Project ID	Name of the Project	Financial year in which the project was commenced	Project duration	Total amount allocated for the project	Amount spent on the project in the reporting financial year	Cumulative amount spent at the end of reporting financial year	Status of the project – Completed / Ongoing
NA								

4. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details)
   a. Date of creation or acquisition of the capital asset(s) : NA
   b. Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset : NA
   c. Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address, etc. : NA
   d. Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset) :NA
5. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two percent of the average net profit as per Section 135(5) of the Act: NA

Details of CSR Expenditure for the financial year 2024-25 : As below

Total amount spent for the financial year : Rs.0.10 Lacs

Place: Chennai
Date: August 12 , 2025

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director
DIN:10690782

ANNEXURE - IX

CERTIFICATION UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Madras Fertilizers Limited
Manali, Chennai 600 068

This is to certify that :

a. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended 31.03.2025 and that to the best of our knowledge and belief,

i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Company's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:

i. significant changes in internal control over financial reporting during the year;

ii. significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman & Managing Director
DIN: 10690782

Sd/-
A Madhan Mohan
General Manager (F&A)
Additional Charge

Place: Chennai
Date: May 28, 2025

ANNEXURE – X

CERTIFICATE ON NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34 (3) and Schedule V - Para C 10 (i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To
The Members,
Madras Fertilizers Limited
Manali, Chennai 600 068

I have examined the relevant registers, records, forms, returns, declarations and disclosures received from the Directors of Madras Fertilizers Limited, having CIN: L32201TN1966GOI005469 and having registered office at Manali, Chennai 600 068 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before me by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34 (3) and Schedule V - Para C 10(i) in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in of Ministry of Corporate Affairs) as considered necessary and explanations furnished to me by the Company & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below, for the Financial Year ended March 31, 2025, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority. However, DIN of Mrs. Samieh Kokabi, Shri Mohammed Bagher Dakhili and Shri. Babak Bagherpour are deactivated as per MCA records.

Sl. No.	Name of the Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment
	Manoj Kumar Jain	10690782	01.07.2024
	Krishnanunni Jayachandran	10062573	01.05.2023
	Tina Soni	07720240	04.04.2024
	Mohammad Bagher Dakhili	07704367	18.02.2017
	Samieh Kokabi	09066692	10.02.2021
	Babak Bagherpour	08341090	23.10.2018
	Jatin Kumar Mohanty	02660442	20.06.2023

Ensuring the eligibility for appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Company. My responsibility is only to express an opinion based on my verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Sd/-
Subramanian Chandrasekar
Practising Company Secretary
FCS No.6773/ COP No.13761
UDIN: F006773G000952696
Peer Review Certificate No.2902/2023

Place: Chennai
Date: 07.08.2025

COMMENTS OF THE COMPROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADRAS FERTILIZERS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Madras Fertilizers Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor / Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on Independent Audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report 28 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madras Fertilizers Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143 (6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' Report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India
Sd/-
(Kavitha Prasad)
Director General of Audit Central Expenditure
(Agriculture, Food and Water Resources)

Place : New Delhi
Date : 03.09.2025

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of Madras Fertilizers Limited

Report on Audit of the Standalone Ind AS Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Ind AS financial statements of Madras Fertilizers Limited (referred to as the "Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), Statement of Cash Flows and Statement of changes in Equity for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information, in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("IND AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at March 31, 2025, the Profit including other comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter:

a. Penal Interest on GOI Loans:

Attention is drawn to the Note "No.30." to the Standalone Financial Statements, wherein the company has made a request to Government of India for the waiver of the interest and penal interest payable on the GOI loans as part of the revival package. Pending the disposal of the revival package, the Company has considered the penal interest at 2.75% p.a and amounting to Rs.394.68 crores upto the financial year ending 31.03.2025 as Contingent Liability only.

b. Subsidy accounting

Attention is drawn to Note No 30.19 (a) to the Standalone Financial Statements, regarding the consideration of 10% of penalty leviable on account of non-fulfilment of targeted energy norms from the period commencing from 18.07.2024. The impact of the penalty reckoned as explained in the note amounted to reduction in subsidy income by Rs.155.61 crores for FY 2024-25.

Attention is drawn to the Note No.30.19 (b) to the Standalone Financial Statements, regarding the accounting for subsidy on Urea sales in accordance with policy parameters framed in this regard whereas subsidy claim received is based on the provisionally approved rate. As explained in the said note, the excess amount of Rs.160.55 crores have been received by the company and the same has not been considered as income under subsidy. The said sum is netted against the total amount receivable towards subsidy.

c. Provision for unutilised GST input

Attention is drawn to the Note No.30.6 to the Standalone Financial Statements, regarding the provision of Rs 50.54 Cr made in the accounts with respect to difference of GST input as per books and GST input as per electronic credit ledger. The above sum includes an amount of Rs 37.57 Cr, being the provision held as on 31.03.2024 and an additional provision of Rs 12.97 Cr made during the FY 2024-25 towards the above difference.

d. Attention is drawn to our remarks under the Qualified opinion on Internal Financials Controls over Financial Reporting (Annexure C to our report) regarding inadequate controls on the following:

- Lack of any systems audit conducted post implementation of new ERP software – SAP

- Coverage, procedures and frequency of physical verification of inventories

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S No	Key Audit Matter	How our Audit procedures addressed the key audit matter
1	**Recognition / de-recognition and measurement of Subsidy income and recoverability of subsidy receivables** *(Refer to Note No.1.G and 18 to the standalone financial statements)* Subsidy income pertaining to Urea is recognised on the basis of the rates notified by the Department of Fertilisers from time to time in accordance with the New Pricing Scheme (NPS) and Nutrient Based Subsidy ('NBS') policy on the quantity of fertilisers sold by the Company, after adjusting for increase / decrease on account of annual escalation / de-escalation in input prices in accordance with policy parameters in this regard. Adjustments, if any for differences between the subsidy as per Statement of Profit and Loss and the approved rate subsequently are accounted for during the year in which the final notification is received from GoI. During the current year ended March 31, 2025, the company has recognised subsidy income of Rs.2,157.61 Crores which constitute significant portion of its revenue from operations. The recognition and realisation of subsidy income depends on the rates and the period for which approval is issued by the GOI. While recognising income from subsidy, the company considers possible levy of penalty for non- achievement of targeted energy norms as a prudent measure.	Our principal audit procedures adopted in relation to recognition of subsidy income in the accounts for the Financial Year 2024-25 were as under: • We have read the relevant notifications issued by the GOI and discussed with the management, to understand the underlying matters and basis for management judgement and estimates including necessary changes made in estimates to address variations noted in past. Also, ascertained the prevailing trade practice in the fertilisers industries for the recognition of Subsidy income; • We examined the statement showing the sales quantity considered for subsidy income to ensure the quantity were correlated with the actual sales made by the Company. We also verified the quantities sold as reflected in the records of the company were in agreement with the quantities reflected in customer acknowledgements as appearing in the IFMS portal of the Department of Fertilisers on a selective sampling basis keeping in view with the concept of materiality and tested the DBT claims (subsidy claim) made by the Company; • We examined the management estimate of urea concession price were in accordance with relevant New Pricing Scheme and adjustments towards the escalation/de-escalation in input prices; • Our verification procedures included that the adjustments for differences on account of the final approved rate are accounted during the year in which the final notification is received.

	Government Subsidy Receivables forms a significant part of the Company's current assets, amounting to Rs.382.21 Crores as at March 31,2025	• Our audit procedures also included analysing the receipt of subsidy with a view to ensure that any amount of claim likely to be incurred due to non-compliance with conditions stipulated such as non-achievement of energy norms were not considered as income, pending the determination of final notification of subsidy. • We assessed the disclosures in the standalone financial statements in this regard; • Review of subsidy receivable from Department of Fertilizer (i.e. Sovereign Authority) is supported by the approved claims generated from IFMS (Integrated Fertilizer Management System); • Subsidy income remaining outstanding over significant period are discussed /enquired with management based on follow-up with Department of Fertilizers, Government of India including basis of management judgement and realisation certainty thereof; Based on the above procedures performed, we ensured that the recognition of Subsidy Income and recoverability of subsidy receivable is in accordance with applicable financial reporting framework and relevant notifications issued by the Department of Fertilizers, GOI and fairly presented in the standalone financial statements.
2.	Estimation of Provision & Contingent Liabilities In the recognition and measurement of provisions, there is uncertainty about the timing or amount of the future expenditure required to settle the liability. In respect of contingent liabilities, there are estimates and assumptions made to determine the amount to be disclosed. As at the year ended 31 March 2025, the amounts involved are significant. There is a high degree of judgement required for the recognition and measurement of provisions and disclosure of contingent liabilities. There is a risk of material misstatement that the estimates are incorrect and that the provisions or contingent liabilities are materially misstated.	Our audit procedure included, but was not limited to the following : Analysing the managements internal instructions, process and control for determining and estimating the tax litigations, other litigations and claims and its appropriate accounting and / or disclosure. Discussed the pending matters with the Company's personnel with respect to status of cases of litigation and claims. Assessed management's conclusions through placing reliance upon the expert legal opinions, wherever obtained by the management. We have assessed the adequacy and appropriateness of presentation and disclosure of the Contingent liabilities in the standalone financial statements.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Directors' Report and Management Discussion and Analysis, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

a. Identify and assess the risks of material misstatements of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence

that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls;

c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;

d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern;

e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation;

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors as in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters:

1. The company has eleven (11) Marketing Offices (i.e, named as regional offices (RO's) across India, wherein all the sales related matters are being undertaken. As part of our audit, we have visited and reviewed the operations of three (3) of the RO's and the operations of the RO are satisfactory in nature.

2. During the audit, we observed that most of charges already satisfied are still appearing in the records of 'Index of charges' under Ministry of Corporate Affairs (MCA) portal. The company has to take appropriate measures in order to clear the charges which are not live as on date.

3. The company makes provident fund contribution to the trust set up by the company under the name and style "MFL Employees Contributory Provident Fund Trust".

   As per the audit report of the Trust, Auditor has qualified his opinion stating that the investment portfolio of the trust includes investments in IL&FS Transportation Network Limited, and SREI Infrastructure amounting to Rs 5.45 Cr and Interest accrued thereon amounting to Rs 1.72 Cr, and the said entities are under the process of insolvency, and no provision is made in the accounts of the Provident Fund Trust for the diminution in the value of the said Investments.

   Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required under the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sub-section (5) of Section 143 of the Companies Act 2013, we are enclosing our report in **"Annexure A".**

2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable. Our report thereon is enclosed as "**Annexure B**".

3. Non-Compliance of Composition of Board-SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015. The Company is not having the required number of Independent Directors on its Board due to vacancy arising out of expiry of term from 6th June, 2019 onwards. (Refer Note No. 30.31 to the Standalone Financial Statements)

4. The company has not complied with mandatory requirement of section 203 of the Companies Act 2013, regarding appointment of whole time Company secretary for the entire financial year. The Company had a whole-time company secretary only from 14.08.2024.

5. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books and proper adequate returns have been received from all the regional offices of the company;

   c. The Company's Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (incl. Other Comprehensive income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;

   d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended thereon.

   e. The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463

(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure C**". Our report expresses a **Qualified opinion** on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:

The provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Company, being a Government Company, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5th June 2015

h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements – Refer Note No.30.1 to the standalone financial statements;

ii. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company except the following:

The company is in the possession of the three deposits amounting to Rs.54,000/-, having maturity value of Rs.60,198/- which were seized by the Income Tax department in the course of search and seizure operations carried at the premises of the depositor. The said deposits had matured during 2001, however due to the intimation received from the department, these are neither been en-cashed nor transferred to the fund in accordance with Companies Act, 2013.

iv. a. The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall,

- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or
- provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

b. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall,

- directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or
- on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

c. Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in these circumstances, nothing has come to our notice that has caused them to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material misstatement.

v. The company has not declared and/or paid any dividend during the year in accordance with Sec.123 of the Companies Act, 2013;

vi. Based on our examination which included test checks, the company has used an accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S
Sd/-
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309
UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

ANNEXURE – A TO THE AUDITOR'S REPORT

Referred to in Paragraph 1 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated.

Report on Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013)

PART- I - DIRECTIONS

1. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the **integrity of the accounts along with the financial** implications, if any, may be stated.

   Yes. The company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. However, the transactions relating to marketing activities captured in the IT system of regional offices are reported to HO periodically. The said transactions are reconciled with the corporate accounting module (i.e, SAP), on monthly basis at Head-office. No instances of lack of integrity of the accounts along with the financial implications have been noted during the course of our examination of records.

2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, **the financial impact may be stated.**

   Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company).

   According to the information & explanations given to us, there are no instances of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the Company. The Company has applied to the Government of India for restructuring of its loans availed from Government. The matter relating to restructuring is under progress.

3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable **for specific schemes from Central/State** Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.

   According to the information and explanations given to us and based on our examination of books of accounts of the company, the company has not received any funds for specific schemes from Central/State Government or its agencies.

SUB-DIRECTIONS

NIL for the current Financial Year

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S
Sd/-
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309
UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

ANNEXURE - B TO THE AUDITOR'S REPORT

Referred to in Paragraph 2 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of the Company of even dated

Based on the audit procedures performed and information and explanations given to us, we report that:

i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment,

a. The company has maintained proper records showing full particulars with respect to

A. Property, Plant and Equipment including quantitative details and situation thereon and relevant details of right-of-use assets;

B. Intangible asset – SAP software;

b. According to the information and explanation given to us, physical verification of Property, Plant and Equipment, has been conducted by the company once during the financial year and there was no material discrepancies noticed on such physical verification undertaken. In our opinion, the frequency of the verification is reasonable, having regard to the size and the magnitude of the organization.

c. The company has clear title deeds of Lands held in its name.

d. During the year, the company has not revalued its Property, Plant and Equipment (Incl. Right of Use assets). Accordingly reporting under this clause does not arise.

e. According to the information and explanation given to us, there are no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder,

ii. In respect of the Inventories:

a. Physical verification of inventories inside factory premises (excepting stores and spares) and at Chennai Port has been carried out by an independent surveyor at year end.

The stock of finished goods lying at warehouses is considered as per certification given by the management and same were duly confirmed through the IFMS portal maintained by Dept. of Fertilizers.

As explained to us, the physical verification of stores and spares was carried out by the management as at the year-end only and there were no material discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory.

In our opinion the physical verification of inventories conducted by the management is not consistent with the requirements of this clause with regard to reasonable intervals and the coverage and procedure of such verification.

b. The Company has been sanctioned a working capital limit (i.e, both fund and non-fund based facilities) in excess of five crore rupees, in aggregate from banks on the basis of the security of inventories and book debts including GOI subsidy receivable.

On the basis of examination of relevant records, the quarterly returns or statements filed by the company with bank are not in agreement with books of accounts. The particulars of difference are furnished in note no 30.29(g) to the Standalone Financial Statements.

iii. During the year, the company has not made any investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms

and limited liability partnerships or other parties covered under the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

Hence, the reporting under the provisions of clause (iii) (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of the order are not applicable.

iv. According to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans and advances to the parties coming within the purview of section 185 and 186 of the companies Act, 2013 and hence reporting under this clause is not applicable.

v. The company has not accepted any deposits coming within the purview of definition of deposits as per the provisions of the Companies Act, 2013 and accordingly reporting on the requirements under this clause is not applicable.

vi. The company is maintaining the cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act for its fertilizer's products.

We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, as amended prescribed by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that, prima facie, the prescribed cost records have been made and maintained.

We have, however not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.

vii. In respect of statutory dues:

a. The company is generally been regular in depositing undisputed applicable statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, and service tax, duty of customs, duty of excise, Goods and Services Tax, Cess and any other statutory dues applicable to it with the appropriate authorities;

There were no outstanding of aforesaid statutory dues as on March 31, 2025 for a period of more than six months from the date they became payable except for the following:

Nature of Dues	Amount (Rs.in Crores)
ESI	0.27
GST	1.40
Total	1.67

The above does not include a sum of Rs.2.81 Crores, being the amount withheld by the Company for dues by the contractors towards Provident Fund and Employee State Insurance, pending the receipt of communication from the concerned authorities for the demand for the said sum.

b. There were no dues of GST, Income Tax, value added tax, duty of customs, duty of excise and cess which have not been deposited on account of any dispute except in the following cases:

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (In Crores)		Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
		Disputed	Deposited		
Income Tax Act,1961	Income Tax	7.22	-	Assessment Year 2018-19	Commissioner of Income Tax (Appeals)
Goods & Service Tax	GST along with Interest & Penalty - Tamilnadu	1.94	0.08	2017-18	Appeal before Appellate Authority
		121.82	-	2018-19	Before Hon'ble High Court of Madras by way of Writ Petition
		114.82	-	2019-20	Before Hon'ble High Court of Madras by way of Writ Petition
Department's Appeal					
Kerala Value Added Tax Act, 2003	VAT	1.71	-	Assessment Year 2009-10	Hon'ble Supreme Court of India
		3.40	-	Assessment Year 2010-11	
Customs Act, 1962	Differential Customs Duty, Redemption fine u/s 125(1) & Penalty u/s 114(A)	65.86	0.05	NA	Hon'ble High Court of Madras

viii. We have not come across any transactions that are not recorded in the books of account which have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961. Hence, the recording of unrecorded income in the books of accounts does not arise.

ix. a. The Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to any financial institutions, banks, or dues to debenture holders excepting default of repayment of the following Government of India (GOI) Loans:*

Nature of borrowing	Amount of Default (Rs. in Crores)	Whether principal or interest	Period of Default
Plan Loans	411.17	Principal	From FY 2004-05 to till the date
Non-Plan Loans	20.77		
Revamp Loans	122.30		
Total (A)	554.24		
Plan Loans	712.60	Interest	From FY 2004-05 to till the date
Non-Plan Loans	44.75		
Revamp Loans	188.35		
Total (B)	945.70		
Grand Total (A+B)	1,499.94		

b. To the extent of our knowledge, the company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authorities.

c. The company has not availed any term loan from the bank and hence reporting under this clause is not applicable.

d. According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us, and on an overall examination of the financial statements of the company, we report that the company has not used funds raised on short term basis for long-term purposes.

e. The Company does not have any subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly, reporting with regard to borrowal of money in order to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures does not arise.

f. The Company does not have any subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly, reporting with relating to borrowal of money on pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies does not arise.

x. a. The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument) during the period under audit. Accordingly, reporting under this clause does not arise.

b. During the year, company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures. Therefore, reporting under this clause is not applicable to the company.

xi. To the best of our knowledge,

a. No fraud by the company or on the company has been noticed or reported during the year.

b. No report has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government in accordance with section 143(12) of the Companies Act,2013.

c. As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the company during the year.

xii. The company is not a Nidhi company. Hence, the reporting under the provisions of clause (xii) (a), (b) and (c) of the order are not applicable.

xiii. In our opinion, all the related party transactions during the financial year are in compliance with Section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details of the said transactions have been disclosed appropriately in the standalone financial statements in accordance with applicable Ind AS.

xiv. a. In our opinion and based on our examination, **the company does not have an adequate internal audit system commensurate with the size and nature of its business.**

b. We have considered the internal audit reports for the year under audit, issued to the company up to the quarter ending September 2024 in determining the nature, timing and extent of our audit procedures. **The observations mentioned in the internal audit reports were not rectified by the Company in a timely manner.**

The company has an internal audit system which is being entrusted to a professional firm of Chartered Accountants. In our opinion the internal audit procedures is non commensurate with the size and operations of its business. In particulars we observed the following shortcomings:

(i) There has been inordinate delay in undertaking the internal audit assignment and furnishing the report to the management, which has resulted in non-tabling of the reports before the Audit Committee at regular levels.

(ii) Quantification of the adverse comments of the internal auditor has not been ascertained / disclosed in the reports to arrive at the material implication.

xv. In our opinion, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him during the financial year under Section 192 of the Companies Act, 2013.

xvi. The company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

Accordingly, the reporting under the provisions of clause (xvi) (b) and (c) of the order does not arise.

Further, in our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under this clause is not applicable to the company.

xvii. The company has not incurred any cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly reporting under this clause does not arise.

xix. The Company has accumulated losses amounting to Rs.194.44 Cr (PY.Rs. 351.86 Cr) with a negative net worth of Rs.32.30 Cr (PY.Rs. 189.72 Cr). The current liabilities (which includes Loan from Government of India of Rs 554.24 Crores and interest of Rs 945.70 Crores due on the said loan) exceed its current assets by Rs.679.35 Cr (PY.Rs.754.95 Cr). The company has submitted proposal for restructuring of the loans received from Government of India. However, considering the strategic importance of the industry in which the company operates and constitution of the equity shareholders and stakeholders, the standalone financial statements of the company have been prepared on going concern basis.

On a consideration of the company's accumulated losses and strategic importance as stated above and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements of the company, our knowledge of the Board of Directors and management plans, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

xx. a. On the verification of books of accounts and other relevant records, it was observed that there was no unspent amount which is required to be transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year.

b. There are no amount remaining unspent in respect of ongoing projects. Accordingly, the company is not under obligation to transfer the unspent amount in respect of ongoing projects, to a Special Account as per sub-section (6) of section 135 of the Act.

xxi. There are no financial results of any other company which have been consolidated with the standalone financial statements of the company and accordingly, requirements as to the reporting under this clause (xxi) does not arise.

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S

S/d
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309
UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

ANNEXURE – C TO THE AUDITOR'S REPORT

Referred to in Paragraph 5(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of the Company of even dated.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the Internal Financials Controls over Financial Reporting of Madras Fertilizers Limited (referred to as the "Company") for the year ended March 31, 2025, in conjunction with our audit of the Standalone Ind AS financial statements of the company.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide us for our audit opinion on the company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

a. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

b. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the

company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

c. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses has been identified in the operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting as at March 31, 2025:

a. During the current financial year, the Company implemented new ERP software SAP for financial accounting and no systems audit has been conducted to test the efficacy of the new software implemented by the Company. We are of the opinion that the procedures for internal financial controls with regard to accounting need to be strengthened to reduce financial risk and liability that may arise.

b. The Company's internal control system for inventory: In our opinion the physical verification conducted by the management is not adequate with regard to coverage, procedures used and frequency of the verification ; and

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim standalone financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the company has in all material respects, maintains adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31,2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2025 standalone financial statements of the Company, and these material weaknesses does not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company and we have issued an unqualified opinion on the standalone financial statements.

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S

Sd/-
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309
UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

BALANCE SHEET
as at March 31,2025

₹. in Crores

Particulars	Note No.	As at March 31st	
		2025	2024
ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipment	2	199.24	198.41
Right of use assets	2.1	0.00	0.00
Intangible Asset	2.1.2	6.37	0.00
Capital Work-in-progress	2.2	19.80	21.02
Intangible Asset Under Development	2.3	0.00	4.39
Investment Property	3	1.31	1.32
Financial Assets			
i) Investments	4	524.87	454.77
ii) Loans	4.1.a	0.41	20.85
iii) Other Financial Assets	4.2.a	2.89	2.90
Deferred Tax Assets (net)	5.1.a	-	-
Other Non-Current Assets	6	20.09	17.53
Total Non-Current Assets		774.98	721.19
Current Assets			
Inventories	7	209.60	206.25
Financial Assets			
i) Trade Receivables	8	382.93	321.32
ii) Cash and Cash Equivalents	9	652.14	561.96
iii) Bank Balances other than (ii) above	9.a	13.93	13.11
iv) Loans	4.1.b	10.18	0.55
v) Other Financial Assets	4.2.b	15.00	10.13
Current Tax Assets (net)	5.1.b	21.21	4.90
Other Current Assets	10	153.38	168.08
Total Current Assets		1458.37	1286.30
Assets held for Sale		0.00	0.00
TOTAL ASSETS		2233.35	2007.49

BALANCE SHEET
as at March 31,2025

₹. in Crores

Particulars	Note No.	As at March 31st	
		2025	2024
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Equity Share Capital	11	162.14	162.14
Other Equity	12	(194.44)	(351.86)
Total Equity		(32.30)	(189.72)
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
i) Borrowings	13.1.a	0.00	0.00
ii) Lease Liabilities	13.2.a	0.00	0.00
Employee Benefit Obligation	14.1.a	41.35	46.47
Deferred Tax Liability (net)	5.1.a	86.57	109.09
Other non-current liabilities	15	0.00	0.40
Total Non-current Liabilities		127.92	155.96
Current Liabilities			
Financial Liabilities			
i) Borrowings	13.1.b	1594.31	1583.24
ii) Trade Payables	16	384.21	283.14
iii) Lease Liabilities	13.2.b	0.00	0.00
iv) Other Financial Liabilities	13.3	97.58	109.92
Employee Benefit Obligation	14.1.b	15.12	12.16
Other Current Liabilities	17	46.51	52.79
Total Current Liabilities		2137.73	2041.25
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		2233.35	2007.49

Significant Accounting Policies and other Notes forming part of Financial Statements 1 to 33

/For and on behalf of Board of Directors/

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman and Managing Director
DIN: 10690782

Sd/-
Dr. K. Jayachandran
Director - Technical
DIN:10062573

Sd/-
A. Madhan Mohan
Chief Financial Officer

Sd/-
J Srinivasa Saravanan
Company Secretary & Compliance Officer

/As per our Report of even date/

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S
Sd/-
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309

UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
for the year ended March 31,2025

₹ in Crores

Particulars	Note No.	Year Ended March 31st	
		2025	2024
Revenue			
Revenue from Operations	18	2,541.85	2,228.42
Other Income	19	43.96	44.26
Total Income		2,585.81	2,272.68
Expenditure			
Cost of Materials Consumed	20	1,387.64	1,236.21
Purchases of Stock-in-Trade	21	15.07	10.95
Changes in Inventories	22	4.32	(34.56)
Operating and Maintenance Expenses	23	844.67	769.65
Employee Benefits Expense	24	127.23	102.30
Finance Costs	25	63.14	72.21
Depreciation and Amortization Expense	26	11.63	10.29
Other Expenses	27	40.52	43.77
Total Expenses		2,494.22	2,210.82
Profit/(Loss) before Exceptional items and Tax		91.60	61.85
Exceptional Items	27 A	-	(49.99)
Profit/(Loss) after Exceptional items and Tax		91.60	11.86
Profit/(Loss) before Tax		91.60	11.86
Current Tax		23.20	5.00
Earlier years Tax (Net)		(1.11)	0.39
Deferred Tax		5.26	0.92
Tax Expenses /(Income)		27.35	6.30
Profit/(Loss) for the Year (A)		64.25	5.56

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS
for the year ended March 31,2025

₹ in Crores

Particulars	Note No.	Year Ended March 31st	
		2025	2024
Other Comprehensive Income (Net of Tax) ('OCI')			
Items that will not be reclassified to Profit or Loss:			
Fair Value Change of Non-Current Investments	28	70.09	117.59
Re-measurements of defined benefit obligation	28	(4.70)	0.85
Less: Tax (expenses)/benefit on the above	28	27.78	(26.65)
Total Other Comprehensive Income (B)		93.17	91.79
Total Comprehensive Income (A+B)		157.42	97.36
Earnings per Equity Share(EPS):			
Equity Shares of par value Rs.10/- each			
Basic and Diluted EPS per share		3.99	0.35
Number of Shares used in computing earning per share		16,11,01,300	16,11,01,300

Significant Accounting Policies and other Notes forming part of Financial Statements 1 to 33

/For and on behalf of Board of Directors/

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Manoj Kumar Jain	Dr. K. Jayachandran	A. Madhan Mohan	J Srinivasa Saravanan
Chairman and Managing Director	Director - Technical	Chief Financial Officer	Company Secretary & Compliance Officer
DIN: 10690782	DIN:10062573		

/As per our Report of even date/

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S
Sd/-
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309
UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

STATEMENT OF CASH FLOW
for the year ended March 31,2025

₹ in Crores

	Particulars	Year Ended March 31st	
		2025	2024
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Profit before Tax from Continuing Operations	91.60	11.86
	Add/(Less) Adjustment for :		
	Depreciation and Amortization Expense	11.63	10.29
	Finance Costs	63.14	71.23
	Interest Income	(36.23)	(25.62)
	Dividend Income	(1.19)	(1.11)
	Income from Investment Properties	(1.83)	(3.73)
	Provision No Longer required/Written Back of Accounts	(2.81)	(11.01)
	Provisions made during the year	14.05	0.00
	Loss on derecognition of Property Plant and equipment	0.02	0.99
	(Profit)/Loss on sale of Property, Plant and Equipment & Asset held for sale	0.00	0.00
	Operating Cash Flow before Working Capital Changes	138.37	52.90
	Adjustment for :		
	(Increase)/Decrease in Inventories	(4.43)	25.71
	(Increase)/Decrease in Trade Receivables	(61.63)	182.30
	(Increase)/Decrease in Loans &Advances	10.82	(3.04)
	(Increase)/Decrease in Other Assets	(6.52)	(25.49)
	Increase/(decrease) in Provisions	(6.86)	3.35
	Increase/(decrease) in Trade Payables	101.07	(4.55)
	Increase/(decrease) in Other Liabilities	(16.21)	(51.12)
	Cash Generated from Operations	154.62	180.06
	Direct Tax paid (Net of refunds)	(38.40)	(5.02)
	Net Cash from Operating Activities	116.22	175.04
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Purchase of Property, Plant and Equipment	(9.84)	(14.79)
	(Increase)/Decrease in Capital Work in Progress	(3.37)	(16.79)
	Interest Received (Gross)	36.23	25.62
	Income from Investment Properties	1.83	3.73
	Dividend Income	1.19	1.11
	Proceeds from sale of Property, Plant and Equipment	(0.02)	0.02
	Net Cash from Investing Activities	26.02	(1.10)

STATEMENT OF CASH FLOW
for the year ended March 31,2025

₹ in Crores

C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Net proceeds from Term Borrowings	0.00	0.00
	Net proceeds from Financial Assets	0.00	0.00
	Net proceeds from Working capital and Short-term borrowings	(43.51)	34.58
	Repayment of Lease Liability	0.00	(0.02)
	Interest Paid	(8.56)	(15.67)
	Net Cash from Financing Activities	(52.07)	18.89
	ABSTRACT		
	(A) Net Cash from Operating Activities	116.22	175.04
	(B) Net Cash from Investing Activities	26.02	(1.10)
	(C) Net Cash used in Financing Activities	(52.07)	18.89
	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	90.17	192.83
	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	561.96	369.13
	Cash and Cash Equivalents at the end of the year	652.1	561.96
	COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		
	Cash on Hand	0.00	0.00
	Balance with banks:		
	in Current and Cash Credit Accounts	132.88	0.01
	in Term Deposits with less than 12 months maturity	519.26	561.95
	Total Cash and Cash equivalents	652.14	561.96

Significant Accounting Policies and other Notes forming part of Financial Statements 1 to 33

Notes:

1. Statement of Cash Flows is prepared using Indirect Method as per Indian Accounting Standard-7 Statement of Cash Flows.
2. Figures for previous year have been regrouped wherever necessary for uniformity in presentation.
3. Figures in brackets indicate cash outflows.

/For and on behalf of Board of Directors/

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Manoj Kumar Jain	Dr. K. Jayachandran	A. Madhan Mohan	J Srinivasa Saravanan
Chairman and Managing Director	Director - Technical	Chief Financial Officer	Company Secretary & Compliance Officer
DIN: 10690782	DIN:10062573		

/As per our Report of even date/

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S
Sd/-
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309

UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
AS ON MARCH 31,2025

A) Equity Share Capital

₹ in Crores

Particulars	No.of Shares	Amount
Balance as at April 1,2023	161,101,300	161.10
Changes during the year	-	-
Balance as at March 31,2024	161,101,300	161.10
Changes during the year	-	-
Balance as at March 31,2025	161,101,300	161.10

B) Other Equity

Particulars	Reserves & Surplus		Items of Other Comprehensive Income	Total Equity
	Securities Premium	Retained Earnings	Equity Instruments through OCI	
Balance as at April 1,2023	12.39	(722.10)	260.52	(449.20)
Profit/(Loss) for the Year (2023-24)	-	5.55	-	5.55
Other Comprehensive Income (Net of tax)	-	-	91.79	91.79
Total Comprehensive Income for the year	-	5.55	91.79	97.34
Balance as at March 31,2024	12.39	(716.55)	352.31	(351.86)
Balance as at April 1,2024	12.39	(716.55)	352.31	(351.86)
Profit/(Loss) for the Year (2024-25)	-	64.25	-	64.25
Other Comprehensive Income (Net of tax)	-	-	93.17	93.17
Total Comprehensive Income for the year	-	64.25	93.17	157.42
Balance as at March 31, 2025	12.39	(652.30)	445.48	(194.44)

Significant Accounting Policies and other Notes forming part of Financial Statements 1 to 33

/For and on behalf of Board of Directors/

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman and Managing Director
DIN: 10690782

Sd/-
Dr. K. Jayachandran
Director - Technical
DIN:10062573

Sd/-
A. Madhan Mohan
Chief Financial Officer

Sd/-
J Srinivasa Saravanan
Company Secretary & Compliance Officer

/As per our Report of even date/

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S
Sd/-

(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309

UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

NOTE 1: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

For the year ended March 31, 2025

Corporate Information

Madras Fertilizers Limited (MFL or the Company), is a Public Sector Undertaking (PSU) under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India (GOI) and is registered under the erstwhile Companies Act, 1956 with its registered office located at Manali Industrial Area, Chennai -600 068.

The Company's equity shares are listed on the National Stock Exchange ('NSE'). MFL is engaged in the manufacture of Urea and Complex Fertilizers. It is also engaged in manufacturing Bio-fertilizers and trading eco-friendly Agro Chemicals, Organic Manure and City Compost under the brand name 'Vijay'.

Basis of preparation and Statement of compliance

a. These financial statements have been prepared in accordance with applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the relevant provisions of the Act and Rules thereunder, as amended time to time.

b. The financial statements have been prepared on a going concern basis, using the historical cost basis and on accrual method of accounting except for the items which are specifically indicated in the concerned accounting policies.

c. These financial statements are prepared in Indian Currency (INR) which is also the company's functional currency. All amounts disclosed in the financials have been rounded-off to the nearest crores unless otherwise stated.

d. Fair Value Measurement:

The Company's accounting policies and disclosures require the measurement of fair values for financial assets and liabilities.

The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. The Company regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. In cases where fair values are to be computed by third parties, the Company assesses the evidence obtained by such third parties to support the conclusions that these valuations meet the requirements of Ind AS, including the level in the fair value hierarchy in which the valuations should be classified.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques as follows:

a. Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

b. Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from prices).

c. Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far as possible. If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

The Company recognizes transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during which the change has occurred.

Significant Accounting Policies

A. Property, Plant and Equipment (PPE):

Freehold land is carried at historical cost. All other items of Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items, net of recoverable taxes. Spare Parts are capitalized when they meet the definition of PPE.

Subsequent costs are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is de-recognized when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Profit or Loss during the reporting period in which they are incurred.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount. Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are included in Profit or Loss within other gains/(losses).

Capital Work in progress consists of costs incurred on projects and other capital works under feasibility/ commission stage. Cost includes expenses attributable to the work-in progress, net of recoverable taxes. Advances paid towards acquisition of Property, Plant and Equipment outstanding at each Balance sheet date is classified as capital advances under 'Other non-current assets. Assets under construction/ Capital Work in Progress included under Property, Plant and equipment are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

Depreciation:

Depreciation on property, plant & equipment provided for under Straight Line Method in conformity with the estimated useful life as specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 other than Plant & Equipment. In respect of plant and equipment, the depreciation is provided estimating the useful life as detailed hereunder.

Life Extension of Plant and Equipment:

With the feedstock conversion from Naphtha to RLNG, a technical assessment of the useful life of plant and machinery was made. As a result of the said assessment, from 01/04/2021 the useful life of Plant and Equipment was extended for a further period of 15 years, except for NPK Plant for which life was extended for 10 years from the said date and depreciation is provided on the extended useful life of the plant and equipment.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted if appropriate. Based on technical evaluation and consequent advice, the management believes that its estimates of useful lives best represent the period over which management expects to use these assets.

Assets costing less than INR 5,000 are capitalized and charged to the statement of profit and loss in the year of purchase by retaining a residual value of INR 1.

In respect of plant and equipment, buildings, roads & bridges and railway siding and capital spares, residual value is considered at 5% of the cost and INR 1 in respect of other property, plant and equipment include asset acquired out of Govt Grant.

In the year of commissioning / retirement of assets, depreciation is calculated on pro-rata basis, for which the period the asset is available for use.

De-recognition

An item of property, plant & equipment and intangible assets, is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in the statement of profit and loss.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far as possible. If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

The Company recognizes transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during which the change has occurred.

A. Intangible Asset:

Recognition and Measurement: Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost, net of recoverable taxes. Intangible assets are measured on initial recognition at cost and subsequently are carried at cost less

accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any.

The intangible assets with a finite useful life are amortised using straight line method over their estimated useful lives. The management's estimates of the useful lives for various class of Intangibles are as given below:

Computer Software	Technical evaluation of life or 10 Years, whichever is lower
Other intangible assets	5-10 Years

The estimated useful life is reviewed annually by the management. The Company has no intangible assets with infinite useful lives.

Expenditure on internally generated intangibles, excluding development costs, is not capitalized and is charged off in Statement of Profit and Loss in the period in which such expenditure is incurred.

An internally-generated intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal project) is recognized if, and only if, all of the following have been demonstrated:

a. The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale

b. The intention to complete the intangible asset and use or sell it;

c. The ability to use or sell the intangible asset;

d. How the intangible asset will generate probable future economic benefits;

e. The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset; and

f. The ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development.

The amount initially recognized for internally generated intangible assets is the sum of the expenditure incurred from the date when the intangible asset first meets the recognition criteria listed above. Recognition of costs as an asset is ceased when the project is complete and available for its intended use, or if these criteria are no longer applicable. Where development activities do not meet the conditions for recognition as an asset, any associated expenditure is treated as an expense in the period in which it is incurred.

Cost incurred on computer software/licenses purchased/ developed resulting in future economic benefits, other than specific software that is integral part of the related hardware, are capitalized as Intangible Asset. However, where such computer software/ license is under development or is not yet ready for use, accumulated cost incurred on such items are accounted as "Intangible Assets Under Development"

B. Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset or a group of assets (cash generating unit) may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset, which is the greater of its value in use and its net selling price. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the statement of profit and loss. If at the balance sheet date there is an indication that if a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciated historical cost.

C. Leases:

The Company, at the inception of a contract, assesses whether the contract is a lease or not lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a time in exchange for a consideration. This policy has been applied to contracts existing and entered into on or after 1 April 2019.

Transition:

Effective April 01, 2019, the company adopted Ind AS 116 "leases" and applied the standard to all applicable lease contracts existing on April 1, 2019 using the modified retrospective method with cumulative effect of initially applying the standard recognised on the date of initial application. Accordingly, company has not restated comparative information and recognised right of use assets at an amount equal to lease liability.

Company as a Lessee:

The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently amortised using the straight-line method from the commencement date to the end of the lease term. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the Company's incremental borrowing rate.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Right of use assets are evaluated for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (i.e., The higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the Cash Generating Unit (CGU) to which the asset belongs.

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense over the lease term.

Company as a Lessor:

At the inception of the lease, the Company classifies each of its leases as either an operating lease or a finance lease. The Company recognises lease payments received under operating leases as income over the lease term on a straight-line basis.

D. Investment properties:

Properties held to earn rentals and/or capital appreciation are classified as investment property and are measured and reported at cost, including transaction costs and borrowing cost capitalised for qualifying assets, in accordance with the Company's accounting policy.

Depreciation is recognised using straight-line method so as to write off the cost of the investment property less their residual values over their useful lives specified in Schedule II to the Companies Act, 2013. Depreciation method is reviewed at each financial year end to reflect the expected pattern of consumption of the future benefits embodied in the investment property. The estimated useful life and residual values are also reviewed at each financial year end and the effect of any change in the estimates of useful life/

residual value is accounted on prospective basis. Freehold land is not depreciated.

An investment property is derecognised upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on derecognition of property is recognised in the Statement of Profit and Loss in the same period.

E. Inventories:

Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories includes expenditure

incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their present location and condition. In case of manufactured goods (finished goods) and work in progress, cost includes an appropriate share of fixed production overheads based on normal operating capacity.

The method of determination of cost of various categories of inventories is as follows:

1. Raw materials and packing materials Weighted Average Cost:
2. Stores and Spares and Catalyst (yet to be issued) – Monthly Moving Weighted Average Cost;
3. Finished goods – At Cost or NRV whichever is lower
4. Work-in-process (including Ammonia and Manufactured Bulk Urea) – Cost of production. Which comprises of direct material costs, direct wages and applicable overheads.;
5. Traded goods Weighted Average Cost:
6. Goods in transit/under inspection are valued at cost;
7. Off-Spec Manufactured products are Estimated at Net Realizable values.

Catalyst issued to production is charged off over its useful life as assessed by the Technical Department.

Net realizable value represents the estimated selling price, including subsidy income where ever applicable, of inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Non-moving/obsolete stores and spares: The Technical Committee will review the spares once a year and shortlist such spares as are considered obsolete /non moving, the same is written off from the books wit due approvals of the Board. Provision for obsolete / non-moving stores and spares are made upon the review by the Technical Committee once in a year, to reflect the impact of obsolescence, damage or other diminution in value of such items.

F. Revenue Recognition:

Revenue from sale of goods is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, price concessions, incentives, and returns, if any, as specified in the contracts with the customers.

Sale of Goods

Revenue from sale of goods including subsidies is recognised upon transfer of the control over the goods to the customers. The performance obligation in case of sale of goods is satisfied at a point in time i.e., when the goods are shipped to the customers or on delivery to the customer, as per applicable terms.

Accounting of Subsidy

The Company recognizes subsidy income as per Ind AS 20 'Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance' on the basis of the rates notified from time to time by the Government of India in accordance with the notified policies.The subsidy so recognised by the company is considered under 'Revenue from Operations'.

Income from services rendered is recognised based on the agreements/arrangements with the concerned parties and when services are rendered by measuring progress towards satisfaction of performance obligation for such services.

G. Government Grants (Subsidy from GoI):

Government grants are not recognised until there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in statement of profit and loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate. Specifically, government grants whose primary condition is that the Company should purchase, construct or otherwise acquire non-current assets or deducting in the carrying amount of the respective assets.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in the statement of profit and loss in the period in which they become receivable in accordance with the notified policies as under:

i. Subsidy due on urea sales is recognized on the basis of the rates notified from time to time by the Government of India on the quantity of urea sold by

the Company for the period for which notification has been issued after adjusting for increase /decrease on account of annual escalation/ de-escalation in input prices as estimated by the Management considering the policy parameters and norms prescribed from time to time. Adjustments are effected in respect of difference, if any, in the Statement of Profit and Loss for the year in which the final notification is received from the Government of India by carrying out the said adjustments in the subsidy income for the current year

ii. Subsidy on Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers is recognized as per concession rates notified by the Government of India under Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme from time to time on the quantity of fertilizers sold by the Company for the period for which notification has been issued;

iii. Uniform freight subsidy on Urea, P&K fertilizers and Imported Urea has been accounted in accordance with the parameters and notified rates;

iv. Subsidy on City Compost is recognized based on rates, as notified by the Government of India

v. Special Compensation due on conversion of feedstock to LNG is recognised in accordance with the the policy and guidelines notified by Government of India.

Other Income:

a. Income from rentals for properties given on lease to third parties are recognized on accrual basis.

b. All other claims are recognized when there is a reasonable certainty of recovery.

H. Borrowing Costs:

General and Specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use, are added to the cost of those assets, until such time as the assets is substantially ready for their intended use.

Interest income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Capitalisation of borrowing costs is suspended when active development activity on the qualifying assets is interrupted other than on temporary basis and charged to the Statement of Profit and Loss during such extended periods.

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

I. Foreign Currency Translation:

Functional and Presentation Currency:

Items included in the financial statement of the Company are measured using currency of the primary economic environment in which the entity operates ('the functional currency').

India being the primary economic environment of the Company, the Financial Statements are presented in Indian Rupee (INR), which is Company's functional and presentation currency.

Transactions and Balances:

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year end exchange rates are recognized in Profit or Loss.

J. Financial Instruments:

Financial assets and financial liabilities are recognised when a Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit and loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit and loss are recognised immediately in statement of profit and loss.

Financial Assets:

At initial recognition trade accounts receivables (in accordance with Ind AS 115) are measured at their transaction price.

For the purpose of subsequent measurement, financial assets are classified into the following categories:

- amortised cost
- financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

All financial assets except for those at FVTPL are subject to review for impairment at least at each reporting date.

Investments in equity instruments are recognized and subsequently measured at fair value. The Company's equity investments are not held for trading. In general, changes in the fair value of equity investments are recognized in the income statement. However, at initial recognition the Company elected, on an instrument-by- instrument basis, to represent subsequent changes in the fair value of individual strategic equity investments in other comprehensive income (loss) ("OCI").

Cash and Cash Equivalents:

The Company considers all highly liquid financial instruments which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and Cash Equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage. Restricted cash and bank balances are classified and disclosed as other bank balances.

Financial Assets at Amortised cost:

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognised on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as at FVTPL. Interest income is recognised in the statement of profit and loss and is included in the "Other income" line item.

Financial Assets at FVOCI:

On initial recognition, the Company can make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to present the subsequent changes in fair value in other comprehensive income pertaining to investments in equity instruments. This election is not permitted if the equity investment is held for trading. These elected investments are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognised in other comprehensive income and accumulated in the 'Reserve for equity instruments through other comprehensive income'. The cumulative gain or loss is not reclassified to statement of profit and loss on disposal of the investments.

A financial asset is held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Company manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument or a financial guarantee.

Dividends on these investments in equity instruments are recognised in statement of profit and loss when the Company's right to receive the dividends is established, it is probable that the economic benefits associated with the dividend will flow to the entity, the dividend does not represent a recovery of part of cost of the investment and the amount of dividend can be measured reliably. Dividends recognised in statement of profit and loss are included in the 'Other income' line item.

Financial Assets at FVTPL:

Financial assets at FVTPL include financial assets that are either do not meet the criteria for amortised cost classification or that are equity instruments held for trading or that meet certain conditions and are designated at FVTPL upon initial recognition. All derivative financial instruments also fall into this category. Assets in this category are measured at fair

value with gains or losses recognized in profit or loss. The fair values of financial assets in this category are determined by reference to active market transactions or using a valuation technique where no active market exists.

Impairment of Financial Assets:

The Company applies the expected credit loss model for recognising impairment loss on financial assets measured at amortised cost, lease receivables, trade receivables and other contractual rights to receive cash or another financial asset. The expected credit loss approach requires that all impacted financial assets will carry a loss allowance based on their expected credit losses. Expected credit losses are a probability-weighted estimate of credit losses over the contractual life of the financial assets.

For trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions that are within the scope of Ind AS 115, the Company measures the loss allowance at an amount equal to lifetime expected credit losses.

The impairment provisions for trade receivables are based on reasonable and supportable information including historic loss rates, present developments such as liquidity issues and information about future economic conditions, to ensure foreseeable changes in the customer-specific or macroeconomic environment are considered.

Derecognition of financial assets:

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

Financial Liabilities:

The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortised cost are determined based on the effective interest method. Interest expense that is not capitalised as part of costs of an asset is included in the 'Finance costs' line item.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities:

The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. An exchange with a lender of debt instruments with substantially different terms is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, a substantial modification of the terms of an existing financial liability is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognised in the statement of profit and loss.

Offsetting financial instruments:

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the balance sheet when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the counterparty.

K. Fair Value Measurement:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Fair value measurement is the use of fair value (i.e., is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants)

at the measurement date in measuring the assets and liabilities of an entity. The Company opts to follow fair value measurement as per Ind AS 113 viz, in respect of financial assets and financial liabilities as stated in the notes no. 1.2;

L. EarningsPer Share:

The basic Earnings Per Share ("EPS") is computed by dividing the net profit / (loss) after tax for the year attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year, adjusted for bonus elements in equity shares issued during the year and excluding treasury shares. The Company did not have any potentially dilutive securities in the years presented.

M. Employee Benefits:

Short term employee benefits:

Short term employee benefits includes wages, salaries, incentives, short term leave salary etc. The liability towards employee benefits over and above the emoluments payable as per the terms and conditions of the employment are reckoned as a liability in the year in which the approval for the said benefits is approved by the competent authority.

Post-employment benefits:

a. Defined Contribution Plans:

Contributions paid/payable to defined contribution plans comprising of Superannuation and Provident Funds for employees covered under the respective Schemes are recognised in the profit or loss each year when employees have rendered service entitling them to the contributions.

b. Defined benefit plans:

Contributions towards gratuity and provident fund trust are considered as defined benefit plans and provided for in accordance with the Guidelines issued by Department of Public Enterprises. Out of the defined benefit plans in the Company only gratuity is a funded defined benefit plan.

The Company makes Provident fund contributions to the Trust set up by the company, at a specified percentage of the employees' salary. The rate at which the annual interest is payable to the beneficiaries by the trust is being administrated by the government. The company has an obligation to make good the short fall, if any, between the return from the investment of the trust and the notified interest rate.

The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, discounting that amount and deducting the fair value of the plan assets.

The amount of defined benefit obligations is computed annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

Re-measurements of the net defined benefit liability, which comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets (excluding interest) and the effect of the asset ceiling (if any, excluding interest), are recognized immediately in Other Comprehensive Income (OCI). Net interest expense / income, service cost and other expenses related to defined benefit plans are recognized in the statement of profit and loss.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain / loss on curtailment is recognized immediately in the statement of profit and loss. The Company recognizes gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement occurs.

c. Other long-term employee benefits:

Benefits under the Company's earned leave, post- retirement medical benefits and service awards constitute other long term employee benefits and are recognized based on an actuarial valuation using the projected unit credit method. These actuarial gains or losses are recognized in the statement of profit and loss in the period in which they arise.

N. Income Taxes:

Income tax expense comprises current and deferred tax. It is recognized in the statement of profit and loss except to the extent that it relates to a business combination, or items recognized directly in equity or in OCI.

Current Tax:

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment

to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to income taxes, if any. It is measured using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred Tax:

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognized for:

- temporary differences on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit and loss;
- temporary differences related to investments in subsidiaries to the extent that the Company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future; and

Deferred tax assets are recognized for unused tax losses, unused tax credits and deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are adjusted accordingly.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

O. Non-Current Assets held for Sale:

Non-current assets and disposal group are classified as "Held for Sale" if their carrying amount is intended to be recovered principally through sale rather than through continuing use. The condition for classification of "Held for Sale" is met when the non-current asset or the disposal group is available for immediate sale and the same is highly probable of being completed within one year from the date of classification as "Held for Sale".

Non-current assets and disposal group held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less cost to sell. The same are not depreciated or amortized while they are classified as held for sale.

Non-current assets and disposal group that ceases to be classified as "Held for Sale" shall be measured at the lower of carrying amount before the non-current asset and disposal group was classified as "Held for Sale" adjusted for any depreciation/ amortization and its recoverable amount at the date when the disposal group no longer meets the "Held for Sale" criteria.

P. Operating Segments:

In accordance with Ind AS 108 Operating Segments, the operating segments used to present segment information are identified on the basis of internal reports used by the Company's Management to allocate resources to the segments and assess their performance.

The CMD is the Company's 'Chief Operating Decision Maker' or 'CODM' within the meaning of Ind AS 108. The indicators used for internal reporting purposes may evolve in connection with performance assessment measures put in place.

Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the financial statements.

Q. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. The amount recognized as a provision is the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation

at the end of the reporting period. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows. The unwinding of the discount is recognized as finance cost. Expected future operating losses are not provided for.

Contingent liabilities are disclosed when there is a possible obligation arising from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non- occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount cannot be made.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. Contingent assets are not recognized. They are disclosed only when an inflow of economic benefit is probable from such assets.

Provisions, contingent liabilities and assets are reviewed at each balance sheet date.

R. Exceptional Items:

Exceptional items are disclosed separately in the Financial Statements where it is necessary to do so to provide further understanding of the financial performance of the company. They are material items of income or expense that have been shown separately due to the significance of their nature or amount.

S. Current and Non-Current classification:

All the assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in Ind AS 1 Presentation of Financial Statements.

Operating cycle : Based on the nature of products / activities of the Company and the normal time between acquisition of assets and their realisation in cash or cash equivalents, the Company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.

T. Cash flow statement

Cash flow statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed under Ind AS 7 Statement of Cash Flows.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (Loss) for the period is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated.

Critical Accounting estimates and judgments:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities and related disclosures concerning the items involved as well as contingent assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of income and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge of current events and actions, uncertainty about these assumptions and estimates could result in the outcomes, requiring a material adjustment in the carrying amounts of assets or liabilities in future periods. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

₹ in Crores

2 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Land	Buildings	Road, bridges and other facilities	Railway Siding	Plant & Machinery	Automotive and service equipment	Lab equipment	Office equipment	Furniture and fittings	Air Conditioner & Water Coolers	Total
Gross Block											
Balance as on April 1,2023	0.58	10.67	3.33	0.53	320.39	2.24	3.17	5.11	0.71	0.59	347.32
Additons	-	-	-	1.79	16.61	0.41	-	0.43	-	0.03	19.27
Deletions/Adjustments	-	2.83	-	-	0.26	0.04	-	0.02	0.04	0.02	3.21
Reclasified as held for sale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on March 31,2024	0.58	7.84	3.33	2.32	336.74	2.61	3.17	5.52	0.67	0.60	363.38
Additons	-	-	2.94	-	8.38	0.10	-	0.56	-	0.03	12.01
Deletions/Adjustments	-	-	0.01	-	-	-	-	0.33	-	-	0.34
Reclasified as held for sale/ Investment Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on March 31,2025	0.58	7.84	6.26	2.32	345.12	2.71	3.17	5.75	0.67	0.63	375.05
Depreciation/Amortisation											
Balance as on April 1,2023	-	3.09	2.35	0.14	142.51	1.32	2.08	4.68	0.48	0.31	156.96
Additons	-	0.53	0.33	0.03	8.68	0.19	0.15	0.19	0.07	0.05	10.22
Deletions/Adjustments	-	1.86	-	-	0.25	0.04	-	0.02	0.03	0.01	2.21
Balance as on March 31,2024	-	1.76	2.68	0.17	150.94	1.47	2.23	4.85	0.52	0.35	164.97
Additons	-	0.41	0.14	0.14	9.72	0.19	0.13	0.37	0.03	0.05	11.18
Deletions/Adjustments	-	-	0.01	-	-	-	-	0.33	-	-	0.34
Balance as on March 31,2025	-	2.17	2.81	0.31	160.66	1.66	2.36	4.89	0.55	0.40	175.81
Net Block											
As at March 31,2024	0.58	6.08	0.65	2.15	185.80	1.14	0.94	0.67	0.15	0.25	198.41
As at March 31,2025	0.58	5.67	3.45	2.01	184.46	1.05	0.81	0.86	0.12	0.23	199.24

Notes:

a) The Company has elected the previous GAAP carrying amounts as deemed cost on the date of transition for Property, plant & equipment. Hence, net block as at March 31, 2016 is considered as opening gross block as at April 1, 2016.

b) Land Includes: ₹ 0.12 Cr being payment for 297.75 acres out of 329.40 acres handed over to the Company by the Tamilnadu Government and is subject to communication of final value by the Government. Howerver Govt. of Tamilnadu has demanded a sum of Rs 0.43 Crs towards the Balance Land of 31.65 acres which is shown under Contingent Liability.

c) Includes ₹ 0.08 Cr representing 5/24 share of total cost of the Railway Siding commonly used by Chennai Petroleum Corporation Limited, Madras Fertilizers Limited, Madras Petrochem Limited, Steel Authority of India Limited and Rashtriya Ispat Nigam Limited.

d) As indicated in the significant accounting policy, the useful life of the Plant & Equipment was extended for a period of 15 years (other than NPK Plant which has an extended life of 10 years) w.e.f 01.04.2021 consequent upon the technical assessment of the useful life of the Plant & Equipment on conversion of feedstock from Naptha to RLNG. The depreciation on Plant & Equipment includes Rs.11.18 crores which has been provided taking into consideration the revised estimated life.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

2.1: Right of use assets

Particulars	Land
Gross Block	
Balance as on April 1,2023	1.71
Additons	-
Deletions/Adjustments	-
Reclasified as held for sale	-
Balance as on March 31,2024	1.71
Additons	-
Deletions/Adjustments	-
Reclasified as held for sale	-
Balance as on March 31,2025	1.71
Depreciation/Amortisation	
Balance as on April 1,2023	1.64
Additons	0.07
Deletions/Adjustments	-
Balance as on March 31,2024	1.71
Additons	-
Deletions/Adjustments	-
Balance as on March 31,2025	1.71
Net Block	
As at March 31,2024	-
As at March 31,2025	-

3: Investment Property

Particulars	Land	Buildings
Gross Block		
Balance as on April 1,2023	1.27	0.33
Additons	-	-
Deletions/Adjustments	-	-
Reclasified as held for sale	-	-
Balance as on March 31,2024	1.27	0.33
Additons	-	-
Deletions/Adjustments	-	-
Reclasified as held for sale	-	-
Balance as on March 31,2025	1.27	0.33
Depreciation/Amortisation		
Balance as on April 1,2023	-	0.27

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

Investment Property

Particulars	Land	Buildings
Additons	-	0.01
Deletions/Adjustments	-	-
Balance as on March 31,2024	-	0.28
Additons	-	0.01
Deletions/Adjustments	-	-
Balance as on March 31,2025	-	0.29
Net Block		
As at March 31,2024	1.27	0.05
As at March 31,2025	1.27	0.04

	Particulars	As at March 31st 2025	As at March 31st 2024
2:	Property, plant and equipment		
	Gross Block	375.04	363.37
	Less: Depreciation	(175.80)	(164.97)
	Net Block	199.24	198.41
2.1:	Right of use assets		
	Land	-	1.71
	Less: Depreciation	-	(1.71)
	Total	0.00	0.00
2.1.2:	Intangible Asset		
	Gross Block	6.81	-
	Less: Depreciation	(0.44)	-
		6.37	0.00
2.2:	Capital Work-in-progress		
	(Refer Note No.29 (A) (i))		
	Capital Work in Progress -Tangible Assets		
	Balance as at beginning of the year	21.02	11.69
	Add: Additions during the year	3.38	16.79
	Less: Transfer to Property, Plant and Equipment (Note 2)	(4.60)	(7.17)
	Less: Other Allocation/ Adjustment during the year,if any	-	(0.29)
	Less: written off/de-recognised during the year,if any	-	-
		19.80	21.02
	Capital Goods in Transit		
	Balance as at beginning of the year	-	-
	Add: Additions during the year	-	-
	Less: Transfer to Property, Plant and Equipment (Note 2)	-	-
		-	-
	Total	19.80	21.02

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	2024
2.3:	**Intangible Asset under development**		
	Balance as at beginning of the year	4.39	1.70
	Add: Additions during the year	2.42	2.69
	Less: Transfer to Property, Plant and Equipment (Note 2)	(6.81)	-
		-	4.39
4:	**Financial Assets -Investments**		
	Unquoted Equity Instruments at FVTOCI		
	(a) Indian Potash Limited	523.33	453.45
	15,84,000 Equity Shares (P.Y 15,84,000) of ₹ 10 each fully paid.		
	(b) Fortune Bio-Tech Ltd	1.54	1.32
	12,50,000 Equity shares (P.Y 12,50,000) of ₹ 10 each fully paid.		
	Less: Expected Credit Loss Allowance	-	-
		1.54	1.32
	Total	524.87	454.77
	Aggregate Amount of unquoted investments	524.87	454.77
	Aggregate Amount of impairment in value of investments	-	-
4.1.a:	**Loans (Non-current)**		
	Advances to Employees		
	Considered good- Unsecured	0.41	20.85
	Total	0.41	20.85
4.1.b:	**Loans (Current)**		
	Advances to Employees		
	Considered good- Unsecured	10.18	0.55
	Total	10.18	0.55
4.2.a:	**Other Financial Assets (Non-current)**		
	Rental Deposits	0.28	0.28
	Income Tax Refunds	2.61	2.61
	Total	2.89	2.89
4.2.b:	**Other Financial Assets (Current)**		
	Receivables towards Rent/Services	2.33	0.87
	Receivables towards Asset held for Sale	2.78	2.78
	Claims recoverable	5.12	7.87
	Income Tax Refunds	6.16	-
	Less: Expected Credit Loss Allowance	(1.39)	(1.39)
	Total	15.00	10.13

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	2024
5.1.a:	**Deferred Tax Assets/(Liability) (Net)**		
	A.Deferred Tax Asset		
	i.Expenditure allowable on payment basis	14.21	16.00
	ii.Other timing differences	-	-
	iii. Unabsorbed tax lossess	-	-
	TOTAL	14.21	16.00
	B.Deferred Tax Liability		
	i. Depreciation	26.25	23.96
	ii. Fair Value of Investments	74.53	101.13
	iii.Other timing differences	-	-
	TOTAL	100.78	125.09
	Total	(86.57)	(109.09)
5.1.b:	**Current Tax Assets/(Liability) (Net of Provision)**		
	Advance Income Tax	40.27	6.80
	Tax Deducted at Source	4.14	3.10
	Less:		
	Provision for Taxation	(23.20)	(5.00)
	Total	21.21	4.90
6:	**Other Non-Current Assets**		
	Deposits with government departments and others	19.65	17.53
	Balances with customs, port trust and excise authorities	0.44	-
	Total	20.09	17.53
7 :	**Inventories**		
	For Operations		
	(a) Raw materials	37.33	28.72
	Add : Raw materials in transit	-	-
		37.33	28.72
	(b) Work in progress	53.75	76.21
	(c) Finished goods		
	- Fertilizers	27.10	8.96
	- Agro Chemicals		
	(d) Stores and Spares	86.20	82.33
	Add: Stores in transit	-	1.21
	Less: Provision for obsolete Stores / Spares	(1.08)	-
		85.12	83.54

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	2024
	(e) Catalysts		
	- In use	0.19	0.54
	- Not in use (available in Stores)	2.78	2.26
	(f) Packing Materials	3.33	6.02
	Total	209.60	206.25
8 :	Trade Receivables (Current)		
	(Refer Note No.29 (A) (ii))		
	Towards Subsidy		
	(a) Considered Good Unsecured*	382.21	321.20
	Towards Sale of Goods		
	(a) Considered Good Secured	0.72	0.11
	(b) Considered Good Unsecured		
	(c) which have significant increase in credit risk		
	(d) Credit Impaired	3.73	3.73
		4.45	3.84
	Less: Expected Credit Loss Allowance	(3.73)	(3.73)
		0.72	0.11
	Total	382.93	321.31

*The above sum include Rs. 169.39 Cr eligible susidy realisable on stock of Urea, NPK and City Compost remining unsold with dealers as at the year end

Trade receivables are neither due from directors or other officers of the Company either severally or jointly with any other person, nor any trade or other receivables are due from firms or private companies respectively in which any director is a partner, a director or a member.

9:	Cash and Cash Equivalents		
	Cash on hand	0.00	0.00
	Balances with Banks		
	In Current Account	132.88	0.01
	In Deposit Account (Maturity < 3 months)	507.00	551.13
	Accured Interest Bank Deposit	12.26	10.82
	Total	652.14	561.96
9.a:	Bank Balances other than Cash and Cash Equivalents		
	Margin Money Depsoits	13.18	12.41
	Accured Interest Margin Money Deposits	0.75	0.70
	Total	13.93	13.11

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	2024
10 :	**Other Current Assets**		
	Unsecured, considered good unless otherwise stated		
	Prepaid expenses	11.00	14.25
	GST Input Credit	190.57	173.93
	Advances to Suppliers,Employees,etc.,	2.35	3.67
	Dismantled/Scrapped Assets	-	0.02
	Recoverable from Vendor - GST ITC	-	13.78
		203.92	205.65
	Less: Provision for un-utilised GST ITC	(50.54)	(37.57)
	Total	153.38	168.08
	Assets Held for Sales	0.00	0.00

11:	**Equity Share Capital**		
	Authorised :	365.00	365.00
	17,50,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	175.00	175.00
	19,00,00,000 Preference Shares of Rs.10/- each	190.00	190.00
	Issued, Subscribed and paid-up :		
	16,11,01,300 Equity Shares of Rs.10/- each fully paid up	161.10	161.10
	Forfeited Shares:		
	20,76,600 Equity Shares of Rs.5/- paid up	1.04	1.04
	Total	162.14	162.14

a) Rights, preferences and restriction relating to each class of share capital:

Equity shares: The Company has one class of equity shares having a face value of Rs.10 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the Shareholders in the ensuing Annual General Meeting, except in the case of interim dividend.

In the event of liquidation of the Company, the shareholders will be eligible to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Preference shares: The Company has a class of preference shares having face value of Rs.10 per share with such rights, privileges and conditions respectively attached thereto as may be from time to time confirmed by the regulations of the company. No such preference shares are issued and outstanding as of March 31, 2025 (2024: Nil)

b) Particulars of shareholders holding more than 5% shares of equity shares

Equity shares of ₹ 10 each fully paid-up held by -	No.of Shares(%)	No.of Shares(%)
Promoter		
Hon'ble President of India	95851700 (59.50%)	95851700 (59.50%)
Others		
Naftiran Intertrade Co. Ltd	41516500 (25.77%)	41516500 (25.77%)
Public (collectively)	25809700 (14.73%)	25809700 (14.73%)

No % change in the share holding of promoters

12 : Other Equity

Other Reserves:		
Securities premium*		
Opening balance	12.39	12.39
Addition / (utilization) during the period		
Closing balance	12.39	12.39
Retained Earnings		
Opening Balance	(716.55)	(722.10)
Add: Profit/ (Loss) for the year	64.25	5.55
Add: Other Comprehensive Income recognized directly in Retained Earnings	-	-
Closing balance	(652.30)	(716.55)
Other Comprehensive Income		
Opening Balance	352.30	260.51
Add/(Less) : During the year	93.17	91.79
Closing balance	445.47	352.30
Total	(194.44)	(351.86)

*Securities premium is used to record the premium received on issue of shares. It is utilized in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013

13.1.a : Financial Liabilities -Borrowings (Non-current)

Unsecured loans		
Government of India ('GOI') loan	-	-
Term Loans from Bank	-	-
Total	-	-

13.1.b : Financial Liabilities -Borrowings (current)

Secured Loans		
Cash credit from banks	109.92	153.43
Buyer's Credit	-	-

(Secured by hypothecation of inventories and book debts including GOI subsidy receivable with first charge on plant and machinery and an equitable mortgage on the land at Manali both present and future.)		
Unsecured Loans		
GOI loan - current portion:		
- Principal	554.24	554.24
- Interest accrued and due	930.15	875.57
Term Loans from Bank	-	-
Total	1,594.31	1,583.24

GOI loans are obtained for revamp which is specifically to be used for the revamp of plant used to manufacture fertilizers, plan loan which is used for capital expenditure and non plan loans for the working capital needs of the Company. These are unsecured in nature. The loan carries a fixed rate of interest as below:

- Revamp loan - 7%
- Plan loan - I Tranch @ 7%, II Tranch @ 12.50% and III Tranch @ 11.50%
- Non plan loan - I Tranch @ 7% and II Tranch @ 15.50%

The said loans were availed in the period 2003 to 2012 and are repayable in 10 equal annual instalments which begin after a moratorium period of 2 years. The current portion of GOI loans due within one year have been disclosed under Note 13.1.b

13.2.a : Lease Liabilities (Non-current)

Land	-	-
Total	-	-

13.2.b : Lease Liabilities (Current)

Land	-	-
Total	-	-

13.3 : Other Financial Liabilities (Current)

Interest accrued but not due on loans	15.55	15.55
Statutory Dues	9.91	14.32
Dealer Deposits	69.68	68.36
Capital Creditors	0.39	3.61
Others	2.05	8.08
	97.58	109.92

14.1.a. Employee Benefit Obligation (Non-current)

Provisions towards Employee Benefits : Non-current

Post Retirement medical benefits	1.25	1.05
Leave encashment	10.42	9.71

	Service awards	0.77	0.60
	Gratuity	28.91	28.69
	Superannuation	-	6.42
	Total	41.35	46.47

14.1.b : **Employee Benefit Obligation (Current)**

Provision towards Employee Benefits: Current

	Post Retirement medical benefits	0.16	0.14
	Leave encashment	7.51	4.71
	Service awards	0.24	0.15
	Gratuity	7.21	7.17
	Total	15.12	12.16

15 : Other Non- Current Liabilities

	Rent received in advance	-	0.40
	Total	-	0.40

16 : Trade Payables

(Refer Note No.29 (A) (iii))

Trade Payables

	Secured	336.54	220.69
	Unsecured	47.67	62.45
	- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	29.81	22.89
	- Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	354.40	260.25
	Total	384.21	283.14

Secured against the following:

Dues to IOC ₹ 316.68 Cr (March 31, 2024 ₹ 220.69 Cr) against Credit Limit of 44 days, for which bank guarantee issued for ₹ 110.00 Cr.

17 : Other - Current Liabilities

	Advance from Customers	18.86	18.29
	Rent received in advance	-	0.12
	GAIL - Pool Account*	16.79	24.09
	Due to Employees	10.86	10.29
	POS Machine Fund Account	-	-
	Total	46.51	52.79

*Amount Payable to GAIL (Pool Operator) on account of Gas Pool Account amounting to ₹ 16.79 Cr (CPLY Trade Receivable ₹ 24.09 Cr).

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	As at March 31st 2024
18 :	Revenue from Operations (Net)		
	Sale of Products (Net of GST)		
	Manufactured Goods	362.79	226.99
	Traded Goods	21.00	16.74
		383.79	243.73
	Less: Rebates	-	-
	Net Sales	383.79	243.73
	Subisdy from Government:		
	Manufactured Goods-Urea Subsidy		
	Price Subsidy	2,110.30	1,937.70
	Freight Subsidy	57.18	46.22
		2,167.48	1,983.91
	Manufactured Goods-NPK		
	Price Subsidy	(10.32)	(0.97)
	Freight Subsidy	-	-
		(10.32)	(0.97)
	Traded Goods-City Compost		
	Price Subsidy	0.45	
		0.45	-
	Other Operating Income:		
	Exchange Rate Fluctuation	-	-
	Sale of Scrap	0.45	0.82
	Other Operative Income	-	0.92
	Total	2,541.85	2,228.42

Note :The procedure for release of subsidy has been revised with the introduction of Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme in a phased manner for all fertilizers. The revised procedure entails 100% payment of subsidy under DBT scheme on the basis of actual sale by the retailers to the beneficiaries on weekly basis through POS machines.

Pursuant to above procedure, pending sale of Urea totalling 38837.670 MT through POS machine to beneficiaries as on March 31,2025, subsidy of ₹ 151.30 Cr which has accrued on sale to dealers but shall become due for payment under DBT upon sale through POS machines has been recognized in the current period (CPLY quantities 36086.01 MT and subsidy ₹ 169.41 Cr).

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	As at March 31st 2024
19 :	**Other Income**		
	Interest income under Effective Interest Method:		
	From Bank and Others	36.23	25.62
	Dividend Income - Non-Current Investments	1.19	1.11
	Exchange Rate Fluctuation	-	-
	Profit on sale of Property, Plant and Equipment (Net)	-	0.00
	Insurance Claim	-	-
	Rental Income	1.83	3.73
	Provision No Longer required/Written Back of Accounts	2.81	11.01
	Reversal of Impairment of Investments	-	0.19
	Others*	1.90	2.60
	** Includes Liquidated damages and sale of tender documents*		
	Total	43.96	44.26
20 :	**Cost of Materials Consumed**		
	Opening Stock	28.72	42.24
	Add: Purchases	1,396.25	1,235.21
		1,424.97	1,277.45
	Less:		
	Filler Consumed for TAR	-	(0.01)
	Stock Loss	-	(12.51)
	Closing Stock	(37.33)	(28.72)
	Total	1,387.64	1,236.21
21 :	**Purchase Stock in Trade**		
	Agrochemicals	5.40	4.59
	Organic manure	5.07	3.38
	City compost	2.69	2.98
	PROM	1.41	-
	FOM	0.50	-
	Total	15.07	10.95
22 :	**Changes in Inventories**		
	Opening stock		
	Finished goods	8.96	14.94
	Work in progress	76.21	79.47
		85.17	94.41

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	As at March 31st 2024
	Less : Closing stock		
	Finished goods	(27.10)	(8.96)
	Work in progress	(53.75)	(76.21)
	Stock Loss	-	(43.81)
	Total	4.32	(34.56)
23:	**Operating and Maintenance Expenses**		
	Consumption of Stores, Spares & Packing materials	33.89	23.71
	Power,Water & Fuel	677.53	593.27
	Repairs and maintenance		
	Plant and machinery	20.29	46.81
	Bulidings	0.29	2.85
	Computers & other assets	0.92	0.84
	Transportation and warehousing		
	Transportation and warehousing	73.16	63.53
	Secondary freight	6.34	1.03
	Warehouse rent	0.05	0.04
	Insurance	9.84	9.04
	Finished product handling	22.36	28.55
	Total	844.67	769.65
24:	**Employee Benefit Expenses**		
	Salaries, wages and bonus	100.40	73.95
	Contribution to provident and other funds	16.34	19.90
	Welfare expenses	10.49	8.46
	Total	127.23	102.30
25:	**Finance Costs**		
	Interest on term loans:		
	From GOI	54.58	54.58
	From Bank	4.92	3.06
	Other borrowings:		
	Interest expenses on		
	Lease deposits	-	-
	Dealer deposits	1.17	5.94
	Trade Advances	-	-
	Deferred Credit	-	0.07

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

Particulars	As at March 31st 2025	2024
Unwinding Financial Cost	0.61	0.98
Others*	1.86	7.58
* Includes interest on bills negotiation, cash discount given to customers & interest to SKLS ₹ 0.36 Cr awarded by Arbitrator		
Total	63.14	72.21
26: Depreciation and Amortisation Expenses		
Depreciation - PPE, Intangible Asset & Investment Property	11.19	10.22
Depreciation - Right to Use (Lease)	-	0.07
	0.44	-
Total	11.63	10.29
27: Other Expenses		
Payment to statutory auditors		
Statutory audit	0.10	0.08
Tax audit	0.02	0.02
Certification	0.18	0.10
Others		
Rent	1.97	2.02
Rates and taxes	1.60	16.59
Directors' expenses	0.23	0.19
Agro services/ information expenses	1.02	0.46
Advertising and publicity	0.38	0.01
Exchange Rate Fluctuation	-	-
Bank charges	4.53	3.34
Security charges	5.23	3.55
Contract labour	5.73	2.39
Car rentals	1.28	1.37
Travel expenses	0.44	1.06
Postage and telecom expenses	0.28	0.27
Loss on derecognition of Property Plant and equipment	0.02	0.99
Provision for unutilised GST ITC	12.97	-
Provision for obsolete Stores and Spares	1.08	-
CSR - Expenses	-	6.33
Miscellaneous expenses	3.46	5.01
Total	40.52	43.77

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

	Particulars	As at March 31st 2025	As at March 31st 2024
27A:	**Exceptional Items**		
	Exceptional items	-	
	Loss of Inventory due to Michaung Cyclone	-	56.31
	Compensation for grant of Right to use - Land	-	(6.32)
	Total	-	49.99
28 :	**Other Comprehensive Income**		
	Items that will not be Re-classified to Profit and Loss		
	Fair Value Change of Non-Current Investments	70.09	117.59
	Remeasurement of Defined Benefit plan	(4.70)	0.85
	Less : Change in Asset Ceiling under para64(b) of IND AS 19	-	-
	Less : Tax (expenses)/benefit on the above	27.78	(26.65)
	Total	93.17	91.79
	Income Tax		
	Income Tax - Current Tax	23.20	5.00
	Income Tax - Earlier year Tax	(1.11)	0.39
		22.09	5.39

Note No : 29

(A). Ageing Analysis for Capital work in progress, Trade Receivables and Trade Payables in accordance with the Schedule III of the Companies Act,2013:

i. Capital Work-in-Progress

(a) Ageing schedule of capital work in progress as on 31st March 2025 is given below:

Particulars	Amount in Capital Work in Progress for a period of				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Projects in progress	3.37	14.52	0.24	1.67	19.80
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	3.37	14.52	0.24	1.67	19.80

(b) Ageing schedule of capital work in progress as on 31st March 2024 is given below:

Particulars	Amount in Capital Work in Progress for a period of				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Projects in progress	17.41	1.94	0.59	1.08	21.02
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	17.41	1.94	0.59	1.08	21.02

(c) Ageing schedule of Intangible Asset under Development as on 31st March 2025 - Nil.

(d) Ageing schedule of Intangible Asset under Development as on 31st March 2024 is given below:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

Particulars	Amount in Capital Work in Progress for a period of				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Projects in progress	2.69	1.70	-	-	4.39
Projects temporarily suspended		-	-	-	-
Total	2.69	1.70	-	-	4.39

(e) Capital-Work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as on 31st March 2025 - Nil

(f) Capital-Work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as on 31st March 2024.

Particulars	To be competed in				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Dedicated RO Plant	-	-	4.24	-	4.24
Total	-	-	4.24	-	4.24

Note No. 29 (A) ....(Contd..)

ii. Trade Receivables -Current

(a) Ageing schedule of trade receivables as on 31st March 2025 are as under:

Particulars	Receivables not due	Outstanding for following periods from due date of payments*					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Towards Subsidy							
(a) Considered Good Unsecured (A)	-	241.15	6.35	50.55	38.99	45.17	382.21
Towards Sale of Goods							
(a) Considered Good Secured	-	0.72	-	-	-	-	0.72
(b) Considered Good Unsecured	-	-	-	-	-	-	-
(c) which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
(d) Credit Impaired-Disputed	-	-	-	-	-	3.73	3.73
	-	0.72	-	-	-	3.73	4.45
Less: Expected Credit Loss Allowance	-	-	-	-	-	(3.73)	(3.73)
(B)	-	0.72	-	-	-	-	0.72
Total (A+B)	-	241.87	6.35	50.55	38.99	45.17	382.93

* Date of Transaction is considered as due date of payments

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

(b) Ageing schedule of trade receivables as on 31st March 2024 are as under:

Particulars	Receivables not due	Outstanding for following periods from due date of payments*					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Towards Subsidy							
(a) Considered Good Unsecured (A)	-	230.34	-	31.61	19.39	39.86	321.20
Towards Sale of Goods							
(a) Considered Good Secured	-	0.11	-	-	-	-	0.11
(b) Considered Good Unsecured	-	-	-	-	-	-	-
(c) which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	-
(d) Credit Impaired-Disputed	-	-	-	-	-	3.73	3.73
	-	0.11	-	-	-	3.73	3.84
Less: Expected Credit Loss Allowance	-	-	-	-	-	(3.73)	(3.73)
(B)	-	0.11	-	-	-	-	0.11
Total (A+B)	-	230.45	-	31.61	19.39	39.86	321.31

* Date of Transaction is considered as due date of payments

iii. Trade Payables

(a) Ageing schedule of trade payables as on 31st March 2025 are as under:

Particulars	Unbilled Payables	Outstanding for following periods from due date of payments*				Total
		Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
i) Outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	-	29.75	0.06	-	-	29.81
ii) Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	-	344.28	0.05	0.12	9.95	354.40
iii) Disputed outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	-		-	-	-	-
iv) Disputed outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	-		-	-	-	-
Total	-	374.03	0.11	0.12	9.95	384.21

*Date of transaction is considered as due date of payment.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

(a) Ageing schedule of trade payables as on 31st March 2024 are as under:

Particulars	Unbilled Payables	Outstanding for following periods from due date of payments*				Total
		Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
i) Outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	-	22.53	0.36	0.00	-	22.88
ii) Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	1.54	256.24	1.37	0.86	0.25	260.25
iii) Disputed outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	-		-	-	-	-
iv) Disputed outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	-		-	-	-	-
Total	1.54	278.77	1.73	0.86	0.25	283.14

*Date of transaction is considered as due date of payment.

₹ in Crores

Note No. 29

(B). Information of goods Manufactured and Traded, value of Prodcution, Stocks ,Consumption, Value of Imports expenditure and Expenditure in Foreign Exchange:

(a) Installed capacities:	March 31, 2025	March 31, 2024
	Quantity MT	Quantity MT
Ammonia	346,500	346,500
Urea	486,750	486,750
NPK	280,000	280,000
Bio fertilizers	400	400

(b) Production	March 31, 2025	March 31, 2024
	Quantity MT	Quantity MT
Ammonia	326,260	252,140
Neam-Urea	528,400	432,500
NPK 17-17-17	-	-
NP 20-20-0	-	-
Bio fertilizers	-	-

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

(c) Purchase of Stock in Trade :	March 31, 2025		March 31, 2024	
	Quantity MT	Amount (Rs. In Cr)	Quantity MT	Amount (Rs. In Cr)
Agro chemicals		5.41		4.59
Organic manure	15,982	5.07	10,740	3.38
City compost	9,996	2.69	11,307	2.98
PROM	1,755	1.41		
FOM	1,238	0.49		
	28,971	15.07	22,047	10.95

(d) Gross sales	March 31, 2025		March 31, 2024	
	Quantity MT	Amount (Rs. In Cr)	Quantity MT	Amount (Rs. In Cr)
Manufactured product				
Neem Urea	522,932	274.16	427,836	224.30
NPK 17-17-17	-	-	-	-
NP 20-20-0	-	-	-	-
Carbon-di-oxide *	-	-	-	-
Bio Fertilizers	-	-	-	-
Ammonia Sales	21,209	88.63	545	2.69
Bought Fertilizers				
Agro chemicals	-	6.93		6.49
Organic manure	15,982	7.51	10,740	5.07
City compost	9,996	4.59	11,307	5.18
PROM	1,755	1.47	-	-
FOM	1,238	0.50	-	-
	573,112	383.79	450,428	243.73

* By Product

(e) Stocks	March 31, 2025		March 31, 2024	
	Quantity MT	Amount (Rs. In Cr)	Quantity MT	Amount (Rs. In Cr)
(i) Opening stock				
(a) Finished product				
Neem Urea	1,693	8.51	2,691	14.24
NPK 17-17-17	123	0.44	196	0.70
NPK 20-20-0-13	-	-	-	-
Bio Fertilizers				
(b) Work in progress				
Manufactured products				
Ammonia	5,647	52.87	4,799	40.08
Urea-bulk	4,732	23.33	7,587	39.39
	12,195	85.15	15,273	94.41

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

(ii) Closing stock				
(a) Finished product				
Manufactured products				
Neem Urea	6,678	26.66	1,693	8.51
NPK 17-17-17	123	0.44	123	0.44
Bio Fertilizers	-	-	-	-
(b) Work in progress				
Manufactured products				
Ammonia	6,475	33.66	5,647	52.87
Urea-bulk	5,214	19.80	4,732	23.33
	18,490	80.56	12,195	85.15
(c) Stock losses				
Neem Urea	23	-	115	-
NPK 17-17-17	-	-	-	-

Particulars	March 31, 2025		March 31, 2024	
	%	Amount	%	Amount
Indigenous				
RLNG/ Naphtha		1828.60		1646.32
Others		4.49		2.61
Total (%)	100	1833.09	100	1648.93
Imported				
Urea		0.00		0.00
Potash		0.00		0.00
Phosphoric Acid		0.00		0.00
Total (%)	0	0.00	16	0.00
	100	1833.09	100	1648.93
Components and Spares				
Imported (%)	10	1.04	19	7.14
Indigenous (%)	90	8.90	81	30.59
	100	9.94	100	37.73

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

₹ in Crores

CIF value of imports				
Raw materials				
Components and spares		3.00		3.98
		3.00		3.98
		March 31, 2025		March 31, 2024
	Quantity MT	Amount	Quantity MT	Amount
Expenditure in foreign currency				
Books and periodicals		-		-
Travel (Business, Seminar, Conference, etc.)		-		
		0.00		0.00

Note No:29

(C). Analytical Ratios in accordance with the Schedule III of the Companies Act,2013:

Sl.No	Particulars	Numerator	Denominator	As at March 31st		Variance (in %)	Reason for Variance
				2025	2024		
a.	Current Ratio (in times)	Current Assets	Current Liabilities	0.68	0.63	8.26%	
b.	Debt-Equity Ratio (in times)	Total Debt (1)	Shareholder's Equity	-49.36	-8.35	491.43%	Gov. of India loan increased due to interest added with principle.
c.	Debt Service Coverage Ratio (in times)	Earnings available for debt service (2)	Debt Service (3)	17.88	5.61	218.54%	Increase in profit due to higher capacity utilisation.
d.	Retun on Equity (ROE) (%)	Net profit after taxes	Average Shareholders's Equity Capital	-57.87%	-46.77%	23.74%	Plant shutdown due to Michaung Cyclone and flooding lead to lower capacity utilization and fall in revenue.
e.	Inventory Turnover Ratio (in times)	Revenue from Operations (Excl. Subisdy Income)	Average Inventory	1.85	1.19	55.47%	
f.	Trade Receivables Turnover Ratio (in times)						
	- Towards Sale of Goods	Net Credit Sales	Average Trade Receivables -Sale of Goods	51.15	0.83	6062.12%	Decrease in Credit Sales.
	- Towards Subsidy	Revenue from Operations-Subsidy Income	Average Trade Receivables-Subsidy	6.13	4.27	43.64%	

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

g.	Trade Payables Turnover Ratio (in times)	Net Credit Purchase	Average Trade Payables	4.18	8.09	-48.38%	Due to reduction in credit purchase
h.	Net Capital Turnover Ratio (in times)	Revenue from Operations	Working Capital	-3.74	-4.66	-19.71%	Due to blockage of funds in current assets and dependence on bank borrowings
i.	Net Profit Ratio (%)	Net profit after taxes	Revenue from Operations	2.53%	5.38%	-53.02%	
j.	Return on Capital Employed (ROCE) (%)	Earning before interest and taxes	Capital Employed (4)	7.73%	20.45%	-62.21%	
k.	Return on Investments (ROI) (%) -Unquoted	Income generated from Investments	Average Investments	40553%	26016%	55.88%	Increase in OCI

(1) Including lease liabilities

(2) Net profit after taxes + Non-Cash Operating Expenses + Interest + Other adjustments like loss on sale of PPE etc.,

(3) Including lease payments made during the year

(4) Tangible Networth + Total Debt + Deferred Tax liabilities + Lease Liabilities

NOTES TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Note No.30: Other Notes forming part of Standalone financial statements

1. Contingent/Disputed Liability (₹ Cr)

S.No	Particulars	As on March 31,	
		2025	2024
1.	Claims on the Company not acknowledged as debts' Contractors / Suppliers / Vendors		
	- SICGIL India Ltd	8.01	7.42
	- Davey Products	-	1.60
	- Keerthana Enterprise	0.52	0.46
	- M V Seshachary	1.20	0.63
2.	Tax liabilities pending for settlement at various Forum -		
	Custom Duty - Appeal pending in High Cort of Madras	65.86	65.86
	Goods and Services Tax - Tamil Nadu - Appeal pending in First Appellant Authority for the FY 2017-18	1.94	1.79
	Goods and Services Tax - Tamil Nadu - Writ Petition pending before High Court of Madras for the FY 2018-19 and 2019-20	236.64	216.16
	Goods and Services Tax - Karnataka - As per Show Cause Notice received for the FY 2021-22	-	0.85
	Income Tax - Appeal for FY 2017-18 pending for disposal before CIT(A)	7.22	7.22
	Commercial Tax Kerala - Appeal filed by the department pending in the supreme court	5.11	5.11
	TDS Demand as per TRACES portal pending for correction to be made by the company	0.20	0.34
	Claims preferred by local authorities - Demand for increase in rent by CMWSSB - Representation made by the company pending for disposal	79.92	26.64
3.	Others		
	Gratuity claimed by separated employees - 2007 revision	2.85	2.85
	Gratuity claimed by separated employees - 2017 revision	5.70	5.70
	Demand for compensation for 31.65 acres made by Govt of Tamil Nadu for land in Manali	0.43	0.43
	As per show cause notice of Noncompliance of Emission norms by Tamil Nadu Pollution Control Board -Representation made by the company pending for disposal	0.37	0.37
	Penal Interest on GOI Loans	394.68	351.68
	Letters of Credit and Bank Guarantees	105.18	111.69

Capital and Other commitments (In Cr)

S.No	Particulars	As on March 31,	
		2025	2024
1.	Capital expenditure contracted for at the end of the reporting period but not recognized as liabilities is as follows (Net of Advances)	2.14	8.21
2.	Other Commitments	5.06	6.87

*Claims against the company not acknowledged as debt include following:

a. The Company suspended the supply of Carbon di-oxide (CO2) to SICGIL India Limited,(SICGIL) since they defaulted in its payments as per the terms of the contract. SICGIL invoked arbitration proceedings and got an award in their favour for ₹3.25 Cr after adjusting the amount due to the Company of ₹0.03 Cr. Along with the interest @18%. Further the arbitrator has awarded the company to reimburse the cost of arbitration of ₹0.08 Cr with interest @ 6% to the SICGIL.

   The company has filed an appeal against the said award before Hon'ble Madras High Court, which got dismissed on 09.08.2021. The company had preferred an appeal before the Divisional Bench of the Hon'ble Madras High Court and the matter is pending for final disposal by divisional bench. As per Arbitration award, the probable outflow till 31st March,2025 works out to ₹8.01 Cr inclusive of interest of ₹4.71 Cr (PY-₹7.42 Cr inclusive of interest of ₹4.12 Cr).

b. M/s Keerthana Enterprises having canteen contract with the Company has filed the petition before MSME forum by claiming a dues of principal ₹0.31 Cr (PY-₹0.31 Cr) and interest of ₹0.06 Cr (PY – ₹0.06 Cr) for the non-payment of dues as per the provisions of MSMED Act 2006. The company is of the view that there is no such liability.

c. An ex-employee of the company [Mr M V Seshachary (E.No.2226)] was dismissed and reinstated as per the Court Order. The High Court of Telangana also awarded a sum of Rs.0.91 Cr towards back wages. The company has deposited a sum of Rs.0.35 Cr as deposit in the Court. During the current FY, the said employee has lodged a claim of Rs.2.04 Cr, consisting of various claims in the NCLT. The company has not accepted the said claim and is in the process of contesting in the appropriate legal forum. The company has made a provision in the books for Rs.0.84 cr consisting of - Rs.0.63 Cr towards back wages and Rs.0.22 Cr towards interest, pending the filing of appeal for the disposal of the claim made by the employee as stated above. The remaining amount of the disputed claim of Rs.1.20 Cr is considered as a contingent liability.

d. Commissioner of Customs ordered the company for the differential customs duty of ₹65.86 Cr (inclusive of penalty and redemption fine of ₹32.88 Cr and ₹0.10 Cr) (PY-₹65.86 Cr) against which the company has filed a case before the CESTAT, South Zone, Chennai by depositing ₹0.05 Cr. The CESTAT has set aside the demand and remanded the matter to the original adjudicating authority to first decide the issue of jurisdiction after availability of decision of Hon'ble Supreme Court in the case of M/s Mangli Impex. Against the said remanded order, Commissioner of Customs has filed Civil Miscellaneous Appeal (CMA) before Hon'ble High Court of Madras which is pending.

e. Tamil Nadu GST Authorities conducted GST audit for the following financial years and tax demand raised, Company contested the same.

YEAR	GST	INTEREST	PENALTY	TOTAL	REMARKS
2017-18	82,40,548.00	1,03,09,942.00	8,29,430.00	1,93,79,920.00	Appeal filed with appellate Authority is pending for disposal
2018-19	56,10,82,204.00	60,09,88,215.00	5,61,08,688.00	1,21,81,79,107.00	Writ petition filed against the demand is pending for disposal
2019-20	57,68,00,642.00	51,37,16,035.00	5,76,80,532.00	1,14,81,97,209.00	Writ petition filed against the demand is pending for disposal
Total	114,61,23,394.00	112,50,14,192.00	11,46,18,650.00	238,57,56,236.00	

f. Income tax department has raised a demand of ₹ 7.22 Cr (PY – ₹7.22Cr) on April 22, 2021 for the A.Y 2018-19 for which the Company has filed an appeal before CIT (Appeals) Chennai. Further, the Income Tax Department has initiated the penalty proceedings and levied penalty of ₹20,000/-.

g. Department of Commercial Tax, Kerala has preferred an appeal against the Company for the AY 2009-10 and 2010-11 before the Hon'ble Supreme Court for considering the subsidy received from the Government as a part of turnover in order to levy the value added tax. The total tax demanded by the Department is ₹5.11 Cr inclusive of interest of ₹1.10 Cr (PY-₹5.11 Cr). The case is pending before the Court.

h. In respect of Tax deducted at source (TDS), department has raised a demand due to short-deduction and/or short payment of ₹0.20 Cr (PY- ₹0.34 Cr), for which the company is in the process of rectification.

i. In 2007 Pay Revision, GOI has increased the gratuity ceiling from ₹3.50 lakhs to ₹10.00 lakhs effective from 01.01.2007 whereas the Payment of Gratuity Act has amended only from 24.05.2010. In view of above, employees separated during the period from 01.01.2007 to 30.04.2010 were paid gratuity reckoning the ceiling as ₹3.50 lakhs. Some of the employees separated during the above period filed appeal before the High Court of Madras for the differential Gratuity amounting to ₹2.85 Cr (PY – ₹2.85Cr) and the matter is sub-judice. The matter is stayed by the Hon'ble Madras High Court with an order that the enhanced Gratuity is not payable with retrospective effect based on SC order on the issue.

j. As per the DPE guidelines on wage revision effective 01.01.2017, the package includes higher gratuity of ₹20 lakhs from that date. During the current FY, the company has given effect to wage revision w.e.f 01.04.2023. The Company is paying the enhanced gratuity to all the employees who are separated from the Company after the amendment made in the payment of Gratuity Act with effect from 29.03.2018. Some of the employees who have retired prior to 29.03.2018, have gone to labour court claiming gratuity amounting to ₹ 5.70 Cr (PY – ₹5.70 Cr) for the period from 01.01.2017 to 28.03.2018 which was dismissed by the Labour Court and separated employees have filed an appeal in Hon'ble High Court of Madras. The said appeal is pending for disposal by the Hon'ble High Court as on the date of the Balance sheet.

k. Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) has issued a Show cause Notice for non-compliance of emission norms by levying an environmental compensation of ₹0.37 Cr. u/s 5 of the Environment (Protection) Act, 1986. The Company has represented the matter before the appropriate authority. Decision of the TNPCB is yet to be received.

l. The Company has requested GOI for waiver of Interest accrued and penal interest on GOI loans as a part of revival package. However, as per the office memorandum on 'Loans and Advances by the Central Govt.- interest rate and the other terms and conditions', in case of non-acceptance of revival package submitted by the Company, the Company is under obligation to pay penal interest of 2.75% p.a amounting to ₹ 394.68 Cr for the current year (PY – ₹351.68 Cr).

2. Disclosure of Contingent Asset

The Company filed a recovery suit against M/s Hastalloy India Ltd, having business transactions of supply of Uranus Rods amounting to ₹0.08 Cr together with interest of ₹0.04 Cr before Hon'ble Court of Principal District Judge at Tiruvallur. In 2007, the Court ordered the decree in favour of the company for an amount of ₹0.12 Cr, as claimed in the suit and to reimburse the cost of suit of ₹0.01 Cr along with the interest @ 18% from the date of decree to till date of realization. Subsequently for transfer of decree necessary executive petition papers were filed in the District Court, Tiruvallur. Since the jurisdiction of supplier lies in Visakhapatnam, the Company initiated to transfer the executive petition for the recovery. Due to non-availability of virtual certainty of inflow to the company, it is disclosed as contingent asset.

3. Default in repayment of Loans

The Company defaulted in repayment of loan principal and interest on GOI loans as detailed below:

(₹ Cr)

Particulars	Principal	Interest Accrued and Due	Total
Revamp loans	122.30	185.20	307.50
Plan loans	411.17	700.70	1111.87
Non plan loans	20.77	44.24	65.01
Total	554.24	930.14 *	1484.38

* Interest on loan from GOI for FY 2024-25 amounted to ₹54.58Cr

4. Impairment of assets

A detailed valuation has been done by Chartered Engineer and valuer. As per his report no adjustment towards impairment loss is considered necessary by the Company as on 31.03.2025. Net selling price of the major Plant and Equipment has been assessed against the book value on that date is detailed below: (₹ Cr)

Plant	As on March 31,2025		As on March 31,2024	
	Net selling price	Book Value	Net selling price	Book Value
Ammonia	310.00	131.90	288.32	138.12
Urea	69.92	30.15	64.79	29.29
NPK	2.93	0.80	2.73	0.86
Utilities	27.69	19.97	25.46	16.14

5. The Company has opted to exercise the option permitted under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as promulgated by the GOI vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 and has taken 25.17% (Income tax 22%+Surcharge 10% + Health & Higher Education Cess 4%) rate of corporate tax in its accounts from the said year. Accordingly, the company has considered the said rate for the tax expenses for the year and has measured its deferred tax assets/ liabilities on the basis of the above option.

Current Tax

(₹ Cr)

Particulars	As on March 31	
	2025	2024
Profit before Tax	91.59	11.86
Applicable Tax Rate	25.17%	25.17%
Computed Tax Expenses	23.05	2.97
Tax Effect of :		
Income not subject to tax	(0.10)	(0.28)
Expenses Disallowed	8.49	8.06
Expenses allowed on payment basis	(3.74)	(1.46)
Depreciation admissible	(4.50)	(4.28)
Current Tax Expense(A)	23.20	5.00

Status of Income Tax Refund Due and the adjustments thereof:

a. During the year, the company has received an intimation from the Income Tax Department dated 03.03.2025, wherein a sum of Rs.6.16 Cr (including interest of Rs.0.18 Cr) has been determined as Refund Due to company. Pending the receipt of refund amount as on the date of balance sheet, the above amount of Rs.6.16 Cr is considered under 'Other Financial Assets (Current)'. Further, the company has written back Rs.1.11 Cr being the excess provision towards Income Tax for the FY 2023-24.

b. The Income Tax refund due to the company, relating to earlier financial year other than the refund due of Rs.6.16 Cr as mentioned above, amounting to ₹2.61 Cr, is included in 'Other Financial Assets (Non-Current)'.

Movement in Deferred Tax Liability / (Asset) during the year:

(₹ Cr)

Particulars	Opening Balance 01.04.2024	Recognized in P&L	Recognized in OCI	Closing Balance 31.03.2025
Deferred Tax Asset				
Expenditure allowable on payment basis	16.00	(2.97)	1.18	14.21
Total	16.00	(2.97)	1.18	14.21
Deferred Tax Liability				
Depreciation	23.96	2.30		26.26
Revaluation of FVTOCI Investments to Fair value	101.13		(26.60)	74.53
Total	125.09	2.30	(26.60)	100.78
Net Deferred Tax Asset/(Liability)	(109.09)	5.26	(27.78)	(86.57)

Deferred tax assets and liabilities have been offset wherever the company has a legally enforceable right to setoff current tax assets against current tax liabilities and where the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the Income Tax Authority.

The ultimate realization of deferred income tax assets is dependent upon the generation of future taxable income during the year in which the temporary differences become deductible. Management considers the scheduled reversals of deferred income tax liabilities, projected future taxable income and tax planning strategies in making the assessment.

Based on the level of historical taxable income and projections for future taxable income over the years in which the deferred income tax assets are deductible, management believes that the company will realize the benefits of those deductible differences. The amount of deferred income tax assets considered realizable could be reduced in the near term if estimates of future taxable income during the carry forward periods are reduced.

6. The reconciliation of ITC as reflected in the books of accounts and with relevant statutory records under GST regulations has been completed for all the FYs ending up to 2024.

The provision of Rs 50.54 Cr has been considered in the accounts for the difference between the Input tax Credit as per books and Electronic Credit Ledger as per GST portal as on 31.03.2025. The above sum includes an amount of Rs 37.57 Cr, being the provision held as on 31.03.2024 and an additional provision of Rs 12.97 Cr made during the FY 2024-25 towards the above difference.

7. The amount under other income includes the write back of the following, which have been considered by the Management as no longer payable:

Particulars	Amount
Liability towards Turnover Tax and Sales Tax	0.27
Liability towards Entry Tax	2.53

8. Related Party Disclosures

a. Name of the Related Parties and their relationship:

Name of the Related Party	Nature of Relationship	Tenure From
Shri Manoj Kumar Jain	Chairman and Managing Director	07/06/2024
Smt. Neeraja Adiadam	Chairman and Managing Director	30/04/2024 to 06/06/2024
Dr. K Jayachandran	Director - Technical	01/05/2023
Dr. Tina Soni	Director – GOI Nominee	04/04/2024
Shri Arvind Kumar	Director – GOI Nominee	10/02/23 to 04/04/2024
Shri Mohammad BagherDakhili	Director – NICO Nominee	18/02/2017
Mrs.SamiehKokabi	Director - NICO Nominee	10/02/2021
Shri Babak Bagher pour	Director - NICO Nominee	23/10/2018
Shri Nalabothu Venkata Rao	Independent Director	05/11/2021 to 04/11/2024
Dr. C R Jayanthi	Independent Director	28/12/2021 to 27/12/2024
Shri Sanjay Shetye	Independent Director	31/12/2021 to 30/12/2024
Dr. Jatin Kumar Mohanty	Independent Director	20/06/2023
Shri Priya Ranjan Panda	General Manager – Finance & Accounts / Chief Financial Officer	01/07/2020 to 30/06/2024
	Company Secretary &Compliance Officer (In charge)	13/12/2023 to 30/06/2024
Shri Madhan Mohan	General Manager – Finance & Accounts / Chief Financial Officer	01/07/2024
Shri Srinivasa Saravanan	Company Secretary	07/08/2024
MFL Employees Contributory Provident Fund Trust	Employee benefit trusts managed by MFL	01/04/1967

b. Transaction with Key Management Personnel:

(₹ Cr)

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
Short-term employee benefits	1.09	1.09
Post-employment benefits	0.21	0.13
Compensated absences	-	-
Other long-term benefits	-	-
Total Compensation	1.30	1.22

c. Related party transactions other than those with key management personnel:

(₹ Cr)

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
Transaction During the Year		
Contributions		
MFL Employees Contributory PF Trust	5.55	5.62

d. Disclosure under Ind AS 24 or related party transaction are given below

Since Government of India owns 59.50% of the Company's equity share capital (under the administrative control of DoF, Ministry of Chemicals and Fertilizers), the disclosures relating to transactions with the Government and other Government controlled entities have been reported in accordance with para 26 of Ind As 24.

Certain transactions are carried out with other government related entities for purchase of Gas, FO, HSD, Lube and lease rent, which are significant in terms of value, the details of which are as under:

(₹ in Cr)

Name of the Entity	Nature of Transaction	2024-25	2023-24
Indian Oil corporation Ltd	Procurement of RLNG /FO/HSD/LUBE and Gas pipe line compensation	1828.60	1608.43
GAIL(India) Ltd	GAS Pool Account	92.57	110.68
Chennai Petroleum Corporation Ltd	Lease Rent	2.57	4.29

e. Independent Director Sitting Fees Details

Particulars	For the year ended 31 March,2025	For the year ended 31 March,2024
Sitting Fee Paid	0.09	0.12

9. Leases

a. Operating Leases:

i. As a Lessee:

Movement of Lease Liabilities: (₹ in Cr)

Particulars	2024-25	2023-24
Opening Lease Liabilities	-	0.02
Additions	-	-
Finance cost accrued during the period	-	-
Payments of Lease Liabilities	-	(0.02)
Closing Lease Liabilities	-	-

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2025 & 2024 on an undiscounted basis are as follows:

The Company also has certain leases with lease terms of 12 months or less and leases with low value. The Company applies the 'short-term lease' and 'lease of low-value assets' recognition exemptions for these leases.

Rental expenses recorded for short- term leases were ₹ 0.49 Cr for the year ended March 31, 2025 (PY ₹ 0.18Cr).

(₹ Cr)

Particulars	March 31, 2025	March 31,2024
Expense relating to short-term leases	1.97	2.02
Total Lease Payments not considered as Lease payments under Ind AS 116	1.97	2.02

ii. As a Lessor:

Rental income on operating leases of the space rented out to CPCL is included under 'Rent' in 'Other Income'. The future lease rent receivable over the remaining contract period for each of the following periods is:

(₹ Cr)

Particulars	March 31,2025	March 31,2024
Less than one year	2.94	2.62
Between one and five years	15.68	13.95
More than five years	-	-

Details of Property taken on Lease/ Leased out:

Description of Property	Leased to	Period of Lease	Basis of Lease
LPG Pipeline	Chennai Petroleum Corporation Ltd	10 years from 01.04.2017	14% of Guideline Value & escalated @ 12% every year

10. Amount shown under finance cost charged to the statement of Profit & Loss includes Rs 0.61 Cr (PY Rs.0.83 Cr) being the notional value of unwinding of interest cost pertaining to earlier years arising out of restatement of rental deposit at discounted value as required under Ind AS.

11. Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB) have allotted 43.13 acres of land for a lease period of 33 years at Kodungaiyur for TTP Plant in the year 1989 which got expired in May 2022.

Further, the Board of Directors of the company in its 315thmeeting dated 3rd February 2021 approved for further extension of lease for another 33 years. The Negotiation is going on and is yet to be finalized. The CMWSSB has granted permission for the use of land on adhoc basis pending for the finalization of lease terms.

Meanwhile, the company has been served with a notice from Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB) wherein demand for Rs.54.63 Cr (Excluding GST) towards increase in the rent from April'24 to March'25. The company has made representation for waiver of the said demand. The company has effected a payment of Rs 1.35 Cr which has been charged in the statement of Profit & Loss. Pending the outcome of the result of representation, the additional demand of Rs 53.28 Cr (Net) has been considered in the statement of Contingent Liabilities along with the opening contingent liability of Rs 26.64 Cr.

12. Disclosure on Investment Property:

a. The Management classifies the Asset which are held for rental incomes or surplus assets for capital appreciation under investment property.

(₹ Cr)

Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Rental Income	1.83	3.73
Direct proportionate operating expenses relating to rental income	0.00	0.00
Depreciation	0.01	0.01

a. Fair Valuation:

Investment Property at Bio Fertilizers Plant in Kondapalli, AP is valued on the basis of market value of the Property by an independent Chartered Engineer and Investment property at Manali is valued based on Government Guideline value. Fair values for the investment properties are as follows:

(₹ Cr)

Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Bio Building Kondapalli (AP)	0.11	0.17
Bio Land Kondapalli (AP)	5.26	5.26
Surplus Land at Manali	934.65	849.69
Vacant Land in Manali New Town	21.31	19.38
Vacant Land in Gujarat	0.05	0.05
Vacant Land in Guindy	71.86	65.33

13. The Company has 70 acres of surplus land at Manali, which has been approved by the shareholders through special resolution during the FY 2019-20. Initially, CPCL has shown its interest to purchase the entire 70 acres of land. Later on, CPCL has conveyed its willingness to purchase 4.98 acres of land only. Accordingly, the company has classified the 4.98 acres of Manali land under "Assets held for Sale" amounting to ₹18,484/- (valued at cost price), whose fair value as on the March 31,2025 is ₹ 71.59 Cr.

For the remaining 65.02 acres of surplus land, the company has made communication to all the PSUs and Government of Tamil Nadu, the availability of land for sale. The company decided to classify the 65.02 acres of land under "Investment Property" due to lack of marketability of the land and the same was informed to DIPAM for further action.

Further, during the 310th Board Meeting, the Board of Directors approved for sale of Guindy property having an area of 19 grounds & 1064 sq.ft, subject to approval of Dept. of Fertilizers, Govt. of India and Shareholders. Pending approval from the shareholders, the same is retained under "Investment Property". During the year, the Board has approved appointment of NBCC (India) limited as a land management agency for said property for which MOU is yet to be entered.

14. Employee Benefit Expenses

Defined Benefit Plans:

The Company has floated the following defined benefit plans i) Gratuity, ii) Post-retirement medical benefits, iii) Compensated absences, iv) Service awards and v) Contribution to Provident Fund trust.

Funding:

Gratuity is the only defined benefit plan that is funded by the Company. The funding requirements are based on the fund's actuarial measurement framework set out in the funding policies of the plan. The funding of the plan is based on a separate actuarial valuation for funding purpose.

The Company has determined that in accordance with the terms and conditions of the defined benefit plan, and in accordance with statutory requirements, the present value of refunds or reductions in future contributions is not lower than the balance of the total fair value of the plan asset less the total present value of obligations.

Movement in net defined benefit (Asset) / Liabilities

Gratuity

The cost of providing such defined benefit is determined using the projected unit credit method of actuarial valuation made at the end of the year and is administered through a fund maintained by Life Insurance Corporation of India. This defined benefit plan exposes the Company to actuarial risks, such as longevity risk, interest rate risk and market (investment) risk.

Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to gratuity at 15 days salary (15/26 * last drawn basic salary plus dearness allowance) for each completed year of service subject to a ceiling of ₹ 0.20 Cr on superannuation, resignation, termination excepting in the case of death or disablement for which the condition of continuous service does not apply. The Company has carried out actuarial valuation of gratuity benefit considering the enhanced ceiling.

Other Benefits

Obligations on post - retirement medical benefits, compensated absences and service awards are provided using the projected unit credit method of actuarial valuation made at the end of the year. These are unfunded plans.

(₹Cr)

Particulars	Defined benefit Obligations		Fair value of plan asset		Net defined benefit (asset) liability	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Gratuity						
Balance as at April 1	43.00	44.98	7.15	12.66	35.85	32.32
Included in profit and loss						
Current service cost	1.90	1.71	-	-	1.91	1.71
Interest cost	2.86	3.14	-	-	2.86	3.14
Interest income	-	-	0.48	0.72	(0.48)	(0.72)
Benefits paid	(6.79)	(6.23)	(6.79)	(6.23)	-	-
Contributions made	-	-	5.65	0.08	(5.65)	(0.08)
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	1.71	(0.60)	0.09	(0.08)	1.62	(0.52)
Balance at March 31	42.68	43.00	6.57	7.15	36.11	35.85
Earned leave encashment						
Balance as at April 1	14.42	17.09	-	-	14.42	17.09
Included in profit and loss						
Current service cost	2.51	2.02	-	-	2.51	2.02
Interest cost	0.94	1.07	-	-	0.94	1.07
Interest income	-	-	-	-	-	-
Benefits paid	(2.79)	(5.74)	-	-	(2.79)	(5.74)
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	2.85	(0.02)	-	-	2.85	(0.02)
Balance at March 31	17.93	14.42	-	-	17.93	14.42

(₹Cr)

Post-retirement medical benefits						
Balance as at April 1	1.19	1.30	-	-	1.19	1.30
Included in profit and loss						
Current service cost	0.03	0.03	-	-	0.03	0.03
Interest cost	0.08	0.10	-	-	0.08	0.10
Interest income	-	-	-	-	-	-
Benefits paid	-	-	-	-	-	-
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	0.11	(0.24)	-	-	0.11	(0.24)
Balance at March 31	1.41	1.19	-	-	1.41	1.19

(₹Cr)

Service award						
Balance as at April 1	0.75	0.70	-	-	0.75	0.70
Included in profit and loss						
Current service cost	0.09	0.06	-	-	0.09	0.06
Interest cost	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05
Interest income	-	-	-	-	-	-
Benefits paid	-	-	-	-	-	-
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	0.13	(0.07)	-	-	0.13	(0.07)
Balance at March 31	1.02	0.75	-	-	1.02	0.75

Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Represented by:		
Net defined benefit liability		
- Gratuity	36.11	35.85
- Earned leave encashment	17.93	14.42
- Post-retirement medical benefits	1.41	1.19
- Service award	1.02	0.75

I. Plan Asset

Plan assets comprises the followings: (₹ Cr)

Particulars	March 31,2025	March 31,2024
Equity securities	30%	30%
Government bonds	70%	70%

II. Actuarial Assumptions

The following are the principal actuarial assumptions for the gratuity plan at the reporting date:

(₹ Cr)

Particulars	March 31,2025	March 31,2024
Discount rate per annum	6.75%	7.23%
Expected return per annum on plan asset	7.23%	7.50%
Salary escalation per annum	5.00%	5.00%
Mortality	IALM (2012-14) U	IALM (2012-14) U

The following are the principal actuarial assumptions for the other defined benefit plans at the reporting date:

(₹ Cr)

Particulars	Earned leave encashment		Post -Retirement medical benefits		Service award	
	March 31,		March 31,		March 31,	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Mortality table (before retirement)	IALM (2012-14) U	IALM (2012-14) U	IALM (2012-14) U	IALM (2012-14) U	IALM (2012-14) U	IALM (2012-14) U
Mortality table (after retirement)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Discount rate	6.75%	7.23%	8.00%	7.50%	6.75%	7.23%
Attrition rate	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

The estimates of salary escalations considered in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market. Further, the expected return on plan assets is determined considering several applicable factors mainly the composition of plan assets held, assessed risk of asset management and historical returns from plan assets.

III. Sensitivity Analysis

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below:

(₹Cr)

Particulars	March 31,2025		March 31,2024	
	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Gratuity				
Discount rate (+/- 100 BP)	41.24	44.27	41.57	44.56
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	43.43	41.96	43.89	42.09
Mortality (+/- 10%)	42.69	42.69	43.01	43.01
Attrition rate (+/- 100BP)	42.84	42.51	43.15	43.15
Earned leave encashment				
Discount rate (+/- 100 BP)	17.08	18.87	13.74	15.18
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	18.84	17.09	15.16	13.74
Mortality (+/- 10%)	17.94	17.94	14.43	14.43
Attrition rate (+/- 100BP)	17.98	17.89	14.47	14.37
Post -Retirement medical benefits				
Discount rate (+/- 100 BP)	1.35	1.48	1.17	1.20
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	-	-	-	-
Mortality (+/- 10%)	1.14	1.41	1.19	1.19

Attrition rate (+/- 100BP)	1.42	1.41	1.19	1.18
Service award				
Discount rate (+/- 100 BP)	0.95	1.08	0.70	0.80
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	-	-	-	-
Mortality (+/- 10%)	1.01	1.01	0.75	0.75
Attrition rate (+/- 100BP)	0.95	1.08	0.70	0.80

The sensitivity analysis above has been determined based on projected unit credit method. There is no change from the previous period in the methods and assumptions used in the preparation of above analysis, except that the base rates have changed.

Expected maturity analysis of the defined benefit plans in future years (₹Cr)

Particulars	Less than 1 year	Between 1-2 years	Between 2-5 years	Over 5 years	Total
31 March 2025					
- Gratuity	9.67	5.53	17.27	10.19	42.66
- Earned leave encashment	4.31	2.18	6.48	4.96	17.93
- Post- retirement medical Benefits	0.29	0.17	0.55	0.40	1.41
- Service award	0.07	0.06	0.19	0.70	1.02
Total	14.34	7.94	24.49	16.25	63.02
31 March 2024					
- Gratuity	7.66	8.41	15.56	11.37	43.00
- Earned leave encashment	2.51	2.52	4.80	4.59	14.42
- Post-Retirement medical benefits	0.18	0.20	0.42	0.40	1.19
- Service award	0.05	0.04	0.12	0.53	0.75
Total	10.41	11.18	20.89	16.88	59.36

The weighted average duration of the defined benefit plan obligation at the end of the reporting period is 10 years (31 March 2025: 10 years)

Obligations on post-retirement medical benefits, compensated absences and service awards are provided using the projected unit credit method of actuarial valuation made at the end of the year.

Provident Fund and Superannuation Fund:

The amount expended in respect of employer's contribution to the provident fund and superannuation fund during the year, are ₹ 5.55 Cr (Previous year ₹ 5.62 Cr) and ₹ 6.69 Cr (Previous year ₹ 6.18 Cr) respectively.

15. Financial Instruments - Fair Value Disclosures

Some of the Company's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of the reporting period. The following table gives information about how the fair values of these financial assets and financial liabilities are determined (in particular, the valuation techniques and inputs used):

(₹Cr)

Financial Assets/ Financial Liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy	Valuation techniques & key inputs used
	March 31, 2025	March 31, 2024		
Investments in unquoted equity Instruments at FVTOCI				
Indian Potash Ltd	523.32	453.45	Level-3	Refer Note Below
Fortune Biotech P Ltd	1.54	1.32	Level-3	Refer Note Below

Note:

Unquoted Equity shares

The fair value of the unquoted equity shares has been estimated at Net Book Value model based on the latest available audited consolidated financial statements of M/s Indian Potash Limited and Standalone Financial Statements of M/s Fortune Biotech Limited (FBL) for the year ended 31st March 2024.

Fair value of financial assets and financial liabilities that are equivalent to it carrying amount which are subsequently measured at amortized cost:

The Management assesses that trade receivables, cash and cash equivalents, trade payables, borrowings and other financial assets and liabilities, fair values approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

(₹Cr)

Description	Fair value hierarchy	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
		Carrying Amount	Fair Value	Carrying Amount	Fair Value
A. Financial Assets					
Loans	NA	10.59	10.59	21.40	21.40
Trade receivables	NA	382.93	382.93	321.32	321.32
Cash and cash equivalents	NA	652.14	652.14	561.96	561.96
Bank Balances other than cash & cash equivalents	NA	13.93	13.93	13.11	13.11
Other financial assets	NA	17.89	17.89	13.02	13.02
B. Financial Liabilities					
Borrowings	NA	1594.31	1594.31	1583.24	1583.24
Trade payables	NA	384.21	384.21	283.14	283.14
Other financial liabilities	NA	97.58	97.58	109.92	109.92

i. Management uses its best judgment in estimating the fair value of its financial instruments. However, there are inherent limitations in any estimation technique. Therefore, for substantially all financial instruments, the fair value estimates presented above are not necessarily indicative of the amounts that the Company could have realised or paid in sale transactions as of respective dates. As such, fair value of financial instruments subsequent to the reporting dates may be different from the amounts reported at each reporting date.

Reconciliation of Level 3 fair value measurements (₹Cr)

Description	March 31, 2025	March 31,2024
Opening Balance	454.77	336.99
Add : Withdrawal of Provision Made	0.00	0.19
Add - Fair value gain/(loss) recognized in OCI	70.09	117.59
Closing Balance	524.86	454.77

16. Capital Management:

For the purpose of the Company's Capital management, capital includes equity capital and all other reserves. The Company's capital management objective is to maximize the total shareholder return by optimizing cost of capital through flexible capital structure that supports growth.

The Company manages its capital structure and makes adjustments in the light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings less cash and short-term deposits.

Gearing Ratio: (₹Cr)

Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Debt (Incl. Lease Liabilities)	1594.31	1583.24
Less: Cash and bank balances	666.07	575.08
Net debt	928.24	1008.16
Total equity	(32.30)	(189.72)
Net debt to total equity ratio	-	-

17. Financial Risk Management

In course of its business, the Company is exposed to certain financial risks that could have significant influence on the Company's business and operational / financial performance. These include market risk (including currency risk, interest rate risk and equity risk), credit risk and liquidity risk.

The Board of Directors reviews and approves risk management framework and policies for managing these risks and monitors suitable mitigating actions taken by the management to minimize potential adverse effects and achieve greater predictability to earnings.

Borrowings, trade payables and other financial liabilities constitute the Company's primary financial liabilities and investment in unquoted equity shares, trade receivables, loans, cash and cash equivalents and other financial assets are the financial assets.

a. Credit Risk

Trade receivables

Credit risk refers to the risk of default on the receivables to the Company that may result in financial loss. The maximum exposure from trade receivables is amounting to ₹ 382.93 Cr as of March 31, 2025 (₹ 321.32 Cr as of March 31, 2024).

Trade receivables mainly constitute subsidy receivable from Government of India and from sale of manufactured and traded fertilizers to dealers. As far as Government portion of receivables is concerned, risk of default is nil or insignificant, subject to approval of subsidy rate by Government of India. In the case of dealers, credit risk is being managed through credit approvals, establishing credit limits and monitoring the creditworthiness of customers to allow credit terms in the normal course of business. In the case of the Company, the credit period offered varies between 30 to 60 days. There have been few cases of impairment historically for which the Company has made requisite provisions.

Investment in unquoted equity shares

The Company has investments in unquoted equity shares of Indian Potash Limited and Fortune Bio-Tech Limited. The Company does not expect any losses from non-performance by the investee companies and hence no impairment is recognized in the Statement of Profit and Loss.

Loans and Advances

The company provides loans / advances to its employees on concessional or interest free basis. The company manages its credit risk in respect of such loans to employees through recovery of the same in a number of predetermined installments.

Cash and cash equivalents, deposits with banks and other financial Assets

The credit risk on cash and bank balances is limited because the counterparties are banks with high credit ratings. Therefore, the risk of default is considered to be insignificant.

In case of other financial Assets, there are certain credit impaired cases mainly due to breach of contract arising due to default, or bankruptcy proceedings.

Summary of exposures to financial assets provided below:

(₹Cr)

Financial asset	Exposure as at	
	March 31,2025	March 31,2024
Investments	524.87	454.77
Loans	10.59	21.40
Trade receivables	382.93	321.32
Cash and cash equivalents	652.14	561.96
Bank Balances other than cash & cash equivalents	13.93	13.11
Other financial assets	17.89	13.01
Total	1602.35	1385.57

Provision for expected credit losses

Financial assets for which loss allowance is measured using life time expected credit losses

The Company's customer base is the Government of India and a number of dealers. Historically the risk of default is very low. Further, management believes that the unimpaired amounts that are past due by more than 60 days are still collectible in full, based on historical payment behavior and extensive analysis of customer credit risk.

The company establishes an allowance for impairment that represents its estimate of expected losses in respect of trade

receivables excluding Subsidies from the Government and other financial Assets. The provision matrix of ECL for Trade Receivables at the end of reporting period is as follows:

Particulars	Expected Credit Loss %
Within credit period or upto 6 months past due	0 %
More than 6 months past due	100%

Movement in expected credit loss allowance (₹Cr)

Particulars	Ageing as at	
	March 31, 2025	March 31, 2024
Trade Receivables(excluding subsidy from GOI)		
Opening Balance	3.73	3.81
Movement in the expected credit loss allowance	-	(0.08)
Closing Balance	3.73	3.73
Investments		
Opening Balance	-	0.19
Movement in the expected credit loss allowance	-	(0.19)
Closing Balance	-	-
Other Financial Assets		
Opening Balance	1.39	1.58
Movement in the expected credit loss allowance	-	(0.19)
Closing Balance	1.39	1.39

b. Liquidity risk

The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Company manages liquidity risk through cash credit limits and undrawn borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows. The Company invests its surplus funds in bank fixed deposit which carry minimal mark to market risks.

Maturities of financial liabilities

The following are the contractual maturities of non-derivative financial liabilities, based on contractual cash flows:

(₹Cr)

March 31, 2025		Contractual cash flows					
Financial liabilities	Carrying amount	Less than a year	1-2 years	2-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Borrowings	1594.31	1594.31	-	-	-	-	1594.31
Trade payables	384.21	384.21	-	-	-	-	384.21
Other financial liabilities	97.58	97.58	-	-	-	-	97.58
TOTAL	2076.10	2076.10	-	-	-	-	2076.10

(₹Cr)

March 31, 2024		Contractual cash flows					
Financial liabilities	Carrying amount	Less than a year	1-2 years	2-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Borrowings	1583.24	1583.24	-	-	-	-	1583.24
Trade payables	283.14	283.14	-	-	-	-	283.14
Other financial liabilities	109.92	109.92	-	-	-	-	109.92
TOTAL	1,976.30	1,976.30	-	-	-	-	1,976.30

c. Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk for the entity comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and equity risk.

Financial instruments affected by market risk include borrowings, trade payables in foreign currency and investment in unquoted equity shares. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

d. Currency risk

The Company executes import agreements for the purchase of raw materials, stores & spares and Property Plant & Equipment. These are not hedged by the Company owing to the materiality of such foreign exchange gain / loss values.

The currency profile of financial liabilities is as below:

(₹Cr)

Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Trade payables	-	-

Sensitivity analysis

A strengthening / weakening of the Indian Rupee, as indicated below, against the foreign currency as at 31 March would have increased (decreased) equity and profit or loss by the amounts shown below. This analysis is based on foreign currency exchange rate variances that the Company considered to be reasonably possible at the end of the reporting period. The analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant. The analysis is performed on the same basis for previous year, except that the reasonably possible foreign exchange rate variances were different, as indicated below.

(₹Cr)

Particulars	As at March 31,2025		As at March 31,2024	
	Profit and loss		**Profit and loss**	
10% movement	Gain on appreciation	Loss on depreciation	Gain on appreciation	Loss on depreciation
Trade payables denominated in foreign currency	-	-	-	-

e. Interest rate risk

The Company is not exposed to any interest rate risk as the interest rate on the sole borrowing from GOI is fixed in nature.

At the reporting date the interest rate profile of the Company's interest-bearing financial instruments is as follows:

(₹Cr)

Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
Financial assets		
Fixed-rate instruments		
Employee loans	10.59	21.40
Financial liabilities		
Fixed-rate instruments		
GOI Term loan	554.24	554.24
Cash Credit from bank	109.92	153.43

Fair value sensitivity analysis for fixed-rate instruments

The company's fixed rate instruments are carried at amortized cost. They are therefore not subject to interest rate risk, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

f. Equity price risk

Equity price risk is related to the change in market reference price of the investments in quoted equity securities. In the case of the Company, the sole investment in equity shares is unquoted and therefore, the Company is not exposed to equity price risks. However there can be changes in fair value of equity investments based on valuations done at different reporting periods owing to the operations and general business environment in which the investee operates. In general, the investment is not held for trading purposes.

Equity price sensitivity analysis

A 5% change in the fair value of equity instruments held as at March 31, 2025 and March 31, 2024 would result in an increase/ decrease of ₹26.24 Cr and ₹22.74 Cr in fair value of the equity instrument respectively.

18. Revenue from Contract with Customers:

a. The Company generates revenue primarily from manufacturing and trading of Fertilizers. The Company has recognized revenue by satisfying its performance obligations at a point of time basis.

b. The revenue from contracts with customers to the amounts disclosed as total revenue are as under:

(₹Cr)

Particulars	For the year ended March 31,	
	2025	2024
Revenue from Sale of Products	383.78	243.73
Subsidy Income from Government	2157.61	1982.95
Other Operating Revenue	0.46	1.74
Total	2541.85	2228.42

As per the GO D(FA)/CCEA/2011 dated 12/10/2012 issued by the DoF the company has to collect Rs 50/MT on sale of products to dealers which have to be utilized for the purpose of Purchase / Maintenance of POS machine and other promotional activities. During the current Financial Year, company has collected Rs 2.61 Cr in accordance with the above GO. The said sum is not included under revenue from sale of products.

c. Contract Assets and Liabilities:

(₹Cr)

Particulars	As at March 31,	
	2025	2024
Contract Assets:		
Trade Receivables	0.72	0.11
Subsidy Receivables	382.21	321.21
Total	382.93	321.32
Contract Liabilities:		
Opening Balance	18.29	23.76
Less: Revenue Recognized	18.29	23.76
Add: Trade Advances	18.86	18.29
Closing Balance	18.86	18.29

Contract Liabilities in the Balance Sheet constitutes advance payments and billings in excess of revenue recognized. The Company expects to recognize such revenue in the next financial year. There were no significant changes in contract liabilities during the reporting period except amount as mentioned in the table and explanation given above. Under the payment terms generally applicable to the Company's revenue generating activities, prepayments are received only to a limited extent. Typically, payment is due upon or after completion of delivery of the goods.

19. Subsidy under New Pricing Scheme (NPS) for Urea

a) Approval awaited for extension of existing energy norm: MFL vide letter No. CMD/Govt/612/2024 dated June 12,2024 and CMD/Govt/457/2025 dated April 22, 2025 requested Govt. of India to extend the existing energy norm of 8.337 Gcal/MT of Urea till energy reduction measures are implemented. Pending the approval for the above request, as a prudent measure, the Company has accounted the subsidy after considering the maximum penalty of 10% from the existing energy norm of 8.337 Gcal/MT w.e.f 18/07/2024. The said penalty of ₹ 155.61 Cr has been considered as deduction in subsidy income for the financial year.

b) Subsidy accounting on policy parameters vis-à-vis provisionally approved rates:Subsidy on Urea Sales for FY 2024-25 has been recognized at ₹ 2110.30 Cr in accordance with the policy parameters prescribed by Fertilizer Industry Coordination Committee(FICC) for escalation claim whereas subsidy for escalation claims provisionally approved by FICC amounts to ₹ 2270.85 Cr, the difference being an amount of ₹ 160.55 crores. The above sum has been netted against Trade Receivables included under Current Assets. The effect for the difference in the subsidy accounted will be considered as and when the final notification is received based on the escalation / de-escalation of claims for FY 2024-25 to be submitted by the Company.

20. As per the report of the technical committee formed for the purpose of identification of obsolete stores and spares, 1197 items with a value of Rs.1.08 crores has been determined as obsolete and necessary provision is made in the accounts for the said amount.

21. The company has made a request to Dept. of fertilizers, for granting additional subsidy of ₹ 64.97 Cr in order to compensate the higher cost of production of "N" due to usage of Naphtha as captive ammonia in production of complex fertilizers under Nutrient Based Subsidy (NBS) for the extended period from FY 2012-13 to till the conversion of feedstock to RLNG i.e. July,2019. The Additional Compensation will be considered as income, only when final order is received by the company from the Dept. of Fertilizers, Government of India.

22. Change in Accounting Policy on valuation of Inventories

Following the implementation of SAP accounting software, the Company has opted to change its accounting policy on valuation of raw materials, packing materials and traded goods from FIFO to Weighted Average Cost from current year onwards. This change aligns the Company's accounting policy with the general industry practice, thereby enhancing the comparability of the entity's financial statements with those of other market participants within the industry.

The Company's previous accounting software – OLIS – did not have the provision to determine the valuation of closing stock of raw materials, packing materials and traded goods on weighted average method. Therefore, it is impracticable to determine the period-specific effects of change in accounting policy on comparative information for one or more prior periods, including opening stock of said items.

However, the closing stock of raw materials, packing materials and traded goods are computed on FIFO method, manually and the impact is disclosed below:

Particulars	Rs Cr
Value of closing stock of raw materials, packing materials and traded goods on weighted average cost	40.67
Value of closing stock of raw materials, packing materials and traded goods on FIFO	39.91
Impact on the Profit and Loss statement	0.76

The profit for the current year is higher by ₹ 0.76 cr on account of change in the accounting policy for valuation of raw materials, packing materials and traded goods from FIFO to weighted average cost.

23. Employee Advances

Ad-hoc advance was granted to employees amounting to ₹17.54 Cr from FY 2019, in anticipation of wage revision. However, wage revision was approved only the periods commencing from April 2023, and hence, the excess amount paid to employees is being recovered from salary in 20 installments commencing from September 2024 salary payment.

Employee Ad-hoc Advance	₹ - Cr.
Balance outstanding as 31/03/2024	17.54
Less: Recovered in FY 2024-25	10.41
Balance outstanding as 31/03/2025	7.13

24. Disclosure as per Ind AS 108 'Operating segments'

Basis for segmentation

In the case of the Company, Chairman & Managing Director(CMD) is considered to be the Chief Operating Decision Maker (CODM). The CMD reviews the performance of the Company and allocate resources based on the various management information reports provided by the respective departments of the Company.

The CODM reviews the performance of the Company primarily as two segments:

a. Fertilizers (Urea and NPK);

b. Other activities (Trading activities and Bio fertilizers);

However, since the revenue from other activities constitutes less than 5% of the reported revenue and no significant assets are employed for these activities, the management is of the view that the Company has only one reportable segment that relates to manufacture of sale of fertilizers.

Geographical information

The Company is in the operation of manufacture and sale of fertilizers within India, the entire revenue is domestic and all non-current assets are situated in India only.

Revenue from major customer

There is no single customer that accounts for more than 10% of the Company's revenue, other than subsidy from Government of India.

25. Disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:

The total amount payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 as at March 31, 2023 as identified by the management and relied upon by the Auditors is provided below:

(₹Cr)

S.No	Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
i.	Dues outstanding more than 45 days	0.06	0.07
ii.	Amount remaining unpaid as at the end of the year Principal Amount Interest Amount	29.81	22.89
iii.	The amount of interest paid in terms of Section 18 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
iv.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment As per the terms of the Contract As specified in the Act	-	-
v.	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year	-	-

MSME entities as declared by the vendor as per the requirement of MSME Act.

26. Corporate Social Responsibility (u/s135 of Companies Act)

(₹Cr)

Sl.No	Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024
1.	Amount required to be spent on CSR expenditure in accordance with Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014	2.83	2.77
2.	Amount unspent/ (excess spent) carried forward from earlier years	(3.79)	(0.23)
3.	Amount actually spent during the year	(0)	(6.33)
4.	(Excess amount spent carried forward)/ Short fall	(0.96)	(3.79)
5.	Reason for shortfall	NA	NA

6.	Nature of CSR Activity a. Oxygen Plant @ Govt. Stanley Medical College, Chennai b. Covid -19 Related Activities c. Others	 - - -	 - - 6.33
7.	Details of related party transaction	Nil	Nil
8.	Where a provision is made with a respect to liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately.	NA	NA

27. The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act (SICA) has been repealed from December 01, 2016 and the Board for Industrial and Financial Restructuring (BIFR) stand dissolved from that date. The Company is pursuing legal options to file the Revival proposal to the National Company Law Tribunal (NCLT). However, based on PDIL report, The Company has submitted financial restructuring proposal with DOF, GOI for their consideration.

28. Penalty on Non-Compliance of Composition of Board:

The company is not having the required number of Independent Directors on its Board due to vacancy arising out of expiry of term from 6th June, 2019 onwards. Accordingly, National Stock Exchange ('NSE") has levied a penalty of ₹ 1.12 Cr on the said non-compliance, which has been duly paid by the company.

Being a public sector undertaking, appointment of independent directors on the board lies in the hands of the Govt. of India, which is to be treated as Impossibility of compliance. The company has shown the said amount under "Other Financial Assets - Current", as the same can be claimed back once the said non-compliance is being rectified by the company.

29. Other Statutory Information:

a. The title deeds, comprising all the immovable properties of land and buildings which are freehold, are held in the name of the Company as at the balance sheet date. For immovable properties given as collateral security for loans from banks and financial institutions, the title deeds were deposited with the said banks/ financial institutions.

b. The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right-of-Use Asset) since the Company has adopted cost model as its accounting policy to an entire class of Property, Plant and Equipment in accordance with Ind AS 16.

c. The Company has not granted any loan or advance in the nature of loan to promoters, directors, KMPs and other related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.

d. The Company has used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken as at the reporting date.

e. Registration, Modification and Satisfaction of charges relating to the year under review, had been filed with the Registrar of Companies, within the prescribed time. However, in respect of certain Modification and Satisfaction of charges relating to the year under review, the Company is in the process of filing the necessary forms with the Registrar of Companies.

f. There are no proceedings initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

g. The Company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. The quarterly returns or statements filed by the Company with the banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts, except in the following cases:

(₹Cr)

Quarter ended	As per **financials**	**As per returns filed** with banks	Variation*
June 30, 2024			
Inventories	248.76	264.13	(15.37)
Trade receivables	320.97	487.28	(166.61)
Trade payables	298.09	323.66	(25.57)
September 30, 2024			
Inventories	225.44	210.25	15.19
Trade receivables	215.70	294.02	(78.32)
Trade payables	294.06	157.46	136.60
December 31, 2024			
Inventories	198.53	358.42	(159.89)
Trade receivables	428.73	273.73	155.00
Trade payables	335.63	242.33	93.30
March 31, 2025			
Inventories	209.60	373.67	(164.07)
Trade receivables	382.94	387.00	(4.06)
Trade payables	384.21	397.87	(13.66)

h. The Company is not declared as willful defaulter by any bank or financial Institution or other lenders.

i. The Company did not have any transactions with Companies struck off under Section 248 of Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 considering the information available with the Company.

j. The Company do not have any parent company and accordingly, compliance with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable for the year under consideration.

k. There is no Scheme of Arrangements approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the year.

l. The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall

   i. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or

   ii. provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

m. The company has also not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall

   i. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or

   ii. provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

h. The Company do not have any transactions which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.

i. The Company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence, disclosures relating to it are not applicable.

30. Balances shown under trade receivable, advances and trade payables are subject to confirmation / reconciliation/ adjustment, if any. The company has been sending letters for confirmation to parties. However, the Company does not expect any material dispute with respect to the recoverability/payment of the same.

In the opinion of the management, the value of current assets, current liabilities, loans and advances on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the balance sheet.

31. The Company is engaged in manufacturing and trading of fertilizers, which is an essential input for agriculture. Central and State Governments are giving top most priority on agriculture activities during Covid19 situation also. The Company expects to continue the normal operations and does not expect any impact of Covid19 in its operations which is evident from the fact that the production of Urea during the year 2024-25 is at 108.60% capacity with 5,28,400 MT of Urea production.

32. Amount in the standalone financial statements is presented in Cr (up to two decimals) except for per share data and as other-wise stated. Certain amounts, which do not appear due to rounding off, are given as follows:

Balance Sheet Items (₹Cr)

Description	Note No.	As at March 31,	
		2025	2024
Cash and Cash Equivalents	9		
Cash on hand		1,001.00	1,001.00
Profit on Sales of PPE	19	-	-
Dismantled/Scrapped Assets			
Assets held for Sale		1,001.00	1,001.00

33. The figures for the previous year have been regrouped / reclassified to correspond with the current year's classification and disclosure.

Sd/-
Manoj Kumar Jain
Chairman and Managing Director
DIN: 10690782

Sd/-
Dr. K. Jayachandran
Director - Technical
DIN:10062573

Sd/-
A. Madhan Mohan
Chief Financial Officer

Sd/-
J Srinivasa Saravanan
Company Secretary &
Compliance Officer

/As per our Report of even date/

For Chandran and Raman
Chartered Accountants
Firm Regn. No.:000571S
Sd/-
(S Pattabiraman)
Partner
Membership No. 014309
UDIN: 25014309BMMMWA2705

Place: Chennai
Date: 28/05/2025

This Page is intentionally left blank

This Page is intentionally left blank

कम्पनी के कार्यपालकगण Executives of the Company



श्री एन राम कुमार, आईआरएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Shri N Ram Kumar, IRS
Chief Vigilance Officer



श्री ए.मदन मोहन
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Shri A Madhan Mohan
Chief Financial Officer



श्री बी.सोमु
महाप्रबंधक-(एचआरडी व राजभाषा)
Shri B Somu
General Manager - HRD & OL



श्री वण्णिय पेरुमाल
महाप्रबंधक – (संयंत्र)
(अतिरिक्त प्रभार)
Shri T Vannia Perumal
General Manager – Plant
(Additional Charge)



श्री अन्निल कुमार
महाप्रबंधक–(एम व डी) व (पी व ए)
(अतिरिक्त प्रभार)
Shri B Annil Kumar
General Manager - M & D and P & A
(Additional Charge)



श्री जे.श्रीनिवास सरवणन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
Shri J Srinivasa Saravanan
Company Secretary &
Compliance Officer

